अष्टम माला, खंड 9, अंक 23

शुक्रवार, 23 अगस्त, 1985
1 भाद्र, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 9, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 23, शुक्रवार, 23 अगस्त, 1985/1 भाद्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1-23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 450 से 452, 454 से 459 और 461 से 463	2-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23-196
तारांकित प्रश्न संख्या : 453, 460, 464 से 471	23-30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4748 से 4986	30-192
दिनांक 26 जुलाई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 693 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	193-196
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	196-199
राज्य सभा से संदेश	199-200
विनियोग (संख्याक 5) विधेयक	200
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	200
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	201
पहली से पांचवीं बैठकों तक के कार्यवाही-सारांश	201
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति संबंधी समिति	201
बैठक का कार्यवाही-सारांश	201
प्राक्कलन समिति	201
सातवां प्रतिवेदन	201
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	202
कार्यवाही-सारांश तथा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	202
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	202
दूसरा प्रतिवेदन	202
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	202
दूसरा प्रतिवेदन	202
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	203
बैठकों के कार्यवाही सारांश	203

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति	203
12वां प्रतिवेदन	203
सभा का कार्य	204-210
प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक	210
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	210
श्री जियाउर्रहमान अंसारी	210
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ विधेयक	211
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	211
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	211
"भारत में काले धन की अर्थ-व्यवस्था के पहलुओं" पर राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान के प्रतिवेदन पर चर्चा	211
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	211
न्यायाधीश (संरक्षण) विधेयक	219
विचार करने के लिए प्रस्ताव	219
श्री एच० आर० भारद्वाज	219
श्री एच० ए० डोरा	221
श्री शांताराम नायक	223
श्री अमल दत्त	224
प्रो० के० वी० थामस	225
श्री तम्पन थामस	226
श्री मूलचन्द डागा	228
श्री जी० एम० बनातवाला	229
डा० गौरी शंकर राजहंस	230
खंड 2 से 4 और 1	
पारित करने के लिये प्रस्ताव	
श्री एच० आर० भारद्वाज	233
सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक	239
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	239

विषय	पृष्ठ
श्री अप्पालानर सिंहम	240
श्री अजय मुशरान	242
श्री सैयद मसूदल हुसैन	242
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	243
श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल	244
खंड 2 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह	246
पंजाब में चुनाव के बारे में वक्तव्य	246
श्री राजीव गांधी	246
रेलवे संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक	247-252
विचार करने के लिये प्रस्ताव	
श्री बंसी लाल	247
प्रो० के० वी० थामस	248
श्री नारायण चौबे	249
श्री आर० जीवरत्नम	251
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	252
पांचवां प्रतिवेदन	252
विधेयक पुरःस्थापित	
(1) जानकारी की स्वतंत्रता विधेयक, 1985	252
श्री तम्पन थामस	252
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक	253
(अनुच्छेद 19 में संशोधन, आदि)	253
श्री जी० एम० बनातवाला	253
(3) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक	253
प्रो० मधु दंडवते	253
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक	253
(अनुच्छेद 311 का संशोधन)	253
प्रो० मधु दंडवते	253

विषय	पृष्ठ
(5) संविधान (संशोधन) विधेयक	254
(नए अनुच्छेद 15 का अंत: स्थापन)	254
श्री थम्पन थामस	254
(6) कृषि कर्मकार (पेंशन देना, न्यूनतम मजदूरी नियतन, अनिवार्य बीमा और अन्य सुख-सुविधाएं) विधेयक	254
श्री बी० बी० देसाई	254
(7) विदेश-निवासी भारतीय राष्ट्रिक (संसद तथा राज्य विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व) विधेयक	254
श्री बी० वी० देसाई	254
(8) विवाह व्यय की अधिकतम सीमा विधेयक	255
श्री बी० वी० देसाई	255
(9) अनिवार्य जनसंख्या नियंत्रण (छोटा परिवार अभिवृद्धि तथा अभिप्रेरण) विधेयक	255
श्री बी० वी० देसाई	255
(10) तकनीकी मरम्मत-सफाई एककों का विनियमन तथा नियंत्रण विधेयक	256
श्रीमती जयन्ती पटनायक	256
(11) परिवार परिसीमा प्रोत्साहन विधेयक	256
श्रीमती जयन्ती पटनायक	256
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	256-298
(धारा 125 और 127 का संशोधन)	256
श्री जी० एम० बनातवाला	256
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जी० एम० बनातवाला	257
श्री ओवेसी	257
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	259
श्री आरिफ मोहम्मद खां	272

लोक सभा

शुक्रवार 23 अगस्त, 1985/1 भाद्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

इस्पात कोयला और खान मंत्री (श्री वसन्त साठे) : "जीवेम शरत शतम" ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, क्या यह सच है कि आज आपका जन्मदिन है ? यदि हां, तो आप कितने वर्ष के हो गए हैं । श्रीमन्, क्या हम आपको बधाई दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन्, क्या यह तारांकित या अतारांकित प्रश्न है ? श्रीमन् यह क्या है ? एक विनिर्णय अध्यक्ष से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है ।

प्रो० मधु दंडवते : जब विनिर्णय अध्यक्ष से संबंधित हो तो अध्यक्ष को विनिर्णय नहीं देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मैंने महासचिव से पूछा था, जिससे मैं पकड़ में न आ जाऊं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : किन्तु हम आपको बधाई तो दे ही सकते हैं और आप हमें बधाई देने की अनुमति दीजिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अरे बहन, आपकी ही मेहरबानी है आपकी दुआएं हैं ।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, यह "गीता ज्ञान है" ।

अध्यक्ष महोदय : जब नाम ही गीता है तो फिर ज्ञान भी वहीं से होगा—"यथा नाम तथा गुण ।" बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका ।

[अनुवाद]

अब प्रश्न संख्या 450 । श्री हरिहर सोरन ।

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : श्रीमन्, कहने से पहले कि विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप के प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त करता हूं ।

[अनुवाद]

बोलानी ओर्स लिमिटेड, क्योंझर (उड़ीसा) द्वारा प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वित न किया जाना

*450 **श्री हरिहर सोरन** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की खानों में प्रारम्भ की गई प्रोत्साहन योजनाओं को बोलानी ओर्स लिमिटेड, जिला क्योंझर, उड़ीसा में कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त खान में जो कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की एक रक्षित खान है, प्रोत्साहन योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की बोलानी लौह अयस्क खानों में कोई प्रोत्साहन योजना लागू नहीं है ।

(ख) 1 जनवरी, 1979 से बोलानी ओर्स लिमिटेड (जोइन खानों की मालिक थी) का स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के साथ विलयन होने के बाद पूरे संगठन को व्यापक स्तर पर सुप्रवाही बनाने के साथ-साथ संयंत्र तथा उपस्करों का विस्तृत आधार पर नवीकरण किया जाना था । श्रमिक संघों के बीच प्रतिद्वन्द्विता होने के कारण खानों में औद्योगिक संबंधों की स्थिति भी गंभीर रूप से अव्यवस्थित रही । इन कारणों से प्रोत्साहन योजना बनाना और श्रमिक नेताओं के साथ इस के बारे में बातचीत संभव नहीं था ।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा एक प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है और हाल में सरकार को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है ।

श्री हरिहर सोरन : श्रीमन, मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के द्वारा एक प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा क्या है और उस योजना को कब तक स्वीकृत किये जाने की आशा है ।

श्री के० नटवर सिंह : बोलानी के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा दिसम्बर 1984 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कार्यालय को भेजा गया था और इसे मई के महीने में इस्पात विभाग को भेजा गया था । अब हमने संयंत्र की रिपोर्ट की जांच कर ली है और हमें योजना की कुछ कामियों का पता लगा है । इस योजना की विशेष रूप से कमी यह है कि इसमें उत्पादकता और लाभदायिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है । इस लिए हमने इसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० को वापस भेज दिया है । सरकार को अब स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने अब इस मामले को लोक उपक्रम ब्यूरो को भेज दिया है और हम यह आशा करते हैं कि लोक उपक्रम ब्यूरो हमें शीघ्र ही अपनी अनुमति भेज देगा ।

श्री हरिहर सोरन : श्रीमन्, माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताया है कि पूरे संगठन को व्यापक स्तर पर सुप्रवाही बनाने के साथ-साथ संयंत्र तथा उपस्करों का विस्तृत आधार पर नवीकरण किया जाना था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि संयंत्र तथा उपस्करों के नवीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई और क्या यह सच है कि खान स्थलों में प्रयोगार्थ खरीदे गये लाखों रुपये की कीमत के उपस्करों और संयंत्र का प्रयोग नहीं किया गया। यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसके क्या कारण थे तथा उनके उपयोग के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री के० नटवर सिंह : मेरे पास उपस्करों के नवीकरण संबंधी आंकड़े नहीं हैं क्योंकि यह जानकारी माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में पूछी भी नहीं है। फिर भी मैं निश्चित रूप से इसकी जानकारी दूंगा।

डा० दत्ता सामन्त : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि श्रमिका के बीच संबंध बहुत खराब रहे थे जो योजना में विलम्ब होने का एक कारण था, संबंध कैसे खराब हुए ? दूसरी बात यह है कि यदि अब योजना को कार्यान्वित किया जाना है तो क्या इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा ? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि उन्होंने पहले बहुत उत्पादन किया है। मेरा यह विश्वास है कि मजदूरों को पिछले एक या दो वर्षों के हिसाब से रुपया दिया जाएगा और उन्हें दोषी नहीं माना जाएगा। क्या सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है ?

श्री के० नटवर सिंह : मैं माननीय सदस्य से मजदूरों के मामले के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने उनके लिए किसी न किसी तरह से बहुत कुछ किया है।

बोलानी में दो मजदूर संघ हैं। दुख की बात तो यह है कि दोनों मजदूर संघों की आई.एन.टी.यू.सी. में निष्ठा है और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक दो बार तो पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। मेरे पास उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की सूची है जो वहां घटीं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उन्हें पढ़ सकता हूं लेकिन सूची लम्बी है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे माननीय सदस्य को दे सकते हैं।

श्री के० नटवर सिंह : सबसे बाद की घटना 29 मई, 1985 को घटी थी।

डा० दत्ता सामंत : योजना के भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री के० नटवर सिंह : जब योजना को लोक उपक्रम ब्यूरो अनुमोदित कर देगा तो हम इस विशेष पहलू पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने इस प्रारूप प्रोत्साहन योजना के भाग्य के बारे में बताया कि इसमें कुछ दोष पाये गये जिसके कारण उसे वापस भेजना पड़ा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्तावित योजना में और उन प्रोत्साहन योजनाओं में, जो भिलाई और बोकारो जैसी सरकारी क्षेत्र की रक्षित कच्चे लोह अयस्क की खानों में लागू हैं, क्या अन्तर है। क्या इस योजना को भी उसी पद्धति और नियमों के आधार पर नहीं बनाया जायेगा।

श्री के० नटवर सिंह : विभिन्न संयंत्रों में प्रोत्साहन के संबंध में समरूप नीति नहीं है। जैसा कि आपको पता है खानों की यांत्रिक और गैर-यांत्रिक दो श्रेणियां हैं और प्रत्येक संयंत्र की अपनी विशेष समस्याएं तथा स्थिति होती है। इसलिए कोई समरूप योजना नहीं है।

डा० कृपासिंधु भोई : प्रोत्साहन योजना को बेलाडीला, किरिबुरु और देश की अन्य रक्षित खानों में पहले ही शुरू किया जा चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बेलाडीला रक्षित खान नहीं है।

डा० कृपासिंधु भोई : यह खान आधी रक्षित और आधी गैर-रक्षित है। बोलानी लौह अयस्क खान पहले निजी उपक्रम खान थी। अब इसका प्रबन्ध ग्रहण भारत सरकार ने कर लिया है। आपने मेरे मित्र को यह जवाब दिया है कि जिन आधुनिक उपस्करों तथा मशीनों को खरीदा गया है उनका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है किन्तु इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि खनिकर्म में प्रतिदिन प्रति मजदूर ओ०एम० एस० क्या है और उस यांत्रिकरण का औसत क्या है जिसके द्वारा लौह अयस्क को रोपवे अथवा कंवेयर बेल्ट प्रणाली से रेलवे वैगनों में भेजा जाता है।

श्री के० नटवर सिंह : मेरे पास यह विशिष्ट जानकारी नहीं है। मैं इसे एकत्र करके माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

द्विपक्षीय वेतन समझौतों के स्थान पर वेतन बोर्ड नियुक्त करने का प्रस्ताव

*451. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामूहिक बातचीत के सिद्धान्त पर आधारित द्विपक्षीय वेतन समझौतों की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर वेतन बोर्ड नियुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्योंकि जो उत्तर दिया गया है वह रहस्यमय है इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या वह जानते हैं कि यह प्रश्न अर्जुन सेन गुप्ता समिति की इस सिफारिश से उत्पन्न हुआ है कि सरकारी क्षेत्र जैसे जे वी सी सी आई, एन जे सी सी, भेल संयुक्त समिति आदि में द्विपक्षीय बातचीत तंत्र की बजाय मजदूरी बोर्ड तथा मजदूरी आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। चूंकि उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया है जिसका अभिप्राय यह है कि वह विचार नहीं कर रहे हैं, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इसे निश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया है।

श्री जनार्दन पुजारी : सरकार ने इसे निश्चित रूप से अस्वीकार नहीं किया है। सरकार यह पता लगाने का प्रयास करती रही है कि सर्वोत्तम उपाय क्या हो। अर्जुन सेन गुप्ता की सिफारिश की जांच की जा रही है। यही नहीं हमने द्विपक्षीय बातचीत की व्यवस्था को भी नहीं छोड़ा है। द्विपक्षीय बातचीतें व्यवस्था रूपी भी विद्यमान हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं अपने दूसरे पूरक प्रश्न को श्री इन्द्रजीत गुप्त के लिए छोड़ती हूं। आखिरकार वह अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के संयुक्त सचिव हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम पहले से ही है। यदि मैं इसका प्रयास भी करता, तो भी मुझे इसमें सफलता न मिलती।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने अपना प्रश्न उनके लिए छोड़ दिया है। वह दो प्रश्न पूछ सकेंगे। एक उनका अपना प्रश्न और दूसरा श्रीमती मुखर्जी द्वारा उनके लिए छोड़ा गया प्रश्न।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं एक प्रश्न पूछूं या दो ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि आप एक प्रश्न से ही सारा कुछ निकाल लेंगे।

[अनुवाद]

जैसा कि उनके पास एक-में-तीन हैं हम एक प्रश्न में दो प्रश्न पूछ सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : श्रीमन्, आप "छोड़ना" शब्द को हटा दें। इसके कई अर्थ निकलते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं जबकि आपने सब कुछ छोड दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : आपको वापस मिल गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लेडी के आगे तो सरेंडर करना ही पड़ता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हाल में सरकारी उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन या महानिदेशक और केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा के कई दौर चले थे। मुझे भी उनसे चर्चा करने का सुअवसर मिला था। उनके अनुसार, सरकारी उपक्रम ब्यूरो सरकारी क्षेत्र में इस द्विपक्षीय बातचीत व्यवस्था और सामूहिक सौदेबाजी के स्थान पर मजदूरी बोर्ड अथवा मजदूरी आयोग अथवा इस प्रकार के कोई अन्य निकाय स्थापित करने के पक्ष में है। इस प्रकार यद्यपि मंत्री महोदय ने कहा है कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सक्रिय रूप से विचाराधीन है कि सामूहिक सौदेबाजी और द्विपक्षीय बातचीत व्यवस्था को बदल देना चाहिए क्योंकि सरकार यह महसूस करती है कि उस व्यवस्था के माध्यम से मजदूर कुछ रियायतें प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं जिसे सरकार नहीं चाहती है अथवा जो सरकार को रुचिकर नहीं हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि सरकारी उद्यम कार्यालय के महानिदेशक ने श्री इन्द्रजीत गुप्त और इन्टक के श्री रामानुजम और श्री पांडे के साथ एक बैठक की है। उनमें कुछ बातचीत हुई थी और हमारे माननीय सदस्य ने भी अपने विचार उनके सामने रखे थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सबसे बेहतरीन तरीके को खोज निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं परन्तु अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोई अन्तिम निर्णय करने से पहले, सरकार कर्मचारी संघों के नेताओं के विचारों सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षों से अवगत होना चाहती है। जहां

तक द्विपक्षीय वार्ताओं का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं कह भी चुका हूं, यह अभी भी चल रही हैं और द्विपक्षीय वार्ताओं की व्यवस्था समाप्त करने के लिए कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

बासमती चावल का उत्पादन और निर्यात

***452. डा० जी० विजयरामा राव :**

श्री सोमनाथ रथ : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बासमती तथा अन्य किस्मों के चावल के निर्यात में काफी कमी आई है जिसके परिणाम स्वरूप कुल निर्यात के मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या देश के बाजारों में बासमती चावल के मूल्य में तेजी से और असाधारण वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु इसकी सप्लाई की स्थिति में सुधार होने तक बासमती चावल का निर्यात बन्द करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं है। 1984-85 के दौरान बासमती चावल का निर्यात 2.42 लाख मे० टन मूल्य 163.03 करोड़ रु० के होने का अनुमान है जबकि 1983-84 के दौरान 1.42 लाख मे० टन मूल्य 96.12 करोड़ रु० के हुए थे। बासमती चावल के लिए उत्पादन आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

(घ) से (ङ) बासमती चावल की स्वदेशी कीमत में कुछ वृद्धि रही है। बासमती चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल नहीं है। इसके निर्यात रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डा० जी० विजयरामा राव : मेरा कहना है कि 1982-83 में बासमती चावल का निर्यात 4.3 लाख टन का था। 1983-84 में यह 2.46 लाख टन रहा है परन्तु मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि इसका निर्यात 1.42 लाख टन हुआ। मेरा कहना है कि भारतीय राज्य व्यापार निगम अपने इन प्रयासों में जागरूक नहीं है और वह देश में और अन्य ऐसे देशों में जहां-जहां हमारे व्यापारिक सम्पर्क हैं, बासमती चावल के उत्पादन और उपभोग बदलते हुए मानदण्ड के अनुसार अपनी सजगता को बनाये रखने में असफल रहा है। इसलिए राज्य व्यापार निगम की दूरदर्शिता के अभाव लापरवाही और अकुशलता के कारण हाल ही में आबुधाबी ने राज्य व्यापार निगम के साथ चावल के बारे में हुए सौदे को रद्द कर दिया है······

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

डा० जी० विजयरामा राव : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। इससे वाणिज्य मन्त्रालय तथा विदेश मन्त्रालय दोनों को ही काफी परेशानी उठानी पड़ी है। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं

कि राज्य व्यापार निगम की शुरूआत के कारण हमें कितने व्यापार की हानि उठानी पड़ी और इन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं ?

श्री पी० ए० संगमा : बासमती चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन होता है; और प्राइवेट कम्पनियां तथा राज्य व्यापार निगम दोनों ही इसका निर्यात कर सकते हैं। राज्य व्यापार निगम कुछ निर्यात कार्य कर रहा है। माननीय सदस्य ने आबुधाबी से हुए एक सौदे विशेष का उल्लेख किया है जिसके बारे में इस सदन में कई बार चर्चा की जा चुकी है। अब यह मामला समाप्त हो चुका है। कोई भी पोत लदान होने से पहले ही खरीददार द्वारा यह समझौता रद्द कर दिया गया है। इसलिए, किसी भी तरह की हानि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० जी० विजयरामा राव : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बासमती चावल का मूल्य भारतीय बाजार की तुलना में अधिक है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि हमारे पास बासमती चावल के उत्पादन के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने यह कहा है ?

डा० विजयरामा राव : मंत्री महोदय, भारत में बासमती चावल की कीमत को कैसे नियंत्रित कर पायेंगे जबकि उनके पास देश में इसके उत्पादन के आंकड़े ही नहीं हैं।

श्री पी० ए० संगमा : यही इसका ठोस कारण है कि देश में इसकी कीमत के मुकाबले अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत ज्यादा है, इसीलिए हम इसका निर्यात करते हैं।

श्री सोमनाथ रथ : ऐसे कौन-कौन से देश हैं जिन्हें बासमती चावल का निर्यात किया जा रहा है और मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि बासमती चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल नहीं है। क्या मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठायेंगे कि निर्यात बाजार का विस्तार हो और इस चावल के उत्पादकों को अच्छे दाम मिल सकें ?

श्री पी० ए० संगमा : हम बासमती चावल का कई देशों को व्यवहार्यतः सारे संसार को ही निर्यात करते हैं। परन्तु बासमती चावल के लिए हमारा मुख्य बाजार सोवियत रूस और मध्य पूर्व के देश ही हैं। इनके साथ-साथ लेटिन अमरीकी देश तथा पश्चिमी योरुप आदि जैसे कई देशों को भी हम इसका निर्यात करते हैं।

जहां तक बाजार के विस्तार का सम्बन्ध है उसके लिए हम निरन्तर प्रयास करते रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय : मैं माध्यस से आपके माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गये निर्यात करार को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ? इस प्रकार देश के व्यापार को धूमिल करने वाले राज्य व्यापार निगम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : राज्य व्यापार निगम बासमती चावल का निर्यात कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है।

श्री पी० ए० संगमा : वह आबुधाबी के बारे में है जिसके बारे में पहला पूरक प्रश्न किया गया था और मैं जिसका उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री सैफुद्दीन चौधरी यहां नहीं हैं । अब प्रश्न 454 ।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपटमेली बाक्साइट भण्डारों के खनन के परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण

* 454. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या इस्पात, खान और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपटमेली बाक्साइट भण्डारों के खनन कार्य से नारायण पटना की दिशा में बह रही झंझाबती नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे कुल कितनी जनसंख्या प्रभावित हुई है;

(ग) क्या वे गांव जहाँ से होकर यह नदी बहती है भी प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी ने लोगों को प्रदूषित जल से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मे (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री गिरधर गोमांगो : महोदय, मेरे प्रश्न संख्या '454' की तरह यह भी पी० एफ० पी० अर्थात प्रदूषण मुख्य संयंत्र है । फिर भी महोदय, मैं इस उत्तर से सहमत हूं लेकिन मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने पंचपटमेली में खनन परिचालन के कारण होने वाले प्रदूषण के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट देखी है । उन्होंने बताया है कि पूर्व अनुमानों के अनुसार पंचपटमेली में खनन परिचालन के कारण भविष्य में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा ।

श्री वसन्त साठे : एक स्थान ऐसा है जहां हमने यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरती है कि वहां सम्पूर्ण पर्यावरण संरक्षण प्रदान किया जाये । हमने पर्यावरण सम्बन्धी योजना तैयार करने में न केवल उन विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श किया है जिनके साथ हमारा सहयोग है विशेष रूप से फ्रांस के विशेषज्ञों से बात की है । हमने इन्जीनियर्स इण्डिया लि० से भी परामर्श किया है और विशेष रूप से नेल्को ने तो इस क्षेत्र की जल व्यवस्था पर खनन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के वास्ते इस क्षेत्र का एक व्यापक जल-भूवैज्ञानिकी अध्ययन कराने के लिए विशाखापत्तनम स्थित आंध्र यूनिवर्सिटी के सेंटर फार एनवायरनमैंट एण्ड इकोलोजी से कहा था । इस अध्ययन से यह पता चला है कि नेल्को द्वारा प्रस्तावित खनन योजना का इस क्षेत्र की जल व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा । हम यह सुनिश्चित करने के सभी सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण न हो । इसी के साथ-साथ महोदय , मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह कोई जहरीला पदार्थ नहीं है । इसलिए जल में प्रदूषण होने की कोई सम्भावना नहीं है ।

श्री गिरधर गोमांगो : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न भी है । मेरा प्रश्न मन्त्री महोदय द्वारा दिए गये उत्तर से उत्पन्न होता है । महोदय, 'प्रदूषण' की परिभाषा क्या है ? एक और दूसरा है

यदि मन्त्री महोदय यह सोचते हैं कि खनन कार्यों के कारण स्वच्छ जल प्रदूषित हो रहा है और यह प्रदूषण नहीं है और इससे स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई समस्या नहीं होगी तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता और मेरा पूरक प्रश्न भी पैदा नहीं होता। उत्तर का भी प्रश्न नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य : कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री बसंत साठे : महोदय, कोई भी वह चीज जो वायु में या जल में जहरीला-पन पैदा करती है, प्रदूषण मानी जायेगी। प्रदूषण की यही अवधारणा है। लेकिन हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मलवे से या कीचड़ से या खनन से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से हमारी नदियां या नाले अवरुद्ध न होने पायें क्योंकि इस अवरुद्धता से उस पानी को भी हानि पहुंचेगी जिसे इस क्षेत्र को लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। हम संपूर्ण पर्यावरणीय संरक्षण दे रहे हैं। हम पौधे लगाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। महोदय, यह करीब करीब बन्जर पहाड़ी है लेकिन हमने वहां दो लाख पौधे लगा दिये हैं और हम वहां और भी पौधे लगाने की योजना बना रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह संपूर्ण क्षेत्र समुचित रूप से संरक्षित हो जाये।

भारतीय आभूषणों का निर्यात

*455 **श्री ए०जी०बी०बी० महेश्वर राव :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत अपने स्वर्णाभूषणों और स्वर्ण-जड़ित आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है;

(ख) क्या सरकार ने उन देशों का पता लगाया है जिनमें भारतीय आभूषणों का निर्यात करने पर उनकी अच्छी कीमत मिल सकती है;

(ग) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भारतीय आभूषणों का निर्यात किया जाता है; और

(घ) पिछले दस वर्षों में उनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) अधिकांशतः संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कत्तार, ओमान, बहरीन, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका।

(घ)

वर्ष	(मूल्य करोड़ रु० में)
1983-84	83.38
1984-85	85.75

श्री ए०जे०वी०बी महेश्वर राव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारत को स्वर्ण आभूषण निर्यात के क्षेत्र में अन्य देशों से कड़ी प्रति-स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। यदि हां, तो इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, हमने स्वर्ण आभूषणों के अपने निर्यात में वृद्धि करने के लिए हाल ही में कुछ उपाय किए हैं। शुरू-शुरू में हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, क्योंकि यह स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम द्वारा नियंत्रित

होता है। अब हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। नई योजनाओं के अन्तर्गत उन स्वर्ण आभूषणों के लिए जिनमें केवल 10 प्रतिशत मूल्य का निर्मित स्वर्ण अंश होता है, हम बिना किसी पाबंदी के उन स्वर्ण आभूषणों के निर्यात की इजाजत दे देते हैं और एच० एस० ई० सी० द्वारा विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में भी स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की अनुमति दी जाती है। उन लोगों के लिए जो एच०एस०ई०सी० जो सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, द्वारा आयोजित प्रदर्शिनियों में भाग ले रहे हैं, स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की भी अनुमति दी जाती है। हमने एक और योजना भी बनाई है जिसमें विदेशी खरीदार द्वारा सप्लाई किए गए स्वर्ण के बदले स्वर्ण आभूषण भी दिए जाते हैं। इसी प्रकार और भी कुछ योजनायें हैं। हमने जयपुर, बंबई, मद्रास, कलकत्ता और नई दिल्ली में आभूषण काम्पलैक्स स्थापित करने का भी निर्णय किया है।

श्री ए०जे०बी०बी० महेश्वर राव : भारतीय कारीगर अपनी शिल्प के बारे में संसार भर में प्रसिद्ध हैं, परन्तु वे बहुत ही हैं। क्या सरकार उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ कदम उठा रही है ताकि वे अपनी कार्यकुशलता में सुधार कर सकें।

श्री पी०ए० संगमा : मेरा ख्याल है कि स्वर्ण आभूषण संबंधी कार्य निश्चय ही लघु उद्योग क्षेत्र का उद्योग है और इस उद्योग में बहुत से लोग लगे हुए हैं। हमारे द्वारा किए जा रहे उन प्रयासों तथा हमारे द्वारा उठाए गए उन कदमों से जो हमने स्वर्ण आभूषण के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए हैं, निश्चय ही उन कारीगरों को भी लाभ मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री जी०जी० स्वैल : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या विदेशों को निर्यात किए जाने वाले आभूषणों में भारत में तराशे गए हीरों का महत्व बहुत अधिक है तथा क्या इनका बाजार काफी अच्छा है?

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे विचार से सबसे अधिक बर्मा में भेजे जाते होंगे?

श्री जी०जी० स्वैल : नहीं, नहीं यूरोप तथा अमेरिका को।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में हीरों के निर्यात के बारे में भी बताया है और यदि हाँ, तो पिछले वर्ष कितनी कीमत के हीरों का निर्यात किया गया, क्या छापा मारने से इस व्यापार पर असर पड़ा है तथा पिछले वर्ष तथा इस वर्ष हीरों के निर्यात से कितनी आय हुई।

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, मैंने जो आंकड़े दिए हैं उसमें हीरों के निर्यात के आंकड़े नहीं हैं। वस्तुतः हीरे ही आभूषण की वह एकमात्र मद है जिसमें हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं। 1983-84 में हीरों का 1,188.89 करोड़ रुपए तथा 1984-85 में 1,172.10 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था।

(व्यवधान)

श्री जी०जी० स्वैल : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है—क्या छापे से व्यापार पर असर पड़ा है अथवा हीरों का निर्यात कम हुआ है। महोदय मैंने यह प्रश्न पूछा था।

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, 1983-84 और 1985 को तुलना में थोड़ी-सी गिरावट आई है जोकि बहुत थो.। है।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या सरकार को यह मालूम है कि देश से इन जेवरातों की काफी बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है और यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

(व्यवधान)

श्री पी०ए० संगमा : मेरे विचार से इस प्रश्न का उत्तर देना वित्त मंत्रालय का दायित्व है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय उनका संबंध निर्यात से है, तस्करी से नहीं।

महाराष्ट्र के अगरदाण्डा को जहाज तोड़ने के लिये सीमा-शुल्क पत्तन के रूप में घोषित करना

*456. **श्री एस०जी० घोलप** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अगरदाण्डा को जहाज तोड़ने के लिए सीमा-शुल्क पत्तन के रूप में घोषित करने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस पत्तन को सीमा-शुल्क पत्तन घोषित किए जाने की प्रतीक्षा में जहाज तोड़ने का कार्य बन्द पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) अगरदाण्डा को जहाज तोड़ने के लिए सीमा-शुल्क पत्तन कब तक घोषित किये जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) सीमा शुल्क की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण अगरदाण्डा की बन्दरगाह को जहाज तोड़ने के लिए सीमा-शुल्क पत्तन घोषित करना संभव नहीं है।

श्री एस० जी० घोलप : मैं यह जानना चाहूंगा कि सीमा-शुल्क सुविधाओं के लिये क्या अपेक्षायें हैं तथा इन सुविधाओं को कौन देता है।

श्री के० नटवर सिंह : वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग ही किसी पत्तन को सीमा-शुल्क पत्तन घोषित करने का उपयुक्त प्राधिकरण है। इस्पात मंत्रालय ने राजस्व विभाग से यह सिफारिश की है कि अगरदाण्डा को जहाज तोड़ने का पत्तन घोषित किया जाना चाहिए तथा महाराष्ट्र सरकार ने भी राजस्व विभाग से ऐसा ही अनुरोध किया है। मुझे आशा है कि मेरे दायीं ओर बैठे माननीय सहयोगी मेरे इस प्रस्ताव से सहमत होंगे।

श्री एस० जी० घोलप : यह प्रश्न वित्त विभाग से पूछा गया था अब इसका उत्तर इस्पात तथा खान विभाग द्वारा दिया गया है। इस विभाग ने कोंकण विकास निगम को दो जहाज तोड़ने के उद्देश्य से दिए हैं तथा इन निवेशों पर उन्हें बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है। इस समय महाराष्ट्र के किसी भी पत्तन में जहाज तोड़ने की अनुमति नहीं है। अब जबकि यह नया पत्तन नहीं बन रहा है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार बम्बई पत्तन में जहाज तोड़ने की अनुमति देगी।

श्री के० नटवर सिंह : माननीय सदस्य ने जिस परेशानी का जिक्र किया है, मैं उससे अवगत हूं। इसलिए हमने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा है। परन्तु वित्त मंत्रालय ने अपनी समझ से (**व्यवधान**) यदि आप चाहते हैं कि इस स्तर पर वित्त मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दें तो मुझे बैठ जाने में खुशी होगी……

एक माननीय सदस्य : इसका वित्त मंत्रालय को अन्तरित किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : *उन्होंने अपनी इच्छा से इसका उत्तर दिया है। प्रश्न यह है कि इसका* उत्तर कौन देगा, यदि आप इसका उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री के० नटवर सिंह : हम वित्त मंत्रालय से सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा हमने उन्हें एक सुझाव दिया है…… (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही उनसे सम्पर्क कायम किए हुए हैं।

श्री के० नटवर सिंह : यहां तो भाई-चारे की बात है। हमने यही सुझाव दिया है। हमने वित्त मंत्रालय से कहा है कि वे यह देखें कि क्या बम्बई के सीमा-शुल्क अधिकारियों की अगरदाण्डा में प्रतिनियुक्ति की जा सकती है तथा क्या वह उन जहाजों को स्वीकृति देंगे। मंगलौर तथा कर्नाटक के अन्य क्षेत्रों में वह ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए मुझे आशा है कि दोनों मंत्रालय इस मामले को तय कर लेंगे।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के चेयरमैन का पद

*457. **श्री एच० एन० नन्जेगौडा :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड में चेयरमैन का पद काफी लम्बे समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त बोर्ड का कार्यकरण उस समय अपेक्षाकृत बेहतर था जब इस पद पर एक ऐसा गैर-सरकारी व्यक्ति कार्य कर रहा था, जिसे रेशम उद्योग के बारे में जानकारी थी;

(ग) उक्त पद कब तक भरा जाएगा; और

(घ) क्या सरकार रेशम उद्योग के हित में रेशम बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को नियुक्त करने पर विचार करेगी ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) अध्यक्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड का पद 8 अप्रैल, 1985 से खाली है।

(ख) ऐसा कोई तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) तथा (घ) मद की अपेक्षाताओं को ध्यान में रखते हुए जल्दी ही नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री एच० एन० नन्जेगौडा : महोदय उत्तर देने में असुविधा होती है तब वह यही कहते हैं कि ऐसा कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है। यदि आप मूल्यांकन करें तो इसमें आपको असुविधा होगी क्योंकि आपको गैर-सरकारी व्यक्तियों पर निर्भर करना पड़ेगा क्योंकि सिल्क बोर्ड में गैर-सरकारी व्यक्तियों का कार्यनिष्पादन बेहतर रहा है। इसलिए कृपया अब

मूल्यांकन करायें तथा तुरंत कार्यवाही करें। सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि यह पद बेकार है या किसी व्यक्ति पर किया जाने वाला अहसान है। सरकार को इससे संबंधित किसानों की समस्याओं को भी समझना चाहिए। उन्हें उस व्यक्ति के बारे में भी जान लेना चाहिए जिसे रेशम उद्योग में लगे किसानों तथा अन्य व्यक्तियों की समस्याओं को समझना होगा। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है जो उस राज्य का हो जहां के अधिकांश किसान इस उद्योग में लगे हों।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : सरकार किन्ही एक या दो राज्यों की सलाह तक ही अपने को सीमित नहीं रखेगी।

श्री एच० एन० नन्जेगौडा : समस्या यह है कि कर्नाटक में 85% से अधिक सिल्क का उत्पादन होता है। कर्नाटक के 75% से अधिक किसान इस उद्योग में लगे हुए हैं। इन किसानों की समस्याओं को कर्नाटक में रहने वाले या जो वहां के किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या सरकार किसानों तथा रेशम उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने पर विचार करेगी।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : कर्नाटक का हित हमारे लिए सर्वोपरि है परन्तु यह भी सच है कि चयन पूरे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस समय जो इन गतिविधियों में शामिल नहीं हैं उन्हें भी इसमें शामिल होना चाहिए। इसलिए ऐसे पदों पर चयन करने के लिए इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में कताई मिलों के लिए रुई की आवश्यकता

*458 **श्री हुसैन दलवाई :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अब तक कितनी कताई मिलों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) इनमें से कितनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं;

(ग) क्या रुई का उत्पादन इन सभी कताई मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रुई कहां से लाई जाएगी ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) महाराष्ट्र में इस समय 70 कताई मिले हैं। जिन्हें विभिन्न समयों पर प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त द्वारा लाइसेंस दिया गया है या अनुमति जारी की गई है।

(ख) महाराष्ट्र में 51 कताई मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं।

(ग) तथा (घ) कुल मिलाकर देश में रुई की मांग तथा सप्लाई स्थिति की समीक्षा सरकार द्वारा की जाती है और घरेलू वस्त्र उद्योग को रुई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं, तथापि महाराष्ट्र राज्य में इन कताई मिलों में से किसी से भी रुई के अभाव के बारे में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री हुसैन दलवाई : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र के कपास उगाने वालों में लम्बे रेशेवाली कपास का उत्पादन करने की प्रवृत्ति पनप रही है क्योंकि उसके लिए निर्यात का बाजार है इसलिए इन मिलों को छोटे रेशेवाली रुई की सप्लाई कम हो जाएगी, इस संबंध में क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : वास्तव में इस समय ऐसी कोई आशंका नहीं है। महाराष्ट्र में 17.50 लाख गांठ उत्पादन होता है तथा उत्पादन के मुकाबले मिलों में खपत के लिए इसकी आवश्यकता काफी कम है। महाराष्ट्र की मिलों को पूरे देश से रुई प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें केवल महाराष्ट्र से ही रुई खरीदनी होती है।

श्री हुसैन दलवाई : सरकार द्वारा महाराष्ट्र में उत्पन्न होने वाली लम्बे रेशेवाली रुई के निर्यात के लिए अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : वे चाहते हैं कि लम्बे रेशेवाली रुई का ज्यादा निर्यात किया जाए।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मांग तथा सप्लाई की स्थिति तथा रुई के मूल्यों की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्यात करने का निर्णय किया जाता है। माननीय सदस्य को संभवतया पूरी सभा को मालूम होगा कि हमने रुई की लगभग 3 लाख गांठ के निर्यात की स्वीकृति दे दी है। हमें अभी कल ही रुई सलाहकार बोर्ड का मूल्यांकन मिला है, उसके आधार पर हम यह विचार कर रहे हैं कि क्या निर्यात बढ़ाया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सही नहीं है कि यदि कपास उत्पादक स्वयं सहकारी समिति बना कर कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों के आस पास कताई मिलें शुरू कर दें तब ढुलाई पर आने वाला व्यय काफी कम हो जाएगा। उत्पादन लागत भी कम हो जाएगी। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि कपास उत्पादकों को सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा ताकि उत्पादन लागत काफी कम हो जाये।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : यह प्रस्ताव काफी अच्छा है, परन्तु इस मामले पर कोई भी निर्णय लेने से पूर्व कुल क्षमता को भी ध्यान रखना पड़ेगा।

प्रो० मधुदण्डवते : यह प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है परन्तु इस पर अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिलनी चाहिये।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल।

[हिन्दी]

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : महाराष्ट्र में कपास के उत्पादन को देखते हुए ज्यादा कोआपरेटिव स्पिनिंग मिलें लगाने का काम किसानों ने इकट्ठा होकर के शुरू कर दिया है। लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वह स्पिनिंग मिलें पूरी तरह काम नहीं कर पा रही हैं और काफी कठिनाइयां उन को पैदा हो रही हैं। इस के कारण किसानों को भी घाटा हो रहा है और जिन्होंने पैसा इकट्ठा करके मिल का काम शुरू किया है उनके सामने भी कठिनाई आ रही है। इसका असर किसान के उत्पादन पर भी होगा। तो उसमें जो पैसे की कठिनाई है उसके लिए मंत्री महोदय दूसरी मिनिस्ट्री के साथ मिल कर उनकी उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करेंगे ?

श्री चंद्रशेखर सिंह : यह प्रश्न तो इससे नहीं उठता है। लेकिन सहकारिता क्षेत्र में जिन मिलों की हम लोगों ने स्वीकृति दी है उस का निरन्तर रिव्यू हम लोग करते हैं और उसके लिए जो वित्तीय आवश्यकता है उस को पूरा कराने की चेष्टा करते हैं। महाराष्ट्र की मिलों के बारे में भी हमने कुछ दिन पहले देखा है और अगर कोई कठिनाई उनको है और माननीय सदस्य उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे तो हम उसको देखने की चेष्टा करेंगे।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की विक्रय नीति

*459 **श्री ललितेश्वर शाही :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की विक्रय नीति क्या है;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा सहायक और छोटे पैमाने के उद्योगों को सीधे अपने स्टाकयार्डों से इस्पात देने के बजाय व्यापारियों को प्राथमिकता दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पटना, कानपुर, बोकारो और राउरकेला स्टाकयार्डों में इस्पात उपलब्ध नहीं है और पतले गेज के इस्पात का जो थोड़ा बहुत उत्पादन होता है, वह बम्बई भेज दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो भेजे गए इस्पात के आंकड़े क्या हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की विक्रय नीति में इस्पात की सप्लाई में वास्तविक उपभोक्ताओं (लघु उद्योग की इकाइयां शामिल हैं) को प्राथमिकता दी जाती है। प्रतिरक्षा, रेलवे और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संभवत: पतले गेज के इस्पात का अभिप्राय क्वायल और चादरों से है। अप्रैल-जून 1985 की अवधि में चारों क्षेत्रों को इन सामग्रियों की की गई सप्लाई का प्रतिशत इस प्रकार रहा है :

उत्तरी	—	49.3
पूर्वी	—	15.9
दक्षिणी	—	14.8
पश्चिमी	—	20.0

श्री ललितेश्वर शाही : यह विवरण का विषय नहीं है, यह नीति का विषय है। मंत्री महोदय को इस सन्बन्ध में तथ्य बताने चाहिएं। मेरे प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है :

"भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा सहायक और छोटे पैमाने के उद्योगों को सीधे अपने स्टाकयार्डों से इस्पात देने के बजाय व्यापारियों को प्राथमिकता दिए जाने के क्या कारण हैं।"

अध्यक्ष महोदय : हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वे अध्यक्ष रह चुके हैं।

श्री के० नटवर सिंह : देश में लोहे और इस्पात के वितरण की नीति इस्पात वितरण के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अनेक सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित की जाती है। उन्होंने भाग (क), (घ) तथा (ङ) में विशिष्ट रूप से कुछ जानकारी मांगी है जिसे सभा के समक्ष रखे गए विवरण में उपलब्ध कराया गया है। माननीय सदस्य ने पूछा है "इस्पात नीति क्या है ?" वे उस मद्द के बारे में, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, यह जानना चाहते हैं कि पतले गेज का इस्पात क्यों उपलब्ध नहीं है।

विक्रय नीति से सम्बन्धित सैकड़ों मद्दें हैं। मैं उनका मोटा-मोटा ब्यौरा दे सकता हूं किन्तु यहां मैं उनका संक्षिप्त ब्यौरा ही दे सकता हूं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात की सप्लाई चार श्रेणियों के अन्तर्गत की जाती है।

श्रेणी 'क' के अन्तर्गत इस्पात संयंत्र, रक्षा, रेलवे, सिंचाई योजनाएं, सरकारी क्षेत्र के एकक, भारी इन्जीनियरी एकक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाकतार, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आदि आते हैं।

श्रेणी 'ख' के अन्तर्गत राज्य और केन्द्र सरकार की विद्युत परियोजनाओं/उपक्रमों नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, विद्युत परियोजनाओं आदि को सप्लाई की जाती है।

श्रेणी 'ग' में अन्य बड़े और मझोले क्षेत्र, पात्रता वाले लघु उद्योग, धर्मार्थ और लाभ अर्जन न करने वाले संगठन, अस्पताल, धार्मिक संस्थाएं, समाज कल्याण संगठन आदि आते हैं।

श्रेणी 'घ' में उपर्युक्त सूची में शामिल न किए गये अन्य पात्रता प्राप्त उपभोक्ता आते हैं।

श्री ललितेश्वर शाही : इस श्रेणीकरण में लघु और सहायक उद्योग श्रेणी 'ग' के अन्तर्गत आते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा लघु उद्योगों को उनकी जरूरतों के आधार पर इस्पात दिए जाने के बजाय व्यापारियों को प्राथमिकता…अथवा इस्पात की सप्लाई दी जाती है। इस बात का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री के० नटवर सिंह : लघु उद्योग एककों की आवश्यकताओं की पूर्ति उनके संबंधित राज्य लघु उद्योग निगम जिन्हें 'क' श्रेणी की प्राथमिकता प्राप्त के माध्यम से की जाती है। किन्तु जिन लघु उद्योग एककों की तिमाही खरीद 100 टन से अधिक है वे अपनी सप्लाई या तो मुख्य उत्पादकों से अथवा लघु उद्योगों से प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी स्माल स्केल कारपोरेशन्स स्टेट्स में मुकर्रर हैं, जिनके जरिए से आप स्टील बेचते हैं, वहां पर किसी को स्टील एवेलेबल नहीं होता है। यहां आपने केटेगरी (बी) बताई है लेकिन स्माल स्केल

इण्डस्ट्रीज का सारा स्टील और आपके जितने स्टील के कारखाने हैं उनका ज्यादातर स्टील प्राइवेट ट्रेडर्स को मिलता है जिसमें वे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं।

श्री के० नटवर सिंह : माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा उसमें उन्होंने यह कहा है कि जितने हमारे स्टाक-यार्डस हैं, उनसे स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन्स में माल नहीं पहुंचता है। यह तो आपने बड़ी जनरल बात कही है। कहीं-कहीं कम पहुंचता है, कहीं-कहीं ज्यादा पहुंचता है। (**व्यवधान**) आप सुन लीजिए। मैं 4-5 स्टाक यार्डस में गया हूं, जयपुर भी गया हूं और दूसरी जगह भी गया हूं। इसका एक तो कारण यह है कि हमारे पास जो पीसमील रेल वैगन्स होते हैं उनकी बड़ी कमी है। हमें 30 परसेंट चाहिए, 70 परसेंट जाता है रेक्स से और 30 परसेंट जाता है रेल वैगन्स से, अगर 20 परसेंट ही वैगन्स मिलते हैं तो माल उठ नहीं पाता है। किसी महीने में कहीं कहीं पर्टिकुलर आइटम की ज्यादा जरूरत होती है और कहीं कम होती है। जहां-जहां हमारे ध्यान में लाया गया है कि यहां इस माल की कमी है वहां फौरन उसको भेजने की हमने कोशिश की है। अगर किसी विशेष जगह पर कोई माल नहीं पहुंचा हो तो आप हमारी नोटिस में लायें।··· (**व्यवधान**) दो जगह से वे माल लेते हैं—एक तो स्टाक यार्ड से लेते हैं या हमसे डायरेक्ट लेते हैं। जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर हमारी उतनी कार्यवाही नहीं है। हमारे स्टाक-यार्ड में हमारे आदमी काम करते हैं। कहीं पर हमारे स्टाक-यार्ड हैं और कहीं पर टिस्को के स्टाकयार्ड हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : अध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद में पीतल का काम होता है और वहां पर कच्चा माल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वहां के एक्सपोर्ट को बराबर नुकसान हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास कोई स्कीम है ?

श्री के० नटवर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं पीतल के बारे में जवाब नहीं दे सकता हूं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने ए, बी, सी, डी प्रायोरिटीज फिक्स की हैं, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज़ के लिए। जैसा कि व्यास जी ने भी कहा है, नागपुर में स्टील नहीं मिलता है। स्माल स्केल इण्डस्ट्री की रिक्वायरमेंट 50 टन की होती है तो उसको महीने का डेढ़ टन दिया जाता है। वे कहते हैं कि हमारे पास स्टील नहीं है। यह वस्तुस्थिति हम आप के ध्यान में लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से स्माल स्केल वाले सफर कर रहे हैं। इस पर आपको विचार करना चाहिए। स्टील न मिलने के कारण वे लोग दिल्ली के चक्कर लगाते हैं, फिर भी हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी में जो गड़बड़ है, उसको चेंज करना चाहिए। व्यापारियों को माल मिलता है, जबकि उनकी प्रायोरिटी बाद में आती है, उनको माल कैसे मिल जाता है ? इस बारे में आप जवाब दीजिए, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं।

श्री के० नटवर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नागपुर के बारे में सवाल पूछा है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैंने खुद कई केसेज माननीय मंत्री जी के पास भेजे हैं।

श्री के० नटवर सिंह : आप दुरुस्त कह रहे हैं, नागपुर और कई जगहों से शिकायतें आई हैं। उन सब शिकायतों को देखा जा रहा है। जहां-जहां कमी होगी, वहां पूरी की जाएगी।

कम्पनियों के कर्मचारियों को अपनी कम्पनी के शेयर खरीदने की अनुमति दिया जाना

***461 श्री शांति धारीवाल :**

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों के कर्मचारियों को शेयर जारी किए जाने के समय अपनी कम्पनियों के शेयर खरीदने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने शेयर खरीदते समय अनिवासी भारतीयों/आम जनता और स्वयं कम्पनी द्वारा किए जाने वाले पूंजी निवेश की कोई सीमा तथा कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को आवंटित किए जाने वाले शेयरों की कोई प्रतिशतता निर्धारित की है ?

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित श्रेणियों के लिए प्रतिशतता निर्धारित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कर्मचारियों द्वारा अपनी कम्पनियों के शेयर खरीदकर उनमें भागीदार बनने की स्कीमों के ब्यौरे की घोषणा लोकसभा में 1 अगस्त, 1985 को की गई थी और इन स्कीमों की प्रतियाँ उसी दिन सभा पटल पर रख दी गई थीं।

(ख) से (घ) सरकार ने अनिवासी भारतीयों/सामान्य जनता और कम्पनी द्वारा स्वयं शेयर खरीदते समय जमा के तौर पर रखी जाने वाली राशियों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है, पूंजी निर्गम नियंत्रक को पूंजी के और आगे निर्गम का प्रस्ताव भेजते समय, कम्पनियों को अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए बराबरी के आधार पर अग्रेतर निर्गम के 5 प्रतिशत शेयर आरक्षित करने होंगे।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार कर्मचारियों को अपनी कम्पनी में शेयर खरीदकर उनमें भागीदार बनाने के लिए एक स्कीम की घोषणा की गई थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, किन-किन कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों को शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना का प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा है ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : यह एक नया कर्यक्रम है जो कि हाल ही में आरंभ किया गया है। हम प्रारंभिक चरण में हैं। प्रश्न का दूसरा भाग मैंने नहीं सुना था क्योंकि विपक्ष के माननीय सदस्य बीच में बोल पड़े थे।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : दोबारा बोल दूं, दोबारा तो आप सुन लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : फिर देखेंगे, पुल आएगा तो पार करेंगे।

श्री शांति धारीवाल : जिस स्कीम की घोषणा सरकार के द्वारा की गई, उसके बाद किन-किन कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों को शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना सरकार के पास मंजूरी के लिये भेजी है ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : इसकी घोषणा 1-8-85 को की गई थी । यह एक नई योजना है जो हाल ही में शुरू की गई है । इसीलिए माननीय सदस्य ने जिस जानकारी की मांग की है वह हमारे पास नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नॉन-रेजीडेंट्स और जनरल-पब्लिक तथा कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है, इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, जिससे हर क्षेत्र में हर श्रेणी के लोगों को पूंजीनिवेश के प्रतिशत को बांधा जा सके, ताकि हर क्षेत्र में पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित किया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या इस बात की आशा करते हुए कि ईक्विटी में श्रमिकों की भागीदारी से श्रमिकों में यह भावना जाग्रत होगी कि वे कम्पनी के घाटे और मुनाफे में हिस्सेदार हैं और उन्हें श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी प्रेरित करेगी, क्या सरकार पूंजी निर्गम में इस प्रतिशतता को 5 से बढ़ाकर 10 करेगी और प्रबन्ध मंडल में एक श्रमिक प्रतिनिधि को नियुक्त करेगी ? क्या सरकार कोई ऐसा कानून लाएगी अथवा वर्तमान कानूनों में कोई ऐसा संशोधन करेगी ताकि उद्योगों और कम्पनियों का ठीक से संचालन हो सके ? दूसरे देशों में प्रबन्ध कार्य में पूंजीपतियों का स्थान श्रमिक ले रहे हैं । अब समय आ गया है कि हमारे देश में भी प्रबन्ध मंडल में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि वे कम्पनी का भला अथवा बुरा अच्छी तरह समझ सकें और भली-भांति कार्य कर सकें ।

श्री जनार्दन पुजारी : पूंजी शेयरों में श्रमिकों की भागीदारी की सीमा बढ़ाए जाने के लिए फिलहाल अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । जहां तक प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के सम्बन्ध में दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फ्लोर स्तर के साथ-साथ प्लांट स्तर पर श्रमिकों की भागीदारी पहले से ही है । बोर्ड स्तर पर भागीदारी के सम्बन्ध में वर्ष 1983 में हम पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं और हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है ।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, गैर-सरकारी क्षेत्र को भी चाहिए कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अनुकरण करे ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : महोदय, शॉ वालेस एण्ड कम्पनी तथा गैर-प्रवासी मनु छबरिया द्वारा शेयर खरीद से सम्बद्ध धोखाधड़ी से संबंधित हाल ही की घटना की जानकारी पूरी सभा को है जो अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा वित्त मंत्रालय द्वारा की जा रही अनेक छानबीनों का सामना कर रहे हैं । इस पृष्ठ भूमि में क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि

क्या सरकार कम्पनी विधि बोर्ड की टिप्पणी के बाद और मनु छाबरिया द्वारा जिस ढंग से शेयर खरीदे गये हैं, उससे उनके दोषी पाए जाने के बाद और इस बात को देखते हुए कि सरकार के भी शा वैलेस कम्पनी में शेयर हैं, उन 38 प्रतिशत शेयरों को उन कर्मचारियों के नाम करेगी जो उन्हें खरीदना चाहते हैं जिससे कम्पनी पूर्णतया स्वतन्त्र हो जाए और पूर्णतया कर्मचारियों के अधिकार में आ जाए। यदि नहीं तो क्या सरकार स्वयं उन 38 प्रतिशत शेयरों को मनु छाबरिया और शा वैलेस से खरीदेगी ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मेरे विचार में इस प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता। माननीय सदस्य के सुझाव का जहां तक संबंध है, मैंने नोट कर लिया है··· **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, महोदय···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नया प्रश्न पूछ सकते हैं ··

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : महोदय, वे कहते हैं कि वे इसके बारे में नहीं जानते। यह उनकी जानकारी में भी नहीं है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मि० तम्पन थामस।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मेरा प्रश्न विदेशों में कार्य कर रहे अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश से सम्बद्ध है। वे कम्पनी के ईक्विटी शेयरों में धन लगाने को तैयार हैं बशर्ते कि सरकार उन्हें यह प्रोत्साहन दे कि वह सम्बन्धित कम्पनियों में उनके आश्रितों अथवा नामांकितों को नौकरी दिलवाएगी। अत:, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेगी जिसमें अनिवासी भारतीय एक विशिष्ट सीमा तक किसी कम्पनी के शेयर खरीद सकें और अपने नामांकितों अथवा आश्रितों को रोजगार दिलवा सकें। मुझे इस बारे में एक ज्ञापन भी मिला है।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह कार्यवाही का सुझाव है और मैंने इसे नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

खेतड़ी तांबा परियोजना में ठेकेदारों का काली सूची में रखा जाना

*462. **श्री मोहम्मद अयूब खां : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेतड़ी तांबा परियोजना में सात ठेकेदारों के नाम काली सूची में रखे गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उनके नाम अब काली सूचि से निकाल दिए गऐ हैं ?

[अनुवाद]

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) खेतड़ी कापर परियोजना द्वारा किसी ठेकेदार को काली सूची में नहीं रखा गया। तथापि, निम्नलिखित कारणों से 8 ठेकेदारों के साथ व्यावसायिक लेन देन रोक दिया गया था :—

(1) एक मामले में, करार में निर्धारित अनुपात से कम अनुपात में सीमेंट का प्रयोग करना कंपनी को हानि पहुंचाना;

(2) दो फर्मों के मामले में, हिन्दुस्तान कापर लि० के तांबे को अवैध रूप से रखना;

(3) एक मामले में, एक सिविल ठेकेदार को कार्य में देरी करने की आदत थी और वह काम को सही एवं सुचारू रूप से करने में असमर्थ था;

(4) चार मामलों में, दिये गये ठेकों में कदाचार के कुछ आरोपों की कंपनी द्वारा जांच की गई थी। इन पार्टियों द्वारा किये गये संदिग्ध कार्यों को देखते हुए उनके साथ व्यापारिक लेन-देन रोक दिया गया। बाद में दो फर्मों के मामले में, पुनर्विचार के बाद, खेतड़ी कापर कम्पलैक्स के प्राधिकारियों ने उन्हें आजमाइश के तौर पर पुन: काम देने का निर्णय किया।

[**हिन्दी**]

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाब सद्रे मोहरिम, राजस्थान का वह जिला जिसका नाम झुंझुनु और सीकर है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। हिन्दुस्तान की फौज में सबसे ज्यादा लोग इसी जिले से लिए गये हैं। उस जिले में एक "खेतड़ी प्राजेक्ट" है, उस प्राजेक्ट में कुछ भ्रष्टाचार का काम चल पड़ा है। क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि सात ठेकेदारों का नाम काली सूची में किन-किन परिस्थितियों में आया, उन पर क्या आरोप थे ?

अध्यक्ष महोदय : और क्या एक्शन लिया गया ?

श्री वसन्त साठे : जी, हां। अध्यक्ष जी, इस खेतड़ी कारखाने में जो कांट्रेक्टर्स हैं, उनमें से कुछ कांट्रेक्टर्स के काम में कुछ भ्रष्टाचार है, कहीं चोरी है, कहीं काम में खराबी है और कहीं सीमेंट में मिलावट है। इस तरह के कुछ मामले आए हैं।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : गड़बड़ तो सारी है, मामले कुछ हैं।

श्री वसन्त साठे : ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। उनके काम को ससपेंड कर दिया गया और उनकी जांच हो रही है। उनको और काम नहीं दे रहे हैं। यह हमने उनके खिलाफ कार्यवाही की है।

श्री मोहम्मद अयूब खां : इस खेतड़ी प्रोजेक्ट के बनने से उस इलाके के लोगों के कुओं के पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। क्या मंत्री महोदय वहां के किसानों को सहायता देने के बारे में सोच रहे हैं ?

श्री वसंत साठे : वह सारा जो एरिया है, उसमें कापर नीचे है और पानी ऊपर है। कापर तक पहुंचने के लिए पानी निकालना पड़ता है और जो पानी निकलता है, वह आजू-बाजू के किसानों को उनके खेतों के लिए दे देते हैं। जब तक पानी नहीं निकालेंगे, तब तक कापर तक नहीं पहुंच सकते। या तो पानी निकालें, या कापर निकालें लेकिन होता क्या है कि पानी निकालने से पानी का टेविल नीचे चला जाता है।

अध्यक्ष महोदय : टेविल नीचे चला गया, तो उससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। उनकी मदद आप कैसे करेंगे ?

श्री बसंत साठे : पानी निकालेंगे, तो टेविल नीचे जाएगा और यह हकीकत है कि पानी का टेविल नीचे गया है। हमें जो पानी निकालना पड़ा तो उसको वहीं दिया है और पानी कहीं और नहीं ले गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : पानी जो चाहिए, वह खेतड़ी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए।

श्री बसंत साठे : नहीं, नहीं। प्रोजेक्ट के लिए पानी नहीं चाहिए। कापर निकालने के लिए पानी निकालना आवश्यक है और पानी निकाल कर हमने आजू-बाजू के खेतों को दे दिया।

अध्यक्ष महोदय : एक साथ पानी निकाल लिया, तो वहां के लोग क्या करेंगे।

श्री बसंत साठे : कोई ऐसी तरकीब हो कि हम यह पानी कुओं में डाल सकें, तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं।

श्री डाल चन्द्र जैन : कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे पानी का टेविल नीचे न जाए और किसानों को पानी मिलता रहे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा बन्दोबस्त हो जाए कि किसानों को पानी मिलता रहे। अगर वह निकालें, तो कहीं और से लाकर दें।

श्री बसंत साठे : जितने उपाय हो सकते हैं, सब करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 463।

[अनुवाद]

गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओं में अत्यधिक वृद्धि

*463 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं में अत्यधिक वृद्धि होने की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की कितनी संस्थायें स्थापित हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निवेशकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को विनियमित करने के लिए कोई अधिनियम बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिनियमित वित्तीय संस्थाओं द्वारा जनता से जमा राशियां स्वीकार किए जाने को विनियमित करने के लिए निदेश जारी किये हैं लेकिन यह निदेश उन एकमात्र मालिकाना हक वाली कम्पनियों अथवा साझेदारी फर्मों जैसे अनिगमित अन्य निकायों पर लागू नहीं होते जिन्हें कोई विशिष्ट विवरण नहीं देना होता और उनके द्वारा जनता से स्वीकार की गई जमा राशियों की संख्या अथवा आकार की कोई सूचना इकट्ठी नहीं की जाती। फिर भी इन निकायों द्वारा जमा राशियों के स्वीकार किये

जाने के आकार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 के अधिनियम के द्वारा एक नया अध्याय 3 ग पहले ही जोड़ा जा चुका है। उपर्युक्त अध्याय के उपबन्धों के अनुसार, जो 15 फरवरी, 1984 से लागू हो गये हैं, अनिगमित निकायों, व्यक्तियों आदि को इस अध्याय में निर्दिष्ट जमाकर्ताओं की संख्या से अधिक जमाकर्ताओं से जमाराशियां स्वीकार करने की मनाही कर दी गई है।

2. फरवरी, 1984 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (ध) के उपबंधों के उल्लंघन की जांच करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आवश्यक प्रवर्तन तंत्र का निर्माण करने का परामर्श दिया है। अब तक आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने ऐसे प्रवर्तन तंत्र की स्थापना की सूचना दी है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य राज्य सरकारों के साथ इस मामले में लिखा-पढ़ी कर रहा है।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

सदन में जो वक्तव्य दिया गया है उसमें मेरे प्रश्न का कोई सुस्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। यदि आप स्वयं इस वक्तव्य को देखें और इससे संतुष्ट हों, तो मुझे और कोई प्रश्न नहीं करना है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर को पूरी तरह से टाल दिया है और कुछ और ही उत्तर दिया है।

एक माननीय सदस्य : आप आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना पर किया गया खर्च

*453. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जुलाई, 1983 से जून, 1985 तक कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना पर कितना खर्च किया गया;

(ख) क्या उसका समय-समय पर मूल्यांकन किया गया है;

(ग) जुलाई, 1983 से जून, 1985 तक की अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा उक्त अवधि में मंजूर किये गये केन्द्रों की संख्या कितनी थी तथा वास्तव में कितने केन्द्र कार्यरत थे;

(घ) ये मूल्यांकन किस सीमा तक प्रमाणिक थे; और

(ङ) क्या इस योजना पर किया गया खर्च उपयोगी पाया गया और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) 1031.92 लाख रुपये।

(ख) जी हां।

(ग) (1) प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिन्होंने जुलाई, 1983 से जून, 1985 की अवधि के दौरा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 21, 493

(2) मंजूर किये गये केन्द्रों की संख्या 489

(3) वास्तव में मंजूर किये गये केन्द्रों की औसत संख्या 459

(घ) योजना की समीक्षा प्रति वर्ष वार्षिक योजना विचार विमर्शों के दौरान की जाती है और अगले वर्ष के आवंटनों के बारे में निर्णय लिया जाता है।

(ङ) प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत निर्यातों को बढ़ावा देने के लिये कालीन बुनाई में अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई। हाथ से गांठ लगे कालीनों के निर्यात 1976-77 में 66.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 1984-85 में 157.6 करोड़ रुपये (अनन्तिम) के हो गये हैं।

पीतल और कांसे से निर्मित वस्तुओं का निर्यात

***460. श्री रेणु पद दास** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीतल और कांसे से निर्मित वस्तुओं का किन-किन देशों को निर्यात किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की इन वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ग) क्या ऐसी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह)

(क) जिन महत्वपूर्ण देशों को पीतल तथा कांसे के कलात्मक सामान सहित भारतीय कलात्मक धातु के सामान का निर्यात किया जाता है वे हैं संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ सऊदी अरब, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्वीडन, कुवैत, डेनमार्क, सिंगापुर तथा बेल्जियम।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पीतल तथा कांसे के कलात्मक सामान सहित कलात्मक धातु के सामान के निर्यातों का मूल्य निम्नलिखित अनुसार है :

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपये में (अनन्तिम)
1982-83	57.92
1983-84	67.23
1984-85	83.11

मात्रा के संदर्भ में निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी हां।

(घ) पीतल तथा कांसे के कलात्मक सामान सहित कलात्मक धातु के सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए किये गये महत्वपूर्ण उपायों में स कुछ निम्नलिखित अनुसार हैं :

(1) निर्यातों के लिए कलात्मक धातु सामान की क्वालिटी तथा फिनिश में सुधार लाने के लिए मुरादाबाद में यू. एन. डी. पी. की सहायता से एक धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

(2) हस्तशिल्प उत्पादों के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जा रही है।

(3) कलात्मक धातु सामान के निर्यातों के आधार पर 15.80 पैसे प्रति किग्रा. की दर पर शुल्क वापसी दी जा रही है।

(4) आर० ई० पी० लाइसेंसों के आधार पर कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयातों की योजना के अन्तर्गत पीतल के कलात्मक सामान के निर्यातों के आधार पर पीतल स्क्रैप के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है।

(5) पीतल तथा कांसे के सामान सहित हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बाजार सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए नवम्बर-दिसम्बर, 1983 के दौरान ई० ई० सी० देशों को एक बिक्री-सह अध्ययन दल भेजा गया।

(6) कलात्मक धातु सामान के लिए डिजाइन सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए विगत हाल ही में एक सुविख्यात डिजाईनर मि० रोबर्ट वैल्च भारत आये।

(7) कलात्मक धातु सामान के निर्यातों के आधार पर एफ० ओ० बी० मूल्य के 10% की दर पर नकद मुआवजा सहायता की अनुमति है।

(8) 1984 के दौरान दोहा में हस्तशिल्प उत्पादों, जिनमें कलात्मक धातु सामान भी शामिल है, की एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई।

भारत से कनाडा को यूरेनियम की तस्करी

*464. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि कनाडा को 500 किलोग्राम कच्चे यूरेनियम की तस्करी की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस बीच इसकी कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) यह कहना गलत है कि 500 कि० ग्राम कच्चे यूरेनियम की कनाडा को तस्करी हुई है। ललितपुर जिले में निम्न ग्रेड फास्फेट निक्षेप के परिष्करण की साध्यता के अध्ययन के लिए सी० आई० डी० ए० सहायता के अन्तर्गत एक परियोजना चलाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम तथा मै० मेटकेम, कनाडा, के साथ एक करार हुआ था। करार के तहत मेटकेम कनाडा के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम तथा उत्तर प्रदेश शासन के भूतत्व

और खनन महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में राक फास्फेट के 400 कि० ग्राम नमूने एकत्र किए थे। परमाणु खनिज प्रभाग के कथानुसार ललितपुर क्षेत्र के बोर होल नमूनों में यूरेनियम अंश लगभग .0005% है।

(ग) सरकार द्वारा न तो कोई औपचारिक जांच की गई है और न जांच करने के आदेश ही दिए गए हैं।

नलकूप लगाने के लिए बैंकों द्वारा मंजूर की गयी धनराशि

*465. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 और 1984-85 में नलकूप लगाने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितने नलकूप लगाए गए;

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ये नलकूप लगाए गए हैं; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में नलकूपों के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गये ढंग से सूचना नहीं मिलती। अलबत्ता, मार्च, 1982 के अंत की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) "कुएं और नलकूप खोदने और गहरा करने" के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया राशि **संलग्न विवरण** में दी गई है।

नाबार्ड, नलकूप लगाने सहित अनेक लघु सिंचाई योजनाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। गत दो वर्षों के दौरान स्वीकृत योजनाओं की संख्या, वचनबद्ध पुनर्वित्त, संवितरित पुनर्वित्त की राशि इस प्रकार है :—

		1982-83	1983-84
1. स्वीकृत योजनाओं की संख्या		1843	1923
2. वचनबद्ध पुनर्वित्त	(करोड़ रुपए में)	357	427
3. संवतरित पुनर्वित्त राशि		242	312

नाबार्ड ने सूचित किया है कि सातवीं आयोजना अवधि के दौरान नलकूप लगाने के लिए की गयी वास्तविक व्यवस्था की राशि उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, नाबार्ड सातवीं योजना अवधि के दौरान, नलकूप लगाने सहित लघु सिंचाई के विकास के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देता रहेगा।

विवरण

कुएं और नलकूप खोदने और गहरा करने के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये राज्य-वार ऋण।

(लाख रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 1982 के अंत की स्थिति के अनुसार बकाया
I. उत्तरी क्षेत्र	2098.77
हरियाणा	236.20

हिमाचल प्रदेश	9.70
जम्मू और कश्मीर	0.10
पंजाब	136.59
राजस्थान	1694.99
चण्डीगढ़	1.05
दिल्ली	20.14
II. पूर्वोत्तर क्षेत्र	37.89
असम	24.05
मणिपुर	0.40
मेघालय	—
नागालैंड	1.56
त्रिपुरा	11.20
अरुणाचल प्रदेश	—
मिजोरम	0.68
सिक्किम	—
III. पूर्वी क्षेत्र	1797.94
बिहार	822.82
उड़ीसा	418.74
पश्चिम बंगाल	556.38
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
IV. मध्य क्षेत्र	3493.19
मध्य प्रदेश	2784.23
उत्तर प्रदेश	708.96
V. पश्चिमी क्षेत्र	4147.39
गुजरात	1043.90
महाराष्ट्र	3067.43
दादर और नगर हवेली	—
गोवा, दमन और दीव	36.06
VI. दक्षिणी क्षेत्र	2472.57
आंध्र प्रदेश	893.48
कर्नाटक	1229.40
केरल	171.91
तमिलनाडु	171.78
लक्षद्वीप	—
पांडिचेरी	6.00
अखिल भारत	14047.75

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की भरमार

***466. श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की भरमार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह देश के छोटे कॉफी उत्पादकों के लिए अलाभकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों में हाल की प्रवृति से संकेत मिलता है कि कॉफी की विश्व सप्लाई स्थिति मांग की तुलना में अधिशेष है। तथापि, निर्यात नीलामी कीमतें, घरेलू नीलामी कीमतों से अभी भी उल्लेखनीय रूप में अपेक्षाकृत ऊंची हैं और अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी करार के अन्तर्गत विनियमन के कारण लाभकारी बनी रहेंगी।

[हिन्दी]

बीमा कम्पनियों द्वारा व्यापारियों, कारखानेदारों आदि के बीमा दावों का निपटान

***467. श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यापारी, कारखानेदार और पूंजीपति राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली-भगत से दावों के रूप में गैर-कानूनी ढंग से करोड़ों रुपये ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) इसके लिए पूरी सावधानी बर्ती जा रही है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में औद्योगिक श्रमिकों को मकान किराया भत्ते का भुगतान करने संबंधी अधिनियम को स्वीकृति देना

***468. श्री शरद दिघे** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बार-बार आग्रह करने के बावजूद "महाराष्ट्र में औद्योगिक श्रमिकों को मकान किराये भत्ते का भुगतान करने सम्बन्धी अधिनियम" को, जिसे महाराष्ट्र विधान मण्डल द्वारा 1984 के अपने बजट सत्र में पारित किया गया था, अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) राज्य विधान सभा के सदनों द्वारा पारित रूप में और राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा रखा गया महाराष्ट्र कामगार न्यूनतम मकान किराया भत्ता विधेयक 11-5-84 को गृह मंत्रालय में प्राप्त हुआ। इस पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए गांवों का दायित्व ग्रहण किया जाना

***469. प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ गांवों का दायित्व ग्रहण करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो दायित्व ग्रहण करने के बाद बैंकों द्वारा ऐसे गांवों को दी जाने वाली सहायता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक, गांवों का दायित्व, क्षेत्र बड़े पैमाने पर ऋण देने तथा गांव के विकास में विशेष रुचि लेने के लिए ग्रहण करते हैं। बैंकों द्वारा क्षेत्र के लिए उपयुक्त सभी तरह की अर्थक्षम गतिविधियों के लिए सहायता दी जाती है जिसमें बैंक योग्य योजना तैयार करने में मार्गदर्शन भी शामिल है। बैंक सहायता का मुख्य उद्देश्य, कृषकों तथा अन्य लघु ऋणकर्ताओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समन्वित विकास को बढ़ावा देना और छुटपुट ऋणों के स्थान पर योजनागत ऋणों को प्रोत्साहन देना तथा ऋणों पर बेहतर ढंग से नजर रखना है।

कोका कोला कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा देय आयकर तथा उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

*470. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला कारपोरेशन आफ इण्डिया, जो वर्ष 1977 में बन्द हो गई थी, पर आयकर तथा उत्पाद शुल्क की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो बकाया उत्पाद-शुल्क और आयकर की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक बकाया राशि की वसूली न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कोका कोला कारपोरेशन आफ इण्डिया से तमाम बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली जो वर्ष 1977 में बन्द कर दी गई थी, की तरफ निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए आयकर बकाया के रूप में 21.66 लाख रुपये की राशि बकाया थी। जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है, इस कम्पनी से उत्पादन शुल्क के रूप में 68.39 लाख रु० तथा अर्थ दंड के रूप में 25 लाख रुपये की राशि वसूले जाने के लिए बकाया है।

(ग) और (घ) आयकर बकाया की वसूली इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि इस मामले में की गई अपीलें अनिर्णीत पड़ी हैं। फिर भी, बकाया राशि की वसूली के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं तथा बकाया राशि वसूलने के लिए कानून के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि पार्टी ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, नई दिल्ली के आदेशों के विरुद्ध वर्ष 1982 में सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय अधिकरण में अपील दायर की थी और साथ ही साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्थगन आदेश प्रदान किया है। कम्पनी ने पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय के पास 6,02,132 रुपये की राशि जमा करा दी है तथा 87,36,901 रुपए की शेष राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी है। स्थगन आदेश को निरस्त करने तथा मामले को यथाशीघ्र निपटवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

कॉफी का मूल्य निर्धारित करने का फार्मूला

* 471. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कॉफी बोर्ड का न्यूनतम निर्गमन मूल्य (रिलीज प्राइस) निर्धारित करने का वर्तमान फार्मूला उत्पादकों के लिए अलाभकर है क्योंकि हाल के वर्षों में उत्पादन लागत में हुई वृद्धि और कॉफी बेचने हेतु दी गई भारी छूट को इसमें पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो कॉफी उत्पादकों, जिनमें से अधिकतर मध्यम और सीमांत उत्पादक हैं, को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) न्यूनतम रिलीज कीमत काफी की घरेलू नीलामियों के लिए रिजर्व कीमत निर्धारित करने हेतु केवल एक मार्गदर्शक का कार्य करती है और उपजकर्ताओं के लिए वास्तविक लाभ का प्रतिनिधित्व नहीं करती जो घरेलू तथा निर्यात बिक्रियों दोनों के लिए हमेशा अधिकांशतः अधिक होते हैं और उसे पूर्णतः लाभकारी समझा जा सकता है ।

घरेलू बाजार में संवर्धन के परियोजनार्थ 2½% से 5% तक की छूट पर कॉफी का बहुत कम प्रतिशत भाग बेचा जाता है और हाल के वर्षों में इन छूटों में कमी कर दी गई है । यद्यपि गैर-कोटा देशों को निर्यात बिक्रियों पर अपेक्षाकृत अधिक छूट दी जानी थी किन्तु यह निर्यात नीलामी कीमतों पर आधारित हैं जो घरेलू नीलामियों में प्राप्त कीमत से लगभग दुगुनी होती है ।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा विभिन्न कम्पनियों में किया गया निवेश

4748. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों ने गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न कम्पनियों के शेयरों में कितना निवेश किया है और ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है; और

(ख) शेयरों की इस खरीद पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रिकता/मूल के अनिवासियों और ऐसे समुद्रपारीय निगमित निकायों को जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत तथा उनका मालिकाना हक हो, उपलब्ध निवेश सुविधाओं की अप्रैल, 1982 के बाद की स्थिति, जिसके आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं—

	प्रस्तावों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
सीधा निवेश		
(30-6-85 तक स्वीकृत प्रस्ताव)		
प्रत्यावर्तन आधार पर	520	265.40
अप्रत्यावर्तन आधार पर	—	50.56

पोर्टफोलियो निवेश

(31-3-85 तक वास्तविक खरीद)

प्रत्यावर्तन आधार पर	699	46.57
अप्रत्यावर्तन आधार पर	199	0.30

ये निवेश अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश सम्बन्धी सरकार की नीति की परिधि के अन्तर्गत है ।

ओवर ड्राफ्ट को दीर्घावधि ऋण में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का अनुरोध

4749. **श्री जैनुल बशर :**

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गये ओवर ड्राफ्ट को 15 वर्ष दीर्घावधि ऋण में बदल दिया जाये और उसे किस्तों में वसूल किया जाये, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की तत्सम्बन्धी प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने राज्य को 28-1-85 की स्थिति के अनुसार राज्य के ओवर ड्राफ्ट के 90% के बराबर मध्यावधि ऋण देने का पहले ही निर्णय कर लिया है, जिसकी वसूली 1986-87 के आरम्भ करके 4 वर्षों में की जायेगी । चूंकि 7वीं योजना के लिए राज्य के संसाधनों का अनुमान लगाते समय इस राशि की वसूली को पहले से ही हिसाब में रखा गया था, इसलिये राज्य के अनुमोदित योजनागत परिव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः सरकार अदायगी की अवधि को 15 वर्षों तक बढ़ाना आवश्यक नहीं समझती ।

[अनुवाद]

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की मेसरा शाखा द्वारा दिया ऋण

4750. **श्री प्रकाश चन्द्र : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक छोटे पैमाने के उद्योग आरम्भ करने हेतु उद्यमियों को ऋण देते हैं;

(ख) क्या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की मेसरा शाखा रांची ने बिड़ला प्रौद्योगिकी/संचालित संस्थान, मेसरा, रांची (बिहार) द्वारा / एस० आई० आर० डी० ओ० / एस० आई० आर० टी० डी० ओ० द्वारा प्रायोजित उद्यमियों को करोड़ों रुपए का ऋण दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा द्वारा संचालित एस० आई० आर० डी० ओ०/एस० आई० आर० टी० डी० ओ० के अनेक एककों के काम न करने के कारण उक्त ऋण की लगभग 2.5 करोड़ रुपये की राशि वसूली न हो सकने वाला ऋण हो गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, मेसरा शाखा ने लघु उद्योग अनुसंधान प्रशिक्षण और विकास संगठन द्वारा प्रायोजित उद्यमियों को कुल 3.00 करोड़ रुपये के ऋण और अग्रिम दिए हैं । यह संगठन एक पंजीकृत संस्था है ।

(ग) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के अनुसार कुल 31 लघु एककों को इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी गई थी। अपनी रकमें वसूल करने के लिए बैंक से निरन्तर प्रक्रिया के रूप में सभी सम्भव उपाय किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार

4751. **श्री एम० एल० झिकराम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार के बारे में स्थिति किन कारणों से अत्यन्त असन्तोषजनक है,

(ख) इन उपक्रमों में कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और उनमें अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी विशेष रूप से

(एक) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि०,

(दो) ब्रेथवेट,

(तीन) भारत पम्प एंड कम्प्रैशर्स लि०,

(चार) भारत प्रोसेस एंड मेकैनीकल इंजीनियरिंग,

(पांच) एच०डी०पी०ई०,

(छः) लगन जूट,

(सात) मारुति,

(आठ) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड,

(नौ) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि० में कार्य कर रहे हैं,

(घ) क्या उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित उपक्रमों में आरक्षण कोटा नियमों का पालन किया गया है, और

(ङ) क्या भविष्य में इन कर्मचारियों की भर्ती करते समय सरकारी नियमों का पालन करते हुए रिक्त पदों को भरा जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के 195 उपक्रमों के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1-1-1984 को कुल कर्मचारियों की संख्या 20,62,664 थी, जिसमें से अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या 1,80,784 थी। अतः उनके लिये आरक्षित 7.5 प्रतिशत कोटे की तुलना में कुल कर्मचारियों का प्रतिशत 8.76 था। किन्तु, कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के अन्तर्गत मूलतः अपेक्षित अर्हताओं एवं अनुभव सम्पन्न उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण कमी है।

(ग) से (ङ) सम्बद्ध उपक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या तथा इन उपक्रमों में कुल कर्मचारियों की संख्या की तुलना में उनके प्रतिशत का विवरण संलग्न है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की भर्ती के बारे में जिस प्रकार आरक्षण केन्द्रीय सरकारी विभागों में पदों के भरने में लागू है, न्यूनाधिक रूप से उसी प्रकार आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये सम्बद्ध प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के माध्यम से सरकारी उद्यमों को औपचारिक निदेश-पत्र जारी किये गये हैं। सरकारी क्षेत्र के

उद्यमों को यह सुनिश्चित करना है कि इस विषय में सरकारी निदेश-पत्रों का अनुपालन किया जाता है। किन्तु, जहां-कहीं से सरकार को यह जानकारी मिलती है कि उपक्रमों द्वारा इन अनुदेशों को समुचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है, तो सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों, जो आरक्षण निदेश-पत्रों के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं, से अनुरोध किया जाता है कि इस मामले में यथाश्वयक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिये ध्यान दें।

विवरण

1-1-1984 **को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधित्व**

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या		अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस् लि०	998	52	5.21	5	0.501
2.	ब्रेथवेट एंड कम्पनी लि०	6065	480	7.91	6	0.098
3.	भारत पम्पस् एण्ड कम्प्रेशर्स लि०	2104	304	14.44	3	0.142
4.	भारत प्रोसेस एंड मेकैनिकल इंजीनियरिंग	1330	148	11.12	70	.526
5.	एच०डी०पी०ई०	सम्भवत: यह हुगली डाकयार्ड पोर्ट इन्जीनियरिंग वर्क्स के सन्दर्भ में है। यदि ऐसा है, तो उस उपक्रम के बारे में वांछित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।				
6.	लगन जूट	578	70	12.1	—	—
7.	मारुति	665	62	9.32	1	0.150
8.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	3288	406	12.34	4	0.121
9.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	1321	303	22.93	34	2.57

[अनुवाद]

लोहिया मशीन्स द्वारा परिवर्तनीय ऋण पत्रों का जारी करना

4752. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, कानपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित लोहिया मशीन्स लिमिटेड के, इटली की पियागियो के सहयोग से वर्तमान में चल रही दो पहिए वेस्पा स्कूटर परियोजना के लिए जनता से 10 करोड़ रुपये इकट्ठे करने के प्रस्तावों की मंजूरी दे दी है।

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी बातें हैं जिनसे प्रभावित होकर सरकार ने मंजूरी दी थी जबकि सरकार ने पहले भी इस कम्पनी को अपने स्कूटरों की अग्रिम बुकिंग करने के रूप में जनता से भारी मात्रा में धनराशि, जो लगभग 115 करोड़ रुपये इकट्ठी करने की अनुमति दी थी;

(ग) इस कम्पनी के पास स्कूटरों की डिलीवरी देने तथा रद्द करने के बाद स्कूटरों की बुकिंग से प्राप्त अब कितना पैसा जमा है; और

(घ) इस नई शृंखला के परिवर्तनीय ऋण पत्रों को जारी करने का क्या तरीका है तथा उनके पुनः अदायगी की क्या अवधि है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि कम्पनी द्वारा ऋण पत्र निर्गम सम्बन्धी मार्ग-निर्देशों का पालन ठीक ढंग से किया गया था, इसलिए कम्पनी को मंजूरी दे दी गई थी। कम्पनी द्वारा बुकिंग सम्बन्धी अग्रिमों की राशि का प्रयोग भारी उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार किया जाना था जो पूंजी के रूप में इस अग्रिम राशि का प्रयोग करने की स्वीकृति नहीं देते हालांकि कार्य-चालन पूंजी के रूप में ऐसे अग्रिम का कुछ भाग प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) दिनांक 31-3-1985 को कम्पनी का निक्षेप 109.04 करोड़ रुपए था।

(घ) 110 रुपये प्रति ऋण-पत्र मूल्य के 13.5 प्रतिशत ब्याज वाले 9,09,090 प्रत्याभूत परिवर्तनीय ऋण-पत्रों का निर्गम जिनमें से प्रत्येक निर्गम की शृंखला कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपये के मूल्य की होगी, वर्तमान इक्विटी शेयर धारकों को समानुपातिक आधार पर "राइट्स" (अधिकार) के रूप में सम-मूल्य पर नकदी के एवज में जारी किया जाएगा। आवंटन की तारीख से छः महीने की समाप्ति पर 110 रुपये के अंकित मूल्य में से 10 रुपये की राशि को 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के एक शेयर के रूप में अनिवार्यतः परिवर्तित किया जायेगा। उपर्युक्त परिवर्तन के बाद, अंकित मूल्य की 100 रुपये की बकाया राशि को आवंटन के सातवें, आठवें, तथा नवें वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 35 रुपये, 35 रुपये तथा 30 रुपये की तीन किस्तों में परिशोधित किया जायेगा।

रसायनों के निर्यातकर्ताओं की समस्याएं

4753. **श्री चिन्तामणि जैना :**

कुमारी पुष्पा देवी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के रसायनों का निर्यात किया गया;

(ख) रसायनों के निर्यातकर्ताओं को किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) निर्यात किये जा रहे रसायनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं; जिन्हें निर्यात किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार रसायनों के निर्यातकर्ताओं की समस्याओं पर विचार कर रही है ताकि रसायनों का निर्यात बढ़ाने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा)

(क) रसायनों के निर्यात के अनुमानित मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	(मूल्य करोड़ रु० में) निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य
1982-83	333.89
1983-84	553.20
1984-85	679.76

(ख) निर्यातकों के द्वारा अनुभव की जा रही मुख्य समस्याएं हैं— बिजली की कमी, कच्चे माल की ऊंची लागत, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, रसायन उद्योग द्वारा अनुसंधान तथा विकास दर खर्च का अपर्याप्त स्तर।

(ग) रसायनों का निर्यात छः मोटे समूहों में किया जा रहा है। प्रत्येक समूह के अन्तर्गत निर्यात की मुख्य मदें इस प्रकार हैं :

(1) **औषध तथा भेषज**

मेडिकामन्ट्स, आयुर्वेदिक औषधियां, औषधीय अरण्डी का तेल, सर्जीकल ड्रेसिंग, पापाइन, सल्फा ड्रग, सोडियम, आयोडाइड, सेलानिसोल, वीटा आयोनोन, अंडीसाइक्लीनिक एसिड, वरवीरिन हाइड्रोक्लोराइड, एमीटीन साल्ट, स्ट्रिकनाइन साल्ट।

(2) **रंजक तथा रंजक मध्यवर्ती पदार्थ**

कार्बनिक रंग द्रव्य, प्रत्यक्ष रंजक, मूल, रंजक सल्फर रंजक, वैट रंजक, ऐजोइक रंजक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटेनीलिक एसिड, एन्ट्राक्विनोन फलोरोसेन्ट ब्राइटनिंग एजन्ट।

(3) **मूल अकार्बनिक तथा कार्बनिक रसायन, कृषि रसायन सहित**

रेज अर्थ क्लोराइड, आयरन क्लोराइड कैरिक, सोडियम सल्फेट, ब्लीचिंग पाउडर, अल्यूमीनियम सल्फट, कैल्शियम कार्बोनिट, सोडियम ट्रिपाली फास्फेट, रैड फास्फोरस, सोडियम साइनाइड, उत्प्रेरक रसायन, मेटा एमिनो फिनाल, मैगनिशियम डाईआक्साइड, निकोटीन सल्फेट, कीटनाशी दवाइयां और नाशी जीव नाशी दवाइयाँ, अल्यूमीनियम फास्फाइड, एन्डोसल्फान टैक्नीकल।

(4) **प्रसाधन सामग्री तथा टायलेट्री**

हेयर आयल, हेयर शेम्पू, टायलट सोप, टूथ पेस्ट, सिंथेटिक डिटर्जिट, जमा हुआ अरण्डी का तेल, मेंहदी और पाउडर, निजर्लीकृत अरण्डी का तेल।

(5) **अगरबत्तियां।**

(6) **संगध तेल तथा औषधीय जड़ी-बूटियां**

चन्दन का तेल, लेमन ग्रास तेल, पामा रोजा तेल, दावणा तेल, सिलियन बीज तथा भूसी, सनाय की पत्तियां तथा फलियाँ, अफीम।

(घ) सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, पश्चिम जर्मनी, अदन, फ्रांस, सिंगापुर, नाइजीरिया, सऊदी अरब, कुवैत, मस्कत, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका तथा ओमान।

(ङ) तथा (च) : जी हां।

निर्यात संवर्धन परिषदों की मार्फत उठाई गई विशिष्ट समस्याएं मंत्रालय द्वारा देखी जाती हैं। रसायनों के निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं की जांच करने के लिए और

निर्यातों पर असर डालने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये अन्त: मंत्रालय स्थायी समिति स्थापित की गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और इसके कर्मचारियों के बीच न्यायलयों में औद्योगिक विवाद

4754. **श्रीमती पटेल रमाबेन :**

रामजी भाई मावणि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और इसके कर्मचारिओं के बीच विभिन्न न्यायालयों में बहुत से औद्योगिक विवाद चल रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रत्येक औद्योगिक श्रम, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित विवादों का ब्यौरा क्या है,

(ग) प्रत्येक न्यायालय में ये कितने वर्षों से लम्बित हैं,

(घ) उनका फैसला न किये जाने के क्या कारण हैं,

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में ऐसे कर्मचारियों को कितनी धनराशि दी गई है, और

(च) सरकार द्वारा मुकदमेबाजी और उसमें होने वाली देरी पर काबू पाने के लिए या तो न्यायालयों में अथवा उसके बाहर विवादों को शीघ्र निपटाने के क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धक विभिन्न मंजूरी समझौतों आदि से उत्पन्न मतभेदों सहित सभी विवाद मेज पर आमने-सामने बैठकर विचार-विमर्श द्वारा तय करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थितियां भी होती हैं, जहां विभिन्न कारणों से ऐसे समझौते नहीं किये जा सकते हैं। रोजगार की सेवा-शर्तों के बारे में भी विवाद यथासम्भव पारस्परिक सोहार्द्र से तय किये जा रहे हैं। किन्तु सदा ही यह सम्भव नहीं होता है कि मेज पर आमने-सामने बैठकर विवादों को तय किया जाये। चूंकि रोजगार अथवा अनुशासनात्मक मामलों के किन्हीं पहलुओं पर कर्मचारियों/यूनियनों से श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय याचिकायें स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक सरकारी उद्यम के बारे में इन न्यायालयों में लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या, उनकी अवधि तथा मुआवजा, यदि उनके कर्मचारियों को अदा किया गया हो, के विषय में जानकारी एकत्र करना सम्भव नहीं है। सरकार महसूस करती है कि इस जानकारी को एकत्र करने में जितना प्रयास करना पड़ेगा, अभीष्ट प्राप्तव्य परिणाम उसके अनुरूप सिद्ध नहीं होंगे।

बैंक आफ महाराष्ट्र की बम्बई शाखा द्वारा नागपुर की संश्लिष्ट रेशा निर्माण करने वाली कम्पनी को ऋण दिया जाना

4755. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ महाराष्ट्र ने बम्बई स्थित अपनी शाखा से नागपुर की संश्लिष्ट रेशा निर्माण करने वाली एक कम्पनी को कुछ करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है जिसके संबंध में बैंक तथा ऋण लेने वाली कम्पनी के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंक प्राधिकारियों ने ऋण मंजूर करने से पहले संबंधित कम्पनी की यथार्थता अथवा उसकी अन्यथा स्थिति तथा ऋण वापस करने की वित्तीय सक्षमता का पता लगाने तथा गारंटी लेने के लिए भी क्या तरीका अपनाया था;

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो बैंक प्राधिकारियों ने ऐसी औपचारिकताओं की किन कारणों से उपेक्षा की; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 (1) के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के किसी ग्राहक से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि कंपनी को ऋण देने से पहले, उसने परियोजना का मूल्यांकन करने और उसकी अर्थक्षमता आंकने की सामान्य औपचारिकताएं पूरी की थीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ङ) अपने हितों की रक्षा के लिए बैंक ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन परिस्थितियों में इस मामले में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों पर भर्ती पर लागू प्रतिबंध लागू होना

4756. **श्री जी० भूपति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार सेवा में भर्ती पर लगा प्रतिबंध अपंग व्यक्तियों की भर्ती पर लागू नहीं होगा; और

(ख) यदि हां, तो आरक्षण कोटे में इसी प्रकार की छूट अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को न देने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जहां भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी थी उन्हें छोड़कर वर्तमान रिक्तियां को न भरने की जो सलाह जनवरी, 1984 में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को दी गई थी वह सरकारी व्यय में मितव्ययिता लाने की आवश्यकता पर आधारित थी। जो विकलांग व्यक्ति सरकार में भर्ती किए जाते हैं उनकी संख्या अन्य आरक्षित श्रेणियों की तुलना में बहुत कम है। एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों का 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण किया जाता है और इन रिक्तियों को आगामी भर्ती वर्ष में भी अग्रेषित नहीं किया जाता। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में रिक्तियों का 22½ प्रतिशत आरक्षण किया जाता है और न भरी गई रिक्तियों को वर्ष-प्रतिवर्ष अग्रेषित किया जाता है। मितव्ययिता लागू करने के उद्देश्य पर विचार करते हुए, केवल विकलांग व्यक्तियों की ही भर्ती करने के लिए छूट देना उपयुक्त समझा गया था।

गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करना

4757. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्धन परिवारों के कमाऊ सदस्यों, भूमिहीन, लघु और सीमांत किसानों, पारम्परिक शिल्पियों और अन्य सभी ऐसे व्यक्तियों, जिन पर कोई बीमा योजना या कर्मचारी प्रतिपूर्ति व्यवस्थाएं लागू नहीं होतीं, के लिए दुर्घटना से मृत्यु के जोखिम को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। स्कीम को शुरू में 100 जिलों में लागू करने की अनुमति दी गई है।

(ख) गरीब परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अन्तर्गत 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु के वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो गरीब परिवारों के कमाने वाले सदस्य हैं और जिनकी सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय 5000/-रुपए से अधिक नहीं है तथा जिनकी विनिर्दिष्ट जिलों में होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है। इसके अन्तर्गत 3000/- रुपए का उत्तरजीवी हितलाभ प्रदान किया जाएगा जो जीवित पति अथवा पत्नी/आश्रित बच्चे/जीवित आश्रित माता-पिता को देय होगा। इस समय स्कीम में 16 राज्यों और 9 संघ शासित क्षेत्रों के 78 जिले शामिल हैं और इसे 15 अगस्त, 1985 से लागू कर दिया गया है। इस स्कीम को शेष राज्य सरकारों की सिफारिशें प्राप्त होने पर 22 और जिलों में भी लागू कर दिया जाएगा।

स्कीम के अन्तर्गत दावों की जांच-पड़ताल और निपटान उप-जिला/तालुक के दावा जांच एवं निपटान अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जिनकी विनिर्दिष्ट जिलों के लिए नियुक्ति और उनकी अधिसूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी की जाएगी।

इस स्कीम का उद्देश्य किसी भी गरीब परिवार को, जिसके कमाने वाले सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए और वह सदस्य मुआवजे के लिए किसी बीमा स्कीम अथवा किसी विधि/कानून के अन्तर्गत न आता हो, फिर से बसाने के लिए उत्तरजीवी हितलाभ का सहारा प्रदान करना है।

भारतीय कपास निगम द्वारा खरीदी गई कपास के लिए दोहरी मूल्य योजना

4758. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपास उत्पादकों और मिलों को राहत देने के लिए भारतीय कपास निगम द्वारा खरीदी गई कपास के लिए दोहरी मूल्य योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) 6 जून, 1985 को सरकार द्वारा घोषित नई वस्त्र नीति में यह व्यवस्था की गई है कि रुई उपजकर्ताओं को सदैव लाभकारी कीमतों पर उनके उत्पादन के उठान के लिये आश्वस्त किया जाएगा और वस्त्र उद्योग द्वारा अपेक्षित रुई पर्याप्त मात्रा में और न्यायोचित कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएगी। कीमत स्थिरीकरण कार्यकलापों को शामिल करने के लिये भारतीय रुई निगम की भूमिका तथा कार्यों की रूपरेखा पुन: तैयार की जायेगी।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के पूंजीगत उपकरण

4759. **श्री सौडे रामैय्या :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के पास कौन से पूंजीगत उपकरण हैं और उनमें कुल कितना निवेश किया हुआ है;

(ख) उनमें से कितने उपकरण गत दस वर्षों के दौरान अर्जित किए गए;

(ग) ऐसी मशीनों अथवा उपकरणों का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है;

(घ) क्या उन उपकरणों/मशीनों को बेच देने का कोई प्रस्ताव है जिनकी क्षमता का उपयोग 50 प्रतिशत से कम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वैज्ञानिक संगठन भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त उपकरण पूंजीगत श्रेणी के अन्तर्गत नहीं है और इसलिए इस उपकरण को प्राप्त करने पर हुआ खर्च को पूंजी "निवेश" नहीं माना जाता।

(ख) से (ङ) सवाल ही नहीं उठता।

गुजरात में कमजोर वर्गों में ऋण का वितरण

4760. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से गुजरात में किन बैंकों को समाज के गरीब वर्ग को ऋण देने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में जिला-वार इन बैंकों के माध्यम से कितनी ऋण राशि वितरित की गयी;

(ग) क्या सरकार को जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण देने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन ऋणों को देने के बारे में क्या तरीके अपनाए गए हैं तथा इसकी वसूली कैसे की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सभी वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गुजरात सहित सभी राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, गुजरात राज्य में संवितरित कुल सावधि ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(लाख रुपए में)
1982-83	3355.89
1983-84	3753.64
1984-85	3187.94
जोड़	10297.47

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गये ढंग से जिला-वार सूचना नहीं मिलती।

(ग) से (ङ) सरकार, को, आवेदनों के निपटान में देरी, आवेदनों के रद्द किए जाने आदि के बारे में कई तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं। राज्य सरकारों से ऐसी शिकायतों के ध्यान में आने पर, उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार संवितरित किये जाते हैं। ये ऋण केवल उत्पादक अर्थक्षम कार्यों के लिये दिये जाते हैं। राज्य सरकारों से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों की वसूली संबंधी स्थिति पर नजर रखने और बैंकों की बकाया रकमें वसूल करने में उन्हें हर संभव सहायता देने की सलाह दी गयी है।

उत्पादन शुल्क का आंकलन और वसूल की गई राशि

4761. **श्री प्रिय रंजनदास मुंशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजट पास होने के बाद पहले तीन महीनों में उत्पाद शुल्क के विभिन्न स्रोतों से कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान था और कितनी धनराशि वास्तव में वसूल की गई है;

(ख) क्या अधिक उत्पाद शुल्क वसूल करने के लिये लघु उद्योगों में निर्मित जन-उपयोग की छोटी वस्तुओं पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है; और

(ग) ऐसे कितने एककों ने शिकायतें की हैं कि अधिक उत्पाद शुल्क के कारण इन एककों को बंद करना पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1985-86 के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के वास्ते स्वीकृत बजट अनुमान 12,226.69 करोड़ रुपए है। पूर्ववर्ती दो वित्त वर्षों में अप्रैल से जून तक की वसूलियों के आधार पर, यह आशा की गई थी कि अप्रैल से जून, 1985 तक की वसूलियाँ स्वीकृत बजट अनुमानों का लगभग 22.8% होंगी जो 2787.69 करोड़ रुपए के बराबर होती हैं। लेकिन इसकी तुलना में अप्रैल से जून, 1985 तक 2896.54 करोड़ रुपये की वास्तविक वसूलियां हुईं।

(ख) एक तकनीकी अध्ययन दल उत्पादन शुल्क टैरिफ की समीक्षा कर रहा है। इस दल से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी आशा की जाती है कि वह लघु क्षेत्रों में स्थापित एककों के उत्पादों के सिलसिले में उपलब्ध उत्पादन शुल्क की रियायतों के प्रश्न पर गहराई से विचार करेगा।

(ग) विनिर्दिष्ट समूहों के जिंसों और साथ ही साथ उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के तहत आने वाले माल के बारे में उत्पादन शुल्क से छूट देने संबंधी योजनाओं में वर्ष 1985-86 के बजट में ढील दिये जाने के कारण अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। तथापि, ऐसे अभ्यावेदनों की संख्या बता पाना संभव नहीं है। संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, मद 68 के तहत आने वाले माल के लिए लघु छूट योजना में और ढील दी गई थी ताकि 20 लाख

रुपये के मूल्य से अधिक किंतु 30 लाख रुपए के मूल्य तक को निकासियों के लिए अन्यथा देय शुल्क को 25% की शुल्क-दर की व्यवस्था की जा सके ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए बोर्डों का गठन

4762. **श्री एन० डेनिस : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये नियमित बोर्डों के गठन में विलम्ब हो गया है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन बोर्डों के लिये नई प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए क्या कदम बठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों को भंग नहीं किया गया है । अतः नियमित निदेशक बोर्डों के गठन का सवाल पैदा नहीं होता । अलबत्ता राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 और 1980 के उपबन्धों के अनुसार उनमें से ऐसे गैर-सरकारी निदेशकों के बारे में जिन्होंने निदेशक के रूप में तीन वर्ष पूरे कर लिये हैं, निदेशक के रूप में तीन वर्ष पूरे करने की तारीख से, पद पर न रहने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस प्रकार खाली हुए स्थान अभी तक नहीं भरे गये हैं । ऐसे खाली स्थानों को भरने के लिये उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा पहले ही शुरू की जा चुकी है ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य और महाराष्ट्र में दिये गए ऋण

4763. **श्री आर०एम० भोये : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरारन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रत्येक राज्य में छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि के संबंध में कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ख) महाराष्ट्र में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण के रूप में दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने लघु और सीमान्तिक किसानों के लिए ऋण राशि के राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे । अलबत्ता, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यह जोर देता है कि लघु और सीमान्तिक किसानों से संबंधित योजनाओं के अधीन इसके पुनर्वित्त का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा इन योजनाओं के पोषण पर खर्च किया जाए ।

(ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना पद्धति से पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती । अलबत्ता, छठी आयोजना अवधि में महाराष्ट्र में विभिन्न बैंकों को, स्वीकृत योजनाओं के अधीन उनके द्वारा लघु और सीमान्तिक किसानों को दिये गये उधारों के बदले राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संवितरित पुनर्वित्त सहायता की राशि 221.60 करोड़ रुपये थी । यह राशि लघु और सीमान्तिक किसानों से संबंधित योजनाओं के अधीन महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संवितरित कुल पुनर्वित्त के 70 प्रतिशत से अधिक बैठती है ।

पंजाब नेशनल बैंक में विदेशी नियुक्तियों में आरक्षित उम्मीदवारों/कर्मचारियों के लिए निर्धारित मानदण्ड

4764. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक में विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति, चयन ग्रेड तथा विदेशी नियुक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों/कर्मचारियों के लिये कोई आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी नियुक्ति में ग्रेड-वार पदोन्नति-वार और चयन ग्रेड-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक के स्टाफ को तीन वर्गों में बांटा गया है :—

1. अधिकारी
2. लिपिक
3. अधीनस्थ कर्मचारी

अधिकारियों के संवर्ग की सीधी भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है और उसमें अनुसूचित जातियों के लिये 15% तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये 7½% स्थान आरक्षित होते हैं। लिपिक संवर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये सीधी भर्ती प्रातः क्षेत्रवार की जाती है और ऐसी भर्ती में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत इस प्रयोजन के लिए सम्बद्ध क्षेत्रों के द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार होता है। उन पदोन्नतियों के संबंध में भी अनुसूचित जातियों के लिये 15% और अनुसूचित जन जातियों के लिये 7½% का आरक्षण उपलब्ध है जिनमें सीधी भर्ती भी यदि कोई हो, की जाती है जिसका प्रतिशत 66 2/3 से अधिक नहीं होता।

अधिकारियों के मामले में, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार यदि पदोन्नति वरीयता के आधार पर की जाती है तो आरक्षण का सिद्धांत एम०एम०जी० स्केल-III, तक लागू होता है। जिन मामलों में पदोन्नति चयन के आधार पर की जाती है उनमें आरक्षण केवल लिपिकीय संवर्ग से जू०मे०स्केल-I में पदोन्नति के लिये ही उपलब्ध है। पंजाब नेशनल बैंक, अधिकारी संवर्ग के विभिन्न वेतनमानों में पदोन्नतियां केवल मात्र वरीयता के आधार पर ही नहीं की जाती है, ये पदोन्नतियां चयन के आधार पर की जाती है। इसलिये इन पदोन्नतियों में अधिकारी संवर्ग के अन्तर्गत किसी पदोन्नति के मामले में आरक्षण लागू नहीं होता। बैंक में कोई चयन ग्रेड पद नहीं है लेकिन वरिष्ठ प्रबंधक और उच्च कार्यपालक ग्रेड होते हैं परन्तु एम० एम० जी० से इन ग्रेडों में पदोन्नति के लिये आरक्षण लागू नहीं होता।

विदेशी नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के वास्ते वर्तमान अनुदेशों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध नहीं है। विदेशों में नियुक्तियों का मापदण्ड, जैसाकि वे सामान्य श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होता है, अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जन जातियों के अधिकारी पर भी लागू होता है। ऐसी नियुक्तियों के लिये अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जन-जातियों के लिये पात्र अधिकारियों के नामों पर अन्य अधिकारियों के नामों के साथ विचार किया जाता है ।

बैंकों को उड़ीसा में शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस देना

4765. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान जिन गैर-सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उड़ीसा में शाखाएं खोलने के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं, उनके नामों के बारे में ब्यौरा क्या है तथा इन बैंकों द्वारा कितनी शाखाएं खोली गयीं;

(ख) उनमें से कितने बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने हैं तथा किसानों के साथ व्यवहार करने के बारे में उन्हें कौन से विशेष निर्देश जारी किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सहकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

बैंक का नाम	उड़ीसा में 1984-85 की अवधि के दौरान नई शाखाएं खोलने के लिये जारी किये गये प्राधिकार पत्रों/लाइसेंसों की संख्या	उड़ीसा में 1984-85 में खोली गई शाखाओं की संख्या
सरकारी क्षेत्र के बैंक		
भारतीय स्टेट बैंक	27	21
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1	—
आंध्र बैंक	7	5
इलाहाबाद बैंक	5	5
बैंक आफ इण्डिया	6	2
केनरा बैंक	3	—
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	5	—
इण्डियन बैंक	6	3
इण्डियन ओवरसीज बैंक	7	6
सिण्डिकेट बैंक	3	3
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	2	2
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	11	4
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	15	13
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	48	27
गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	—	—

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, 1985 के अन्त की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास शाखाएं खोलने के

लिये 50 प्राधिकार-पत्र थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को कृषि क्षेत्र, विशेषकर लघु और सीमान्तिक किसानों को अधिक ऋण सुलभ कराने के दिशा-निर्देश जारी कियेहैं।

ऋणों की वसूली हेतु बैंकों द्वारा दायर मुकदमों के लिए पृथक न्यायालयों की स्थापना

4766. **श्री एम० रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ऋणों की वसूली के लिये बैंकों द्वारा किये गये असंख्य मुकदमें न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हैं, क्या सरकार का विचार इनका निपटान करने के लिये पृथक न्यायालय स्थापित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : यद्यपि इस संबंध में सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को सुझाव शिफारिशें प्राप्त हुई हैं, लेकिन इस समय ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा खनन निगम तथा गैर-सरकारी खान मालिकों से कच्चा लोहा प्राप्त करना

4767. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० एम० टी० सी० उड़ीसा खान निगम तथा गैर-सरकारी खान मालिकों से कच्चा लोहा प्राप्त करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रयोजन क्या है;

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान एम० एम० टी० सी० द्वारा उड़ीसा खान निगम तथा उड़ीसा के खान मालिकों से वर्ष-वार कितनी मात्रा में कच्चा लोहा प्राप्त किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के लिये कच्चे लोहे की प्राप्ति को बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो 1985-86 के दौरान उड़ीसा से कुल कितने टन कच्चा लोहा प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) एम० एम० टी० सी० निर्यात के लिये लौह अयस्क की अधिप्राप्ति करता है तथा घरेलू इस्पात संयंत्रों की आंशिक मांग को पूरा करता है।

(ग) ओ० एम० सी० तथा उड़ीसा के खान मालिकों से एम० एम० टी० सी० द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, वर्ष-वार लौह अयस्क की अधिप्राप्ति की कुल मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी हां।

(ङ) एम० एम० टी० सी० द्वारा 1985-86 के दौरान निर्यात के लिये लगभग 15 लाख मे० टन लौह अयस्क को उड़ीसा से अधिप्राप्ति करने का प्रस्ताव है।

	विवरण						
	निर्यात के लिए			इस्पात संयंत्रों के लिए			
वर्ष	ओ.एम.सी.	अन्य	योग	ओ.सी.एम.	अन्य	योग	कुल योग
1980-81	4.84	7.83	12.67	0.60	10.62	11.22	23.89
1981-82	3.86	6.75	10.61	0.61	10.23	10.84	21.45
1982-83	1.37	5.79	7.16	0.47	9.83	10.30	17.46
1983-84	1.13	5.50	6.63	0.31	2.93	3.24	9.87
1984-85	3.35	6.99	10.34	0.58	8.06	8.64	18.98

जापान द्वारा निर्यात बाधाओं की समाप्ति

4768. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के निर्यातकों को होने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने के लिये कार्यवाही कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निर्याति बाधाओं की समाप्ति से भारत को कितना लाभ हुआ है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार में और कितना सुधार होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत के निर्यात हित की मदों पर टैरिफ की कमी। समाप्ति तथा गैर टैरिफ बाधाओं की समाप्ति के फलस्वरूप भारतीय निर्यातों में वृद्धि होने की आशा है।

ट्रांसफार्मरों के निर्माण में शुल्क के भुगतान को अनुमति न देने के बारे में समंजन

4769. **श्रीमती उषा वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर तथा अन्य इलैक्ट्रिकल उपकरणों के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले इलैक्ट्रिकल स्टैम्पिंग और पत्ती पर शुल्क अदायगी के बारे में समंजन की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो ट्रांसफार्मरों, जो विद्युत विकास और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये महत्वपूर्ण है, पर सीमा-शुल्क के बारे में समंजन की अनुमति न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) मोटरों तथा कतिपय अन्य इलैक्ट्रिकल उपकरणों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले इलैक्ट्रिकल स्टैम्पिंग और लैमीनेशन पर प्रदत्त उत्पादन शुल्क के समायोजन की व्यवस्था तो उपलब्ध है, लेकिन ट्रांसफार्मरों के निर्माण में उनके प्रयोग के सिलसिले में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा इस कारण से नहीं किया गया है क्योंकि इसमें राजस्व-हानि अन्तर्ग्रस्त है और इलैक्ट्रिकल मोटरों और अन्य उपकरणों की बजाय ट्रांसफार्मरों पर उत्पादन शुल्क कम दरों से लगाया जाता है।

ट्रांसफार्मरों के सिलसिले में उत्पादन शुल्क के समायोजन का लाभ देने संबंधी कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आदिवासी क्षेत्रों में 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित विकास ऋण का दुरुपयोग

4770. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि आदिवासी क्षेत्रों में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित विकास ऋण की चोरी में दक्ष एक नियमित गिरोह सक्रिय है;

(ख) क्या कुछ आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बंकों और सहकारी बंकों द्वारा दिये गये कथित ऋण ने आदिवासियों और उनके परिवारों को तबाह कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उनका विचार इस क्षेत्र में चल रहे बंकों द्वारा सभी नियमों का उल्लंघन तथा झूठे ऋण के बहाने आदिवासियों की भूमि की नीलामी जैसे कदाचार को रोकने, किन्तु उनको सभी प्रकार की परेशानियां तथा वेदना सहनी पड़ती हैं, के लिए क्या कदम उठाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार को विकास ऋणों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें मिलती रहती हैं और सरकार ने राज्य सरकारों को ऋणकर्ताओं की शिकायतों पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर उप-समूहों का गठन करने के लिए और ऋणकर्ताओं की शिकायतों को यथासमय दूर करने की सलाह दी है।

शाखा विस्तार नीति का उद्देश्य बंक रहित तथा कम बंकों वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधायें प्रदान करना है। बंक कर्मचारियों को भारतीय रिजर्व बंक तथा अपने-अपने संगठनों द्वारा निर्धारित नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना होता है। अगर कोई भी कर्मचारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है अथवा कदाचार करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

भविष्य निधि और जीवन बीमा निगम आदि के माध्यम से बचतों के लिए धन लगाने के लिए प्रेरित करना

4771. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी शेयरों और हुण्डियों में अपना धन लगाते हैं;

(ख) क्या उनको भविष्य निधि जीवन बीमा निगम, डाक जीवन बीमा आदि में सामान्य भविष्य निधि पर 12 प्रतिशत ब्याज देकर इन बचतों में धन लगाने के लिए प्रेरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या व्यापारियों में बंकों को छोड़कर धन सीधे निवेशकर्त्ताओं से लेने की प्रवृत्ति बनी है; और

(घ) यदि हां, तो इसका राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था तथा बंकों क कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा निवेशकर्ताओं द्वारा धन उधार देने को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शेयरों और ऋणपत्रों में निवेश विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों, संस्थान और न्यासों आदि द्वारा किया जाता है। उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या के बारे में कोई अनुमान नहीं है जो अपना धन शेयरों और ऋणपत्रों में लगाते हैं।

(ख) सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की दर बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) : कम्पनियां नई परियोजनाओं/विस्तार परियोजनाओं की लागत के एक भाग को पूरा करने के लिए निवेशकों से सीधे ही धनराशियां जुटाती हैं। बैंक, मुख्यत: व्यापार और उद्योग आदि की कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल निक्षेप जो मार्च, 1984 के अन्तिम शुक्रवार को 60596 करोड़ रुपए था, बढ़ कर मार्च, 1985 के अन्तिम शुक्रवार को 72115 करोड़ रुपये हो गया। 1985-86 में भी यह प्रवृत्ति बनी हुई है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों में 5 जुलाई, 1985 तक 4021 करोड़ रुपए की और बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम उधारों में, 1983-84 में 6562 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 1984-85 में 7145 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इस प्रकार अर्थव्यवस्था पर, और बैंकों के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। जहां तक जनता से धनराशियों को जमा के रूप में स्वीकार किए जाने क सम्बन्ध है, ये विभिन्न किस्मों के विनियमों के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं।

गुजरात में अलंग और सचना के जल-पोत भंजक यार्डों की क्षमता का उपयोग

4772. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अलंग और सचना में जलपोत भंजक यार्डों की कुल क्षमता क्या है;

(ख) क्या वहां कुल क्षमता के मुकाबले केवल 35 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग हो रहा है;

(ग) देश के अन्य यार्डों की तुलना में इस औसत की क्या स्थिति है; और

(घ) अलंग और सचना में अधिकतम क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) एम० एस० टी० सी० द्वारा लगाए गए एक अनुमान के अनुसार अलंग और सचना में जहाज तोड़ने की वार्षिक क्षमता 7,76,000 एल०डी०टी० भार की है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान, प्रत्याशित आयात और भारतीय ध्वज पोतों की उपलब्धि के आधार पर, एम० एस० टी० सी० द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार क्षमता का औसत उपयोग लगभग 50 प्रतिशत होने की संभावना है।

(ग) इसका औसत अन्य यार्डों के औसत के लगभग समान होने की संभावना है।

(घ) आयात किए जाने वाले जहाजों की मात्रा का निर्धारण देश में छड़ों और गोल छड़ों के उत्पादन के लिए पुनर्वेलन योग्य सामग्री की मांग तथा विभिन्न स्रोतों से इसकी उप-

लब्धि के बीच अन्तर के आधार पर की जाती हैं। चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अनुसार आयात की जाने वाली मात्रा वर्ष 1984-85 में वास्तव में आयात किए गए टन भार की मात्रा से दुगुनी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रतिव्यक्ति जमा मूल्य में कमी कम होना

4773. **श्री भोलानाथ सेन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में प्रतिमाह प्रति-व्यक्ति जमा मूल्य (राशि) प्रत्येक कर्मचारी के मासिक औसतन पारिश्रमिक से कम था,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन उद्यमों में इतना कम मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) 1980-81 में क्या स्थिति थी, और

(घ) इन उद्यमों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1983-84 और 1982-83 के दौरान प्रति कर्मचारी औसत मासिक परिलब्धियों तथा प्रति माह प्रति व्यक्ति जोड़े गये मूल्य का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 के खण्ड-3 के भाग-I में दिया गया है, जिसे 15.3.1985 को लोक सभा-पटल पर रखा गया था। 1980-81 का यह ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1980-81 के खण्ड-3 में उपलब्ध है, जिसे 24.2.1982 को लोक सभा-पटल पर रखा गया था।

इस स्थिति के अनेक कारण हैं, जहां प्रति कर्मचारी औसत मासिक परिलब्धियों की तुलना में प्रति व्यक्ति मासिक जोड़ा गया मूल्य कम है। उनमें से कुछ कारण हैं—बिजली की कमी, कपड़ा जैसे उद्योगों में छायी हुई मन्दी, अलाभकर मूल्य, फालतू जन-शक्ति, पुरानी प्रौद्योगिकी तथा पुराने संयंत्र एवं मशीनें आदि।

(घ) सरकार इन उद्यमों के कार्य-निष्पादन की निरन्तर समीक्षा कर रही है तथा उनका कार्य-निष्पादन सुधारने के लिए किये गये/किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों में से उल्लेखनीय हैं—विशेष अध्ययन दल गठित करना, संतोलक सुविधाओं के लिये अतिरिक्त पूंजी-निवेश की व्यवस्था करना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, संयंत्र एवं उपस्कर का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन, सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा नियमित परिवीक्षण-शीर्ष प्रबन्धकीय कार्मिकों के चयन एवं मूल्यांकन को बेहतर बनाना, आदि।

बड़ी कम्पनियों को उत्पादन शुल्क कमी से होने वाले लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना

4774. **श्री राधाकान्त डिगाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में बड़ी कम्पनियों को उत्पादन शुल्क में की गई कमी से होने वाले लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बारे में पता लगाने का कोई हिसाब-किताब रखा जाता है तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार को यह पता चला है कि 1985-86 में उत्पादन शुल्क में की गई कमी के तुरन्त बाद बड़ी कम्पनियों ने रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये हैं तथा यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि लाभ उपभोक्ताओं को मिले, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मौजूदा उत्पादन शुल्क कानून में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। जिसके तहत उत्पादन शुल्क्य माल के निर्माताओं से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा जा सके कि उत्पादन शुल्क में दी जाने वाली किसी भी राहत का लाभ पूर्णतया उपभोक्ताओं को पहुंचे। सरकार कीमतों पर निगरानी तो रखती है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि उत्पादन शुल्क ही केवल ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से कीमतों पर असर पड़ता है। उत्पादन शुल्क में कमी किये जाने के बावजूद भी कई अन्य कारण हैं जिनकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं ।

ग्रामीण विकास एवं रोजगार योजना के लाभार्थी

4775. **श्री आशुतोष लाहा :**

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की गई केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास और रोजगार योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों के बारे में हाल ही में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन का ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) वास्तविक लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन सिद्धांतों का पालन किया गया; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्यांकन के अनुसार सभी योजनाओं के लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का एक क्षेत्रीय अध्ययन किया है। जहाँ तक स्व-रोजगार योजना का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1984 में 15 विभिन्न राज्यों में लगभग 70 ऋणकर्ताओं की सीमित नमूने के आधार पर जांच की थी। वर्ष 1985 में 1200 लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या का नमूने के तौर पर दूसरा विस्तृत अध्ययन किया गया था और उसके परिणाम प्रक्रियाधीन हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष कुछ मामलों में अपात्र व्यक्तियों का वित्तपोषण किए जाने, निवेश की सफलता के लिये अत्यावश्यक आधारभूत सुविधाओं के अभाव, दुधारू पशुओं की खरीद जैसी कुछ योजनाओं में अधिक राशियों के दिये जाने के संबंध में हैं।

स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत दिये गये अग्रिमों की नमूना जांच की अपात्र व्यक्तियों को सहायता दिये जाने, ऋणकर्ताओं द्वारा परिसम्पत्तियों को खरीदे जाने, व्यापार के लिए अधिक

वित्तीय सहायता दिये जाने, व्यवहार्यता पर विचार किये बिना किसी एक विशेष इलाके में कुछ कार्यों का जमाव आदि जैसी त्रुटियों का पता चला है ।

(ग) और (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अध्ययन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में 16 जिलों (एक राज्य से एक जिला) का चयन किया था । इन जिलों में से प्रत्येक जिले में इस प्रकार दो खण्डों का चयन किया गया था कि एक खण्ड में कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन किया गया था और दूसरे में कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं था । इस अध्ययन के लिये कुल 869 कार्यालयों का चयन किया गया था । इस अध्ययन का उद्देश्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन की परिचालनात्मक कुशलता, ऋणों की उचित उपयोग की सीमा, आमदनी में वृद्धि के द्वारा लाभार्थियों को लाभ आदि का मूल्यांकन करना था । एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकित लाभार्थियों का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त ऋणर्ताओं का राज्यवार ब्यौरा ।

राज्य	संख्या
1. असम	46
2. बिहार	57
3. पश्चिम बंगाल	11
4. उड़ीसा	52
5. उत्तर प्रदेश	60
6. हरियाणा	60
7. जम्मू और कश्मीर	47
8. हिमाचल प्रदेश	60
9. राजस्थान	60
10. गुजरात	60
11. महाराष्ट्र	60
12. मध्य प्रदेश	60
13. आंध्र प्रदेश	60
14. कर्नाटक	60
15. तमिलनाडु	60
16. केरल	56
जोड़	869

बन्दरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

4776. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बन्दरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब लगाया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि बन्दरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद भी, इसे कारगर ढंग में लागू नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राय मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) 23 नवम्बर, 1977।

(ग) और (घ) बन्दरों के अवैध निर्यात के किसी मामले की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

परिवहन व्यवसाय के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

4777, **श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोग बस/ट्रक/टैम्पों जैसे वाहनों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं;

(ख) क्या उन्हें उक्त परिवहन व्यवसाय शुरू करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में ऋण देने वाले बैंकों के नाम तथा उनकी ब्याज की दर क्या है और इसके लिए क्या गारंटी ली जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) लघु सड़क और जल परिवहन परिचालकों को दिये जाने वाले अग्रिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अन्तर्गत आते हैं लेकिन इन परिचालकों के पास छः वाहनों से अधिक वाहन नहीं होने चाहिए जिनमें वित्त पोषित किये जाने वाला प्रस्तावित वाहन भी शामिल है। ऐसे पात्र ऋणकर्ता वाहन खरीदने के लिये अपने इलाकों में कार्यरत किसी राष्ट्रीयकृत बंक की शाखा से अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे अग्रिमों की ब्याज की दरें इस प्रकार हैं :—

(1) प्रस्तावित एक वाहन सहित अधिक से अधिक दो वाहनों के मालिक के लिए	12.5%
(2) उपर्युक्त एक के अतिरिक्त मामले	15.0%

बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे 25000 रुपये तक जिसमें यह रकम भी शामिल है, के ऋणों के लिए सांपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्षीय गारंटी की मांग न करें। 25000 रुपये से अधिक के ऋणों के लिए केवल ऐसे मामलों में अचल सम्पत्ति के रूप में सांपार्श्विक प्रतिभूति अथवा अन्य पार्टी की गारंटी की मांग की जा सकती है जिनमें मूल प्रतिभूति अपर्याप्त हो या उसके लिये कोई अन्य वैध हों और ऐसा हर मामले में नहीं किया जाता। ऐसे ऋण राजस्थान सहित देश के सभी बैंकों द्वारा दिये जाते हैं।

[अनुवाद]

कपड़ा उद्योग का विकास

4778. **श्री के० मोहनदास : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई उद्योग नीति के अन्तर्गत नए उद्योग स्थापित करने अथवा विद्यमान उद्योगों का विस्तार करने के बारे में स्थानीय प्रतिबन्ध केरल में विद्यमान अव्यावहारिक कताई एककों के विस्तार में बाधक हो रहे हैं;

(ख) क्या नई कपड़ा नीति की घोषणा करने के बाद उनके मंत्रालय द्वारा इस आधार पर ऐसे विस्तार के बारे में कोई आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार के प्रतिबन्धों से कपड़ा उद्योग के बिकास में रुकावट आयेगी तथा इस प्रकार नई कपड़ा नीति का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति का समाधान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) विद्यमान कताई एककों के विस्तार के लिये आवेदनों पर कताई क्षेत्र में नये लाइसेंस मंजूर करने के लिये विद्यमात नीति को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) मैसर्स कथाया काटन मिल्स, अलवाई, केरल से कताई क्षमता के विस्तार के लिये लाइसेंस हेतु एक आवेदन पत्र औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। अस्वीकरण के विरुद्ध उनकी अपील विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) कताई क्षेत्र में नये लाइसेंस जारी करने के लिए गाइड लाइन्स सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त कताई क्षमताओं की अस्थाई तौर पर पूर्वानुमानित आवश्यकताओं को और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं कि पिछली डिलाइसैंसिंग योजना के अन्तर्गत जारी किये गये वैध परमिट बड़ी संख्या में मौजूद हैं।

भारत द्वारा फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका में अपनी औद्योगिक क्षमता आदि के बारे में वाणिज्य प्रचार प्रारम्भ करना

4779. **श्री के० एस० राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका में वहां के लोगों को भारत की औद्योगिक क्षमता और उन देशों में महोत्सवों के संदर्भ में बेचे जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के सामान के बारे में जानकारी देने के लिये वाणिज्यिक प्रचार प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी हां। कार्यक्रम के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम आजमजाही मिल, वारंगल के श्रमिकों की मंजूरी में संशोधन

4780. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम, आजमजाही मिल, बारंगल के कर्मचारियों की मंजरी में संशोधन के लिये एक मंजूरी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) समिति का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) हालांकि केवल आजमजाही मिल वारंगल के लिए ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की गई है, यह पता चला है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश मिलों के वेतन, महंगाई भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों की जांच करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति स्थापित की है।

(ख) और (ग) चूंकि एन० टी० सी० के लिये भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की गई है, अतः इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का प्रश्न नहीं उठता।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

4781. **श्री राजपूजन पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज और धातु व्यापार निगम ने अपने कर्मचारियों को जनवरी, 1984 से 31 जुलाई, 1985 के दौरान (महीना-वार) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कितनी धन-राशि दी;

(ख) क्या सरकार का विचार खनिज और धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाने का है; और

(ग) चिकित्सा योजना की वर्तमान प्रणाली का दुरुपयोग रोकने के लिये खनिज और धातु व्यापार निगम के प्रबन्धकों द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है और उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) 1-1-84 से 31-7-85 तक की अवधि के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम के नई दिल्ली स्थित निगमित कार्यालय के कर्मचारियों के सम्बन्ध में चिकित्सा भुगतान पर किया गया महीना-वार व्यय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

	रुपये
जनवरी, 1984	2,64,020.71
फरवरी, 1984	60,691.93
मार्च, 1984	6,00,855.87
अप्रैल, 1984	11,513.80
मई, 1984	1,69,745.61
जून, 1984	2,09,515.80
जुलाई, 1984	2,00,083.97
अगस्त, 1984	2,28,335.48
सितम्बर, 1984	2,34,547.83

	रुपये
अक्तूबर, 1984	2,52,593.32
नवम्बर, 1984	3,52,674.53
दिसम्बर, 1984	2,51,967.69
जनवरी, 1985	2,83,134.43
फरवरी, 1985	2,17,022.57
मार्च, 1985	6,42,065.85
अप्रैल, 1985	20,654.59
मई, 1985	1,69,429.89
जून, 1985	1,84,183.73
जुलाई, 1985	2,47,559.81

वर्तमान योजना के अन्तर्गत एम० एम० टी० सी० के कार्यालय को डाक्टरों/कैमिस्टों द्वारा भुगतान के लिये बिल प्रस्तुत किये जाते हैं। तथापि, केवल अस्पताल में हुए इलाज और नैदानिक परीक्षणों पर हुए व्यय के मामले में कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी पर चिकित्सकीय व्यय पर नियंत्रण रखने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि चिकित्सकीय सुविधाओं का दुरुपयोग न हो, निम्नांकित उपाय किये गये हैं :

(क) दैनिक इलाज करने के लिये निगम के सभी कर्मचारियों से कहा जाता है कि वे अपनी पसन्द के दो अधिकृत मेडिकल अटेन्डेन्टों के नाम दे दें;

(ख) उन कर्मचारियों के मामलों की जिनके मेडिकल खर्चे निरन्तर रूप से अधिक हों, आवधिक समीक्षा की जाती है और उन पर उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है;

(ग) निगम के अनुदेशों का अनुपालन न करते पाए गये अथवा प्रत्यक्षत: अनियमितता बरतने वाले अधिकृत मेडिकल अटेन्डेन्टों के नाम समय-समय पर पैनल से समाप्त कर दिए जाते हैं; और

(घ) निगम अपने नियमों के अनुसार मेडिकल खर्चों सम्बन्धी बिलों की संवीक्षा करने में भी कड़ा नियन्त्रण रखता है।

नौवहन कम्पनियों को बैंकों द्वारा ऋण देना

4782. **श्री वेजवाड़ा पापी रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि कुछ बैंक कुछ नौवहन कम्पनियों को भारी ऋण दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1985 के अंत तक बैंकों द्वारा, बैंक-वार तथा कम्पनी-वार कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी गयी;

(ग) इस प्रकार का ऋण देने की क्या मुख्य शर्तें थीं;

(घ) ऋण भुगतान की निर्धारित अवधि क्या थी; और

(ङ) यदि शर्तों के अनुसार ऋण भुगतान न किया गया तो उसके क्या कारण हैं तथा उसकी वसूली के क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त गत 3 वर्षों के दौरान 4 भारतीय वाणिज्यिक बैंकों ने "नयी योजना के अन्तर्गत विदेशों से जहाज की खरीद" के अधीन जहाज खरीदने के लिए 10 नौवहन कम्पनियों को कुल मिलाकर 108.89 करोड़ रुपये के ऋण संवितरित किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 44 (1) और बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 (1) के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अलग-अलग कर्मचारियों के बारे में ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः बैंक, वार तथा कम्पनी-वार ब्यौरा नहीं बताया जा सकता।

(ग) और (घ) सरकार की उक्त योजना के अधीन संवितरित ऋण दो वर्ष के प्रारंभिक अधिस्थगन सहित 12 वर्ष की अवधि के लिए दिये गये थे। ये ऋण वितपोषक बैंक के पक्ष में नौवहन विकास निधि समिति की गारन्टी पर दिया गया था। नौवहन कम्पनियों से इन ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज की प्रभावी दर 7.5% है। इन ऋणों की वापसी अदायगी प्रारंभिक अधिस्थगन की दो वर्ष की अवधि के बाद छमाही किश्तों में की जानी है।

(ङ) नौवहन उद्योग में विश्वव्यापी मंदी के कारण नौवहन कम्पनियां लिये गये ऋणों के चुकाने में कुछ वित्तीय कठिनाइयां महसूस कर रही हैं और इसलिए उन्हें इन ऋणों की वापसी अदायगी में कुछ राहत प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

4783. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए देश में कुछ सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का महाराष्ट्र में कुछ और लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आंध्र प्रदेश में यूरेनियम और अन्य धातुओं की गवेषणा

4784. **श्री बी० एच० विजयकुमार राजू** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में "यूरेनियम" और अन्य दुर्लभ धातुएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जिलों में यूरेनियम और अन्य दुर्लभ धातुओं का पता चला है; और

(ग) उनकी गवेषणा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के महबूबनगर, नालगोंडा, नेलोर तथा प्रकाशन जिलों में यूरेनियम तथा अन्य भारी खनिजों का पता चला है।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने नए लक्षित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए बहुयोगीय प्रविधि अपना कर आरोमोहित नरेंगा तथा गवेषण कार्यक्रमों को विस्तृत कर दिया है। जमीनी सर्वेक्षणों तथा भूरासायनिक और भूभौतिकीय तरीकों के अलावा, इस प्रयोजन हेतु हवाई गामा स्पेक्ट्रम मापी और चुम्बकीय सर्वेक्षणों तथा रिमोट सेंसिंग तरीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है।

[**हिन्दी**]

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में कमजोर वर्गों को ऋण दिया जाना

4785. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष घटक योजना के अंतरित कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों और निर्धनों के लिए बनाई गयी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गारंटी के बिना ऋण देने के अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये अनुदेश कब जारी किए गए थे;

(ग) कितने बैंकों ने गारंटी पर जोर दिए बिना उक्त अनुदेशों के अंतर्गत ऋण दिए हैं तथा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में प्रत्येक वर्ग के कितने लाभार्थियों को ऋण दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विशेष संघटक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम अलग से कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं। अलबत्ता भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्गों के अंतर्गत सभी श्रेणियों के ऋण-कर्ताओं के संबंध में उदार मार्जिन और जमानत की शर्तों के विषय में बैंकों को समय-समय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को कृषि क्षेत्र में 5 हजार रुपए तक के छोटे ऋणों और अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में 25 हजार रुपए तक के ऋणों के लिए सांपार्श्विक जमानत या अन्य पार्टी की गारंटी पर जोर नहीं देना चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान सूचना पद्धति से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, जून, 1984 के अंतिम शुक्रवार के दिन, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की कुल राशि 33.19 करोड़ रुपए थी।

[**अनुवाद**]

आयात तथा निर्यात मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध पकड़े गए अनियमितताओं के मामले

4786. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात तथा निर्यात मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं/नियमों और विनियमों के उल्लंघन के मामले पकड़े हैं;

(ख) ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के ब्यौरे, अनियमितताओं तथा नियमों और विनियमों के उल्लंघन का स्वरूप तथा अन्य सम्बन्धित ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे सभी कार्मिकों के विरुद्ध मुकदमे चलाये हैं तथा विभागीय जांच की है;

(घ) अब तक चलाये गये मुकदमों की, की गई विभागीय जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) यदि कोई जांच नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) 1-1-83 से 30-6-85 तक की अवधि के दौरान अनियमितता सम्बन्धी 55 मामलों का पता लगाया गया है जिनमें 37 कर्मचारी और 37 अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं। इनमें 14 ऐसे मामले हैं जिनमें 7 कर्मचारी और 13 अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं, जिनमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी भी जांच की जा रही है ।

(ग) 7 मामलों में अभियोजन स्वीकृतियां दी गई थीं और इन मामलों पर न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं। इनमें 9 कर्मचारी और 1 अधिकारी अन्तर्ग्रस्त है। 21 मामलों में विभागीय कार्यवाहियाँ चल रही हैं अथवा पूछताछ चल रही है जिसमें 18 कर्मचारी और 14 अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं ।

(घ) और (ङ) 13 मामलों में मान्य अर्थदण्ड लगाए गये हैं जिनमें 8 कर्मचारी और 9 अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं ।

बड़े व्यापार घरानों की ओर बकाया कर की राशि

4787. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर वंचकों के प्रति हाल में कोई ढील न बरतने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1985 तक पता लगाये गये उन बड़े व्यापारिक घरानों का ब्यौरा क्या है, जिनके विरुद्ध एक करोड़ और उससे अधिक की राशि बकाया है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) उन करदाताओं को कुल कितनी धनराशि अदा करनी है, जिनके विरुद्ध एक करोड़ या उससे अधिक की राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार कर-अपवंचकों के प्रति कभी भी उदार नहीं रही है। कर अपवंचकों तथा कर चूककर्ताओं के विरुद्ध कानून के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के तहत पंजीकृत (31-12-1984 पर आधारित) जिन औद्योगिक घरानों की तरफ 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध सूचना)

एक करोड़ रुपये से अधिक राशि की आय-कर मागें बकाया थीं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार जिन कर-निर्धारितियों की ओर एक करोड़ रुपए से अधिक राशि की मांगें बकाया थीं, उनके द्वारा 664.59 करोड़ रुपये की अदायगी की जानी थी।

विवरण

क्रम सं० औद्योगिक गृहों के नाम

1. ए० सी० सी० विकर्स बैबकॉक लि०
2. ए० सी० सी० लि०
3. बजाज ऑटो लि०
4. आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि०
5. सेंचुअरी स्पिनिंग एंड मैन्यू० कं० लि०
6. हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कार्पो० लि०
7. जीयाजी राव कॉटन मिल्स लि०
8. केशोराम इंडस्ट्रीज एंड कॉटन मिल्स लि०
9. मैसूर सीमेंट्स लि०
10. जुआरी एग्रो केमिकल्स लि०
11. एस्कॉर्ट्स लि०
12. एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर लि०
13. जे० के० सिंथैटिक्स लि०
14. रेमंड वूलन मिल्स लि०
15. स्ट्रॉ प्रॉडक्ट्स लि०
16. कमानी इंजी० कार्पो०
17. लॉर्सन एंड टूब्रो लि०
18. मोदी इंडस्ट्रीज लि० (भूतपूर्व मोदी शूगर मिल्स लि०)
19. मोदी रबड़ लि०
20. कार्बोरंडम् यूनिवर्सल लि०
21. नेशनल रेयान कार्पो० लि०
22. साउथ इंडिया विस्कोस लि०
23. उड़ीसा सीमेंट लि०
24. भारत स्टील ट्यूब्स
25. सिन्बायोटिक्स लि०
26. जे० इंजी० वर्क्स लि०
27. डी० सी० एम० लि०
28. धारांगधर केमिकल वर्क्स लि०
29. स्वेन मिल्स लि०
30. मैसूर वाइन प्रॉडक्ट्स लि०
31. स्वदेशी पॉलिटेक्स लि०

भारतीय तम्बाकू कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही रोकने के लिए स्थगन आदेश

4788. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तम्बाकू कम्पनी के विरुद्ध अदालती कार्यवाही को रोकने और/या आगे कार्यवाही करने के विरुद्ध अभी लागू स्थगन आदेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त आदेशों के निरस्त कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार ने भारतीय तम्बाकू कम्पनी से बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि सेवा केन्द्रों के नाम बकाया बैंक ऋण

4789. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कृषि सेवा केन्द्रों के नाम अग्रिम ऋणों की कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय में 1981 में मध्य प्रदेश एग्रो इन्टरप्राइजेज एसोसिएशन की ओर से दायर की गई रिट याचिका पर प्राप्त सामान्य स्थगन आदेशों के कारण इस धनराशि को वसूल करना संभव नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस स्थगन आदेश को रद्द नहीं किया गया है क्योंकि मंत्रालय उच्चतम न्यायालय में इन केन्द्रों को चालू करने की योजना को प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार रिट याचिका को शीघ्र रद्द करवाने के लिये प्रयास करने का है, ताकि केन्द्र के नाम ऋण की जो भारी राशि बकाया है, उसे वसूल किया जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) मौजूदा आंकड़ा सूचना पद्धति से प्रश्न में पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। एग्रो सर्विस एन्त्रेप्रोन्योर्स ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि सरकार ने इस स्कीम के तहत किये वायदे पूरे नहीं किये। एन्त्रेप्रोन्योर्स की ओर से उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई एक पुनरुद्धार स्कीम पर सरकार द्वारा विचार किया गया और उच्चतम न्यायालय को यह बता दिया गया कि याचिका पर गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाये।

बैंकों में धोखाधड़ी

4790. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** :

श्री विष्णु मोदी : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में धोखाधड़ी के मामले में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि इन मामलों की जांच करना केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्य का लगभग मुख्य भाग बन गया है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक वर्ष में पंजीकृत मामलों की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) इस प्रकार के अधिकतम मामले किस राज्य में हुये और इस धोखाधड़ी में किन श्रेणियों के लोग शामिल थे;

(घ) क्या बैंकों में इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामले को रोकने के लिये सरकार का विचार कोई विधान लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह बताया है कि गत 5 वर्षों में ब्यूरो द्वारा पंजीकृत राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामलों की संख्या में 1980 में वृद्धि हुई है। वर्ष, 1980 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पंजीकृत कुल मामलों की तुलना में ऐसे मामलों की संख्या लगभग 19% थी जो 1984 में बढ़कर 26% हो गई।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह बताया है कि 1984 के दौरान उसने बैंकों की धोखाधड़ियों से सम्बद्ध 286 मामले दर्ज किये थे। ये संख्या वर्ष के दौरान ब्यूरो द्वारा पंजीकृत किये गये कुल मामलों की लगभग 24% है। उस वर्ष सबसे अधिक संख्या में मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किये गये थे जिनकी संख्या 43 है। धोखाधड़ियों के अधिकांश मामलों में सम्बद्ध बैंकों के शाखा प्रबन्धक और प्राइवेट पार्टियां जो बैंकों की ग्राहक होती हैं, शामिल होते हैं। इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति		
	अधिकारी	एवार्ड स्टाफ	प्राइवेट पार्टियां
286	344	87	241

(घ) से (च) फिलहाल सरकार ऐसे किसी विशेष विधान को लाने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। धोखाधड़ियों के मामलों से निपटने के लिये मौजूदा कानूनी उपबन्ध पर्याप्त हैं।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों की भारत में विभिन्न कम्पनियों में निवेश करने की इच्छा

4791. **श्री बी० बी० रामैय्या** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि अनिवासी भारतीयों ने भारत में विभिन्न कम्पनियों में अपनी बचत की राशि लगाने की उत्कृष्ट इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रस्तावित निवेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे भारतीय उद्यमी कहां तक प्रभावित होंगे; और

(घ) भारतीय उद्यमियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत में निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों ने काफी अच्छा उत्साह दिखाया है ।

(ख) भारतीय राष्ट्रिकता/मूल के अनिवासियों और ऐसे समुद्रपारीय निगमित निकायों को जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत तक उनका मालिकाना हक हो, उपलब्ध निवेश सुविधाओं की अप्रैल, 1982 के बाद की अवधि की स्थिति, जिसकेआंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं—

	राशि (करोड़ रुपये)
(क) **सीधा निवेश** (30-6-1985 तक)	315.96
(ख) **पोर्टफोलियों निवेश** स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से वास्तव में खरीदे गए शेयर/ऋणपत्र (31-3-1985 तक)	46.87
(ग) **बैंक निक्षेप** बकाया शेष राशियां (31-5-1985 तक)	3968.64

(ग) और (घ) पोर्टफोलियों निवेश योजना के अन्तर्गत, प्रत्यावर्तन और अप्रत्यावर्तन दोनों ही आधारों पर, समस्त पात्र अनिवासी निवेशकर्ताओं द्वारा किसी एक कम्पनी के सामान्य शेयरों/परिवर्तनीय ऋणपत्रों की प्रत्येक शृंखला के कुल चुकता मूल्य के 5 प्रतिशत अंश तक किसी अनिवासी निवेशकर्ता द्वारा पूंजी का निवेश कर सकने के सम्बन्ध में निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत रहते हुए, किसी एक कम्पनी के सामान्य शेयरों/परिवर्तनीय ऋणपत्रों के चुकता मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर तक के अंश की खरीद कर सकने की जो सीमा निर्धारित की गई है, वह कम्पनी के प्रबन्ध को हथिया लेने की कोशिशों की किसी भी आशंका से बचाव करने के लिए ही की गई है । जहां तक सीधे निवेश की स्कीमों के अन्तर्गत अनिवासी निवेश का सम्बन्ध है, अनिवासी भारतीयों को भारतीय कम्पनियों की वर्तमान प्रबन्धकों की सहमति से शेयर जारी किये जाते हैं । इसलिये भारतीय व्यापारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिये कदम उठाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

भारतीय फर्मों द्वारा अमरीका में बसने वाले उग्रवादियों के साथ सम्पर्क रखने वाले हितधारियों से विस्फोटक रसायनों का अर्जन

4792. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**
श्री वी० तुलसी राम :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जितेन्द्र सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी देशों के समाचार पत्रों में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कुछ भारतीय फर्में अमरीका आदि में बसे उग्रवादियों के साथ सम्पर्क रखने वाले हितधारियों से अति विस्फोटक रसायन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त भारतीय फर्मों के नाम और अन्य ब्यौरे क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

आयकर विभाग द्वारा कम्प्यूटरों की खरीद

4793. **श्री सोमजीभाई डामर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग ने कर्मचारी संघों के साथ परामर्श करके कम्प्यूटर प्रणाली का विकास करने हेतु समुचित तैयारी किये बिना ही एक करोड़ रुपये के मूल्य के कम्प्यूटर खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अब सरकार को कर्मचारी संघों तथा एसोसिएशनों के साथ परामर्श करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस सम्बन्ध में कुछ संघों के साथ बातचीत हुई है, लेकिन जो अनिर्णायक रही है ।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा छोटे कृषकों को वितरण हेतु दी गई धनराशि को सहकारी भूमि बंधक बैंक द्वारा जमा किया जाना

4794. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल में केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक ने राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केरल में छोटे किसानों को वितरण हेतु उसे दी गई 5.35 करोड़ रुपये की राशि ब्याज प्राप्त करने हेतु दो वाणिज्यिक बैंकों में जमा कर दी और कृषकों को वितरित नहीं की;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस धनराशि का कृषकों को वितरण करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अंशदान प्रतिपूर्ति वित्त रूप में किया जाता है और यह राशि भूमि विकास बैंकों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर पहले से ही उधार दी गई रकमों की द्योतक होती है । पुनर्वित्त की यह राशि भूमि विकास बैंकों के संस्थानों के पूल में चली जाती है और इस प्रकार यह अलग-अलग करना और पता लगाना मुश्किल है कि किसी एक विशेष खाते में भूमि विकास बैंकों द्वारा निवेश की गई रकम सारी की सारी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से पुनर्वित्त के लिये ली

गई राशि से संबंधित है। बैंक के पास अन्य साधन भी होते हैं जैसे शेयर पूंजी, मुक्त प्रारक्षित नीति और वापसी अदायगियों के लेखे ऋणकर्त्ताओं से प्राप्त राशि।

लेकिन मई 1985 में यह सूचना प्राप्त होने पर कि केरल सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक ने 5.35 करोड़ रुपये की राशि मांग जमा राशियों के रूप में दो बैंकों के पास जमा करवा रखी है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने मामले की छानवीन की थी। जांच करने पर यह पता चला कि बैंक के पास कुछ अस्थाई किस्म की राशि थी जो उसने वाणिज्यिक बैंकों में मांग जमा राशियों के रूप में जमा करवाई थी। केरल के सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने इस निवेश का कार्योत्तर अनुमोदन कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह पता लगाया है कि 20 जून, 1985 तक दोनों वाणिज्यिक बैंकों से सारी जमा राशि निकलवा ली गई थी।

भारतीय तम्बाकू कम्पनी के विरुद्ध निर्णय के लिए लम्बित पड़े मामले

4795. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **वित्त मंत्री** भारतीय तम्बाकू कम्पनी के विरुद्ध निर्णय के लिए लम्बित पड़े मामलों के बारे में दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2902 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर और सीमा शुल्क के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मैसर्स आई०टी०सी० लिमिटेड के खिलाफ आयकर और सीमा शुल्क से संबंधित कोई न्याय-निर्णयन कार्रवाई अन्तिम रूप दिए जाने के लिए बकाया नहीं पड़ी है।

यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया द्वारा पुरलिया की लोकवृत्ति सोसायटी को ऋण का मंजूर किया जाना

4796. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1972 में यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया द्वारा पुरलिया जिले के किसानों को ऋण देने के लिए पुरलिया जिले की लोकवृत्ति सोसायटी को बहुत बड़ी धनराशि का ऋण मंजूर किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि समस्त धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है और उसका दुर्विनियोग किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का इस धोखाधड़ी की जांच आरम्भ करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13(1) और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 के अनुसार सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक से अपने ग्राहकों अथवा अपने ग्राहकों के कार्यों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्रकट करने की अपेक्षा नहीं की जाती। लोकवृत्ति सोसायटी एक अलग खाताधारी होने के नाते, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया का ग्राहक है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

4797. **श्री बी०एन० रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में पंजीकृत कुछ कम्पनियां कुछ विदेशी कम्पनियों से कमीशन अर्जित कर रही हैं और उससे होने वाली विदेशी मुद्रा की आय को स्विट्जरलैंड के बैंकों तथा अन्य विदेशी बैंकों में जमा कराया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप भारत इसे अपनी विदेशी मुद्रा आय के रूप में लेखा में शामिल करने से वंचित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो आमतौर पर ऐसा करने वाली कम्पनियों का क्या ब्यौरा है तथा क्या वे इसके बारे में सरकार को अवगत कराते हैं; और

(ग) यदि सरकार को इस संबंध में अवगत नहीं कराया जाता है तो क्या यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के उपबंधों के अन्तर्गत भारत में कम्पनियों/फर्मों को उनके द्वारा विदेशी कम्पनियों से कमीशन के रूप में अर्जित किसी विदेशी मुद्रा को भारत में लौटाना अपेक्षित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उसे भारत से बाहर रोके रखना अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करना है। यदि कमीशन को अनधिकृत रूप से विदेश में रोके रखने का कोई मामला जानकारी में आता है तो अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जाती है। भारत में पंजीकृत किसी कंपनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान स्विस बैंक अथवा दूसरे विदेशी बैंकों में कमीशन को अनधिकृत रूप से रोके रखने का कोई मामला प्रवर्त्तन निदेशालय की जानकारी में नहीं आया है।

राज्यों से या विदेशी बैंकों से ऊंची दर पर ब्याज लेना

4798. **श्री अनिल बसु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी ऋणों पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से, उसके द्वारा विदेशी ऋणदाताओं को दिये जाने वाली ब्याज की दर से अधिक दर पर ब्याज लेती है;

(ख) क्या राज्य सरकारों के लिए ऐसे ऋण की वापसी की निर्धारित अवधि केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी ऋणदाता के साथ तय की गई अवधि से कम होती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार आयोजना का वित्तपोषण करने के लिए और राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बहुत से स्रोतों से धन जुटाती है; विदेशी ऋण ऐसा केवल एक स्रोत है। केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए आन्तरिक ऋणों में से सबसे अधिक लम्बी परिपक्वता अवधि वाले बाजार ऋणों की ब्याज दर 11.5 प्रतिशत और विशेष जमाओं की ब्याज दर 11 प्रतिशत है। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों के ब्याज की दर भी लगभग 9 प्रतिशत है।

राज्य सरकारों को उनकी आयोजनागत योजनाओं के लिए दिये गये ऋणों पर उनसे 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है। मूलधन की वापसी-अदायगी और ब्याज

की अदायगी समय पर करने पर 1/4 प्रतिशत की छूट दी जाती है। राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता (जिसमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये सहायता भी शामिल है) केवल ऋणों के रूप में ही नहीं दी जाती है। सामान्यत: 30 प्रतिशत सहायता सीधे अनुदानों के रूप में और 70 प्रतिशत सहायता ऋणों के रूप में दी जाती है। यदि अनुदान के रूप में दी जाने वाली सहायता के अंश को हिसाब में लिया जाए, तो ब्याज की प्रभावी दर 8 प्रतिशत से भी कम बैठेगी।

जहां तक वापसी अदायगी का सम्बन्ध है, आयोजनागत योजनाओं के लिए राज्यों को दिये जाने वाले सभी ऋण 15 वर्षों में वसूल किये जाने होते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के ऋण-भार में समय-समय पर राहत दी जाती है।

दिल्ली से बाहर दियासलाइयों के निर्यात करने में राजस्व की चोरी

4799. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से पड़ोसी राज्यों को प्रतिदिन भारी मात्रा में दियासलाइयों का निर्यात करने में सरकार को करोड़ों रुपये के बिक्री और आयकर जैसे इसके राजस्व में धोखा दिया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में दियासलाइयों पर कोई बिक्री कर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो राजस्व की इस चोरी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या दिल्ली में दियासलाइयों पर बिक्री कर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिल्ली में बिक्री कर प्राधिकारियों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि दिल्ली से भारी मात्रा में हस्त-निर्मित माचिसों को, जिन पर स्थानीय बिक्री कर नहीं लगाया जाता है, पड़ोसी राज्यों को भेजा जा रहा है। आयकर अधिकारियों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि हाल ही में प्रशासन को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

'बोगस बैंक लोन केसिज डिटेक्टेड' (जाली ऋणों का पता लगाना) शीर्षक से समाचार

4800. **श्री थम्पन थामस :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 21 जून, 1985 के 'इक्नामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुए 'बोगस बैंक लोन केसिज डिटेक्टेड' (जाली बैंक ऋणों का पता लगाना) शीर्षक के अन्तर्गत समाचार पढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने ऋण जारी करने वाले बैंक मैनेजर तथा कमीशन एजेन्ट के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हां। ये आरोप मुख्यत: फसल ऋण देने से संबंधित धोखाधड़ियों से हैं। समाचार में किसी बैंक विशेष या ऋण-

कर्ता का जिक्र नहीं किया गया है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक से मामले की जांच करने के लिए कह दिया गया है।

"बैंक हैल्पस् स्विण्डल अदर बैंक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4801. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय :**

श्री मुरलीधर माने : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 21 जुलाई, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "बैंक हेल्पस स्विण्डल अदर बैंक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) केनरा बैंक, कोलाबा शाखा, बंबई और देश के अन्य भागों में कार्यरत उसकी अन्य शाखाओं के उन अधिकारियों का विवरण क्या है जिन पर इस मामले में शामिल होने का कथित आरोप है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस संबंध में कोई टिप्पण भेजा था; और

(ङ) यदि हां, तो कब और भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक से उक्त टिप्पण प्राप्त करने के बाद क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स इंटरकार्प एसोसिएट्स और मैसर्स शक्तिमान एंटरप्राइसेज को केनरा बैंक की बंबई (कोलाबा) शाखा में कुछ हुंडियों को भुनाने की सीमाएं स्वीकार की गई थीं और ये हुंडियां इनकी सहयोगी कंपनी बंगलौर स्थित इन्वेस्टमेंट्स एण्ड वेंचर्स कन्सालिडेटिड की थीं। ये हुंडियां भारतीय स्टेट बैंक की बंगलौर (शिवाजी नगर) शाखा द्वारा सह-स्वीकार की गई थीं। ये हुंडियां जून, 1984 में भुनाई गईं। जब ये हुंडियां दिसम्बर, 1984 में परिपक्व हुईं तब नई हुंडियां भुना ली गईं और पुरानी हुंडियां समायोजित कर ली गईं। फरवरी, 1985 में बंगलौर से प्राप्त राशि में से परिपक्वता से पूर्व सभी हुंडियों की रकम अदा कर दी गई। फिलहाल इस यूनिट के नाम बंबई (कोलाबा) स्थित केनरा बैंक की कोई देनदारी नहीं है। लेकिन, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इन खातों की स्वीकृतियों और परिचालन में गम्भीर अनियमितताएं हैं।

मैसर्स इंटरकार्प एसोसिएट्स और मैसर्स शक्तिमान एंटरप्राइसेज के खातों के लेन-देन भारतीय स्टेट बैंक की बंगलौर (शिवाजी नगर) शाखा के 3.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के साथ जुड़े हैं। मैसर्स इंटरकार्प एसोसिएट्स का उस शाखा में चालू खाता था और शाखा प्रबंधक इस खाते में अनधिकृत रूप से बड़ी-बड़ी रकमों के चैक खरीदता था। फरवरी, 1985 में शाखा प्रबंधक ने पार्टी से ओरिएन्टल बैंक आफ कोमर्स, नई दिल्ली के कुल 3.50 करोड़ रुपये के सात चैक खरीदे लेकिन ये चैक एक मुस्त रूप में लौटा दिए गए और शाखा पर 3.50 करोड़ रुपये की रकम का बोझ आ पड़ा। पार्टी से खरीदे गये उपर्युक्त चेकों की राशि से कैनरा बैंक की बंबई (कोलाबा) शाखा की देनदारियों को बंगलौर (लेंगफोर्ड टाउन) शाखा के माध्यम से बराबर किया गया। मई 1985 के अन्त में भारतीय स्टेट बैंक की बंगलौर (शिवाजी नगर) शाखा में

पार्टी के नाम 356.47 लाख रुपये की रकम बकाया थी। भारतीय स्टेट बैंक ने शाखा के प्रबंधक और लेखाकार को निलंबित कर दिया है। बैंक ने स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज करा दी है। केनरा बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह कहा है कि उसे इन लेन-देनों की जिम्मेदारी तय करने के लिए स्टाफ पक्ष की जांच करने के मामले का कोई कारण नजर नहीं आता क्योंकि इन लेन-देनों में कोई चूक नहीं हुई और उसके अग्रिमों की पूरी रकम वसूल हो गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी बंगलौर (शिवाजी नगर) शाखा में 3.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की सूचना दी है। भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त सूचना पर भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च-अप्रैल, 1985 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की बंगलौर (शिवाजी नगर) शाखा और कैनरा बैंक की बंगलौर (लेंगफोर्ड टाउन) तथा बंबई (कोलाबा) शाखाओं में संबंधित खातों की जांच की। जांच के दौरान नोट की गई अनियमितताओं को बैंकों को बता दिया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मैसर्स इंटरकार्प एमोसिएट्स से संबद्ध कंपनियों के साथ लेन-देन के बारे में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सचेत कर दिया है।

विभिन्न समितियों के अनुसार काले धन का अनुमान

4802. **श्री गदाधर साहा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न समितियों, आयोगों, आयोगों तथा विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 1953-54, 1968-69, 1976-77, 1978-79 और 1980-84 के दौरान वर्षवार भारत में काले धन का वर्तमान अनुमान क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : प्राक्कलन समिति (1980-81—सातवीं लोकसभा) ने सिफारिश की थी कि सरकार भारत में काले धन का अनुमान लगाने के लिए प्रयास करे। तदनुसार, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान ने निम्नलिखित वर्षों में काले धन के निम्नलिखित अनुमान लगाए हैं :

वर्ष	अवैध आय की सीमा (रुपए करोड़ों में)	सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता
1975-76	9958 से 11870	15 से 18
1980-81	20362 से 23678	15 से 18
1983-84	31584 से 36786	18 से 21

तथापि, उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके परिणाम अनेक धारणाओं और अनुमानों पर आधारित हैं, जिनमें से हर एक को चुनौती दी जा सकती है।

भारत से विदेशी बैंकों में भेजी जाने वाली राशि

4803. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत से विदेशी बैंकों में भेजी जाने वाली राशि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पिछले तीन वर्षों का वर्ष-वार विवरण क्या है;

(ग) क्या भारत स्थित विदेशी बैंक पूंजी के बाहर भेजे जाने में सहायता कर रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार स्विट्जरलैण्ड के बैंकों के साथ भारतीय नागरिकों के वहां के बैंकों में खोले गए खातों की जानकारी देने के लिए बातचीत करने का है, जैसा कि फ्रांस और अमेरिका ने किया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यद्यपि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विनियमनों के उल्लंघन के मामले समय-समय पर नजर आते रहते हैं और उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है, तथापि भारत से विदेशों को तथा विदेशी बैंकों को इस प्रकार से धनराशियां भेजे जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों के विदेशी मुद्रा लेन-देनों तथा प्रचालनों पर कड़ी निगरानी रखता है और अवैध अन्तरणों को रोकने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए यथावश्यक कदम उठाए जाते हैं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

(घ) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

वांचू समिति और राष्ट्रीय वित्त और नीति संस्थान के सुझावों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव

4804. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काले धन के सम्बन्ध में हाल ही में जारी किये गये प्रतिवेदन में काले धन के चलन पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए सुझाव दिया गया है;

(ख) क्या वांचू समिति के सुझाव को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार किसी भी प्रकार के स्वैच्छिक प्रकटन की प्रथा को समाप्त करने का है; और

(ग) क्या वांचू समिति और राष्ट्रीय वित्त तथा नीति संस्थान के सुझावों को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को "भारत में अवैध अर्थव्यवस्था के पहलू" पर राष्ट्रीय वित्त एवं नीति संस्थान की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है। यह रिपोर्ट अब एक सहज सुलभ प्रलेख है। रिपोर्ट की विषय वस्तु अब गोपनीय नहीं रही है।

(ख) सरकार इस समय स्वैच्छया प्रकटन की किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) वांचू समिति के सुझावों पर विचार करके उन्हें व्यवहार्य सीमा तक लागू किया जा चुका है। जहां तक राष्ट्रीय वित एवं नीति संस्थान के सुझावों को लागू करने का प्रश्न है, रिपोर्ट पर सार्वजनिक विचार-विमर्श पूरा होने और सुझाव प्राप्त होने के बाद विचार किया जायेगा।

उड़ीसा में धनमंडल जूट मिल को घाटा

4805. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा में धनमण्डल जूट मिल, जिसमें राष्ट्रीय कृषि महासंघ का अंश है, को घाटा हो रहा है और अब वह बन्द होने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के इस पटसन मिल को बन्द होने से बचाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं ?

पूर्ति और और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) यह समझा जा रहा है कि माननीय सदस्य कोनार्क जूट मिल लि०, धनमण्डल (उड़ीसा) का संदर्भ दे रहे हैं जो कि राज्याधीन उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का संयुक्त उद्यम है। पता चला है कि यह मिल उस वर्ष से नुकसान में जा रही है जब 1979 से इसमें उत्पादन कार्य आरम्भ किया गया और इस तरह यह वित्तीय संकट का सामना कर रही है। मिल लगभग 70 प्रतिशत की क्षमता पर कार्य कर रही है। इसे क्षमतायुक्त बनाने एवं चलाने हेतु आवश्यक राहत एवं सहायता के लिए मिल कम्पनी द्वारा वित्तीय संस्थान और बैंकों से सम्पर्क स्थापित किया गया है।

क्षतिग्रस्त आयातित मशीनों का मूल्य तथा प्योर ड्रिंक्स, मोहन मशीन्ज और क्राउन कम्पनी के लिये दिये गये आयात लाइसेंस

4806. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नवम्बर, 1984 में हुए दंगों के शिकार हुए अन्य लोगों पर लागू होने वाले नियम प्योर ड्रिंक्स पर क्यों लागू नहीं किये जाते;

(ख) क्षतिग्रस्त हुई आयातित मशीनों का मूल्य कितना है और प्योर ड्रिंक्स, मोहन मशीन्स और क्राउन कम्पनी को कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं; जिन्होंने 4.10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के आयात लाइसेंस प्राप्त किये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) दंगों में क्षतिग्रस्त मशीनों के आयात के लिये जो नियम दिल्ली में नवम्बर, 1984 में हुए दंगों के अन्य पीड़ितों के लिये लागू हैं, वही नियम मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० के लिये लागू किये गये।

(ख) जानकारी विवरण 1 में संलग्न है।

(ग) नाम विवरण 2 में दिये गये हैं।

विवरण-1

फर्मों के नाम, नवम्बर, 1984 के उपद्रवों में क्षतिग्रस्त आयातित मशीनों के मूल्य तथा जारी किये गये आयात लाइसेंसों के मूल्य बताने वाला विवरण।

फर्म का नाम	क्षतिग्रस्त आयातित मशीनरी का मूल्य शुल्क सहित, जैसा कि फर्मों द्वारा बताया गया।	जारी किये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य
1. मै० प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि०, नई दिल्ली।	21 लाख रु०	2,40,00,000 रु०
2. मै० मोहन मैकिन्स लि०, नई दिल्ली।	7 लाख रु०	65,00,000 रु०
3. मै० कोल क्राउन कोर्क्स प्रा० लि० नई दिल्ली।	9 लाख रु०	70,00,000 रु०
4. मै० सी जय क्राउन कोर्क्स मैन्यू० कं० प्रा० लि०, नई दिल्ली।	8 लाख रु०	60,00,000 रु०

विवरण-2

जिन फर्मों की मशीनरी नवम्बर, 1984 के उपद्रवों में क्षतिग्रस्त हो गई तथा जिनको दस लाख रुपये से अधिक के आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं उनके नाम दर्शाने वाला विवरण।

1. मै० प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि०, नई दिल्ली।
2. मै० मोहन मशीन्स लि०, नई दिल्ली।
3. मै० कोल क्राउन कोर्क्स प्रा० लि०, नई दिल्ली।
4. सी जय क्राउन कोर्क्स मैन्यू० कं० प्रा० लि०, नई दिल्ली।
5. मै० दिल्ली कलर्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।
6. मै० कपूर एयर प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, दिल्ली।

हथकरघा उद्योग को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय

4807. **श्री हरिहर सोरन : पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों के हथकरघा उद्योग को बढ़ाने के लिये प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए 1984-85 और 1985-86 में आवंटित राशि कितनी है;

(ग) इन वर्षों में उड़ीसा और अन्य राज्यों में हथकरघा उत्पादन में लगे कारीगरों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में हथकरघा उद्योग को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि अधिकांश हथकरघा विकास योजनाएं केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतियोगी सहायता के आधार पर क्रियान्वित की जाती हैं अतः केन्द्रीय सहायता के भाग की रिलीज राज्य सरकारों द्वारा रिलीज की जाने वाली निधियों की वास्तविक मात्रा पर निर्भर करती है। अतः वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उनके द्वारा की गई रिलीजों के आधार पर दी जाती है। 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों को रिलीज की गई वास्तविक राशियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1985-86 के लिये तत्सम्बन्धी आंकड़े इस वित्तीय वर्ष के अन्त में ही उपलब्ध होंगे।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों में हथकरघा उत्पादों में कार्यरत कलाकारों को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिये जाते हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा, बुनकरों सहित मुख्य शिल्पियों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार देने सम्बन्धी एक योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) सहकारी संस्थाओं और राज्य हथकरघा विकास निगमों के संगठनात्मक ढांचे द्वारा हथकरघा बुनकरों के विकास सम्बन्धी प्रमुख भाग 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने

का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जैसी कि जून, 1985 की राष्ट्रीय वस्त्र नीति में व्यवस्था की गई है, इन बातों पर अधिक बल दिया जायेगा—करघों का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी का अन्तरण, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम आदि के प्रचालनों द्वारा उचित कीमतों पर कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता, मिश्रित तथा ब्लेंडेड फैब्रिकों का उत्पादन प्रोत्साहित करना, नए आरक्षण अधिनियम के उपबन्ध कड़ाई से लागू करना, समुचित वित्तीय उपायों द्वारा विद्युतीकरघों की अपेक्षा हथकरघों पर लागत प्रतिबन्ध समाप्त करना, 7वीं योजना के अन्त तक नियंत्रित कपड़े का सम्पूर्ण उत्पादन मिल क्षेत्र से हथकरघा क्षेत्र को अन्तरित करना, आंकड़ा आधार मजबूत करना तथा गणना करना, कार्यान्वयन हेतु मशीनरी मजबूत करना तथा हथकरघा कार्यक्रमों का मूल्यांकन, विपणन हेतु अवस्थापना का सुधार आदि। इनके अलावा, गैर-शोषणीय संगठनात्मक ढांचे के लिये हथकरघा बुनकरों की वचनबद्धता में वृद्धि और उनकी कार्य शर्तों में सुधार लाने के उद्देश्य से अंशदायी थ्रिफ्ट निधि योजना तथा वर्कशेड सह-आवास योजना जैसे कतिपय कल्याणकारी उपाय भी आरम्भ किये गये हैं।

विवरण

1984-85 के दौरान हथकरघा विकास हेतु राज्य-वार केन्द्रीय सहायता

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राइमरी सोसायटियों को शेयर-पूंजी	शीर्ष सोसायटियों को शेयर पूंजी	प्रबन्धकीय उपदान	आधुनिकीकरण	संसाधन	राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर-पूंजी	निर्यात उत्पादन परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	—	55.00	—	—	—	—	—
2.	असम	—	—	—	—	—	—	—
3.	बिहार	11.00	18.80	3.00	9.80	—	—	—
4.	गुजरात	1.54	—	—	—	—	—	—
5.	हरियाणा	—	5.00	—	—	65.00	38.00	—
6.	हिमाचल प्रदेश	1.34	0.75	0.24	1.085	—	2.00	20.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	0.35	1.74	—	30.73	—
8.	कर्नाटक	—	5.00	—	—	12.46	—	34.35
9.	केरला	12.00	5.00	—	—	—	—	—
10.	मध्य प्रदेश	6.20	37.50	—	10.83	—	6.00	—
11.	महाराष्ट्र	2.00	4.00	2.50	5.00	8.91	10.00	—
12.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	मणिपुर	5.98	3.00	0.69	3.00	—	20.00	—
14.	नागालैण्ड	—	—	—	—	10.00	10.00	—
15.	उड़ीसा	8.00	4.00	3.00	21.00	39.94	8.00	—
16.	पंजाब	—	7.00	—	—	19.89	15.00	3.16
17.	राजस्थान	0.75	—	1.00	7.50	35.00	40.00	7.67
18.	तमिलनाडु	63.16	50.00	—	10.50	—	5.00	5.00
19.	त्रिपुरा	0.25	3.00	—	0.23	8.00	—	5.00
20.	उत्तर प्रदेश	50.00	—	5.40	—	—	—	—
21.	पश्चिमी बंगाल	31.70	30.00	4.82	18.40	—	15.00	6.284
22.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—
23.	एन ई एच एच डी सी, शिलोंग	—	—	—	—	12.00	—	—
	योग	193.92	228.05	21.00	89.085	211.20	199.73	81.5.4

मेंढ़क की टांगों के निर्यात पर रोक

4808. **श्री कमला प्रसाद रावत :**

श्री विजय कुमार यादव : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण तथा प्रकृति संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के सदस्य डा० जी० एम० ओझा ने यह विचार व्यक्त किया है कि मेंढ़क की टांगों का निर्यात करने के लिए जिन असंख्य मेंढ़कों को प्रतिवर्ष मारा जाता है वे लगभग 8,10,000 मच्छरों तथा खेत कीटों को खा सकते हैं तथा फसलों को क्षति से बचाते हैं तथा मलेरिया फैलने से रोकते हैं;

(ख) यदि इस निर्यात पर रोक नहीं लगाई गई तो क्या देश में मलेरिया फैलने तथा पर्यावरण के दूषित होने का खतरा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मेंढ़क की टाँगों के निर्यात पर रोक लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) डा० जी०एम० ओझा द्वारा इस प्रकार विचार व्यक्त किये जाने के बारे में कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं है। इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यदि मेंढ़क की टांगों के निर्यात पर रोक नहीं लगाई गई तो मलेरिया फैलने और वातावरण प्रदूषित होने का खतरा है।

इस निर्यात पर रोक लगाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सरकार ने संसाधनों के संरक्षण और मेंढ़क की टांगों के निर्यातों को प्रतिबन्धित करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं जिनसे मेंढ़कों को अव्यवस्थित ढंग से पकड़ने तथा मारने को रोकने के लिए मदद मिलती है।

[हिन्दी]

नुकसानदायक घोषित औषधियों की विदेशों से खरीद

4809. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और फ्रांस से अलग-अलग कौन-कौन सी और कितने मूल्य की औषधियों की खरीद की; और

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में भी इन देशों से इन औषधियों का आयात जारी रखने का है अथवा उन्हें भारत में ही बनाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) आयात आंकड़े फरवरी, 1983 तक उपलब्ध हैं, चीन, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस कनाडा, आदि से फरवरी, 1983 तक 83.5 करोड़ रु० (लगभग) मूल्य के प्रोविटामन तथा विटामिन, वनस्पति क्षरोद, हारमोन्स, प्राकृतिक अथवा संश्लेषण द्वारा पुनरोत्पादित, उनके व्युत्पाद जिन्हें औषध रूप में न माना गया हो, एन्टीबायोटिक्स, ग्लाइकोसाइड्स ग्लान्ड्स अथवा अन्य अवयव, औषध, भेषजीय सामान, औषध के अलावा, आदि के आयात किए गये हैं। मद-वार तथा देश-वार पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अधिकांश आयात सरकारी क्षेत्र के द्वारा हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अस्पतालों तथा चिकित्सा संस्थाओं, किसी भी व्यक्ति तथा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर्स को अपने निजी प्रयोग के लिये किसी भी एक समय पर निर्धारित शर्तों के अध्यधीन क्रमशः 25000 रु०, 1000 रु० तथा 5000 रु० से अनधिक सी० आई० एफ० मूल्य के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति दी गई है। इस नीति को 1985-88 की अवधि के दौरान जारी रखा गया है।

तथापि, जिन दवाइयों की सप्लाई कम है उनके स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है।

कपास के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय योजना

4810. **श्रीमती जयंती पटनायक**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह

श्री आनन्द सिंह : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समग्र रूप से कपास उत्पादन के वर्तमान स्तर को 77-78 लाख गांठ से बढ़ाकर 95 लाख गांठ करने की कोई राष्ट्रीय योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजनावधि के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त योजनावधि के दौरान विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों में कुल कितने हेक्टेयर भूमि को कपास की खेती के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी नहीं। यह कार्य कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

(ख) से (घ) : कृषि मंत्रालय की मार्फत एकत्र की गई जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कृषि मंत्रालय से एकत्र की गयी जानकारी नीचे दी गयी है :—

(ख) प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन तथा वितरण पौध संरक्षण उपस्कर का वितरण, कीटनाशकों तथा बीमारियों के लिए छिड़काव, सुधरी हुई उत्पादन प्रौद्योगिकी संबंधी प्रदर्शन, समर्थन कीमत का निर्धारण और कपास की अधिप्राप्ति के लिए प्रबंध।

(ग) लगभग 80 लाख हैक्टार।

(घ) (1) स्थापित सिंचित क्षेत्र— 18.00 लाख हैक्टार

(2) नहर के अन्तर्गत क्षेत्र— 5.00 लाख हैक्टार

(3) वर्षा द्वारा सिंचित क्षेत्र— 56.20 लाख हैक्टार

(4) गैर-परम्परागत क्षेत्र तथा चावल परती भूमि— 0.80 लाख हैक्टार

ट्रीनीडाड और टोबागो के साथ व्यापार समझौते

4811. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ट्रिनिडाड और टोबागी के बीच हाल में किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) भारत से किन मदों का निर्यात किए जाने पर सहमति हुई है; और

(घ) दोनों देशों के बीच कुल कितना व्यापार होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) भारत और ट्रिनीडाड तथा टोबागी के बीच पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए व्यापार की मात्रा नीचे दी गई है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	निर्यात	आयात	शेष
1981-82	194.28	0.27	(†) 194.01
1982-83	321.00	—	(†) 321.00
1983-84 †	671.00	15.00	(†) 602.00
1984-85 † (अप्रैल-दिसम्बर 84)	199.00	1033.00	(—) 834.00

† आंकड़े अनन्तिम तथा उनमें संशोधन हो सकता है।

स्टेनलेस स्टील के उत्पादों की किस्म नियंत्रित करने सम्बन्धी व्यवस्था

4812. **श्री एन० टोम्बो सिंह** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बाजार में बिक रहे स्टेनलेस स्टील के उत्पादों की किस्म पर नियंत्रण करने के लिए कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का बाजार में स्टेनलेस स्टील के घटिया नकली माल पर नियंत्रण करने के लिए कोई व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) से (ग) फिलहाल बेदाग इस्पात के उत्पादों की किस्म पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई विशिष्ट क्रियाविधि नहीं है। फिर भी मिश्र इस्पात कारखानों, दुर्गापुर तथा सेलम इस्पात कारखाने में बेदाग इस्पात के उत्पादन पर, उत्पादन के विभिन्न चरणों पर रसायन-विशलेषण तथा वस्तुगत तथा रसायन गुणधर्मों की जांच करके इसे सुनिश्चित किया जाता है। उपरोक्त उत्पादों के निर्माता अपनी इच्छानुसार भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिह्नों को अपना सकते हैं, जिनमें उत्पादन के दौरान निरीक्षण, जांच और किस्म पर नियंत्रण रखने की एक सुस्पष्ट प्रक्रिया है। उत्पादकों को क्वालिटी के उत्पादों का उत्पादन करने में सुगमता के लिये भारत सरकार ने लघु उद्योग सेवा संस्थान, विस्तार-

केन्द्र (एक्सटेंशन सेन्टर), क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र और फील्ड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। संस्थान/केन्द्र उत्पादकों को निरीक्षण की क्रियाविधि आदि के बारे में सलाह देते हैं।

इस समय, बेदाग इस्पात के उत्पादों की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र में नई कताई मिलों को वित्तीय सहायता

4813. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय संस्थानों ने यह निर्णय किया है कि देश में पर्याप्त संख्या में तकुए होने के कारण नई कताई मिलों को कोई वित्तीय सहायता देना आवश्यक नहीं है;

(ख) यदि हां तो क्या इससे महाराष्ट्र में निर्माणाधीन नई मिलों के लिए गंभीर कठिनाई पैदा हो गयी है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस मामले पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वित्तीय संस्थाओं ने इस बात पर विचार करते हुए कि पर्याप्त क्षमता का पहले ही निर्माण किया जा चुका है या किया जा रहा है, नई कताई मिल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता न देने का निर्णय लिया गया है लेकिन इन संस्थानों ने उन प्रस्तावों पर विचार करने का निर्णय लिया है जो पहले से विचाराधीन थे और जिन्होंने प्रगति की है। गत पांच वर्षों में इन संस्थानों में महाराष्ट्र राज्य में नई कताई एककों के 10 प्रस्ताव स्वीकार किये हैं।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने कुछ मामलों में कताई मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए लिखा है। लेकिन भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पहले से निर्मित क्षमता की उपलब्धता अथवा निर्माण की जा रही क्षमता को देखते हुए वित्तीय संस्थाओं के लिए किसी नए एकक को सहायता देना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

आयकर का बकाया

4814. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कुल कितनी राशि के आयकर की वसूली नहीं हो पाई और यह कितने लोगों की ओर बकाया है;

(ख) करों की बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इन कदमों के परिणामस्वरूप कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) कितने लोगों को उनकी सम्पत्ति बेच कर करों की वसूली की गई और इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा जेल भेजा गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क)

(रुपए करोड़ों में)

वित्तीय वर्ष	बकाया कर	जारी की गई किन्तु देय नहीं बनी मांग	कर-निर्धारितियों की संख्या (प्रविष्टियां)
1982-83	844.93	625.01	28,26,975
1983-84	902.46	907.57	28,95,135
1984-85	1171.48	1347.92	आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 में "कर की बकाया" की वसूली और उगाही करने के लिए कई उपायों की व्यवस्था है, जैसे अर्थ-दण्ड लगाना, चूककर्ताओं को प्राप्य धन की कुर्की करना, चल सम्पत्ति को अभिगृहीत करके बेचना, चूककर्ता को सिविल जेल भिजवाना, आदि। प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए समय-समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बकाया में से कम हुई (वसूली और/या समायोजन द्वारा) राशि निम्नानुसार है :—

(रुपए करोड़ों में)

वित्तीय वर्ष	बकाया मांग में से वसूली गई/कम हुई राशि
1982-83	568.48
1983-84	679.64
1984-85	1104.47 (अनन्तिम)

(ग)

वित्तीय वर्ष	उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी सम्पत्ति बेचकर करों की वसूली की गई	उन चूककर्ताओं की संख्या जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू की गई	जेल भिजवाए गए चूककर्ताओं की संख्या
1	2	3	4
1982-83	16	1745	—
1983-84	41	593	—
1984-85 (अनन्तिम)	111	544	—

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम की नियंत्रक कम्पनी

4815. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के व्यापार संगठनों के लिए कोई नियंत्रक कम्पनी स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम और भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम के कार्य चालन तथा महत्व की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

[**हिन्दी**]

दिल्ली की निर्यात निरीक्षण एजेन्सी द्वारा निरीक्षण के लिए ली जाने वाली फीस

4816. **श्री सन्तोष कुमार सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च में दिल्ली की निर्यात निरीक्षण एजेन्सी को यह सूचना मिली थी कि जो निरीक्षण फीस निर्यातकों से निरीक्षण के समय वसूल करनी चाहिए थी, नहीं ली गई;

(ख) यदि हां, तो समय पर सूचना मिलने के बावजूद भी अतिरिक्त निदेशक द्वारा कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ग) समय पर कार्यवाही न करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) निम्न स्तर के कर्मचारियों को मुअत्तल करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) यह सही है कि अपर निदेशक, निर्यात निरीक्षण आमकरण, दिल्ली को 26 मार्च 1985 को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पता चला कि 1984-85 के दौरान निर्यात निरीक्षण अभिकरण में खातों में जांच शुल्क के कमा नहीं खताने के कई मामले हुए थे और उनके लेखों का रख रखाव ठीक नहीं था।

(ख) अपर-निदेशक, निर्यात निरीक्षण आमकरण, दिल्ली द्वारा 26 अगस्त, 1985 को ली गई अधिकारियों की बैठक में उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और साथ ही अधिकारियों द्वारा प्रभावशाली पर्यवेक्षण लागू करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी थी। लेकिन उन्होंने ऐसे कदाचारों के लिए उत्तरदायी दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

(ग) अपर निदेशक छुट्टी पर हैं और 31 अगस्त, 1985 को काम पर लौटेंगे। उनसे इस बात का स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि उन्होंने दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और साथ ही वे अनियमितताओं को निदेशक (निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण), निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली के ध्यान में क्यों नहीं लाए।

(घ) सरकारी स्टाफ द्वारा अनियमितताओं के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, जो जांच शुल्क की उचित तरीके से लेखों में रखने के लिए उत्तरदायी थे और साथ ही अधिकारी जो इन कर्मचारियों के कार्यों की जांच के लिए उत्तरदायी थे, तीन अधिकारियों (समूह "क"—2, तथा समूह "ख"—1) और पांच समूह "ग" के सरकारी कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के बारबिल-बारजमदा क्षेत्र के लौह अयस्क का निर्यात

4817. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बारबिल-बारजमदा क्षेत्र का लौह अयस्क 220 रुपये प्रति टन के औसत मूल्य पर पारादीप निर्यात पतन पर भेजा जाता है और क्या खड़गपुर के रास्ते बारबिल का रेल भाड़ा 120 रु० और धरा-उठाई प्रभार 47 रु० प्रति टन है;

(ख) क्या झंकपुरा बंसबणी रेल लाइन, जो कि देतारी के रास्ते बारबिल को पारादीप से जोड़ती है, और जो पूरी होने वाली है, को 660 कि० मी० मे कम करके 330 कि० मी० करने का विचार है और क्या इससे माल भाड़े में प्रति टन लगभग 60 रु० की कमी आयेगी;

(ग) क्या उनका मंत्रालय परिवहन प्रभार कम करने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रहा है ताकि लौह अयस्क निर्यात का कार्य अधिक प्रतियोगी हो जाए; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने रेल मंत्रालय से यथासम्भव शीघ्र और सभूची रेल लाइन को पूरा करने का आग्रह किया है ताकि देश के उस भाग में खनन एवं निर्यात कारोबार उन्नति करे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उड़ीसा के बारबिल-बारजमदा क्षेत्र के लौह अयस्क की औसत एफ० ओ० बी० टी० कीमत 220.31 रु० प्रति मै० टन है जिसमें खड़गपुर होकर बारबिल से 113.00 रु० का औसत रेल भाड़ा शामिल है तथा पत्तन तथा हैंडलिंग का औसत प्रभार 48.46 रु० है।

(ख) झांकपुरा और बंसपाणी के बीच रेल सम्पर्क से बारबिल तथा पाराद्वीप के बीच फासला घटकर 330 कि० मी० रहने की संभावना है। वर्तमान टैरिफ दर से इस फासले का रेल-भाड़ा लगभग 70 रु० प्रति मै० टन होगा।

(ग) जी हां।

(घ) यह मामला रेलवे मंत्रालय के विचाराधीन रहा है तथा झांकपुरा से बंसपाणी तक 176 किलोमीटर की नई ब्राड गेज लाइन के निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है और झांकपुरा तथा दैतारी के बीच 33 कि० मी० फासले की इस परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है।

गोदामों के निर्माण के लिए दिये गये ऋणों को नाबार्ड द्वारा कृषि ऋण के रूप में मान्यता प्रदान करने से इंकार

4818. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न भण्डारण के लिए गोदामों के निर्माण हेतु दिये गये ऋणों को नाबार्ड द्वारा कृषि ऋण के रूप में मान्यता प्रदान करने से इंकार कर दिया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा केवल गेहूं के लिए ही समर्थन मूल्य देकर लगभग 8,000 करोड़ रुपए के निवेश पर की गयी खाद्यान्नों की खरीद की मात्रा में से भण्डारण स्थान उपलब्ध न होने के कारण हानि तथा नष्ट होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता बढ़ाने हेतु कम ब्याज पर सरलता से धन की व्यवस्था कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अनाज के भंडारों के लिए गोदामों के निर्माण करने के वास्ते दिए जाने वाले अग्रिमों को कृषि अग्रिमों के रूप में मानने से इन्कार नहीं किया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, संयुक्त पूंजी कंपनियों और राज्य भांडागार निगमों को कृषि वस्तुओं के भण्डारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम बनाने के वास्ते बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में बैंकों को पुनर्वित्त के रूप में समर्थन प्रदान करता है। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सम्मुख एक योजना रखी थी जिसका प्रयोजन प्राइवेट पार्टियों द्वारा 10 लाख टन भंडारण गोदाम क्षमता के निर्माण के लिए पुनर्वित्त सहायता देना था। यह क्षमता निगम को पट्टे पर दी जानी थी। इस मामले पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक बैंक इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से पुनर्वित्त पर निर्भर रहे बिना अपने साधनों से वित्तीय समर्थन प्रदान कर सकते हैं।

[हिन्दी]

स्वयं रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में बैंकों के लिए निर्धारित लक्ष्य

4819. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में स्वयं-रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष, 1984-85 और 1985-86 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु विभिन्न बैंकों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान जिलों में कार्य दल द्वारा सिफारिश किये गये सभी आवेदकों को बैंक ऋण मिल गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सिफारिश किये गये कितने मामलों में ऋण मंजूर किये गए हैं;

(घ) क्या सिफारिश किये गये आवेदन पत्रों पर दिये गये ऋण की प्रतिशतता अलग-अलग बैंक में अलग-अलग है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) संभवतः, माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना से है जो 1983-84 में शुरू की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रत्येक जिले के लिए बैंक-वार सूचना प्राप्त नहीं होती। फिर भी राज्य सरकारें इसे उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंकों ने जिला अल्मोड़ा में वर्ष, 1983-84 में 285 आवेदन मंजूर किये थे जब कि लक्ष्य 270 का था। वर्ष, 1984-85 में इस जिले के लिए 275 के लक्ष्य के मुकाबले 281 आवेदन स्वीकार किये गये। पिथौरागढ़ जिले में 1983-84 के लिए निर्धारित 170 आवेदनों

के लक्ष्य के मुकाबले 177 मामले स्वीकृत किये गये। वर्ष, 1984-85 के लिए 189 मामले मंजूर किये गये जबकि इस जिले में लक्ष्य 175 मामलों का था। इस योजना को हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। वर्ष, 1985-86 के लिए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों को सेवा से निकाला जाना

4820. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के कारण इस वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों को सेवा से निकाला गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विकास अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या उन्हें सेवा से निकाले जाने के कारण उनके परिवारों को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें बहाल करके लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो उनके परिवारों को जीविका के साधन उपलब्ध कराने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान जीवन बीमा निगम के कुछ विकास अधिकारियों को सेवा से निकाल दिया गया था क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियम 1960 में निर्धारित, उनके द्वारा प्राप्त बीमा कारबार से होने वाली प्रीमियम आय के मुकाबले में व्यय सीमा से अधिक था।

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या 38 है।

(ग) से (च) निगम के कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने पर उन्हें ग्रेच्युटी भविष्य निधि इत्यादि जैसे सेवा लाभों का भुगतान कर दिया जाता है।

विकास अधिकारियों को, अपने व्यय को निर्धारित सीमा तक सीमित रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात ही सेवा से निकाला जाता है। अतः उनको उसी संवर्ग में बहाल करना सम्भव नहीं है। तथापि उन्हें तीसरी श्रेणी के पदों पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

व्यापार वरीयता विश्व प्रणाली पर बैठक

4821. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जुलाई, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार बताया गया है कि 25 जुलाई, 1985 को नई दिल्ली में व्यापार वरीयता विश्व प्रणाली के सम्बन्ध में मन्त्रियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रयोजनों का ब्यौरा क्या है तथा इस चर्चा के विषय क्या हैं;

(ग) क्या इस बैठक में कुछ सिफारिशें की गयीं, यदि हां, तो नये अध्यक्ष द्वारा इनका कैसे पालन करने का विचार है; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में निर्गुट देशों की पिछली सिफारिशों का आगामी वर्षों में पालन किया जाता रहेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। बैठक 25 व 26 जुलाई, 1985 को हुई।

(ख) बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापार अधिमानों की विश्वव्यापी प्रणाली (जी० एस० टी० पी०) सम्बन्धी वार्ताओं की सतत प्रक्रिया को राजनीतिक बल देने और जी० एम० टी०पी० के लिए बुनियादी नियमों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया को अग्रानीत करने का था। बैठक में जी० एस० टी० पी० के कार्यान्वयन में प्रगति और साथ ही विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण में हुए परिवर्तनों की समीक्षा की गई।

(ग) मन्त्री स्तरीय बैठक में दो घोषणाएं पारित—एक व्यापार अधिमानों की विश्व-व्यापी प्रगति (जी० एस० टी० पी०) पर और दूसरी विकासशील देशों के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारित पर्यावरण पर।

जी० एम० टी० पी० सम्बन्धी घोषणा में मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की कि जी० एस० टी० पी० सम्बन्धी वार्ताकारी समिति को परम्परागत उत्पाद-प्रति उत्पाद-दृष्टिकोण के अलावा जी०एस०टी०पी० वार्ताओं के लिये प्रथम दौर के लिये तकनीकी तथा रूपात्मकताओं के विस्तार के लिये कतिपय अनुपूरक बातों पर विचार करना चाहिये। ये अनुपूरक बातें हैं : (I) 10% तक एक अधिमान मार्जिन के जरिये जहाज अन्तरण टैरिफ कटौती : (II) गैर-टैरिफ तथा पैरा टैरिफ उपायों का समाप्त किया जाना अथवा उनमें कमी, जिनमें उस उत्पाद के सम्बन्ध में जिस पर टैरिफ रियायतों के बारे में वार्ता की गई है, नये गैर-टैरिफ अवरोध न लगाने अथवा मौजूदा अवरोधों को गहन न बनाने के लिये सहभागी देशों द्वारा एक वचनबद्धता शामिल है। (III) सहभागी देशों के लिये उल्लेखनीय सामाजिक-आर्थिक महत्व के क्षेत्रों जैसे कि गैर-टेक्सटाइल हस्त-शिल्प, साधित ट्रापिकल उत्पाद, वस्त्र तथा कृषि उत्पादों पर विशेष ध्यान और (IV) विकास-शील देशों के बीच संसाधन, वितरण तथा विपणन के अपेक्षाकृत अधिक बड़े स्तर के जरिये व्यापार तथा विकास संवर्धन के के लिए उत्पाद परामर्शों का आयोजन। मंत्रियों ने एक समग्र विधिक ढांचे की स्थापना की अत्यधिक जरूरत को माना जिसके अन्तर्गत वार्ताओं के लिये बुनियादी नियम समाविष्ट किये जाएंगे। मन्त्रियों ने वार्ताओं के लिये एक समय-सारणी पर भी सहमति व्यक्त की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि वार्ताओं का पहला दौर 1 मई, 1986 से बाद में नहीं शुरू होना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक पर्यावरण सम्बन्धी घोषणा में मंत्रियों ने अन्य बातों के साथ-साथ (I) मुक्त बहुदेशीय व्यापारिक प्रणाली और व्यापार उदारीकरण के सिद्धांतों, नियमों तथा विनि-यमों के पूर्ण अनुपालन के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की; (II) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा

तथा वित्तीय प्रणाली के मूलभूत सुधार के लक्ष्य के साथ विकास हेतु मुद्रा तथा वित्त सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए कदम उठाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया; और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को नवीकृत बल प्रदान करने के लिए बातचीत में शामिल होने के लिये विकसित देशों से आग्रह किया।

जी० एस० टी० पी० सम्बन्धी सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही जी० एस० टी० पी० में सहभागी देशों की वार्ताकारी समिति द्वारा की जानी अपेक्षित है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण से सम्बन्धित सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाही सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय मचों पर विकासशील देशों द्वारा की जानी अपेक्षित है।

(घ) गुट-निरपेक्ष देशों के राज्य अथवा सरकार के प्रमुखों के मार्च, 1983 में नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन द्वारा पारित आर्थिक घोषणा में, अन्य बातों के साथ-साथ अक्टूबर, 1982 में न्यूयार्क में आयोजित "77" के समूह के विदेश कार्य मंत्रियों की छठी बैठक में पारित घोषणा में सहमति प्राप्त सिद्धांतों, नियमों तथा समय-सारणी के अनुसार जी० एस० टी० पी० सम्बन्धी वार्ताओं के समय तथा शीघ्र निष्कर्ष पर जोर दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित जी०एस० टी०पी० सम्बन्धी मंत्री स्तरीय बैठक में न्यूयार्क में पारित जी०एस०टी०पी० सम्बन्धी घोषणा के प्रति वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की।

[हिन्दी]

न्यू बैंक आफ इण्डिया की विभिन्न शाखाओं में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

4822. **श्री लाला राम केन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू बैंक आफ इण्डिया की विभिन्न शाखाओं में कार्य कर रहे अधिकारियों की कुल संख्या क्या है और उनमें शाखा-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली में इस बैंक की विभिन्न शाखाओं में अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की पद-वार संख्या क्या है, तथा कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं और गत तीन वर्षों में इन्हें भरने के लिए कितनी बार प्रयास किए गये; और

(ग) क्या सरकार का विचार बकाया चले आ रहे इन रिक्त पदों को वर्ष 1985 में भरने का है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) न्यू बैंक आफ इण्डिया ने यह बताया है कि उसके पास अधिकारियों के शाखा-वार और श्रेणी-वार तथा उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की कुल संख्या के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये आंकड़े क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर रखे जाते हैं। 31 दिसम्बर, 1984 की स्थिति के अनुसार बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या 2741 थी। उनमें से 20 अधिकारी अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के थे। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल I में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित सभी 4 अधिकारी फिलहाल संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बैंक की शाखाओं/कार्यालयों में नियुक्त हैं। चूंकि अधिकारी संवर्ग में आर-

क्षण अखिल भारतीय आधार पर होता है इसलिये दिल्ली में आरक्षित पदों के खाली रहने का सवाल पैदा नहीं होता। अखिल भारतीय आधार पर बैंक ने यह सूचित किया है कि उन विभिन्न अधिकारी ग्रेडों में बकाया रिक्तियों की संख्या, जिनके लिए सीधी भर्ती की गई थी, 31 दिसम्बर, 1984 को अनुसूचित जातियों के मामले में 13 और अनुसूचित जनजातियों के मामलों में 10 थी। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामलों में उस तारीख को बकाया रिक्तियों की संख्या अनुसूचित जातियों के लिये 10 और अनुसूचित जनजातियों के लिये 6 थी। बकाया रिक्तियों को भरने के लिए बैंक द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के विषय में बैंक ने यह सूचित किया है कि सीधी भर्ती के मामले में बैंक इन रिक्तयों को बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को भेजे जाने वाले मांग-पत्रों में शामिल कर रहे हैं। जहां तक पदोन्नतियों का सवाल है चयन प्रक्रिया वर्ष में केवल एक बार की जाती है। वर्ष, 1982 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण पर विधिवत ध्यान दिया जाता है। बैंक ने यह सूचित किया है कि पदोन्नतियों के सम्बन्ध में बकाया रिक्तियों को भरने के लिये वह आगामी चयन के समय यथासंभव प्रयास करेगा।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति

4823. **प्रो० एम० आर० हाल्दर :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में राज्य व्यापार निगम में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के समुदाय से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा कर्मचारियों की पदोन्नति करते समय आरक्षण कोटा भरा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राज्य व्यापार निगम में पूरे देश में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 2439 है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कर्मचारियों की कुल संख्या 282 है।

(ग) और (घ) आरक्षण कोटा पदोन्नति में रखा जाता है। समयबद्ध पदोन्नति में ऐसा कोटा नहीं रखा जाता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऐसी पदोन्नति के लिए प्रत्येक अवस्था में एक वर्ष की अहर्दा सेवा अवधि मानकर तरजीह दी जाती है।

बैंक अधिकारियों के वेतनमान और सेवा शर्तें

4824. **प्रो० मधु दण्डवते :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक अधिकारियों के संघों के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक अथवा अनौपचारिक विचार-विमर्श किये बिना बैंक अधिकारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में संशोधन किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार बैंकों में अधिकारियों के संघों के साथ परस्पर वार्ता द्वारा परिलब्धियों और सेवा शर्तों के मामलों को निपटाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के वेतन संशोधन का मसला, अधिकारियों के संघों के साथ बातचीत करने अथवा समझौते का मुद्दा नहीं। अलबत्ता, प्रथानुसार, बैंकों के प्रबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय बैंक संघ ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों का प्रतिनिधत्व करने वाली प्रमुख यूनियनों के साथ विचार-विमर्श किया था और तत्पश्चात् ये सिफारिशें सरकार को भेजी थीं। इन सिफारिशों की जांच करने के बाद, सरकार ने वेतन में संशोधन करना मान लिया और इसके परिणामस्वरूप अधिकारियों में वेतन बिल में लगभग 13.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है और इसके वेतन बिल में प्रति वर्ष लगभग 80 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी।

बुनकरों को राज सहायता में वृद्धि

4825. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के लिये जनता कपड़े के रूप में वितरित किये गए कपड़े पर 2 रुपये प्रति मीटर की दर से दी गई राज-सहायता की कुल राशि क्या है;

(ख) उक्त दो वर्षों के लिए इस राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हाल में श्रमिकों की मजदूरी में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार हथकरघा बुनकरों की सहायता करने और उन्हें उचित लाभ कमाने में मदद करने हेतु राज सहायता की राशि में पर्याप्त वृद्धि करने का है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर सिंह) : (क) 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों को जनता कपड़े पर उपदान के रूप में दी गई कुल राशि क्रमश: 47.24 करोड रु० तथा 58.28 करोड़ रु० की थी। तथापि 1 अक्टूबर, 1984 से प्रति वर्ग मीटर पर उपदान की दर 2 रु० बढ़ायी गई। पहले 1 जुलाई, 1981 से यह 1.50 रु० प्रति वर्ग मीटर थी।

(ख) 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान रिलीज किये गये जनता उपदान को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ग) अन्तर्निविष्ट साधनों की लागत तथा मजदूरियों में वृद्धि को देखते हुये उपदान की दर को 1.50 रु० प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1 अक्तूबर, 1984 से 2 रु० प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है।

विवरण

राज्य-वार, जनता कपड़े उपदान के रूप में रिलीज की गई राशि

(लाख रु० में)

क्रमांक राज्य/संघ क्षेत्र के नाम	1983-84	1984-85
1. आंध्र प्रदेश	304.52	539.02
2. कर्नाटक	132.72	188.90

1	2	3	4
3.	केरल	19.68	20.04
4.	तमिलनाडु	553.73	690.33
5.	पाण्डिचेरी	1.11	—
6.	मध्य प्रदेश	199.81	296.84
7.	उत्तर प्रदेश	1251.15	1378.16
8.	बिहार	589.45	738.22
9.	उड़ीसा	368.33	469.71
10.	प० बंगाल	360.43	466.28
11.	गुजरात	56.52	93.65
12.	महाराष्ट्र	804.31	822.46
13.	त्रिपुरा	43.21	70.77
14.	राजस्थान	2.28	17.73
15.	असम	38.03	35.72
	योग :	4724.30	5827.85

कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण ऊनी कंबलों का मूल्य बढ़ने की आशंका

4826. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अगस्त, 1985 के इण्डियन एक्सप्रैस में छपे समाचार के अनुसार कच्चे माल के मूल्यों में तेजी से वृद्धि के कारण ऊनी कम्बलों का मूल्य बढ़ने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाने का विचार है कि कम से कम गरीब वर्गों को सस्ते मूल्य पर कंबल उपलब्ध कराए जाएं; और

(ग) क्या गरीब उपभोक्ताओं को ऊन की सप्लाई में वृद्धि के लिये अधिक "रैग्स" का आयात किया जायेगा ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर सिंह) : (क) कम्बलों के उत्पादन हेतु चियड़ों जैसे कुछ अन्तर्निविष्ट साधनों की लागत में वृद्धि हुई बताई गई है। इससे कुछ सीमा तक कीमतों पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) घटिया और भारतीय ऊन से बने कम्बल सामान्यतः समाज के कमजोर वर्गों द्वारा खरीदे जाते हैं। इनकी कीमत कम करने के उद्देश्य से घटिया तथा भारतीय ऊन से बने कम्बलों पर उत्पादन शुल्क से पहले छूट दी गई है।

(ग) ऊनी चिथड़ों तथा ऊन का निर्यात वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिये पहले ही खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है।

[हिन्दी]

हथकरघा उद्योग के विकास के लिए निगम

4827. **श्री सुभाष यादव : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकघा उद्योग के विकास के लिये पृथक निगम की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो निगम की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस निगम का क्षेत्राधिकार और इसकी स्थापना की शर्तें और प्रशासनिक ढांचा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए पहले ही राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन.एच.डी.सी.) की स्थापना कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एन०एच०डी०सी० का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण देश में है। एन०एच०डी०सी० कम्पनी एक्ट 1976 के अन्तर्गत पंजीकृत पब्लिक लि० कम्पनी है। इसका निदेशक मण्डल, जिसमें पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक सहित 12 सदस्य हैं, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों और कम्पनी के ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेदों के अध्याधीन उसके कार्य के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है। लखनऊ में मुख्य कार्यालय के अलावा एन०एच०डी०सी० ने अपना कार्य चलाने के लिये देश में तीन क्षेत्रीय कार्यालय और कुछ यार्न डिपो भी खोले हैं। एन०एच०डी०सी० से मुख्य कार्यों का विवरण संलग्न है।

कम्पनी (एन०एच०डी०सी०) द्वारा देखे जाने वाले मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :—

1. हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिये भारत में तथा अन्यत्र सभी प्रकार के धागे की खरीद करने, उसका स्टाक करने, विपणन करने या अन्यथा वितरण को नियंत्रित करने का कार्य चलाना।

2. हथकरघा क्षेत्र की आवश्यकता वाले सभी प्रकार के कच्चे माल, रंजकों और रसायनों की खरीद करना, स्टाक करना, वितरण करना और बेचना।

3. सीधे या अन्य एजेंसियों की मार्फत हथकरघा कपड़ों का उत्पादन करना, उनकी खरीद करना, स्टाक करना, बिक्री करना, निर्यात करना या अन्यथा उसके विपणन को समर्थन या बढ़ावा देना।

4. हथकरघा बुनकरों को यार्न की सप्लाई करने के लिये स्वयं कताई मिलों रेशम रीलिंग एककों की स्थापना करना तथा ऐसी कताई मिलों/रेशम रीलिंग एककों की स्थापना के लिये राज्य निगमों या इस प्रकार की अन्य एजेंसियों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देना।

5. हथकरघा कपड़ों, परिधानों तथा तैयार माल के उत्पादन से संबंधित अपने कार्य और कारोबार को चलाने के लिये तथा उत्पादन के उच्च मानक प्राप्त करने हेतु तकनीकी संसाधनों का और आधुनिकीकरण करने तथा उनको पूलिंग करने के लिये अपनी और से या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, कानूनी निकाय, कम्पनी, सहकारी समिति, फल या व्यक्तियों के सहयोग से, पूंजीगत ऋण संसाधनों से किसी परियोजना उपक्रम या उद्यम में सहायता देना, उसकी मदद करना, वित्त पोषण करना या कार्यान्वित करना।

6. बहुराज्यीय हथकरघा उत्पादन तथा संसाधन परियोजना को बनाना, उनका संगठन करना और उनका नियंत्रण करना।

7. राज्य हथकरघा निगमों, सहकारी समितियों या अन्य संस्थाओं या अन्य संस्थाओं या अन्य व्यक्तियों को, जो हथकरघा उपयोग के संवर्धन और विकास में लगे हुए हैं, केन्द्रीय सरकार की निधियों, ऋणों और अनुदानों को देने के लिए माध्यम के रूप में कार्य करेंगे।

[अनुवाद]

जे०एम०जी० वेतनमान-I अधिकारियों का दिल्ली पुनः स्थानान्तरण

4828. **श्री गंगाराम :**

श्री केशव राव पारधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 के बैच के जे०एम०जी० वेतनमान-I के सभी अधिकारियों, जिनका दिल्ली से बाहर स्थानांतरण किया गया था, पुनः दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन जे० एम० जी० वेतनमान आय अधिकारियों को जिन्हें राजस्थान क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया था, श्रीगंगानगर जिला/हनुमानगढ़ में तैनात किए गये अधिकारियों सहित अपने संबंधित कार्यभार स्थानों पर कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनको दिल्ली में कार्यभार संभालने के लिए मुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं और उनको दिल्ली में कार्यभार संभालने हेतु राजस्थान क्षेत्र में अपने कार्यभार से कब मुक्त किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि "1982 बैंच" के जू० मै०ग्रे० वेतनमान-I के उन सभी अधिकारियों के नाम, जिनका दिल्ली से बाहर तबादला किया गया था पुनः दिल्ली तबादला किये जाने के आदेश जारी कर दिए गये हैं।

(ख) और (ग) बैंक ने बताया है कि राजस्थान की शाखाओं में नियुक्ति के लिए पदोन्नति के परिणामस्वरूप दिल्ली से 107 कर्मचारियों की सेवायें 1982 में जयपुर मोड्यूल को सौंप दी गई थीं उन 107 अधिकारियों में से 70 अधिकारियों को दिल्ली में कार्यभार सम्भालने के लिए पहले ही मुक्त कर दिया गया है। बैंक ने सूचित किया है कि बाकी 37 अधिकारियों के लिए शीघ्र ही एवजी अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है।

विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में बैंक खाता खोलना

4829. **श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय नागरिकों ने स्विट्जरलैंड में बैंक खाता खोला है; और

(ख) यदि हां, तो जिन भारतीयों ने स्विट्जरलैंड तथा अन्य देशों में अपना बैंक खाता खोला है, उनका ब्यौरा क्या है तथा भारतीय नागरिकों को विदेशों की बजाए भारत में बैंक खाता खोलने के लिए/कहने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय नागरिकों को स्विट्जरलैंड में अपना बैंक खाता खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं दी है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

चिटफंड संगठनों द्वारा धनराशि इकट्ठी किया जाना

4830. **डा० सुधीर राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असंख्य चिटफंड संगठन जनता से अभी भी भारी धनराशि इकट्ठी कर रहे हैं तथा उन्हें धोखा दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ चिटफंड कम्पनियों की गतिविधियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न गैर बैंकिंग कम्पनियों के नाम जारी किए गये निदेश चिटफंड कम्पनियों पर लागू नहीं होते।

चिटफंड कम्पनियों की गतिविधियों और उनसे सम्बद्ध मामलों का विनियमन करने के उद्देश्य से चिटफंड अधिनियम, 1982 (1982 का केन्द्रीय अधिनियम 40) अधिनियमित किया गया है। राज्य सरकारों से इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यरूप देने के लिए नियम बनाने की अपेक्षा की जाती है। अब तक हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारों और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली और लक्ष्यद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों ने अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिये नियम बनाये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है और आशा है कि यह अधिनियम जब सभी राज्यों में लागू हो जायेगा तो इससे परम्परागत चिटफंडों का स्वस्थ दिशाओं में संचालन करने और संचालकों द्वारा बरती जाने वाली कुरीतियों को कम से कम करने में सहायता मिलेगी।

स्रोत, अग्रिम कर, स्वनिर्धारण और नियमित निर्धारण पर आयकर में कटौती का ब्यौरा

4831. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1983-84 और 1984-85 के दौरान स्रोत, अग्रिम कर, स्वनिर्धारण और नियमित निर्धारण पर आयकर की कटौती का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस वर्ष लिए गए घोषित कर निर्धारण की धनराशि पर आयकर की कुल कितनी धनराशि बकाया है और उक्त वर्षों में कितने नए कर निर्धारित किए गए;

(ग) इन वर्षों के दौरान आयकर मे कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है और इस अवधि में वास्तविक और अनुमान में अन्तर के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अवधि में कर योग्य 50,000 रुपये की सीमा वालों, अविभाजित हिन्दू परिवारों, फर्मों, कम्पनियों और अन्य व्यक्तियों की ओर कितनी धनराशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

(ख) सामान्यतया अनिर्णीत कर निर्धारणों पर कोई बकाया नहीं होती क्योंकि कर निर्धारणों के पूरा होने पर ही मांगें जारी की जाती हैं । इसलिए, अनिर्णीत कर-निर्धारणों पर आयकर की बकाया के आंकड़े भेजने का प्रश्न नहीं उठता ।

"नए कर-निर्धारणों" से माननीय सदस्य का आशय संभवत: चालू कर निर्धारणों से है । वर्ष 1983-84 के दौरान पूरे किये गये चालू कर-निर्धारणों की कुल संख्या 23,47,000 थी । वर्ष 1984-85 के संबंध में पूरे किये गये चालू कर-निर्धारणों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, पूरे किये गए कर-निर्धारणों की कुल संख्या 53.70 लाख थी ।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है ।

(घ) 50,000 रु० से अधिक की कर योग्य सीमा वाले व्यक्तियों की तरफ बकाया रकम से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, जिन मामलों में 10 लाख रुपये से अधिक की रकम बकाया है, उनमें बकाया मांग से संबंधित सूचना उपलब्ध है जिसे संलग्न विवरण-3 में दिया गया है ।

विवरण-1

(रुपये करोड़ों में)

	1983-84	1984-85
1. स्रोत पर काटा गया कर	1053.70	1100.26
2. अग्रिम कर	2861.29	2607.81
3. स्वत: कर निर्धारण	275.77	270.10
4. नियमित कर निर्धारण	289.16	302.84

विवरण-2

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमानों के मुकाबले वास्तविक वसूली में वृद्धि/कमी	संशोधित अनुमानों के मुकाबले वास्तविक वसूली में वृद्धि/कमी
1	2	3	4	5	6
1983-84	4031.60	4235.00	4191.86(†)	160.26(—)	43.14
1984-85	4314.00	4634.00	4497.64(†) (अनन्तिम)	183.64(—)	136.36

उपर्युक्त विवरण-पत्र से यह देखा जा सकता है कि वास्तविक वसूलियां बजट अनुमानों से बढ़ गई हैं जबकि संशोधित अनुमानों के मुकाबले इसमें थोड़ी सी कमी आई है। संशोधित अनुमानों के मुकाबले में आई इस कमी का अधिकांशतः मुख्य कारण वित्तीय वर्ष 1983-84 से शुरू होने वाली अनिवार्य जमा (आयकर पर अधिभार) योजना का प्रारम्भ होना है जिसके अन्तर्गत कम्पनी अधिभार को अदायगी के स्थान पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में जमा करा सकती है।

विवरण-3

(आंकड़े अनन्तिम हैं)
(रुपये करोड़ों में)

हैसियत	10 लाख रु० से अधिक की बकाया मांग	
	1983-84	1984-85
हिन्दू अविभाजित परिवार	14.28	16.01
फर्म (अपंजीकृत फर्म और पंजीकृत फर्म)	39.25	54.58
कम्पनियां	520.60	723.53
अन्य (व्यक्तियों का संगम और व्यष्टियों, आदि सहित)	123.23	312.56
	697.36	1106.68

हट्टी सोना खानों से सोने की तस्करी

4832. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हट्टी सोना खानों में वर्ष 1984-85 में सोने का उत्पादन कितना हुआ;

(ख) क्या खानों से सोने की तस्करी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने मामलों का पता लगा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार हट्टी सोना खानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) हट्टी गोल्ड माइन्स में 1984 के दौरान 8,59,709 ग्राम स्वर्ण उत्पादन हुआ।

(ख) स्वर्ण की तस्करी और चोरी कुछ हद तक संसार के प्रत्येक स्वर्ण खनन उपक्रम में होती रहती है। हट्टी गोल्ड माइन्स के साथ भी यही बात है। लेकिन यह बड़े पैमाने पर नहीं है तथा ऐसी तस्करी अधिक स्वर्ण अंश वाले अयस्क पाये जाने पर ही होती है।

(ग) 1983-84 तथा 1984-85 में क्रमशः में 4 और 6 मामलों का पता चला तथा उचित कार्रवाई की गई है।

(घ) सुरक्षा बल की संख्या जो 1979 में 107 थी, अब 1981 में महिलाओं सहित, 181 हो गई है। अधिक स्वर्णांश वाले क्षेत्रों की खानों में तस्करी की रोकथाम के लिए भूमिगत दस्ते भेजने की कार्यवाही भी की गई है। और अधिक सुरक्षा के लिए खनन क्षेत्र के चारों ओर

3 मीटर ऊंचा कांटेदार तारों युक्त परकोटा बनाया गया है। इसके अलावा मिल के पिसाई खंड/ग्राइंडिंग सेक्शन जेम्स टेबल सहित एक क्लोज्ड सर्किट टेलिविजन प्रणाली जिसके क्षेत्र में पिसाई अनुभाग तथा जेम्स टेबुल्स आयेंगे, लगाई गई है ताकि इस अनुभाग में होने वाले काम पर लगातार निगरानी रखी जा सके, इस प्रकार स्वर्ण की तस्करी, विशेषतया इस आलोच्य अनुमान से होने क कोई अवसर नहीं हैं।

मध्य पूर्वा खाड़ी देशों में विदेशी निर्माण परियोजनाओं का काम प्राप्त करने में भारत की असफलता

4833. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत मध्यपूर्वा खाड़ी देशों में बड़ी नयी विदेशी निर्माण परियोजनाओं का काम प्राप्त करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय कम्पनियां मध्य पूर्वा खाड़ी के देशों में विदेशी निर्माण परियोजनाएं प्राप्त करती रही हैं परन्तु विगत हाल ही में ऐसी संविदाओं के आर्डरों में गिरावट आई है। गिरावट के मुख्य कारण ये हैं—

(1) लम्बे समय तक चला ईरान-इराक युद्ध जिसके परिणामस्वरूप इराक में संविदाओं में कमी आई है जो कि हमारा प्रमुख बाजार रहा है।

(2) तेल राजस्व में गिरावट जिसके परिणामस्वरूप इन देशों में निर्माण गतिविधियों की गति धीमी हो गई है।

(3) पूंजी अधिशेष देशों से अधिक प्रतिस्पर्द्धा जो कि आसान वित्तीय शर्तों को पेशकश कर रहे हैं।

सातवीं योजना में पश्चिम बंगाल में कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देना

4834. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में कपड़ा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) नई वस्त्र नीति में मार्गदर्शक सिद्धान्त दिए हुए हैं जिनसे पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में वस्त्र उद्योग के विकास में सहायता मिलने की संभावना है।

चाय के अधिकतम निर्यात मूल्य को समाप्त करना

4835. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उत्पादकों ने चाय के अधिकतम निर्यात मूल्य को समाप्त करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या चाय उद्योग यह चाहता है कि सरकार चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश को वापिस लें ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) न्यूनतम निर्यात मूल्य को समाप्त करने के लिये चाय उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसे समाप्त कर दिया गया है।

(ग) उद्योग के कतिपय वर्गों से ऐसी मांग आती रही है।

राज्य व्यापार निगम की विदेशी सहयोग से टूना मछली पकड़ने की परियोजानाएं

4836. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा तूना मछली पकड़ने के लिये विदेशी सहयोग से शुरू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) तूना मछली पकड़ने की परियोजनाओं का, जिनकी घोषणा बड़े जोर-शोर से की गई थी, प्रारम्भिक परिव्यय क्या है;

(ग) यह परियोजनाएं कब पूरी होंगी; और

(घ) वर्तमान वित्तीय लागत और अन्तिम परियोजना लागत आदि समेत परियोजनाओं सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम ने विदेशी सहयोग से टूना मत्स्यन के एक पूर्णरूपेण प्रचालन की वाणिज्यक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिये प्रारम्भ में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किया। प्रायोगिक परियोजना पर आगे कार्रवाई नहीं की गई है।

गुजरात में कोयला गारा परियोजना स्थापित करना

4837. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कोयला गारा परियोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) परियोजना किस जगह स्थापित की जा रही है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) वर्ष 1981 में गुजरात सरकार ने योजना आयोग से अनुरोध किया था कि गुजरात राज्य में केन्द्र सरकार के क्षेत्र में स्लरी परिवहन परियोजना शुरू की जाए। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि इस मामले में कार्रवाई, भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल के अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के बाद की जाएगी। कार्यकारी दल के विचार-विमर्श के परिणाम स्वरूप, कोयला

विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया। इस दल को भारत में कोयला स्लरी परिवहन के लिए कम दूरी की ऐसी प्रदर्शन-पाइप-लाइन स्थापित करने के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करने में सलाह देने का काम सौंपा गया जो कोयला स्रोत को बिजली संयंत्र से जोड़े। इस दल ने निर्णय लिया है कि यह प्रदर्शन-पाइप-लाइन न्यू मजरी ओपेनकास्ट खान से महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के चन्द्रपुर ताप बिजली घर तक रहे। देश में कोयला-स्लरी परिवहन की गुंजाइश के बारे में कोई निश्चय प्रदर्शन-परियोजना के परिणाम के आधार पर किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

निर्धन लोगों को उचित मूल्य की दुकानों पर जनता धोतियों और साड़ियों की बिक्री

4838. **श्री विजय कुमार यादव** . क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में उचित मूल्य की दुकानों पर निर्धन लोगों को जनता धोतियां और साड़ियां बेचने की योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) कुछ राज्यों द्वारा उक्त योजना को लागू न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केवल 14 राज्य और एक संघ क्षेत्र जनता कपड़े के उत्पादन में भाग ले रहे हैं। ये हैं—आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल।

(ग) सभी राज्य इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं। तथापि, 1981 से जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत केवल धोतियों तथा साड़ियों के उत्पादन की ही अनुमति दी जा रही थी। अतः जो राज्य इन मदों का उत्पादन नहीं कर रहे थे उन्हें इस योजना के कार्यान्वियन में रुचि नहीं थी। 26-5-1984 से शर्टिंग तथा लट्ठे की शुरूआत से आशा है कि कुछ और राज्य इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। जनता कपड़े की बिक्री पर 2 रु० प्रति वर्ग मीटर की इमदाद दी जाती है। इमदाद की यह दर, जो अक्तूबर, 1976 में योजना के प्रारंभ में 1 रु० प्रति वर्ग मीटर थी, धीरे-धीरे बढ़कर 1-10-84 से 2 रु० प्रति वर्ग मीटर हो गई। इस प्रयोजनार्थ, इस योजना में भाग ले रहे राज्यों को उत्पादन तथा जनता कपड़े की बिक्री के लिए वार्षिक लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं और इन लक्ष्यों के अनुसार ही इमदाद दी जाती है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का विस्तार

4839. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1985 से लेकर आज की तारीख तक निम्नलिखित इकाइयों (लघु इस्पात कारखाने) ने आनी क्षमता काफी हद तक बढ़ाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है—

क्र०सं०	इकाई का नाम
1.	मैसर्स आंध्र स्टील कारपोरेशन, बंगलौर।
2.	मैसर्स पंजाब आयरन एंड स्टील कंपनी (प्रा०) लिमिटेड, जालन्धर।
3.	मैसर्स वेस्टर्न मिनिस्टील लिमिटेड, बम्बई।
4.	मैसर्स कनोडिया स्टील (प्रो० आदित्य मिल्स लिमिटेड, बम्बई)।
5.	मैसर्स प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स (अमृतसर) लिमिटेड, अमृतसर।
6.	मैसर्स नव कर्नाटक स्टील्स लिमिटेड, बेलारी।
7.	मैसर्स विक्रम स्टील प्राइवेट लिमिटेड, राजकोट।
8.	मैसर्स कुमार स्टील एंड जनरल मिल्स, बम्बई।
9.	मैसर्स कल्याणी स्टील्स लिमिटेड, पूणे।

पश्चिम बंगाल में पटसन का उत्पादन

4840. **डा० गोलाम याजदानी** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1984 में पटसन का कुल कितना उत्पादन हुआ और भारतीय पटसन निगम ने प्रति क्विंटल कितना मूल्य दिया;

(ख) वर्ष 1985 में पश्चिम बंगाल में उत्पादित पटसन की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और भारतीय पटसन निगम ने उसके लिए प्रति क्विंटल कितना मूल्य निर्धारित किया;

(ग) क्या वर्ष 1985 के लिये निर्धारित किया गया पटसन का मूल्य 1984 के मूल्य से कम है, यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय पटसन निगम द्वारा इस वर्ष पश्चिम बंगाल के पटसन उत्पादकों से पटसन की खरीद के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल में जूट तथा मेस्टा का अनुमानित कुल उत्पादन 41.11 लाख गांठें था। भारतीय जूट निगम द्वारा दी गई कीमतें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

पश्चिम बंगाल	1983-84 (**रु० क्विंटल**)
(1) उत्तरी बंगाल सफेद	277 से 284
(2) दक्षिणी बंगाल तोस्सा	297 से 304

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) कीमत समर्थन संचालन करने संबंधी यथावश्यक जिम्मेदारी भारतीय जूट निगम को सौंपी गई है। निगम ने वसूली कार्य यथावश्यक रूप से आरम्भ करने के उद्देश्य से अपने सभी खरीद केन्द्रों के व्यक्तियों, मशीनरी और धन से युक्त कर दिया है।

विवरण

चालू जूट सीजन 1985-86 के दौरान पश्चिम बंगाल में जूट तथा मेस्टा उत्पादन का अनुमान 45 लाख गांठें आंका गया है। सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों के लिए 1984-85 और 1985-86 सीजन हेतु निर्धारित न्यूनतम सांविधिक कीमतें निम्नोक्त प्रकार हैं :-

स्थान	किस्म	1984-85	1985-86
1 (कूच बिहार, जलपाइगुड़ी	ह्वाइट (डब्ल्यू-5)	202.50	223.00
और दार्जिलिंग जिलें	तोस्सा (टी डी-5)	215.00	235.50
2 (पश्चिमी दीनाजपुर	ह्वाइट (डब्ल्यू-5)	207.50	228.50
और माल्दा	तोस्सा (टी डी-5)	220.00	241.00
3 (मुर्शिदाबाद, बाकुरा	ह्वाइट (डब्ल्यू-5)	210.50	231.50
और बीरभूमि	तोस्सा (टी डी-5)	223.00	244.00
4 (नादिया, मिदनापुर,	ह्वाइट (डब्ल्यू-5)	213.50	235.50
बर्दवान, 24-परगना,			
हुगली और हावड़ा	तोस्सा (टी डी-5)	226.00	248.00

1985-86 सीजन के लिए निर्धारित कीमतें 1984-85 सीजन के लिए निर्धारित कीमतों से अधिक हैं।

कर्नाटक को दिये गये सहायता अनुदान और निधियां

4841. **श्रीमती बसव राजेश्वरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 और चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक को कितनी राशि के सहायता अनुदान और निधियां दी गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(लाख रुपये)

	योजनागत			योजना-भिन्न		
	ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़
1981-82	8457	8603	17060	1190	755	1925
1982-83	8125	9556	17681	1448	532	1980
1983-84 (संशोधित अनु.)	9551	13075	22626	1484	736	2220
1984-85 (बजट अनु.)	10564	17853	28417	1434	696	2130
1985-86 (बजट अनु.)	14806	20850	35656	1450	1263	2713

बाजार में विदेशी कम्पनियों के शेयरों का महंगा होना

4842. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि बाजार में विदेशी कम्पनियों के शेयर महंगे हो गए हैं;

(ख) क्या यह कम्पनियों के लाभ को प्रदर्शित करता है; और

(ग) उक्त संदर्भ में सरकार अपनी हाल की कार्यवाहियों को कैसे न्यायसंगत सिद्ध कर सकती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवत: "विदेशी कम्पनियों" शब्द का अभिप्राय उन कम्पनियों से है, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत शामिल है। अभी हाल ही में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत शामिल कम्पनियों और साथ ही घरेलू कम्पनियों जिसमें सभी प्रकार के उद्योग भी शामिल हैं, से संबंधित कारोबार करने वाली कम्पनियों के उन शेयरों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है जो स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है।

(ख) सूचीबद्ध शेयरों की कीमतों का निर्धारण विभिन्न तथ्यों, जैसे कि कम्पनी की संभावित लाभोपार्जन क्षमता, कम्पनी की लाभांश देने की नीति, कम्पनी के विस्तार तथा विविधिकरण सम्बन्धी प्रस्तावों और; बाजार में शेयरों की उपलब्धता की तुलना में शेयरों की मांग आदि जैसे कारणों से होता है। अत: शेयरों की कीमतों में वृद्धि होना हमेशा कम्पनियों की लाभोपर्जकता का द्योतक नहीं है।

(ग) यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

गैर-कानूनी सम्पत्ति के लेन-देन पर रोक

4843. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजा छालिया समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में काले धन के जमा होने का मुख्य कारण सम्पत्ति का लेन-देन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास सम्पत्ति के इस गैर-कानूनी लेन-देन पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा काले धन को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान ने "भारत में अवैध अर्थव्यवस्था के पहलू" नामक अपनी रिपोर्ट में स्थावर संपदा के लेन-देन को काले धन की उत्पत्ति करने वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र माना है। सम्पत्ति के लेन-देनों में काले धन के निवेश पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे नियंत्रण-उपायों में से एक उपाय आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 20क के अंतर्गत सम्पत्तियों का अधिग्रहण करना है।

बैंकों की विदेशी शाखाओं में नियुक्ति के समय अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए पदों का आरक्षण

4844. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक विदेशों में अधिकारियों की नियुक्ति के समय 15 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षित रखता है;

(ख) पंजाब नेशनल बैंक की विदेशों में शाखाओं में कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी काम कर रहे हैं और विदेशी शाखाओं में कुल कर्मचारियों की तुलना में उनकी प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या पंजाब नेशनल बैंक को एम० टी० बैच 1978 को पी० सी० आर० के समय प्रशिक्षणार्थी माने जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) इसको लागू करने में हुए भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस संबंध में मौजूदा अनुदेशों के अनुसार विदेश में नियुक्ति सहित तबादले या नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी विदेशी शाखा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी नहीं है।

(ग) और (घ) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि बैंक में नवम्बर, 1978 में आए प्रबंध प्रशिक्षणार्थियों से उसे एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें अनुरोध किया गया था कि उन्हें प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति की तारीख से वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाय। बैंक ने इसे मंजूर नहीं किया क्योंकि बैंक के विचार में ऐसा करना विनियमों के अनुकूल नहीं होगा। कुछ अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत याचिका (लीव पेटीशन) दायर की है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय कम्पनियों में निवेश

4845. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश में बहुत रुचि दिखा रहे हैं तथा उन्होंने पुराने, नए और रुग्ण उद्योगों के शेयरों तथा ऊंची दरों पर भी नए पूंजीगत शेयरों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो निवेश योजना अन्तर्गत यदि कोई धनराशि प्राप्त है तो उसके सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों की रुचि को देखते हुए सरकार का विचार औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए सरकार, गैर-सरकारी लोगों तथा अनिवासी भारतीयों की भागीदारी के साथ सरकारी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियां शुरू करने और पिछड़े राज्यों में उद्योग स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या कम्पनियों को अनिवासी भारतीयों के निवेश से वंचित रखा जाना चाहिये जबतक कि वे अपने वर्तमान कार्य स्थलों की बजाए अन्य पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनायें शुरू नहीं करती हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनिवासी भारतीयों द्वारा

भारत में निवेश के लिए अच्छा उत्साह दिखाया गया है। परन्तु अनिवासी भारतीयों द्वारा सापेक्षिक दृष्टि से ऊंची कीमतों पर शेयर खरीदने के विचार के संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) भारतीय राष्ट्रिकता/मूल के अनिवासियों और ऐसे समुद्रपारीय निगमित निकायों को जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत तक उनका मालिकाना हक हो, उपलब्ध निवेश सुविधाओं की अप्रैल, 1982 के बाद की अवधि की स्थिति, जिसके आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध हैं, इस प्रकार है—

	राशि (करोड़ रुपए)
(क) सीधा निवेश	
(30-6-1985 तक)	315.96
(ख) पोर्टफोलियो निवेश	
स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से वास्तव में खरीदे गए शेयर/ऋणपत्र (31.3.1985 तक)	46.87
(ग) बैंक निक्षेप	
बकाया शेष राशियां (31-5-1985 तक)	3968.64

(ग) और (घ) फिलहाल, सरकार के पास गैर-सरकारी क्षेत्र तथा अनिवासी भारतीयों की भागीदारी के साथ सम्बाणी क्षेत्र में बड़ी कम्पनियां स्थापित करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। फिर भी वर्तमान औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है।

फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में उद्योग स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश

4846. **प्रो० बिमल कान्ति घोष** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और/अथवा फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन प्राधिकरण ने उन उद्योगों का पता लगाया है जिन्हें पश्चिम बंगाल में फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्रोत्साहन दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई दिशा-निर्देश तैयार किए गये हैं तो वह क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन एक बहु उत्पाद क्षेत्र है। सभी प्रकार के उद्योगों पर विचार किया जा सकता है, इसमें उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें पर्याप्त मात्रा में निर्यात, नई प्रौद्योगिकी और कम से कम न्यूनतम विहित मूल्यवर्धन शामिल हो।

मूंगफली और काजू के निर्यात के लिए आशयपत्र/लाइसेंस जारी करना

4847. **श्री सी० सम्बु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पैदा हुई मूंगफली और काजू की फसलों को अन्य देशों में निर्यात की व्यवहार्यता क्या है;

(ख) वर्ष 1984-85 और जनवरी, 1985 से आज तक प्रथम छः महीनों में मूंगफली और काजू के निर्यात के लिए कितने आशय पत्र अथवा लाइसेंस जारी किए गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) काजू गिरी तथा एच० पी०एस० मूंगफली के निर्यात के लिये उचित आसार विद्यमान हैं।

(ख) और (ग) काजू गिरी के निर्यात की मुक्त रूप से अनुमति है। एच० पी० एस० मूंगफली का निर्यात 1,10,000 मे० टन की सीमा तक राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ (नैफेड) की मार्फत सरणीबद्ध है। सरणीकरण नीति के अन्तर्गत निजी पार्टियों को नैफेड के सहायकों के रूप में उनके लिए निर्धारित की गई सीमा के आधार पर एच० पी० एस० मूंगफली का निर्यात करने की भी अनुमति है। 1984-85 में ऐसोशिएट शिपर्स द्वारा एच०पी०एस० मूंगफली के निर्यात के लिये नैफेड ने 50 प्राधिकार पत्र जारी किये थे। जनवरी-जुलाई, 1985 की अवधि में एच० पी० एस० मूंगफली के पोतलदान के लिए नैफेड ने 18 प्राधिकार पत्र जारी किये हैं।

मैसर्स जॉन बैथ एण्ड ब्रादर्स

4848. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स जॉन बैथ एण्ड ब्रादर्स कम्पनियों को अपना व्यवसाय बन्द करने के लिए कहा था;

(ख) क्या इन कम्पनियों को व्यवसाय बन्द करने के बजाय उन्हें अपनी इक्विटी कम करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने, पहले कम्पनी को भारत में अपना कारोबार बन्द करने की हिदायत दी थी, क्योंकि यह कम्पनी न तो विनिर्माण का कारोबार और न ही व्यापारिक कामकाज कर रही थी। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत एक अभ्यावेदन पर, कम्पनी को 40 प्रतिशत अनिवासी शेयरधारिता रखते हुए अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति दिये जाने का फैसला किया गया है। यह फैसला विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और इसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत जारी किए गये मार्ग-निर्देशों के अनुरूप है। कम्पनी ने अब विदेशी शेयरधारिता में निर्धारित सीमा तक कमी कर दी है।

रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चाय उद्योगों के आस-पास सहायक उद्योग

4849. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फालतू घोषित श्रमिकों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिये चाय उद्योगों में और उसके आस-पास चाय उद्योग द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा से सहायक उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए सरकार किस प्रकार उद्योगों को उपयुक्त समझती है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) चाय उद्योग स्वयं अधिकतम श्रम प्रधान उद्योगों में से एक है और अन्य कृषि आधारित उद्योगों की तुलना में रोजगार सृजन की लागत कम है। चाय उद्योग से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा देश के हित में अर्थात अनिवार्य आयात करने के लिये प्रयोग की जाती है। वित्त अधिनियम 1985 में चाय उद्योग के और विकास के लिये लाभ के पुनः निवेश को और प्रोत्साहित करना शामिल है।

इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात में कमी

4850. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात में गत तीन वर्षों में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है;

(ख) इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष लक्ष्यों की तुलना में निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी नहीं। लक्ष्यों की तुलना में तीन वर्षों के दौरान इन्जीनियरी माल के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं—

वर्ष	लक्ष्य	निर्यात*
	(करोड़ रु० में)	
1982-83	1400	1250
1983-84	1450	1170
1984-85	1500	1300

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) सरकार ने इन्जीनियरी माल के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इनमें अन्यों के साथ-साथ शामिल हैं अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पुर्नभुगतान योजना को जारी रखना तथा सुदृढ़ बनाना, निर्यात उत्पादन के लिये आयातों का उदारीकरण, विपणन तथा भाण्डागारों पर अधिक बल देना तथा कुछ देशों को ऋण सुविधाएं।

1989-90 के लिए इन्जीनियरी माल के निर्यात के लिए 4,550 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बैंक नोट कागज

4851. **श्री रामेश्वर नीखरा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से आयात किए गए बैंक नोट कागज की विदेशी प्रभारों सहित प्रति मीट्रिक टन लागत क्या है; और

(ख) देश में निर्मित प्रति मीट्रिक टन बैंक नोट कागज की क्या लागत है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने वर्ष 1985-86 के लिए नौभरण पर्यन्त निःशुल्क 4,650 पौण्ड प्रति मीट्रिक टन की दर पर 5,500 मीट्रिक टन

बैंक नोट कागज खरीदने का संविदा किया है जो प्रत्येक 100.00 रुपये के लिए 6.1865 पौण्ड की चालू विनिमय दर पर 75,164 रुपए प्रति मीट्रिक टन के बराबर है।

(ख) देश में निर्मित बैंक नोट कागज की वर्तमान लागत 67,245 रुपए प्रति मीट्रिक टन है।

वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित ऋण शिविरों में राज्य सरकारों का शामिल होना

4852. **श्री एस० एम० भट्टम : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों ने शिकायत की है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित ऋण शिविरों (ऋण मेलों) में राज्य सरकारों को शामिल नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि लाभार्थियों का चयन, आवेदनों की जांच, राज सहायता जारी करने आदि का काम राज्य एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने अधिकारियों को "ऋण मेलों" में भाग न लेने के निर्देश दिए हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अपने इस दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने और राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर विचार करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चावल का निर्यात और आयात

4853. **श्री मोहनभाई पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बासमती चावल की वर्ष-वार कितनी मात्रा निर्यात की गई; तथा यह चावल किस दर पर निर्यात किया गया;

(ख) यया यह सच है कि बासमती चावल के निर्यात के कारण देश में इसकी कीमत 14-15 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में चावल की कमी है तथा मांग की पूर्ति के लिए चावल का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना चावल आयात किया गया तथा इसका कैसे वितरण किया जा रहा है; और

(ङ) वर्ष 1985-86 के लिए चावल के आयात तथा निर्यात के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्रा तथा मूल्य के रूप में बासमती चावल के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1982-83 (अ)	1,78,078 मे० टन	105.22 करोड़ रु०
1983-84 (अ)	1,41,664 मे० टन	96.12 करोड़ रु०
1984-85 (अ)	2,41,785 मे० टन	163.03 करोड़ रु०

(अ) अनन्तिम

(स्रोत: साधित खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद)

(ख) बासमती चावल की घरेलू कीमत में कुछ वृद्धि हुई है। तथापि, बासमती चावल के वितरण में कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात के लिए संविदाकृत चावल की मात्रा निम्नोक्त प्रकार थी :—

1982-83	शून्य
1983-84	7.20 लाख मे० टन
1984-85	शून्य

आयातित चावल भारत आने पर केन्द्रीय पूल का हिस्सा बन जाता है और फिर सार्वजनिक वितरण के लिए जारी किया जाता है।

(ङ) 1985-86 की निर्यात नीति में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत बासमती चावल के निर्यात की व्यवस्था है। वर्तमान नीति में बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं है। वर्तमान आयात नीति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरकार द्वारा उसके पक्ष में रिलीज की गई विदेशी मुद्रा के आधार पर खाद्यान्न के आयात की व्यवस्था है।

मछली और मछली उत्पादों का निर्यात

4854. **श्री मोहनभाई पटेल**

श्री चितामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में संलग्न बड़ी कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा वर्ष-वार और कंपनी-वार मछली और मछली उत्पादों की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य क्या था;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं, जो इन कंपनियों से मछली और मछली उत्पादों का आयात कर रहे हैं;

(घ) क्या इस व्यवसाय में गिरावट आ रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस गिरावट के कारणों को पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जो बड़ी कंपनियां गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में लगी हुई हैं, उनके नामों और मछली के उनके निर्यात एवं मछली के उत्पादों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

			(मूल्य लाख रु० में)	
क्रम सं०	कंपनी का नाम	मछली तथा मछली उत्पादों के निर्यात		
		1982-83	1983-84	1983-84 (अनन्तिम)
1.	मैसर्स ब्रिटानिया फ्रोजन फूड्स	679.59	826.23	528.40
2.	मैसर्स चौगुले एंड कं० (प्रा०) लि०	184.62	17.53	81.95
3.	मैसर्स आई० टी० सी० लि०	49.45	146.39	110.72
4.	मैसर्स कोनकान फिशरीज (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम	60.17	156.21	314.22
5.	मैसर्स यूनियन कारबाइड इंडिया लि०	491.85	502.46	56.85

इन फर्मों के अतिरिक्त, नीचे लिखी फर्में भी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम में लगी हुई हैं :—

— मैसर्स टाटा आयल मिल्स लि०,

— मैसर्स चौगुले स्टीमशिप लि०, बम्बई,

— मैसर्स ई० आई० डी० पैरी (इंडिया) लि०, मद्रास

— मैसर्स फोयेनिक्स इंडिया मेरिन (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम।

वे जो महत्वपूर्ण देश इन कंपनियों से मछली तथा मछली के उत्पादों का आयात कर रहे हैं, वे हैं—जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम आदि।

(स्पष्टत: इस प्रश्न के भाग (ख) के अन्तर्गत माननीय सदस्यों ने "गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मछली और मछली के उत्पादों की मात्रा" के बारे में जानकारी चाही है, "गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मछली और मछली के उत्पादों की क्वालिटी" के बारे में नहीं, जैसाकि सूची में दिखाया गया है।)

(घ) से (च) भारत से मछली और मछली के उत्पादों के समग्र निर्यात व्यापार में कोई गिरावट नहीं आई है जो 1983-84 में 3703.02 करोड़ रु० की तुलना में 1984-85 में 384.29 करोड़ रु० के हुए। तथापि, 1984-85 में मात्रावार निर्यात 86187 मे० टन हुए जबकि 1983-84 में 92691 मे० टन थे। इस गिरावट का मुख्य कारण था—चार्टर्ड जलयानों के परिचालन में तीव्र गिरावट तथा समुद्री माल की उतराई में स्थिरता।

अप्रैल से जून 1985 की अवधि के दौरान इस मद के 85.23 करोड़ रु० के मूल्य के 18,695 मे० टन निर्यात हुए (जबकि अप्रैल से जून 1984 के दौरान 81.86 करोड़ रु० मूल्य के 18354 मे० टन के निर्यात हुए थे) जिससे मात्रा और मूल्य दोनों में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

इस निर्यात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें शामिल हैं : झींगा मछली की खेता का संवर्धन, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम के विकास के लिए संयुक्त उद्यम तथा अन्य योजनाएं, विविधीकृत मछली क्षेत्र, मछली पकड़ने के उपस्करों और कौशल में सुधार, संसाधन संयंत्रों का आधुनिकीकरण तथा मूल्यवर्धित मदों को प्रोत्साहन।

सिक्कों की कमी

4855. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रतिदिन कितनी राशि के छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं; और

(ख) जहां भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा नहीं है, वहाँ सामान्य जनता के लाभ के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से छोटे सिक्कों के वितरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केवल भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के माध्यम से जारी किये गये सिक्कों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनके निर्गम कार्यालयों और एजेंसी बैंकों (अर्थात भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों) के माध्यम से जारी किए गए छोटे सिक्कों की निवल मात्रा निम्न प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	(लाख नहों में)
1982-83	8343
1983-84	6844
1984-85	9471

(ख) छोटे सिक्कों के वितरण की प्रक्रिया में भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनकी शाखाओं में छोटे सिक्के के डिपो की स्थापना करके पहले ही शामिल किया जा रहा है। छोटे सिक्कों के और अधिक डिपो की स्थापना द्वारा इस विवरण तंत्र का विस्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

हीरे और सोने के आभूषणों का निर्यात

4856. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने मूल्य के हीरे और सोने के आभूषणों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या इनका निर्यात सीधे ही व्यापारियों द्वारा किया जाता है अथवा किसी सहकारी अभिकरण के माध्यम से किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि उस व्यापार में भारत प्रतिवर्ष भारी मात्रा में सोना खो रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में स्वर्ण आभूषणों का निर्यात किया गया; और

(ङ) देश में सोने का भण्डार बना रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क)

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	हीरा	स्वर्ण आभूषण
1982-83	912.83	57.69
1983-84	1188.89	83.38
1984-85	1172.10	85.75

(ख) इनका निर्यात सीधे व्यापारियों द्वारा और साथ ही सहकारी एजेंसियों द्वारा या उनकी मार्फत किया जाता है ।

(ग) से (ङ) स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के रूप में देश से सोने का कोई बहिर्गमन नहीं होता । एच० एच० ई० सी० योजना के अंतर्गत निर्यात किये गये आभूषणों में इस्तेमाल की गई मात्रा के बराबर सोना खरीददार से पहले ही प्राप्त कर लिया जाता है जबकि स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन तथा प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत निर्यात किए गए आभूषणों के बनाने में इस्तेमाल किए गए सोने की प्रतिपूर्ति विदेशों से खरीददारी के रूप में की जाती है और आभूषणों के निर्यात होने के बाद, निर्यातकों को उसे बेच दिया जाता है । देश से बाहर जाने वाली सोने की कुछ सीमांत मात्रा ऐसे मामले में होगी जहां आभूषणों में सोने का अंश मूल्य के रूप में 10% से अधिक नहीं होता या विदेशी मुद्रा के द्वारा पर्यटकों को आभूषणों की बिक्री के मामले में होगी ।

बैंक आफ महाराष्ट्र की जोनल/क्षेत्रीय शाखाएं खोलना

4857. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ महाराष्ट्र की कुछ राज्यों में जोनल/क्षेत्रीय शाखाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से राज्य हैं, जहां बैंक आफ महाराष्ट्र की जोनल/क्षेत्रीय शाखायें नहीं हैं तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में इस बैंक की कोई जोनल/क्षेत्रीय शाखा नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से उड़ीसा में शाखायें खोलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार तथा उड़ीसा के सांसदों ने इस बारे में सरकार से सम्पर्क किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी तथा राज्यों में इस बैंक की शाखायें कब तक खुल जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, जिनमें बैंक आफ महाराष्ट्र भी शामिल है, अपने-अपने आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या और स्थान का निर्णय अपनी शाखाओं के बैंकिंग परिचालनों के कारगर तथा प्रभावकारी पर्यवेक्षण और नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुरूप खर्चे में किफायत को देखते हुए लेते हैं । अतः प्रत्येक बैंक के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका प्रत्येक राज्य में आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यक हो । बैंक आफ महाराष्ट्र ने यह बताया है कि निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उसके आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है :—

1. असम	13. सिक्किम
2. बिहार	14. तमिलनाडु
3. हरियाणा	15. त्रिपुरा
4. हिमाचल प्रदेश	16. उत्तर प्रदेश

5. जम्मू एवं कश्मीर	17. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
6. केरल	18. अरुणाचल प्रदेश
7. मणिपुर	19. चण्डीगढ़
8. मेघालय	20. दादर एवं नागर हवेली
9. नागालैंड	21. गोआ, दमन एवं दीव
10. उड़ीसा	22. लक्ष्यद्वीप
11. पंजाब	23. मिजोरम
12. राजस्थान	24. पाण्डिचेरी

शाखाओं के जाल का भौगोलिक विस्तार कई बातों पर निर्भर करता है जैसे ऐतिहासिक कारण, आंतरिक वित्तीय क्षमता, जनशक्ति की गुणवत्ता और नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण तंत्र की कुशलता आदि। यह जरूरी नहीं है कि सभी बैंकों की शाखाएं सभी राज्यों में फैली हों।

(ङ) और (च) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक आफ महाराष्ट्र से उड़ीसा में शाखाएं खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। विभिन्न बैंकों के बीच उड़ीसा में परस्पर सम्मत शाखा-विस्तार कार्यक्रम शाखाओं के आवंटन के प्रश्न पर 1985-1990 के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा जिसे इस समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इंडियन बैंक द्वारा मैसर्स गौरीपुर जूट कंपनी, कलकत्ता को दिए गए ऋण

4858. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बैंक ने हाल ही में मैसर्स गौरीपुर जूट कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता को बहुत बड़ी धनराशि के ऋण दिये थे;

(ख) क्या इलाहाबाद बैंक ने इसे एक रुग्ण एकक माना था और अपनी वित्तीय सहायता वापस ले ली थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने और चूक-कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 (1) के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ग्राहकों के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

(ग) फिलहाल कंपनी या किसी बैंक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मामले की जांच करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना

4859. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 में राज्य-वार कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी; और

(ख) 1985 में ऐसे कितने बैंकों की राज्य-वार स्थापना होने की संभावना है ?

. **वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) वर्ष 1984 में 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। इनका राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	1984 **के दौरान स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या**
बिहार	3
गुजरात	4
हरियाणा	1
कर्नाटक	4
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	2
राजस्थान	4
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	1
जोड़	23

(ख) वर्ष 1985 के दौरान अभी तक 10 और बैंक खोले गए हैं। राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	2
बिहार	2
कर्नाटक	1
हरियाणा	1
महाराष्ट्र	1
राजस्थान	1
उत्तर प्रदेश	2
जोड़	10

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी में केन्द्रीय सरकार के हिस्से की अपेक्षाओं को पूरा करने के वास्ते 1985-86 के बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

उड़ीसा में कृषि के विकास के लिए किसानों को ऋण

4860. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कृषि के विकास के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किन विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में किसानों को कृषि ऋण देने वाले विभिन्न बैंकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक बैंक ने उस राज्य में उक्त अवधि में कितना ऋण दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उड़ीसा राज्य में कार्यरत सभी वाणिज्यिक सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों को कृषि कार्यों के लिए अग्रिम देते हैं।

(ख) वार्षिक कारंवाई आयोजना में कृषि के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा राज्य में कृषि के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों और अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

बैंक समूह	1983	1984
1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	4975.98	4639.49
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2778.19	2529.63
3. सहकारी बैंक	9155.64	10498.07
कुल :—	16909.81	17667.19

निर्यात-आयात बैंक द्वारा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता

4861. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निर्यात परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा वर्ष 1982 में इसके प्रारम्भ से ही सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा इसके प्रारम्भ से ही वर्ष-वार सरकार को कितने लाभांश की अदायगी की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1982 में अपने प्रारंभ से, भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने भारतीय निर्यात के जिन परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना मूल्य	स्वीकृत सुविधाएं	
			निधिबद्ध	अ-निधिबद्ध
1982	83	863.35	57.28	101.88
1983	48	364.51	80.87	75.33
1984	42	165.30	127.88	57.16

(ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा अपने आरम्भ से भारत सरकार को दिए गए लाभांश का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	लाभांश दिए जाने का वर्ष	राशि (करोड़ रुपये)
1982	1983	1.00
1983	1984	2.00
1984	दिया जाना है	3.00 (अनन्तिम)

दिपका ओपेनकास्ट कोयला खान परियोजना

4862. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की दिपका ओपेनकास्ट कोयला खान परियोजना के लिए 56.05 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या यह परियोजना, जिसका भारत एल्युमीनियम कम्पनी के आरक्षित विद्युत संयंत्र की आवश्यकता पूरी करने हेतु विकास किया जा रहा है, 1988-89 तक प्रति वर्ष 2 मिलियन टन कोयले की उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेगी; और

(ग) इस परियोजना पर इतनी अधिक राशि से कहां तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की आशा है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस कोयला खान पर निवेश से सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित कोयला-उत्पादन होने की आशा है :—

वर्ष	1985-86	86-87	87-88	88-89 और इससे आगे
कोयले का उत्पादन (मि० ट०/वर्ष)	—	0.50	1.50	2.00

शेयरों के सौदों में काले धन का उपयोग

4863. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि शेयरों के अनौपचारिक सौदों में इस समय काफी मात्रा में काला धन उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या पेशेवर लोग और कुछ पिछड़ी हुई कम्पनियों के मालिक इन शेयरों को उच्च मूल्यों पर बेचने और उनके मूल्य गिरने पर उन्हें पुनः खरीदने का अवसर हाथ से नहीं जाने देते;

(ग) क्या ऐसे सौदों से वे औपचारिक रूप से लाभ कमा लेते हैं और औपचारिक रूप से अपनी आयकर विवरणियों में हानि दिखाने में सहायता मिलती है; और

(घ) यदि हां, तो गलत तरीकों से कमाये गये इस पूर्ण लाभ का न केवल अधिग्रहण करने अपितु शेयर-दलालों और अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाने वाले कदाचारों को निरुत्साहित करने और रोकने के लिए भी सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) इस विषय पर 'कोई

विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। काले धन के चलन को रोकने और उसके और आगे होने वाले प्रसार के निवारण के लिए समय-समय पर सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों में प्रशासनिक, विधायी और सांस्थानिक उपाय शामिल हैं।

कुवैत सप्लाई कम्पनी को चावल की सप्लाई करने में राज्य व्यापार निगम का असफल रहना

4864. **श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम के कुवैत सप्लाई कम्पनी को अनुबंधित मात्रा में चावल की सप्लाई करने के अपने वायदे में असफल हो जाने के कारण खाड़ी के देशों में भारत की व्यापारिक शाखा को भारी धक्का लगा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम जिन सौदों को पूरा नहीं कर सकता है ऐसे सौदों को भविष्य में न करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने कुवैत सप्लाई कं० को चावल की सप्लाई के लिए कोई संविदा नहीं की थी।

इस्पात उत्पादन के लिए निम्नतर किस्म के कोकिंग कोयले का खनन

4865. **श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा परामर्शदात्री बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि इस्पात उत्पादन के लिए अधिक राख वाले निम्नतर किस्म के कोकिंग कोयले की खुदाई सम्बन्धी नीति रद्द की जाए;

(ख) यदि हाँ, तो बोर्ड ने इस नीति को रद्द करने के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं; और

(ग) उसके प्रति इस्पात उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) ऊर्जा सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड ने मई, 1985 में "टुवर्डस अर्पस्पेक्टव ऑन एनर्जी डिमांड ऐंड सप्लाई इन इण्डिया इन 2004/05" शीर्षक अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उसमें यह सिफारिश की है कि कोककर कोयले के घटिया ग्रेड के खनन की वर्तमान नीति की पुनरीक्षा की जाए। ऊर्जा सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों की कोयला विभाग में जांच की जा रही है।

1985-86 के लिए कच्चे लोहे के निर्यात के लक्ष्य में उड़ीसा का भाग

4866. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के लिए कच्चे लोहे के निर्यात का लक्ष्य कितना है;

(ख) इसमें उड़ीसा के कच्चे लोहे का कितना हिस्सा है; और

(ग) इसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1985-86 के लिए लौह अयस्क (कुद्रेमुख सांद्रणों को छोड़कर) का निर्यात-लक्ष्य 28 मिलियन मे० टन है।

(ख) इन निर्यात-लक्ष्य में उड़ीसा लौह अयस्क का भाग 1.664 मिलियन मे० टन होगा।

(ग) पारादीप पत्तन मे निर्यात होने वाले लौह अयस्क की सम्पूर्ण मात्रा हेतु संविदाएं जो कि उड़ीसा से वसूल किए गए लौह अयस्क के निर्यात के लिए एकमात्र निकासी है, एम० एम० टी० सी० द्वारा पहले ही सम्पन्न की जा चुकी है। एम० एम० टी० सी० द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपाय हैं (1) खान मालिकों से लौह अयस्क की अधिप्राप्ति हेतु उदारीकृत नीति अपनाना (2) गत वर्ष के दौरान खान मालिकों द्वारा सप्लाई की गई मात्रा की अपेक्षा अधिक मात्रा की सप्लाई हेतु उत्पादन प्रोत्साहन देना (3) विदेशी खरीदारों को बिक्री कीमतों में छूट आफर करना; और (4) निर्यात बाजारों का विविधीकरण। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातों में गति लक्ष्य के अनुरूप लाई जा रही है।

शत्रु सम्पत्ति के बारे में लम्बित दावों का निपटान

4867. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, कलकत्ता/विशेष कार्य अधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय के पास 31 मार्च, 1985 तक दावों के कुल कितने मामले लम्बित थे;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के दावों को शीघ्रता से निपटाने के लिए कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम दिशा निर्देश क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 31-3-1985 तक 14,752 दावे सम्बन्धी आवेदन पत्र निपटाने के लिए लम्बित थे।

(ख) जी हां।

(ग) लम्बित दावों को शीघ्रता से निपटाने के लिए, सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कदम उठाये हैं. और उद्यतन उठाए गये कदम हैं;

(1) पैनलों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 करना;

(2) पैनल सदस्यों के लिए, मामलों के सत्यापन के लिए, पारिश्रमिक की दर बढ़ाना, और

(3) अनुग्रहपूर्वक अनुदानों के वितरण के कार्य को बम्बई से कलकत्ता में अन्तरण।

नई वस्तुओं का आयात

4868. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का निकट भविष्य में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का आयात करने का विचार है जिसका पहले आयात नहीं किया जाता था;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार सार्वजनिक हित में अपेक्षित मदों का आयात समय-समय पर करती है। इसमें कुछ ऐसी मदें भी शामिल हैं जिनका आयात विगत में नहीं किया गया। ऐसी मदों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

नकली रेशे से बने कपड़ों का मानव चमड़ी पर प्रभाव

4869. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नकली रेशे से बने कपड़ों का मानव चमड़ी पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का कोई अध्ययन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसे किस तिथि तक किये जाने की संभावना है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने संश्लिष्ट रेशे से बने कपड़ों का मानव चमड़ी पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है ।

(ग) और (घ) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अल्पकालीन जमाराशियों पर ब्याज दर के भुगतान के बारे में विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय का उल्लंघन

4870. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1985 में भारतीय रिजर्व बैंक के 50वें वर्ष के अवसर पर एक प्रमुख नीति निर्णय की घोषणा की थी और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन जमाराशियों पर अधिकतम 8 प्रतिशत तक ब्याज दर निर्धारित करने की छूट दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी बैंकों ने जो इंडियन बेंकर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं; इस निर्णय का उल्लंघन किया है और ऊंची दरों का उल्लेख करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक को अपना निर्णय 27 मई तक रोके रखना पड़ा और उसने ब्याज दर पुनः निर्धारित की;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फैसले को उलटने और विदेशी बैंकों द्वारा इसके निर्णय का उल्लंघन करने की बात पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने विदेशी बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है भविष्य में इस प्रकार निर्णय उलटने की पुनरावृत्ति से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकरण में एकरूपता लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 अप्रैल, 1985 से बैंकों को 15 दिन से अधिक तथा एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधियों की जमाराशियों पर 8 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अन्दर-अन्दर ब्याज की दरें तय करने की छूट दे दी थी । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विदेशी बैंकों सहित किसी भी बैंक ने निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया । अलबत्ता जब कुछ बैंकों ने 15 दिन की परिपक्वताओं के लिए 8 प्रतिशत की दर की पेशकश शुरू कर दी तो सभी बैंकों ने लाभप्रदता पर विचार किए बिना सीधे ही उसका अनुसरण शुरू कर दिया । परिणामतः भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थिति की समीक्षा की और यह पाया कि बैंक 15 दिन से अधिक तथा एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधियों के लिए ब्याज दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में दी गई छूट के सम्बन्ध में कठिनाई महसूस कर रहे थे । नतीजा यह हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मई, 1985 से यह छूट वापस ले ली और 91 दिन से 6 महीने, 6 महीने से एक वर्ष से कम तक की दरों को बढ़ाकर क्रमशः 6.5 प्रतिशत

और 8 प्रतिशत कर देने के अलावा 8 अप्रैल, 1985 से पूर्व की अवधियों और ब्याज दर फिर से लागू कर दी।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निहित उपबन्धों के अनुसार बैंकों की जमा-राशियों पर ब्याज की दरें तय करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक में निहित है। अलबत्ता जब कभी जरूरत होती है भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के बीच इस सम्बन्ध में परामर्श किया जाता है।

भारतीय औद्योगिक पुर्नानिर्माण बैंक द्वारा बीमार यूनिटों के लिए आदर्श राहत मानदंड तैयार करना

4871. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुर्नानिर्माण बैंक से ऐसी कुछ "आदर्श सीमाएं (माडल पैरामीटर्स) तैयार करने को कहा गया है जिनके भीतर बीमार यूनिटों को वित्त प्रदान करने वाली एजेंसियों द्वारा पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाए;

(ख) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक पुर्नानिर्माण बैंक ने बीमार यूनिटों के लिए किस प्रकार के आदर्श राहत मानदण्ड तैयार किए हैं; और

(ग) उन पर किस प्रकार कार्यवाही हो रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक पुर्नानिर्माण बैंक (आई० आर० बी० आई०) ने सूचित किया है कि वह इस समय भारतीय रिजर्व बैंक और और अन्य वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुद्धार के लिए आदर्श नियम तैयार कर रहा है।

पेंशन की राशिकृत रकम पुनः देना आरंभ करना

4872. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दस वर्ष के पश्चात पेंशन की राशिकृत रकम को पुनः देना प्रारम्भ करने के बारे में दिनांक 12 अप्रैल 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) इस समय मामला किस स्थिति में है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कोई निर्देश अथवा निर्णय दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) उसके संदर्भ में सरकार ने इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार अभी तक उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है।

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा 1985 के दौरान पूंजीगत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए यूरो-येन ऋण एकत्र करना

4873. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र की वे कम्पनियां कौन सी हैं जिन्हें 1985 (31 जुलाई, 1985 तक) के दौरान अपनी पूंजीगत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए यूरो-येन ऋण एकत्र करने की अनुमति दी गई है;

(ख) कितनी धनराशि एकत्र करने की अनुमति दी गई है और ऋणदाता किस ब्याज दर पर ऋण देने के लिए सहमत हुए हैं और उसे लौटाने की शर्तें क्या होंगी; और

(ग) सरकार ने किस मामले में प्रतिभूति दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1985 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी कम्पनी ने अभी तक यूरो-येन मार्केट से **ऋण नहीं लिए हैं।**

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बड़े औद्योगिक गृहों को विदेशी मुद्रा के खाली परमिट

4874. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान 31 जुलाई, 1985 तक किन-किन बड़े औद्योगिक गृहों और अन्यों को व्यापार संवर्धन के लिए वार्षिक आधार पर विदेशी मुद्रा के खुले परमिट जारी किए गए; और वे कितनी राशि के थे;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार का कोई नियंत्रण रखा जाता है कि प्रकार के परमिटों का उपयोग इन कंपनियों के कार्यकारियों और निदेशकों द्वारा व्यापार संवर्धन के नाम पर मौज-मस्ती के लिए उपयोग न किया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन व्यापारिक क्षेत्रों की ओर से यह प्रयास है कि इन परमिटों की वैधता को तीन वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ाया जाए और उसकी राशि में वृद्धि की जाए; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस छूट के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या सुरक्षोपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

1985-86 के लिए निर्यात लक्ष्य

4875. **श्री के० एस० राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मुख्य निर्यात मदों के क्या नाम हैं जिनसे गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार तथा मद-वार, अत्यन्त अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) वर्ष 1985-86 के निर्यात लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) किन-किन मदों का निर्यात पिछले तीन वर्षों की तुलना में अधिक हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान जिन प्रमुख निर्यात मदों से विदेशी मुद्रा की पर्याप्त राशि प्राप्त हुई वे हैं : रत्न तथा आभूषण, चमड़ा तथा चमड़े का सामान, सिले सिलाए परिधान, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, चाय तथा मेट, समुद्री उत्पाद, लौह अयस्क सूती वस्त्र, पटसन का सामान, धातु से बना सामान, तम्बाकू (अनिर्मित), काफी, काजू गिरी, सब्जियां तथा फल, मसाले, खली, कपास, हस्तशिल्प की वस्तुएं, कालीन, कच्चा तेल तथा पैट्रोलियम उत्पाद।

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए निर्यात लक्ष्य 11,736 **करोड़ रुपये निर्धारित है**।

(ग) अलग-अलग वस्तुओं अथवा उत्पादों की निर्यात संभावनाएं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी कारणों पर निर्भर हैं। गत तीन वर्ष की उपेक्षा, 1985-86 के दौरान जिन मदों के निर्यात अपेक्षाकृत अधिक रहने की संभावना है, उनमें काजू गिरी, अनाज, खली, मसालें, साधित खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, लौह अयस्क, चमड़ा तथा चमड़े का सामान, सूती वस्त्र, सिले-सिलाए परिधान, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, इंजीनियरी माल तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं शामिल हैं।

भारत और अमरीका के बीच व्यापार किये जाने वाली मदें

4876. **श्री के० एस० राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेरिका के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध बनाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो अमेरिका के साथ अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए विभिन्न व्यापार समझौते कौन से हैं;

(ग) भारत-अमेरिका के बीच किन मदों पर व्यापार करने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में दोनों देशों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) दोनों सरकारों के बीच किसी भी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तथापि, संयुक्त राज्य अमरीका में गहन निर्यात संवर्धन संबंधी क्रियाकलापों तथा वाणिज्यिक प्रचार, परम्परागत तथा साथ ही साथ गैर-परम्परागत उत्पादों के निर्यातों कर बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। टेक्नोलोजी के अन्तरण के समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों के बीच हाल ही में हस्ताक्षर हुए, जो कि दोनों देशों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी में व्यापार और सहयोग को सुविधा प्रदान करेगा।

दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। संयुक्त राज्य अमरीका से आयात की जाने वाली महत्वपूर्ण मदें हैं :— औद्योगिक कच्चा माल, विशेषीकृत मशीनरी, प्रौद्योगिकीय मदें, उर्वरक सामग्रियां आदि।

जहां तक भारत के संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात का संबंध है, महत्वपूर्ण अधिकांश मदें ये हैं :—हीरे, सिले-सिलाये परिधान, इंजीनियरी उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद, काजू और समुद्री उत्पाद।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रुग्ण मिलों की बिक्री का प्रस्ताव

4877. **श्री सी० जंगा रेड्डी** :

डा० ए० के० पटेल : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 29 जून, 1985 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 26 मिलों की बिक्री के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे सरकार की हानि कम हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और रुग्ण औद्योगिक एककों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में भावी सरकारी नीति क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की भारी घाटे में चल रही मिलों की सम्भाव्य अर्थक्षमता सरकार के विचाराधीन हैं । मिलों की बिक्री से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव नहीं है । उनका अर्थक्षम बनाने की सम्भावना की खोजबीन की जा रही है ।

नई वस्त्र नीति के अनुसार, सरकार द्वारा रुग्ण एककों का अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण जो कि सम्भाव्य तौर पर अर्थक्षम नहीं है, रुग्णता की कठिनाइयों का हल नहीं जुटाता तथा सरकार नियम के अनुसार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।

[अनुवाद]

दिल्ली के उद्योगपतियों द्वारा करों के भुगतान में चोरी

4878. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में औद्योगिक एकक करों के भुगतान से बचते रहते हैं और अधिकतम व्यापार अलिखित किया जाता है जिससे काला धन बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक एककों के लेखों को योजनाबद्ध ढंग से बिक्री कर, आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच करवाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या जांच प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन के सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार के पास सामान्य स्वरूप के इस आरोप की पुष्टि करने के लिए कोई सूचना नहीं है ।

जहां तक बिक्री कर का संबंध है दिल्ली में सभी पंजीकृत व्यापारियों का क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा वार्षिक कर निर्धारण तथा आवधिक सर्वेक्षण किया जाता है । समय-समय पर सर्वेक्षण भी किए जाते हैं तथा जिन गैर पंजीकृत व्यापारियों का पता लगाया जाता है, और जो बिक्री कर देने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनका दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कर-निर्धारण किया जाता है जहां तक आयकर का संबंध है जब किसी विशेष निर्धारित द्वारा किए गए कर अपवंचन के संबंध में विशेष आरोप प्राप्त होते हैं तो कानून के अन्तर्गत सभी संभव कदम उठाए जाते हैं । औद्योगिक इकाईयों के मालिकों द्वारा किए गए उत्पादन शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए पूछताछ/जांच पड़ताल की जाती है और स्वः प्रेरणा से तथा सूचना के आधार पर आसूचना विकसित की जाती है । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग और स्थानीय क्षेत्राधिकारिक कार्यालयों के आन्तरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा औद्योगिक इकाइयों के लेखों की जांच करने की प्रणाली भी विद्यमान है । इसके अलावा निवारक अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच भी की जाती है ।

सहायक आयकर आयुक्त आदि के रैंक के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

4879. **श्री सोमजी भाई डामर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार अथवा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सहायक आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त/निदेशक और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) क्या इनमें से किन्हीं शिकायतों की जांच की गई और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) शेष शिकायतों की जाँच न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध, जिन मामलों में जाँच में आरोप सिद्ध हो गये, कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो इन अधिकारियों का विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान सहायक-आयकर आयुक्तों और आयकर आयुक्तों/निदेशकों के विरुद्ध क्रमशः 180 और 63 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) आयकर आयुक्तों के खिलाफ 119 शिकायतों की जांच-पड़ताल की गई थी। की गई जांच-पड़ताल के परिणाम स्वरूप, एक सहायक आयुक्त को आरोप पत्र जारी किया गया था और एक को स्थानांतरित किया गया था। 41 शिकायतों को जांच-पड़ताल के पश्चात समाप्त कर दिया गया। 76 मामलों में जांच पड़ताल चल रही है।

आयकर आयुक्तों/निदेशकों के मामले में 43 शिकायतों की जांच-पड़ताल की गई थी। एक मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की गई थी। 29 शिकायतें जांच-पड़ताल के बाद समाप्त कर दी गई थीं और 13 शिकायतों में जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) सहायक आयकर आयुक्तों और आयकर आयुक्तों/निदेशकों के विरुद्ध प्राप्त क्रमशः 61 और 20 शिकायतें अस्पष्ट पाई गई थीं इसलिए उन पर कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(घ) सहायक-आयकर आयुक्तों के मामले में एक अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया गया था और एक अधिकारी को स्थानांतरित किया गया था। आयकर आयुक्तों/निदेशकों के मामले में एक मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।

नारियल की भूसी की लेवी खरीद

4880. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नारियल की भूसी की लेवी खरीद एक योजना अनुमोदनार्थ भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उसे स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) जी हां। केरल सरकार ने नारियल की भूसी की अधिप्राप्ति के लिए एक लेवी प्रणाली लागू करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के प्रत्यायोजन के लिए औद्योगिक विकास विभाग में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी थी। इस मामले पर विस्तार से विचार किया गया है। सरकार द्वारा मांगे गए कतिपय स्पष्टीकरण केरल सरकार से प्राप्त होने हैं।

यूनियन कार्बाइड कम्पनी द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

4881. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनी यूनियन कार्बाइड ने 80 करोड़ रुपए से अधिक के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की चोरी की है;

(ख) क्या इस कम्पनी के विरुद्ध उत्पादन शुल्क की चोरी के 42 से अधिक मामले लम्बित हैं; और

(ग) सरकार का इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा पश्चिम बंगाल के चाय बागानों को वित्त पोषित करने में की गयी अनियमितताएं

4882. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के चाय बागानों को सहायता करने वालों में यूनियन बैंक आफ इंडिया मुख्य बैंक है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस बैंक के कार्यकरण के बारे में प्रतिदिन अनेक अनियमिततायें किये जाने की खबरें आ रही हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार वर्ष 1981 से 1985 तक की अवधि के बीच इस बैंक प्रबंध के बारे में जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पश्चिम बंगाल में चाय बागानों को वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों में यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया एक बैंक है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे इस बैंक के कार्यकरण के संबंध में अभी हाल में कोई गम्भीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ समझौता

4883. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के एक समूह के साथ 25 मिलियन डालर के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण क्या है;

(ग) यह ऋण किस प्रयोजन के लिये लिया गया है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जायेगा;

(घ) उसके वापसी भुगतान की शर्तें क्या हैं और अन्य शर्तें क्या हैं; और

(ङ) आंध्र प्रदेश का उस राज्य के औद्योगिक विकास के लिये यदि कोई हिस्सा हो, तो वह कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) इस समझौते पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, लायड्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड, एस०ए० लन्दन, बैंक बेल्ज पोर एल "एन्टेनर" बेल्जियम, बैंक बेल्ज लिमिटेड, लन्दन, क्रेडिट डयू नार्द, पेरिस, एंट्रेजर इन्टरनेशनल बैंक लंदन, दी रायल बैंक आफ कनाडा (बेल्जियम) एस०ए० बेल्जियम और निप्पन यूरोपियन बैंक एस०ए० (एन ई बी), बेल्जियम द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे।

(ग) यह समझौता पात्र औद्योगिक कम्पनियों को अपनी-अपनी परियोजना के लिए पूंजीगत माल के आयात का वित्तपोषण करने के वास्ते आगे उधार देने के लिये किया गया है।

(घ) इस समझौते की शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) इन धनराशियों के आवंटन के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते, लेकिन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में दी जाने वाली सहायता आन्ध्र प्रदेश सहित भारत की सभी पात्र औद्योगिक कम्पनियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

विवरण

1. ऋण की राशि	2.5 करोड़ अमेरिकी डालर
2. परिपक्वता	4 वर्ष की रियायती अवधि सहित 8 वर्ष
3. रकम निकालने की अवधि	36 महीने
4. वापसी अदायगी की शर्तें	ऋण करार की चौथी वर्षगांठ से शुरू होकर बराबर की 9 छमाही किस्तें
5. ब्याज की दर	कर मुक्त आधार पर ऋण के चालू रहने की अवधि के लिये "लिबर" से 1/8 प्रतिशत अधिक। यह दर पीछे आने (फाल बैंक) की परिस्थितियों में 'लिबर' से 3/8 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है
6. प्रबंध शुल्क	3/16 प्रतिशत एक समान
7. वचनबद्धता शुल्क	ऋण करार के बाद 90 दिनों से अथवा आदेश की तारीख से 150 दिन से शुरू करके, इसमें जो भी बाद का हो, ऋण की निकाली न गई रकम पर 0.25 प्रतिशत वार्षिक
8. ऊपरी खर्च, कानूनी खर्च और अन्य व्यय	वास्तविक लेकिन 20,000 अमेरिकी डालर से अधिक नहीं।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा निवेश

4884. **श्री थम्पन थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन दिनों विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा निवेश की जाने वाली राशि में बहुत सा धन काला धन है जो भारत से भारतीयों द्वारा बाहर भेजा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा धनराशियां विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अनुसार प्रेषित की जाती

हैं। इन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक को सामान्यतः उन्हीं के द्वारा की गई घोषणाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिये इन धनराशियों के स्रोतों का पता लगाने के प्रश्न की जांच पड़ताल करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 के उल्लंघन के संबंध में निश्चित और ठोस आरोप न लगाए गये हों।

उद्यमियों के खातों का एक बैंक से दूसरे बैंक में अन्तरण

4885. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोई उद्यमी जो किसी बैंक द्वारा उसके खाते की संबंधी सेवा से संतुष्ट नहीं है सभी देय राशियों का भुगतान करने के बाद भी तब तक दूसरे बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकता है जब तक कि वह उस बैंक द्वारा जिसमें उसका खाता है उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उद्यमियों की सहायता करने के लिए इस शर्त को समाप्त करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) ऋणकर्ताओं में वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने और बैंक द्वारा वित्तीय छानबीन के मानकों में ह्रास को रोकने के लिए किसी एक बैंक से 50 लाख रुपए और इसके अधिक की ऋण सीमाओं वाले बड़े ऋणकर्ताओं को किसी अन्य बैंक के साथ ऋण व्यवस्था करने के लिये पूर्व बैंक को अनुमोदन प्राप्त करना होता है। यह सवाल तब तक पैदा नहीं होता, जब ऋणकर्ता ने बैंक की सारी बकाया रकम चुका दी हो और ऋण सीमा से लाभ उठाना बन्द कर दिया हो।

छोटे ऋणकर्ताओं के संबंध में, खाता लेने वाले बैंक उस को बैंक से रिपोर्ट प्राप्त करनी होती है, जिसमें से खाता अन्तरित किया जा रहा हो।

भारतीय स्टेट बैंक में असमाशोधित धनराशि का समाशोधन

4886. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक में असमाशोधित धनराशि का समाशोधन करने की कोई समय-सीमा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक उसका पालन कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि अन्तर-शाखा लेन-देनों के समाधान के लिये हालांकि कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है, फिर भी बैंक की कोशिश रहती है कि समय के इस अन्तर को कम से कम किया जाए, मई 1985 के अन्त तक बैंक ने 98.5 प्रतिशत प्रविष्टियों का समाधान कर लिया था। स्थिति को और सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं। लेन-देनों के समाधान की प्रगति पर उच्च प्रबंधक वर्ग द्वारा नजर रखी जाती है।

भारतीय स्टेट बैंक में अलग-अलग श्रेणियों की बहियों को सन्तुलित करने का काम, जिसका जमाकर्ताओं के हितों पर भी प्रभाव पड़ता है, सन्तुलन कार्य के कार्यक्रम के अनुसार किया जाता। मोटे तौर पर, इन शाखाओं द्वारा इस कार्यक्रम पर अमल किया जा रहा है। जहां कहीं काम बकाया होता है, वहाँ उस पर पूरा ध्यान देने के लिये विशेष प्रयास किए जाते हैं और उसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है। 30 जून, 1985 के अन्त में बैंक की 7200 शाखाओं में से 495 शाखओं में लेखा समाधान का कुछ काम बकाया था। दिसम्बर, 1985 तक इन लेखाओं का समाधान करने के लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

चिट फंड कम्पनी के निदेशकों के कार्यालय और रिहायशी परिसरों पर मारा गया छापा

4887. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1985 के महीने में दिल्ली में एक चिट फंड कम्पनी के निदेशकों के कार्यालय और रिहायशी परिसरों पर छापा मारा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो कम्पनी और इसके निदेशकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) छापे में बिना हिसाब-किताब के कितनी नकद धनराशि पकड़ी गई; और

(घ) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) 1985 के जुलाई मास के दौरान, आयकर विभाग द्वारा किसी चिट फंड कम्पनी के निदेशकों के दिल्ली स्थित कार्यालय और आवासीय परिसरों की तलाशियाँ नहीं ली गई। तथापि, प्रवर्तन निदेशालय ने सर्वश्री प्यारेलाल लाम्बा, ओम प्रकाश लाम्बा, दर्शन सिंह लाम्बा और वीरेन्द्र कुमार लाम्बा, जो मैसर्स ऋतु चिट एण्ड फाइनेंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के निदेशक हैं, के कार्यालय तथा आवासीय परिसरों की ऐसी तलाशियां 21-7-85 को ली थीं और निदेशालय ने मैसर्स गगन आटो एण्ड जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कं० प्राइवेट लिमिटेड, जिसके साथ भी ऊपर दिए नामों के व्यक्ति सम्बद्ध हैं, के कार्यालय परिसरों की भी तलाशियाँ ली थीं।

आयकर प्राधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय से 30,13180/- रु० की अभिगृहीत नकदी अपने कब्जे में ले ली है। जब भी कभी प्रत्यक्ष कर अधिनियम के उल्लंघन का मामला ध्यान में आता है, सांविधिक स्थिति के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

इंडियन बैंक द्वारा इंडोनेशिया में टेक्समाको ग्रुप आफ टेक्सटाइल यूनिटों को ऋण देना

4888. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बैंक द्वारा विदेशों में दिये गये वसूल न हो सकने वाले ऋणों को हाल ही के अनुभव को देखते हुए बैंकिंग क्षेत्रों में ऋण का प्रबंध करने वाले विभागों में कुछ घबराहट की स्थिति देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन बैंक द्वारा इंडनेशिया में टेक्समाको ग्रुप आफ टेक्सटाइल यूनिटों को दिया गया ऋण 1977 की परियोजना रिपोर्टों पर आधारित था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विदेशों में ऋण देने के संबंध में घबराहट को समाप्त करने के क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसा कहना अधिक उचित होगा कि मंदी की सामान्य प्रवृत्तियों, कम लाभ और अपने अनुभव के संदर्भ में बैंक अब विदेशों में दिये जाने वाले ऋणों के मामलों में अधिक चौकसी बरत रहे हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि टैक्समैको को परियोजना पत्र के आधार पर सहायता दी गयी थी।

(ग) ऋण देने की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपनी-अपनी ऋण प्रबन्ध प्रणालियों को मजबूत करने और उनमें सुधार करने तथा शाखा कार्य-पालकों द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग पर नियंत्रण रखने का परामर्श दिया है। हमारे बैंकों की विदेशी शाखाओं के परिचालन पर नजर रखने के लिए एक कारगर प्रणाली शुरू करने के वास्ते भी उपाय किये गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्था समिति को वित्तीय सहायता

4889. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध संस्था समिति (भारत) ने दैनिक खर्चे के लिये कितनी वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जबकि आर्थिक कार्य विभाग के पास अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान सोसाइटी (भारत) के दैनिक संचालन के लिए वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, शिक्षा मंत्रालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने दिसम्बर, 1984 में 9,40,800 अमरीकी डालर तक की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता प्राप्त करने के लिए "अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्धकार्य में शिक्षा" नामक एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को भेजी थी। बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कार्य-कलापों में, भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्धकार्य में शिक्षा के माध्यम से जनसाधनों के विकास के लिए योगदान देना इस परियोजना का विकास मूलक प्रयोजन है। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित चार संस्थानों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है :—

1) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर
2) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता
3) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली
4) अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार संस्थान, नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वित्तीय सहायता तकनीकी सहायता के रूप में होगी जो कि परियोजना की स्वीकृत रूप रेखा के अन्दर ही विशेषज्ञों/परामर्शदाता की सेवाओं की व्यवस्था करके और प्रशिक्षण सुविधाओं, अधिछात्रवृत्तियों और उपस्करों के रूप में उपलब्ध कराई जानी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इस मामले में अभी किसी निर्णय की सूचना नहीं दी है।

कोल इंडिया लिमिटेड में अनियमिततायें

4890. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला खान अधिकारी संघ ने उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड में उच्च-तम स्तर पर की गई अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसमें लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन आरोपों की कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। कोल माइन्स ऑफिसर्स ऐसोसियेशन ऑफ इंडिया से जून, 1985 में एक ज्ञापन मिला था जिसमें, अन्य शिकायतों के साथ-साथ यह आरोप भी थे : गैर सरकारी पार्टियों को कोयले का अनियमित आवंटन, एक स्थानीय ठेकेदार के कहने पर से० को० लि० के एक अधिकारी का तबादला एवं फर्मों की काली सूची में डालना और उन्हें फिर सूची में ले लेना।

(ग) और (घ) आरोपों की जांच की जा रही है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में "एश-पोंड" के लिए ठेका देना

4891. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र क्षेत्र में "एश-पोंड" पर कितनी अनुमानित लागत आई है;

(ख) क्या यह सच है कि यह ठेका अनुमानित लागत से एक करोड़ रुपए अधिक पर गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कम्पनी को दिया गया था;

(ग) इस प्रकार का निर्णय किन परिस्थितियों में करना पड़ा और उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में नेशनल प्रोजेक्ट कंसट्रक्शन कार० लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड ए०पी०एस०सी०सी० आदि से परामर्श किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) इस निर्णय के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) निविदाएं आंमत्रित करते समय विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के क्षेत्र में राख-ताल (ऐश-पोंड) की अनुमानित लागत 8.20 करोड़ रुपए थी। बाद में इस राशि को अपतन करके 8.54 करोड़ रुपए कर दी गई थी।

(ख) यह ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया था, परन्तु यह ठेका अनुमानित लागत से एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं था।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इन पार्टियों के साथ परामर्श करने की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है।

(च) उपर्युक्त (ङ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रम के ढांचे में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

4892. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध सम्बन्धी ढांचे में बुनियादी परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दिशा में कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकीय ढांचे में संरचनात्मक परिवर्तन करना एक सतत प्रक्रिया है तथा इस विषय में सरकार द्वारा विभिन्न प्रस्तावों की समय-समय पर जांच की जाती है। इसे सरकारी उद्यमों विषयक नीति की समीक्षा करने के लिए सितम्बर, 1984 में गठित समिति के विचारार्थ विषयों में भी शामिल किया गया है। हालांकि समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, फिर भी इस स्थिति में रिपोर्ट का अथवा उस पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा बताना जनहित में नहीं है।

[हिन्दी]

"सबसिडी टू लार्ज फारमर्स अपोज्ड" शीर्षक समाचार

4893. **श्री शांति धारीवाल** :

श्री विष्णु मोदी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1985 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित "सबसिडी टू लार्ज फारमर्स अपोज्ड" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने बड़े किसानों को राज सहायता न देने के लिये सरकार से सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बैंक की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों में भर्ती पर रोक लगाना

4894. **श्री थम्पन थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सभी श्रेणियों के कर्मकारों की भर्ती पर रोक है;

(ख) यदि हां, तो यह रोक कब से लगी हुई है; और

(ग) वर्ष 1984 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितने पद सृजित किये गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जनवरी, 1984 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी गई थी कि अत्यधिक अपवादात्मक परिस्थितियों के

सिवाय कोई नया पद सृजित नहीं किया जाना चाहिए और जहां मौजूदा रिक्तियों, की भर्ती-कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई है, तो वे नहीं भरी जानी चाहिएं।

(ग) वांछित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आंध्र प्रदेश में सम्पदा शुल्क अदायगी प्रमाण पत्रों को मंजूरी

4895. **श्री जी० भूपति** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब देशों में मरने वाले कितने व्यक्तियों के वैध उत्तराधिकारियों को 15 मार्च, 1985 से पहले गत पांच वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में सहायक नियंत्रक, सम्पदा-शुल्क द्वारा सम्पदा-शुल्क अदायगी प्रमाण पत्र मंजूर किए हैं;

(ख) उक्त मामलों में सम्पदा शुल्क की कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ग) क्या मृतक की मृत्यु के बाद दी गई मुआवजे की धनराशि सम्पदा शुल्क लगाने योग्य है और क्या यह मृतक द्वारा छोड़ी गई सम्पदा है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का भविष्य में क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अरब देशों में हुई मृत्युओं के मामलों में मृतकों के कानूनी प्रतिनिधियों को 15 मार्च, 1985 से पहले गत पांच वर्षों की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश अधिकार-क्षेत्र में सहायक सम्पदा-शुल्क नियंत्रकों द्वारा बत्तीस सम्पदा शुल्क बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(ख) केवल एक मामले में लगाए तथा वसूल किए गए सम्पदा शुल्क की रकम 10,352/- रुपये है जबकि अन्य मामलों में सम्पदाओं का मूल मूल्य कर योग्य सीमा से कम था।

(ग) विभाग की जानकारी में इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया है जिसमें मृतक की मृत्यु के बाद मुआवजे की राशि दी गई हो।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी के आयात सम्बन्धी सौदे पर अन्धाधुन्ध खर्च

4896. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रौद्योगिकी के आयात सम्बन्धी सौदों पर अन्धाधुन्ध भारी खर्च किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार के सामने सरकारी क्षेत्र के एककों तथा सरकारी कर्मचारियों के ऐसे अनेक मामले आए हैं जहां प्रधानमंत्री ने पुनरीक्षा के आदेश दिए बताते हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। विदेशों से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के संबंध में सरकार ने बराबर चयनात्मक आधार की नीति को अपनाया है और इसी बात को प्रौद्योगिकी नीति संबंधी वक्तव्य में भी दुहराया गया है, जिसकी घोषणा 1983 में की गई थी।

(ग) हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

भारत में इस्पात उद्योग में जापानी प्रौद्योगिकी का उपयोग

4897. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान, जो भारत और अन्य स्थानों से लौह अयस्क खरीदता रहा है, अन्य देशों से आयातित लौह अयस्क और कायले के लिये ऊंचे मूल्य देने के बावजूद इस्पात पर भारी लाभ कमा रहा है;

(ख) क्या भारत को जापानी प्रौद्योगिकी और विनिर्माण तथा प्रबन्ध की पद्धति का अध्ययन करने का कोई अवसर मिला था; और

(ग) यदि हां, तो क्या इनका उपयोग भारतीय इस्पात उद्योग में किया गया है और उसके परिणाम क्या हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) जापान भारत सहित विभिन्न प्रतिबन्धित स्रोतों से अत्यन्त प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर लौह अयस्क तथा कोयले की खरीद कर रहा है। जापान के इस्पात उद्योग, जिसने सूचित किया है कि वर्ष 1984-85 में उन्हें लाभ हुआ है, को वर्ष 1983-84 में हानि हुई थी।

(ख) भारत इस बात से पूरी तरह से परिचित है कि लोहा तथा इस्पात बनाने की वर्तमान प्रौद्योगिकी में सुव्यवस्थित ढंग से सुधार करके जापान के इस्पात उद्योग ने काफी प्रगति की है।

(ग) "सेल" के कारखानों ने भी लोहा तथा इस्पात बनाने की अपनी प्रौद्योगिकी को अद्यतन करके अपने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसी प्रकार के प्रयास किए हैं। "सेल" ने प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए जापान की एन० के० के० के साथ सहयोग के लिए एक समझौता किया है। यह समझौता केवल जुलाई, 1985 से प्रभावी हुआ है और इससे भारतीय इस्पात उद्योग को महत्वपूर्ण लाभ होने की संभावना है।

उड़ीसा के खनिज संसाधनों का विदोहन

4898. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के खनिज संसाधनों के विदोहन हेतु उड़ीसा सरकार तथा उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) उड़ीसा सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं उद्योगों, तथा खनिज और धातु पर आधारित कार्यक्रमों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा सातवीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए, परियोजना रिपोर्ट, यदि कोई हो, तैयार की गई है तथा मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजी गई है; और

(घ) परियोजना रिपोर्टों पर उनके मंत्रालय द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) उड़ीसा में अनेक महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, बाक्साइट, चूना पत्थर,

डोलोमाइट, सीसा अयस्क आदि का उत्पादन होता है। केन्द्रीय सेक्टर में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० पंचपटमाली में 24 लाख टन वार्षिक क्षमता की एक बाक्साइट खान विकसित कर रही है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लि० अपने कोरबा एल्यूमिनियम संयंत्र हेतु वैकल्पिक स्रोत के रूप में गंधमर्दन बाक्साइट खान विकसित कर रही है। हिन्दुस्तान जिंक लि० ने सरगीपल्ली सीसा खान का निर्माण पूरा कर लिया है। इंडियन रेअर अर्थ लि० इलिमेनाइट, रूटाइल आदि के उत्पादन के लिए उड़ीसा बीच सैंड कम्पलेक्स की स्थापना कर रहा है। राज्य सेक्टर में उड़ीसा खनन निगम की क्रोमाइट, लौह मैंगनीज अयस्कों, टिन और अर्ध मूल्यवान रत्नों की खानों में खनन हो रहा है। केन्द्रीय सेक्टर में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० दामनजोड़ी में 800,000 टन वार्षिक क्षमता का एल्यूमिना संयंत्र और अंगुल में 218,000 टन वार्षिक धातु क्षमता का एल्यूमिनियम प्रद्रावक स्थापित कर रही है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण राउरकेला में 7 लाख टन वार्षिक क्षमता का एक स्लैग सीमेन्ट संयंत्र लगा रहा है। राज्य सरकार के उड़ीसा खनन निगम को 45,000 टन वार्षिक क्षमता के चार्ज क्रोम उत्पादन के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस मिला है। उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम को राज्य के सम्बलपुर तथा सुन्दरगढ़ में क्रमशः 165,000 तथा 65,000 टन वार्षिक क्षमता के सीमेन्ट संयंत्रों की स्थापना के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है। उड़ीसा औद्योगिक उत्थान तथा निवेश निगम लि० का रायरंगपुर में 500 टन वार्षिक क्षमता का एक फैरो-वेनाडियम संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। गैर-सरकारी सेक्टर में, फैरो एलोय कार्पोरेशन लि० और इंडियन मैटल एंड फैरो एलोय लिमिटेड ने रनदिया तथा थेरूवली में क्रमशः 50,000 तथा 45,000 टन वार्षिक क्षमता के चार्ज क्रोम संयंत्र लगाए हैं। उड़ीसा स्पंज आयरन लि० क्योंझर जिले में पलासपंग। में स्पंज आयरन और के लिए 1,50,000 टन वार्षिक क्षमता का एक संयंत्र लगा रहा है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के दौरान आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार से कोई परियोजना रिपोर्टें नहीं मिली हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर सुधारने के लिए सहायता अनुदान

4899. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन तथा राज्यों में अन्य संबंधित प्रशासनों का स्तर सुधारने के लिए सातवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत कितना सहायता अनुदान दिया गया तथा उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस धनराशि का उपयोग करने के लिए राज्यों द्वारा प्रारम्भ की गई योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष की समाप्ति पर उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा शिक्षा मंत्रालयों ने आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनके मंत्रालय से निधियां प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा 1985-86 के लिए मंत्रालय-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सातवें वित्त आयोग ने आदिवासी प्रशासन के क्षेत्र में दो स्कीमों अर्थात् आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी करने और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कराने के लिए राज्यों (संघ शासित क्षेत्रों पर वित्त आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं) को सहायता अनुदान देने की सिफारिश की थी। स्कीम-वार आवंटन और जारी की गई राशियों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) प्रशासन का स्तर ऊंचा उठाने के बारे में वित्त आयोग की सिफारिशें केन्द्रीय मंत्रालयों पर लागू नहीं होतीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आदिवासी प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-सातवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किया गया सहायता अनुदान और 1979-84 के लिए जारी की गई राशियां।

(लाख रुपयों में)

राज्य	आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्तों की अदायगी		आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	
	सिफारिश की गई राशि	जारी की गई राशि	सिफारिश की गई राशि	जारी की गई राशि
1. आंध्र प्रदेश	165.00	165.00	56.00	56.00
2. असम	146.00	09.50	152.00	155.75*
3. बिहार	621.00	589.84	112.00	90.00
4. हिमाचल प्रदेश	20.00	20.00	24.00	24.00
5. केरल	20.00	20.00	40.00	40.00
6. मध्य प्रदेश	1056.00	361.00	336.00	1031.00*
7. मणिपुर	74.00	—	40.00	114.00*
8. उड़ीसा	603.00	503.00	184.00	284.00*
9. राजस्थान	150.00		140.00	190.00*
10. तमिलनाडु	22.00	22.00	72.00	72.00
11. त्रिपुरा	95.00	95.00	24.00	24.00
12. उत्तर प्रदेश	1.00	1.00	16.00	16.00
13. पश्चिम बंगाल	98.00	58.00	96.00	136.00*
जोड़ :	3071.00	1944.34	1192.00	2232.75

*एक स्कीम से दूसरी स्कीम में निधियों के अन्तरण की अनुमति दी गई थी।

उत्पादक इस्पात की कमी

4900. **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में उत्पादक इस्पात अर्थात् पतली गेज वाली चादरों की अत्यन्त कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में, जहां पर कि पतले गेज की चादरों का उत्पादन किया जाता है पिछले दो-तीन माह के दौरान कुछ भी उत्पादन नहीं किया जा सका है; और

(ग) सरकार का बाजार में इसकी कमी से उत्पन्न स्थिति का सामना किस प्रकार करने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री कुं० नटवर सिंह) : (क) से (ग) कुछेक उपभोक्ताओं से कमी के बारे रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। बोकारो में 5 अप्रैल से 13 मई 1985 तक हड़ताल होने के कारण इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसके बावजूद बोकारो में गर्म वेलित/ठंडे वेलित क्वायलों और चादरों के उत्पादों का स्टाक वृद्धि का रुख दर्शाता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लाइसेंसों तथा माध्यम अभिकरण की मार्फत पर्याप्त मात्रा में आयात करने की अनुमति दी जा रही है।

उद्योगों के लिए इस्पात का आवंटन

4901. **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े पैमाने के सहायक तथा लघु उद्योगों की संख्या क्या है जिन्हें उनके मंत्रालय और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड से सीधे ही इस्पात का तदर्थ आवंटन किया गया है; और

(ख) वे कहां-कहां स्थित हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के दिल्ली स्थित कार्यालय ने 59 निजी पार्टियों को 6:08 टन इस्पात का आवंटन किया।

यह आवंटन इस अवधि के दौरान "सेल" द्वारा की गई कुल बिक्री का 0.2 प्रतिशत बैठता है।

(ख) ये पार्टियां असम, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों/संघ शासित राज्यों में स्थित हैं।

कच्चा रेशम के आयात का विरोध करना

4902. **श्री शांति धारीवाल** :

श्री विष्णु मोदी : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1985 के "फाइनेन्सियल एक्सप्रैस" में "रा सिल्क इम्पोर्ट अपोज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इतनी अधिक मात्रा में कच्चा रेशम खरीदने (आयात करने) के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार कच्चा रेशम खरीदने (आयात) करने के प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) संदर्भाधीन समाचार को सरकार ने नोट कर लिया है। अप्रैल-मई 1985 के दौरान सरकार के पास काफी मात्रा में अभ्यावेदन आये अधिकतर हथकरघा बुनकरों से जो कच्चे रेशम की कीमतों में असामान्य वृद्धि और बाजार में इसके अभाव से सम्बन्धित था इसके पश्चात केन्द्रीय रेशम बोर्ड को स्थिति का जायजा लेने के लिये कहा गया। अपनी रिपोर्ट में कीमतों में वृद्धि को स्वीकारते हुए, बोर्ड ने जाना कि कर्नाटक में बारिश न होने की वजह से यह वृद्धि अस्थाई थी और इसलिये बोर्ड ने रेशम के प्रत्यक्ष आयात की सिफारिश नहीं की। सरकार द्वारा स्थिति का आगे मूल्यांकन किया जा रहा है। इस वर्ष वास्तव में रेशम का प्रत्यक्ष आयात नहीं किया गया। रेशम की कीमत ने लाभकारी प्रकृति दर्शायी है और आयातित रेशम की मांग भी कम हो गई है।

[हिन्दी]

काला बाजार में इस्पात की बिक्री

4903. **श्री शांति धारीवाल :**

श्री विष्णु मोदी : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार लघु उद्योगों को सस्ती दरों पर कच्चा माल सप्लाई करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1985 के "हिन्दुस्तान" में "फर्जी फैक्ट्री के नाम पर लाखों के लोहे की ब्लैक" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में सरकार की जानकारी में लाए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा तत्संबन्धी पूरा ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे मामलों पर अब तक कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं। मुख्य उत्पादकों द्वारा इस्पात की सप्लाई के बारे में केवल राज्य लघु उद्योग निगमों को छूट दी जाती है ताकि वे (राज्य लघु उद्योग निगम) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले लघु उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर आने वाले अपने हैंडलिंग खर्चों को पूरा कर सकें।

(ख) जी हां।

(ग) से (च) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खेतड़ी तांबा परियोजना के कर्मचारी रोग से पीड़ित

4904. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी ताम्बा काम्पलैक्स में कितने कर्मचारी टी०बी० सिलिमोसिस, फेफड़ों के रोगों से पीड़ित हैं।

(ख) इन रोगों से मरने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ग) मृतक व्यक्तियों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) इस कारण कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) 1967 में खेतड़ी कापर कम्पलैक्स के शुरू होने से अब तक अस्पताल में तपेदिक से पीड़ित 475 कर्मचारियों के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 11 का देहान्त हो चुका है। सिलिकोसिस का कोई रोगी नहीं था। फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त रोगियों का अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ग) कम्पनी के नियमों के अनुसार इस तरह के मुआवजे की व्यवस्था नहीं है। तथापि किसी कामगार को तपेदिक से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नियमों के अनुसार 20,000/- से 61,750/- रु० तक की नकद राशि दी जाती है।

(घ) पांच।

खेतड़ी तांबा परियोजना में ग्रामीण विकास तथा कल्याण पर खर्च की गई धनराशि

4905. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा काम्प्लैक्स में ग्रामीण विकास तथा कल्याण के लिए बजट में वर्ष-वार मंजूर की गई धनराशि क्या है और अब तक प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितना रुपया खर्च किया गया;

(ख) उक्त काम्प्लैक्स के आस-पास गांवों में इस बजट में रखी गई इस राशि से कौन से महत्वपूर्ण कार्य किये गए; और

(ग) क्या वर्ष 1979-80 में किए गए कार्य के सिवाय और कोई भी कार्य नहीं किया गया ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान कापर लि० के खेतड़ी कापर काम्पलैक्स के बजट में ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। तथापि कम्पलैक्स के सामान्य बजट से ग्रामीण विकास की कुछ स्कीमें सम्बद्ध हैं। इस क्षेत्र में कम्पलैक्स द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं—

(I) खरखड़ा से कोलिहान तक 8 किलोमीटर की सड़क का निर्माण;

(II) जोधपुरा से खेतड़ी कापर कम्पलैक्स तक पक्की सड़क का निर्माण;

(III) बिल्वा ग्राम से चांदमारी/कोलिहान तक सड़क की मरम्मत व सुधार;

(IV) पास के ग्रामों के फायदे के लिए 4 किलोमीटर लम्बाई तक सड़क पर रोशनी का प्रबन्ध; तथा

(V) नजदीकी ग्रामों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था तथा पक्के नालों/पुलियों आदि का निर्माण करना।

1979-80 के बाद भी अनेक कार्य किए गए हैं तथा ये काम 50,000/- रु० की सालाना अनुमानित लागत पर लगातार किए जा रहे हैं।

खेतड़ी तांबा संयन्त्र को विद्युत की आवश्यकता तथा सप्लाई

4906. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजनाओं में संपूर्ण संयंत्र नगर-क्षेत्र खानों, तथा अन्य प्रयोजनों को छोड़कर विद्युत की कुल आवश्यकता केवल 28 मेगावाट है;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय इस परियोजना को राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से 32 मेगावाट विद्युत की सप्लाई की जा रही है और अन्य 18 मेगावाट विद्युत इसके डी० जी० सेट द्वारा (आपात काल में) पैदा की जा सकती है; और

(ग) 30 करोड़ रुपये की लागत वाली गैस टर्बाइन लगाने की क्या आवश्यकता थी; और इससे पैदा होने वाली विद्युत को किस काम के लिए उपयोग में लाया जाएगा ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) हिन्दुस्तान कापर लि० के खेतड़ी कापर कम्पलैक्स (के०सी०सी०) को बस्ती सहित, इस समय कुल करीब 38 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जिसके निकट भविष्य में 47 मेगावाट तक बढ़ जाने की संभावना है।

(ख) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड खेतड़ी कापर कम्पलैक्स को लगभग 28 मेगावाट बिजली पूर्ति कर रहा है। परन्तु बिजली पूर्ति बहुत ही अस्थिर रही है तथा कभी-कभी 100% तक बिजली कटौती कर दी जाती है। आवश्यक सेवा कार्यों, विशेषतया खनन कार्यों को चालू रखने के लिए कम्पनी द्वारा अपने ग्रहीत डी० जी० सेटों से लगभग 15 मेगावाट आपातिक बिजली उत्पादित की जा सकती है।

(ग) 100% बिजली कटौती के दौरान खेतड़ी कापर कम्पलैक्स की मौजूदा निजी बिजली उत्पादन क्षमता से आवश्यक सेवायें तथा खानों को चालू रख पाना कठिन है। इसलिए खानों तथा संयंत्रों के लगातार चालू रखने के लिए खेतड़ी कापर कम्पलैक्स में 20 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त गैस टरबाइन संयंत्र लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया उन्हें रोजगार प्रदान करना

4907. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (एक) राज्य सरकारों तथा (दो) निजी भू-स्वामियों की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) विभिन्न इस्पात संयंत्रों का निर्माण कार्य शुरू होने के समय कितने व्यक्ति विस्थापित हुए (जिनकी भूमि और मकान का अधिग्रहण किया गया); और

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को विभिन्न राज्यों में स्थित इस्पात संयंत्रों में रोजगार प्रदान किया गया ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) से (ग) इस्पात कारखानों के लिए अधिगृहीत की गई कुल भूमि, विस्थापित परिवारों की संख्या और विस्थापित परिवारो में से नौकरी पर लगाये गये विस्थापित व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है—

क्र. सं.	इस्पात कारखाने/ राज्य का नाम	अधिगृहीत भूमि (एकड़ में) निजी	सरकारी	कुल	विस्थापित परिवारों की संख्या	विस्थापित परिवारों के नौकरी पर लगाए गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	भिलाई इस्पात कारखाना, मध्य प्रदेश	21,898	11,473	33,771	5,703	3,791
2.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल	11,163	5,221	16,384	2,150	2,150
3.	राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा	14,775	5,011	19,786	4,251	4,665
4.	बोकारो इस्पात कारखाना बिहार	25,931	4,497	30,428	13,491	14,512
5.	इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल	— (अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)	—	323	1,609*	638*
6.	विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना, आंध्र प्रदेश	11,870	8,012	19,882	9,592*	1,283 (30-6-85 तक की स्थिति)

* (जुलाई, 1972 से "इस्को" को सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया था। ये आंकड़े अधिग्रहण के पश्चात् की स्थिति से सम्बन्धित हैं)

1	2	3	4	5	6
		* जब इस अपेक्षित सारी भूमि (25,730 एकड़) का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तब उसके परिणामस्वरूप विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की कुल संख्या के बारे में यह अनुमान है ।			(इसके अलावा 4372 इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों के पास काम कर रहे हैं) ।

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योगों को 5 वर्ष के लिए कर से छूट

4908. **श्री एस० एम० भट्टम : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योगों को 5 वर्ष तक करों से छूट देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में शत प्रतिशत निर्यात परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए 408 प्रस्तावों को मंजूरी दी है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 क (वित्त अधिनियम 1981 द्वारा अन्त:स्थापित) जो 1-4-1981 से लागू की गई, के उपबन्धों को देखते हुए, जिसमें किसी मुफ्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा अर्जित लाभों तथा अभिलाभों के सम्बन्ध में पांच प्रारम्भिक कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए कर से पूर्ण छूट दी गई है जो कि मुफ्त व्यापार क्षेत्र में सभी औद्योगिक एककों के लिए उपलब्ध है जिसमें वे एकक भी शामिल हैं जो केवल निर्यात एकक ही नहीं हो; तथा वित्त अधिनियम 1985 द्वारा यथासंशोधित (वर्ष 1986-87 से आगे के लिए निर्धारणों के लिए 1-4-1986 से लागू) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 ज ज ग के संशोधित उपबंधों के कुछेक शर्तों के अधीन शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा निर्यात के फलस्वरूप होने वाले लाभों को 50 प्रतिशत की छूट देते हुए, इस समय शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उद्योगों को कोई और रियायत देना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(ख) मार्च, 1985 के अन्त तक, 427 एककों के पास शत प्रतिशत निर्यात परियोजना स्थापित करने के वैध अनुमोदन पत्र थे ।

केरल में तकुओं के विस्तार के लिए आवेदन

4909. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

श्री के० कुन्जम्बु : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन गैर-सरकारी तथा सरकारी कताई एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान सूत कातने के तकुओं के विस्तार हेतु आवेदन किया है;

(ख) क्या आवेदन पत्रों को मन्जूर किया गया है;

(ग) क्या नई कपड़ा नीति की घोषणा के बाद तकुओं के विस्तार पर लगा प्रतिबन्ध उठा लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या तकुओं के विस्तार के आवेदनों के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इन्हें कब जारी किए जाने की संभावना है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) सूती वस्त्र मिल क्षेत्र में तकुआ क्षमता के विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु, एक एकक अर्थात मैसर्स कथाये काटन मिल्स, आल्वे से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ग) जी नहीं ।

(ख) से (च) कताई क्षेत्र में नए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत औद्योगिक विकास विभाग द्वारा 19-3-1985 को जारी प्रेस नोट सं० 8 (1985) क्रम में दिए गए हैं ।

काफी के घरेलू मूल्य पर नियन्त्रण

4910. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी के घरेलू मूल्य पर कोई सांविधिक नियंत्रण लगाया गया है;

(ख) क्या चाय, आदि जैसी अन्य बागान फसलों के सम्बन्ध में कोई नियंत्रण लागू है;

(ग) यदि नहीं, तो केवल काफी के मूल्य को नियन्त्रित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस नियन्त्रण के फलस्वरूप छोटे उत्पादकों को कठिनाई उठानी पड़ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

निर्यातकों को लौटाये जाने वाले शुल्क (ड्यूटी ड्रावैक) का समय पर भुगतान न होना

4911. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों को लौटाये जाने वाले शुल्क (ड्यूटी ड्राबैक) का भुगतान समय पर न किए जाने के कारण निर्यातकों में असन्तोष है जिससे निर्यात में रुकावटें आ रही हैं;

(ख) क्या लौटाये जाने वाले शुल्क (ड्यूटी ड्राबैक) का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया जा सकता;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ऐसे निर्यातकों की सूची पटल पर प्रस्तुत की जायेगी जिनका भुगतान एक वर्ष से अधिक अवधि से नहीं किया गया है और भुगतान रोके जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अलग-अलग निर्यातकर्ताओं/फर्मों/एसोसिएशनों से विशिष्ट देरी के बारे में अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं, फिर भी

निर्यातकर्ताओं में कोई आम नराजगी नहीं है क्योंकि शुल्क की प्रतिअदायगी का शीघ्र भुगतान किए जाने सम्बन्धी प्रयत्न किए जाते रहते हैं। अधिकतर मामलों में भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाता है।

(ख) से (घ) माल के निर्यात किए जाने के पश्चात् शुल्क की प्रतिअदायगी (मूल और पूरक) संबंधी दावों का निपटान किए जाने में विभिन्न कारणों से समय लगता है इनमें से मुख्य कारण इस प्रकार हैं—

(I) निर्यातकर्ताओं द्वारा सम्पूर्ण संबंधित सूचना/दस्तावेजों का समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाना;

(II) अनुमत्य दरों के निर्धारण के लिए, आवश्यकता पड़ने पर सैम्पल की जांच करने में लगने वाला समय, और

(III) निर्यातकर्ताओं द्वारा जिन मामलों में ब्रांड दरों/विशेष ब्रांड दरों के दावे पेश किये जाते हैं, उन मामलों में संगत आंकड़े (और उसका सत्यापन) पेश करने में देरी।

दावों के निपटान के बारे में सतर्कता बरती जाती है और इन विलम्बों को कम करने और प्रतिअदायगी सम्बन्धी दावों को अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से निपटाने के लिये कार्यविधि को सुव्यवस्थित बनाये जाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

जहाँ तक अपेक्षित सूची प्रस्तुत किए जाने का सम्बन्ध है, इसमें लगने वाला समय और श्रम वांछित परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उत्पादों की मांग में कमी

4912. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कितनी मिलें चल रही हैं; उनकी राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इन मिलों में निर्मित कपड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उत्पादों की मांग में भारी गिरावट आई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उत्पादों की मांग में कमी के क्या कारण हैं तथा इसकी समस्याओं का हल करने तथा बाजार में उसके उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत 125 वस्त्र मिलें हैं अर्थात् 103 राष्ट्रीयकृत मिलें और 22 प्रबन्धित मिलें। इन मिलों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है—

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	मिलों की संख्या राष्ट्रीयकृत	प्रबंधित
आन्ध्र प्रदेश	6	—
कर्नाटक	4	—

1	2	3
केरल	5	—
दिल्ली	1	—
पंजाब	4	—
राजस्थान	3	1
गुजरात	12	—
मध्य प्रदेश	7	—
तमिलनाडु	14	—
महाराष्ट्र	22	13
पांडिचेरी एवं माहे	2	1
उत्तर प्रदेश	5	6
प० बंगाल	14	1
आसाम	1	—
उड़ीसा	1	—
बिहार	2	—

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत मिलों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित कपड़ा निम्न प्रकार है—

	(मिलियन मीटरों में)
1982-83	760.50
1983-84	902.00
1984-85	920.00

1984-85 के दौरान मिलों के कपड़े उत्पादन का पैटर्न निम्नोक्त प्रकार है—

	प्रतिशतता
मोटा कपड़ा	6.00
निम्न मध्यम	22.64
उच्च मध्यम	69.01
फाइन	0.50
सुपर फाइन	8.43
ब्लैन्ड्स तथा अन्य	1.42
	100.0%

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के उत्पादों की बिक्रियां वर्ष 1983-84 के 566.64 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1984-85 में 654.61 करोड़ रु० की हो गई हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में नया हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान

4913. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक नया हथकरधा प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किया है जैसा कि 1981 की वस्त्र नीति में कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसने क्या प्रगति की है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर पूर्व में हथकरघा उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगस्त 1982 में गोहाटी में संस्थान स्थापित किया गया था। संस्थान हथकरघा प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है, जिसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के 28 उम्मीदवारों को प्रति वर्ष दाखिला दिया जाता है। विद्यार्थियों के पहले समूह ने जून, 1985 में अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, संस्थान सरकार/हथकरघा निगम/अपैक्स तथा प्राथमिक समितियों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए बुनाई, संस्थान छपाई तथा डिजाइनिंग में चार मास के अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण बैंक खोलना

4914. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से मणिपुर के संदर्भ में और ग्रामीण बैंक खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ये बैंक कब तक खोले जायेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी और कहां-कहां खोले जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र में वर्तमान प्रबन्धों के अपर्याप्त होने और ग्रामीण बैंकिंग सुविधाओं के मामले की जांच करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : **(क) और (ख)** पूर्वोत्तर क्षेत्र के 5 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 38 जिलों में इस समय 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। इन बैंकों का राज्य-वार विभाजन नीचे दिया गया है :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	शामिल किये गये जिले
असम	5	10 (10)
मेघालय	1	3 (5)
मणिपुर	1	8 (8)
त्रिपुरा	1	3 (3)
नागालैंड	1	7 (7)
अरुणाचल प्रदेश	1	4 (10)
मिजोरम	1	3 (3)
कुल	11	38 (46)

(ग) संचार और अन्य आधारभूत सुविधाओं और सुरक्षा प्रबन्ध के अभाव से उत्पन्न होने

वाली परिचालानात्मक कठिनाइयों के बावजूद इस क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य में बराबर प्रगति हो रही है। इन कठिनाईयों को देखते हुए वर्तमान व्यवस्था को अपर्याप्त नहीं माना जा सकता। फरवरी, 1985 के अन्त में पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की 1236 शाखाएं कार्यरत थीं।

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जिलों की संख्या के द्योतक हैं)

हथकरघों की गणना

4915. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी हथकरघों की देशव्यापी गणना कराई है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या नई वस्त्र नीति के परिप्रेक्ष्य में किये जाने वाले परिवर्तनों और सुधारों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार ऐसी गणना करने का है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां। अखिल भारतीय स्तर पर हथकरघों की गणना आयोजित की जा रही है।

मणिपुर में कंट्रोल के कपड़े की एजेंसी/एजेंसियां

4916. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर को किस एजेंसी/एजेंसियों के माध्यम से कंट्रोल का कपड़ा जारी किया जाता है;

(ख) गत वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त एजेंसियों ने किन-किन किस्मों और कितना कपड़ा उठाया;

(ग) क्या स्थानीय उपभोक्ता सहकारी समितियों को वितरण हेतु कंट्रोल का कपड़ा आवंटित किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी शर्तें और प्रक्रिया क्या हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) मणिपुर राज्य को नियन्त्रित कपड़ा मैसर्स मणिपुर सहकारी उपभोक्ता महासंघ लि० मणिपुर के द्वारा रिलीज किया गया।

(ख) मणिपुर सहकारी उपभोक्ता महासंघ द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष (1984-85) में उठाये गये नियंत्रित कपड़े के ब्यौरे निम्नोक्त हैं :

	(आंकड़े मीटरों में)
धोती	2,82,500
साड़ी	56,500
लठ्ठा	1,67,500
योग :	5,06,500

(ग) और (घ) नियंत्रित कपड़े का वितरण राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित रिटेल बिक्री

केन्द्रों द्वारा किया जाता है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गलाधारी ब्रदर्स को दिया गया ऋण

4917. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गत 22 जून के नवभारत टाइम्स (दिल्ली) में छपे इस आशय के ब्यान की ओर दिलाया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक गत वर्षों में गलाधारी ब्रदर्स को लगभग 83 करोड़ रुपए का ऋण देने अथवा प्रतिभूति देने के कारण गंभीर संकट में पड़ गया है क्योंकि (एक) यह ऋण बिना पक्की गारंटी अथवा प्रतिभूति लिए बिना दिया गया और (दो) बैंक द्वारा ऋण देने से पूर्व कोई उचित दस्तावेज नहीं लिए गए;

(ख) क्या बैंक का एक निदेशक गलाधारी ब्रदर्स को ऋण मंजूर किए जाने में बहुत अधिक दिलचस्पी ले रहा था;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार ने समाचार देखा है।

2. भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसकी बहरीन शाखा ने गलाधारी बन्धुओं और श्री ए० डब्ल्यू० गलाधारी और उनकी अनुषंगी कम्पनियों को ऋण की सुविधाएं दी थीं। गलाधारी बन्धुओं को कुछ अन्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर सिंडीकेट के रूप में सहायता दी गई है। बैंक ने बताया है कि यह सिंडीकेट सुविधा जमीन और इमारत के प्रथम बंधक द्वारा प्रतिभूत है और सिंडीकेट ऋण के लिए बैंकों के सिंडीकेट के सालिसिटरों के परामर्श से तैयार किए गए प्रतिभूति दस्तावेज प्राप्त कर लिये गए हैं। कानूनी उपबन्धों के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक इस समय अपने ग्राहकों के खातों के बारे में और ब्यौरा नहीं बता सकता।

3. भारतीय स्टेट बैंक ने श्री ए० डब्ल्यू० गलाधारी और ए० डब्ल्यू० गलाधारी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को भी सहायता प्रदान की है। भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि इन ऋणों के मामले में भी वचन-पत्रों, बैंक सुविधा करार आदि जैसे सामान्य दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं। लेकिन यह सुविधा "बेजमानती सुविधा" के रूप में दी गई है। श्री ए० डब्ल्यू० गलाधारी और उनके समूह की कंपनियां रिसीवर के अधीन कर दी गई हैं और भारतीय स्टेट बैंक ने उपर्युक्त बकाया रकमों के संबंध में अपने दावे नियुक्त रिसीवर के सम्मुख प्रस्तुत कर दिए हैं। बैंक ने मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि श्री ए० डब्ल्यू० गलाधारी और उनके समूह की कंपनियों के खातों में 164.12 लाख अमरीकी डालर की रकम बकाया है। बैंक के पास उनकी 67.29 लाख अमरीकी डालर की सांपार्श्विक प्रतिभूति है। बैंक दावे को निपटाने के मामले में सरकारी रिसीवर के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

4. भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी बताया है कि रिकार्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि गलाधारी बन्धुओं को ऋण सुविधाएं मंजूर करने में बैंक के किसी निदेशक की बहुत दिलचस्पी थी।

फूलों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

4918. **श्री बी० बी० रामैय्या** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली मुख्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत अन्य देशों को फूलों का भी निर्यात कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने फूलों का निर्यात किया जाता है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां ।

(ग) फूलों (जीवित पौधों सहित) के निर्यातों से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का अनुमानित मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :

मूल्य : (लाख रु० में)

	1982-83	1983-84	1984-85
(क) आर्किड	3.33	4.43	13.96
(ख) कट फ्लावर्स	11.19	9.44	13.53

विवरण

निर्यात की वे मुख्य मदें जिनके निर्यातों से भारत विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है, नीचे दिए अनुसार है :

(मूल्य करोड़ रुपए)

मदें	1982-83 अनन्तिम	1983-84 अनन्तिम
1. चाय तथा मेत	367.53	501:37
2. काफी तथा काफी स्थानापन्न	184.20	183.26
3. विनिर्मित तम्बाकू	208.54	149.61
4. चीनी तथा चीनी से बनी वस्तुएं	62.35	139.86
5. काजू की गिरियां	133.97	156.62
6. सब्जियां तथा फल (काजू गिरियों के अलावा)	158.80	155.16
7. खली	149.35	146.29
8. मसाले	88.93	109.26
9. समुद्री उत्पाद	349.45	327.30
10. मांस तथा मांस से बनी वस्तुएं	80.57	68.32
11. चावल	199.50	147.13
12. कच्ची रुई	101.16	148.95
13. लौह अयस्क	373.79	385.34
14. मैंगनीज अयस्क	14.95	17.98

15. अभ्रक	18.55	26.52
16. सूती धागा	23.25	19.57
17. सूती वस्त्र	265.52	276.54
18. सिले सिलाए परिधान	527.50	607.20
19. तैयार वस्तुएं जो पूर्णतया या मुख्यतया रुई की बनी हों	97.01	76.20
20. मानव-निर्मित रेशों से बने वस्त्र	21.76	26.52
21. रेशम वस्त्र	31.71	40.58
22. पटसन की वस्तुएं	202.76	164.52
23. कयर तथा कयर से बना माल	24.60	23.58
24. चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं (जूतों को छोड़कर)	345.88	349.88
25. जूते	25.92	23.23
26. रसायन तथा संबद्ध उत्पाद	308.20	277.68
27. रत्न तथा आभूषण	894.03	1288.65
28. हस्त निर्मित कालीन	168.57	193.04
29. कला की वस्तुएं	109.61	116.61
30. धातु निर्मित माल (लोहा तथा इस्पात को छोड़कर)	201.56	194.29
31. मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	584.60	493.98
32. लोहा तथा इस्पात (विनिर्मित मालों सहित)	55.75	46.43
33. कच्चा तेल	1063.37	1231.09
34. खनिज ईंधन, स्नेहक तथा संबंधित सामग्री	171.90	361.96
कुल योग (अन्य मदों सहित)	8907.75	9865.30

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा राजेन्द्र सेठिया की विभिन्न फर्मों की सम्पत्तियों का निपटान

4919. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया तथा पंजाब नेशनल बैंक ने राजेन्द्र सेठिया की विभिन्न फर्मों को दिए गए ऋणों के लिए जमानत के रूप में उनके द्वारा रखी गई सम्पत्तियों का निपटान करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक निपटान की गई सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों की बकाया देय राशियां कितनी हैं;

(घ) बैंकों में गिरवी रखी सम्पत्तियों का निपटान करके बैंकों द्वारा अब तक कुल कितनी राशि वसूल की गई है; और

(ङ) सेठिया फर्मों से बैंकों की बकाया राशियां वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) दोनों बैंकों ने यह

सूचित किया है कि उन्होंने मैसर्स एसल कमोडिटीज लि० के खातों की अपनी प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिए, जिसमें सम्पत्तियों के निपटान द्वारा वसूली भी शामिल है, उपाय किए हैं। जहां सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने यह बताया है कि उसे इस खाते की सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखी गई किसी सम्पत्ति को बेचने में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, वहां पंजाब नेशनल बैंक ने यह बताया है कि उसने लंदन स्थित परिसम्पत्ति की बिक्री से 9.62 लाख पौंड की रकम वसूल कर ली है। दोनों बैंकों अर्थात सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया और पंजाब नेशनल बैंक ने यह सूचित किया है कि एसल ग्रुप के नाम उनकी क्रमशः लगभग 68 करोड़ रुपये और 859.16 लाख अमरीकी डालर की रकम बकाया है। अब तक विभिन्न तरीकों से सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने 1.20 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक ने 9.62 लाख पौंड और 72.93 लाख अमरीकी डालर वसूल किये हैं। बैंकों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उक्त फर्म के नाम बकाया रकमों को वसूल करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. **सेंट्रल बैंक आफ इंडिया**

(1) बैंक ने अपनी उन बकाया रकमों के लिए जिनके लिए कोई प्रतिभूति आदि नहीं थी, सरकारी परिसमापक के पास दावा दायर कर दिया है।

(2) सूडान को किये गये निर्यात के बिलों के संबंध में बीमा पालिसियों के अधीन अपनी बकाया रकमों को वसूल करने के लिए बीमा कम्पनियों और अन्य संबंधितों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।

(3) अचल सम्पत्ति को बेचा जा रहा है।

(4) बैंक एसल (यू० एस० ए०) इंकार्पोरेटिड के खिलाफ प्राप्त की गयी डिक्री का निष्पादन कर रहा है और राजेन्द्र सेठिया के हवाई जहाज की बिक्री के लिए प्रस्ताव भी आमंत्रित कर रहा है।

2. **पंजाब नेशनल बैंक**

बैंक की प्रभारित विभिन्न प्रतिभूतियों से अपनी बकाया रकमें वसूल करने के लिए बैंक सभी संभव उपाय कर रहा है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सिगरेट कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाला उत्पादन शुल्क

4920. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सिगरेट कम्पनियों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार बकाया उत्पादन शुल्क देना होगा;

(ख) यदि हां, तो सिगरेट कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले बकाया उत्पादन शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) सिगरेट कम्पनियों से बकाया वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) सिगरेट कम्पनियों से अब तक उत्पादन शुल्क की कितनी बकाया राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 12 जुलाई, 1985 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ कम्पनियों के खिलाफ, जिनमें तीन सिगरेट कम्पनियां भी शामिल हैं, निर्माणोत्तर व्यय संबंधी विवादों के सिलसिले में निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के अनुसार विभाग को विज्ञापन संबंधी खर्चों पर उत्पादन शुल्क को अंतरिम मांग जारी करने की इजाजत दी गई है जिन्हें शुल्क निर्धार्य मूल्य में से घटाए जाने की अनुमति नहीं है।

(ख) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) संबंधित समाहर्ताओं को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार अगली कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

गोपाल गंज, बिहार में ग्रामीण बैंकों की लेखा-परीक्षा

4921. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि बिहार के सिवान जिले में, गोपालगंज में ग्रामीण बैंकों की लेखा-परीक्षा नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो लेखा-परीक्षा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन ग्रामीण बैंकों की लेखा-परीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं। वार्षिक लेखा-परीक्ष कर ली गई है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

बिहार में ग्रामीण बैंकों में भ्रष्टाचार

4922. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में ग्रामीण बैंकों के प्रबंधकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लंबित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण बैंकों के प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को विधायकों और सांसदों सहित जनता से शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें बिहार सहित विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के कार्यकरण के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं।

(ख) इन शिकायतों की जांच करवाई जाती है तथा जहां कहीं आवश्यक पाया जाता है, वहां विनियमों में निर्धारित संबंधित उपबंधों के अनुसरण में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए, लिए गए बैंक ऋणों का कम उपयोग किया जाना

4923. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आई है कि राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए विश्व बैंक ऋण का बहुत कम उपयोग किया गया है;

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय सरकार को उक्त ऋण का कम उपयोग किए जाने के समाचार मिले हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से इस मामले की जांच करने और इस संबंध में केन्द्र को रिपोर्ट देने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए विश्व बैंक ऋणों के उपयोग की प्रगति का भारत सरकार द्वारा सतत् पुनरीक्षण किया जाता है। कुछ राज्यों में, सीमित धनराशि या संगठनात्मक कारणों से कुछ परियोजनाओं की प्रगति लक्ष्य से कम हुई है। ऐसे मामलों में भारत सरकार परियोजना प्राधिकारियों और राज्य सरकारों को धन के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सचेत कर देती है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उन परियोजनाओं सहित जिनके लिए बैंक सहायता स्वीकृत की गई है, प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन जुटाना सुनिश्चित करें।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में महिला कर्मचारी

4924. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 तक पिछले दस वर्षों में भारत कोकिंग कोल लि० में महिला कर्मचारियों की वर्ष-वार संख्या क्या थी;

(ख) क्या इस संख्या में काफी कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० में पिछले दस वर्षों में महिला कर्मचारियों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है :—

दिनांक को	महिला कामगारों की संख्या
1-1-1976	21,568
1-1-1977	20,350
1-1-1978	19,754
1-1-1979	18,084
1-1-1980	16,764
1-1-1981	16,466
1-1-1982	16,539
1-1-1983	16,387
1-1-1984	16,247
1-1-1985	16,774

(ख) दिनांक 1-1-1980 तक महिला कर्मचारियों की संख्या में कमी होती रही लेकिन उसके बाद यह संख्या लगभग उसी स्तर पर बनी हुई है।

(ग) कमी होने के कारण थे कुछ ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं और स्वतः होने वाली कमी।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की मौरोसिन ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

4925. **श्री गदाधर साहा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बीरभूम में मौरोसिन ग्रामीण बैंक को, छोटे और सीमित किसानों, दर्ज बरगाडारों को ऋण, सहायता देने और विहित भूमि/पट्टों के समनुदेशितियों को अनुदान देने और नए दर्ज बरगाडारों और पट्टों के नए समनुदेशितियों को उस योजना के अंतगत लाने हेतु जिसके वे हकदार हैं, ऋण सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए गए हैं;

(ख) क्या यह बात उनकी जानकारी में लायी गयी है कि नए दर्ज बरगाडार और पट्टा समुनदेशितियों को ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं;

(ग) क्या किसी बैंक विशेष के लिए कुल ऋण राशि की कोई सीमा है; और

(घ) यदि हां, तो बैंकों को क्या निर्देश दिए गए हैं ताकि ग्रामीण निर्धनों के यह वर्ग वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (घ) संभवत: प्रश्न का आशय पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कार्यरत मयूराक्षी ग्रामीण बैंक से है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य 6,500 रुपए से कम की वार्षिक आमदनी वाले व्यक्तियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है । इन व्यक्तियों में अन्यों के साथ-साथ छोटे/सीमान्तिक किसान, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर आते हैं । खेती करने वाले किसान और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संकल्पना के अनुसार छोटा किसान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने का पात्र है । इस संकल्पना में अभिलिखित बर्गाडारों और पट्टों के समनुदेशिती भी शामिल हैं । क्योंकि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपर्युक्त मार्गनिर्देशों का पालन करना होता है इसलिए मयूराक्षी ग्रामीण बैंक को इस संबंध में अलग से अनुदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है । किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संवितरित ऋण राशि उसके साधनों अर्थात बैंक की जमा राशियां, प्रायोजक बंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कार्यक्षेत्र में ऋण का मांगों पर निर्भर करेगी ।

रेशम का उत्पादन बढ़ाने हेतु निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन

4926. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय चुनींदा, अपेक्षित क्षेत्रों में आवश्यक आदानों की व्यवस्था करने के लिए नीति तैयार कर रहा है;

(ग) क्या रेशम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने शहतूत की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(घ) क्या रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रेशम कीट बीज और चक्की पालन के लिए पुन: स्थापित किए जाने हेतु एक पृथक अधिनियम का ब्यौरा तैयार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का अन्यथा क्या प्रोत्साहन देने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) देश में रेशम का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सरकार रेशम उत्पादन के विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित करती रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को अनुसंधान तथा विकास सहायता, प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं एवं अवस्थापना संबंधी सुविधाओं जैसे आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की व्यवस्था की गई है। नई वस्त्र नीति के अनुसार सातवीं योजना के दौरान रेशम उत्पादन के विकास पर और जोर दिया जाएगा। इसके भाग के रूप में शहतूती खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार भी किया जाएगा और धन की उपलब्धि के अनुसार किसानों को अन्तर्निविष्ट साधनों की व्यवस्था करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जायेंगे।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश में रेशम कीट बीज के उत्पादन में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देने के लिए, जिसमें केन्द्रीय कानून का बनाया जाना शामिल है, एक समिति का गठन किया है। अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर इस समिति की सिफारिश के अनुसार विचार किया जाएगा।

दोहरी कर प्रणाली से बचने के बारे में समझौता करने हेतु पश्चिम जर्मन के वाइस चांसलर से विचार-विमर्श

4927. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जुलाई, 1985 में अपनी पश्चिम जर्मनी की यात्रा के दौरान वहां के वाइस चांसलर के साथ विचार-विमर्श किया था और दोहरी कर प्रणाली से बचने संबंधी समझौते के अनुसमर्थन सम्बन्धी कागजातों का आदान-प्रदान किया था;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) दोनों देशों के बीच हुए समझौते से भारत के आधुनिकीकरण के प्रयासों में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) यह समझौता कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें भारत गणराज्य और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच आज और पूंजी के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए संशोधित करार की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख है।

(ग) आशा है कि दोनों देशों के बीच हुए करार से प्रौद्योगिकी और जानकारी अधिक मुक्तरूप से मिलेगी और इस प्रकार आधुनिकीकरण की दिशा में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(घ) करार को संशोधित करने वाला प्रोतोकोल, अनुसमर्थन की लिखत के आदान-प्रदान

किए जाने की तारीख अर्थात् 10 अगस्त, 1985 से एक मास बाद लागू होगा; और भारत के मामले में यह 1 अप्रैल 1984 को या उसके बाद आने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कर-निर्धारण योग्य आय और पूंजी पर लागू होगा।

विवरण

आय और पूंजी पर कर के दोहरे कराधान के परिहार के सम्बन्ध में भारत गणराज्य और जर्मनी के संघीय गणराज्य के बीच हुए करार की मुख्य विशेषतायें

भारत के गणराज्य और जर्मनी के संघीय गणराज्य के बीच आय और पूंजी पर करों के दोहरे कराधान के परिहार के सम्बन्ध में हुए संशोधित करार में, भारत के मामले में, आयकर, अतिकर और धन-कर शामिल होंगे। इस संशोधित करार की अनुसमर्थन की लिखतों का आदान-प्रदान नई दिल्ली में 10-7-1985 को किया गया। इस करार में व्यवस्था है कि एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थाई संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो। स्थाई संस्थापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, कोई भवन स्थल अथवा निर्माण अथवा संस्थापन परियोजना उस स्थिति में सम्मिलित है, यदि वह छः महीने से अधिक समय तक रहती है। करार में यह भी व्यवस्था है कि अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोत संचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगाया जायेगा, जिसमें उद्यम की प्रभावी प्रबन्ध-व्यवस्था का स्थान स्थित हो। इस बात के होते हुए भी, इस प्रकार के लाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जहां से वे प्राप्त हुए हों, बशर्ते कि प्रोतोकोल के लागू होने के पश्चात लगाया गया कर प्रथम पांच वर्षों के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक न हो और उत्तरवर्ती पांच वित्तीय वर्षों के दौरान 25 प्रतिशत से अधिक न हो। करार में व्यवस्था है कि एक संविदाकारी राज्य की निवासी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये गये लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे। फिर भी, इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होंगे, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जाएगा। परन्तु, यदि लाभांशों का हिताधिकारी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो ऐसा प्रभारित कर जर्मनी के संघीय गणराज्य के मामले में लाभांशों की सकल रकम का 15 प्रतिशत और भारत के मामले में, जहां लाभांश पूर्णतः अथवा अंशतः नए अंशदान से संबंधित होते हैं, वहां नए अंशदान के कारण होने वाले लाभांशों की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस करार में यह भी व्यवस्था है कि एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा। परन्तु ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जाएगा जिसमें वह उत्पन्न होता है तथा वह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा। परन्तु, ऐसा प्रभारित कर उस स्थिति में सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, यदि ऐसा ब्याज बैंक द्वारा किसी ऋण पर दिया जाता है और अन्य सभी मामलों में सकल राशि का 15 प्रतिशत पर होगा। करार में व्यवस्था है कि एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गई रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए

फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा। फिर भी, इस प्रकार की रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लग सकेगा; जिसमें वे उत्पन्न होती हैं और यह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा। परन्तु, जहां तक तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का संबंध है, इस प्रकार लगाया गया कर, इस प्रकार की फीस की सकल राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

सरकारी वित्तीय संस्थानों में पूंजी निवेश हेतु ईक्विटी शेयरों में निवेश को हतोत्साहित करना

4928. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि स्टाक एक्सचेंज मार्किट में ईक्विटी शेयर बहुत कम है जबकि उनमें निवेश के लिये पैसा अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस प्रवृत्ति को किस प्रकार नियंत्रित करने का विचार है;

(ग) क्या निवेशकों के लिए ईक्विटी शेयरों में अधिक लाभ का आकर्षण देने के कारण सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों और अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों में निवेश से वंचित हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने निवेशकों को ईक्विटी शेयरों में पूंजी निवेश करने को हतोत्सहित करने और उनको सरकारी वित्तीय संस्थाओं में निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शेयर बाजार में चल (फ्लोटिंग) स्टाक (शेयरों) की अपर्याप्त उपलब्धता ईक्विटी शेयरों के मूल्यों में वृद्धि का एक कारण है।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने, और अन्य बहुत सी संस्थाओं ने, बहुत से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपाय किये हैं। इनमें, अन्य उपायों के साथ, नए निर्गमों को प्रोत्साहन देने, संस्थागत विनिवेश द्वारा चल स्टाक में वृद्धि करने और शेयर बाजारों द्वारा मार्जिन राशि लागू किए जाने के उपाय शामिल हैं।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि ईक्विटी शेयरों पर आकर्षित लाभ प्राप्त होने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों को निक्षेपों के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों से वंचित होना पड़ा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल निक्षेप, जो मार्च, 1984 के अन्तिम शुक्रवार को 60596 करोड़ रुपए था, बढ़कर मार्च 1985 के अन्तिम शुक्रवार को 72115 करोड़ रुपए हो गया है। जहां तक 1985-86 का सम्बन्ध है, 5 जुलाई, 1985 तक इन निक्षेपों में 4021 करोड़ रुपए की और वृद्धि हुई है, जो कि 5-6 प्रतिशत की दर से हुई वृद्धि का द्योतक है। इसी प्रकार से, कम्पनियों द्वारा गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों के निर्गम के लिए पूंजी निर्गम (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 के अन्तर्गत पूंजी निर्गम नियन्त्रक द्वारा दिए गए अनुमोदन दुगने से भी अधिक हो गये हैं अर्थात् अप्रैल-जुलाई, 1984 में 187.82 करोड़ रुपये के निर्गमों के लिये अनुमोदन दिये गये थे जबकि अप्रैल-जुलाई, 1985 में 410.97 करोड़ रुपये के ऋण पत्रों के निर्गमों के सम्बन्ध में अनुमोदन दिये गये हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

ईक्विटी शेयरों का व्यापार

4929. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पाक्षिक समझौते" के लिए वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत डिलिवरी लेने अथवा कोई बाध्यता दिए बिना प्रतिदिन हजारों ईक्विटी शेयरों का व्यापार होता है; और

(ख) यदि हां, तो खामियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा सार्वजनिक ।हेत में क्या प्रभावी उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद और मद्रास स्थित प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों की उपविधियों में इस आशय के उपबन्ध विद्यमान हैं, जिनके अनुसार, ऐसे शेयरों के मामले में, जिनको शासी बोर्ड द्वारा "विनिर्दिष्ट शेयर" नामांकित कर दिया गया हो, सुपुर्दगी और अदायगी की अवधि शासी बोर्ड द्वारा 14-14 दिन की अग्रेतर अवधि के लिए बढ़ाई या स्थागित की जा सकेगी, ताकि तत्संबंधी अवधि संविदा की तारीख से कुल मिलाकर 90 दिन से आगे न बढ़े । ऐसे विनिर्दिष्ट शेयरों का व्यापार विभिन्न प्रकार के विनियमनकारी उपायों, अर्थात् विभिन्न किस्मों की मार्जिन राशियों आदि के प्रवर्तन जैसे उपायों के अधीन विनियमित किया जाता है जोकि लेन-देनों के निर्विवाद निपटारे की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके ।

सट्टा व्यापार पर प्रतिबन्ध

4930. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सट्टा व्यापार पर वर्ष 1969 में प्रतिबन्ध लगा दिया गया था परन्तु उसका उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों का उसे किस प्रकार सख्ती से लागू करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1969 में, सरकार ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा 16 (1) के अधीन एक अधिसूचना जारी की थी जिसके द्वारा प्रतिभूतियों में "नकद लाभ के लिए" निकासी के प्रयोजन से किए जाने वाले व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था । तथापि, सरकार स्टाक एक्सचेंजों की उपविधियों की संख्या 59 के अन्तर्गत असमाशोधित प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में किए गए संविदाओं के अनुपालन की अवधि को 21 दिन से ज्यादा बढ़ा देने अथवा उसे स्थगित कर देने के लिए सक्षम है । तदनुसार, वर्ष 1983 में सरकार ने प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों को असमाशोधित प्रतिभूतियों से सम्बन्धित निष्पन्न संविदाओं, अर्थात विनिर्दिष्ट शेयरों के सम्बन्ध में निष्पन्न किए गए हाथों-हाथ सुपुर्दगी प्राप्त करने के संविदाओं के अनुपाल की अवधि को 14-14 दिन की 4 या 5 निपटान अवधियों तक के लिए बढ़ा देने अथवा स्थगित कर देने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की है, कि तत्संबंधी अवधि कुल मिलाकर संविदा निष्पन्न किए जाने की तारीख से 90 दिन से ज्यादा आगे न बढ़े ।

(ख) स्टाक एक्सचेजों में प्रतिभूतियों का व्यापार स्टाक एक्सचेंजों की उपविधियों और विनियमों के अनुसार शासित होता है । स्टाक एक्सचेंजों ने स्वयं और सरकार के कहने पर भी प्रतिभूतियों के लेन-देनों के निर्बाध निपटारे की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए, एक्सचेंजों क उपविधियों और विनियमों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के विनियमनकारी उपाय जैसे कि विभिन्नी

प्रकार की मार्जिन राशियों को प्रवृत्त करने, स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के अशोधित व्यापार की स्थिति पर प्रतिबन्ध रखने आदि से सम्बन्धित उपाय किए हैं। सरकार, स्टाक एक्सचेंजों के कार्य-चालन पर बराबर नजर रख रही है।

भारत-नेपाल व्यापार और पारगमन संधियां

4931. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने 16 जुलाई, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित नेपाल के विदेश मंत्री के वक्तव्य को पढ़ा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत-नेपाल व्यापार और पारगमन संधियां असमान संधियां हैं;

(ख) क्या कथित संधियों के कार्यान्वयन के बारे में किन्हीं शोभकारी बातों की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नेपाल के विदेश मंत्री की टिप्पणी के बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) व्यापार तथा परिवहन की भारत-नेपाल संधियों के कार्यसंचालन की प्रति वर्ष समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों वाली भारत-नेपाल अन्तः सरकारी समिति में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। प्रचालन संबंधी तथा तर्क-संबंधी समस्याओं पर, यदि कोई हों, ऐसी बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है और परस्पर तौर पर सन्तोषजनक समाधान निकालने के लिए प्रयास किया जाता है।

(घ) सरकार नेपाली विदेश मंत्री के कथित वक्तव्य को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है, जिसमें न तो दोनों देशों के बीच परम्परागत अच्छे संबंधों का जिक्र है और न ही इससे इन संबंधों को आगे सुधारने के लिए योगदान मिलता है। सरकार ने नई दिल्ली तथा काठमांडू दोनों में नेपाली प्राधि-कारियों को कथित साक्षात्कार के संबंध में अपने विचार सुस्पष्ट तौर पर व्यक्त कर दिये हैं।

शेयरों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि

4932. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शेयर बाजारों में शेयरों की कीमतों में हाल ही में हुई अभूतपूर्व वृद्धि की जानकारी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का कोई गहन अध्ययन किया है;

(ग) क्या नई उदार आर्थिक नीति के कारण उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि को जिसका नए औद्योगिक उद्यमों में निवेश किए जाने की आशा थी, वर्तमान उद्योगों में ही लगाया जा रहा है और इस प्रकार औद्योगिक विस्तार का उद्देश्य ही समाप्त किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने यह देखा है कि आजकल शेयर बाजार में अधिकतर कारोबार बहुत अव्यवहारिक होता है और अग्रिम सट्टे; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) हाल ही के पिछले दिनों में स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध विभिन्न कम्पनियों के शेयरों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक का साधारण शेयर मूल्य सूचक अंक (1970-71=100) जो 5 जनवरी, 1985 को समाप्त हुए सप्ताह में 219.4 था, 3 अगस्त, 1985 को समाप्त हुए सप्ताह में बढ़कर 371.3 हो गया। शेयरों की कीमतों में वृद्धि, मुख्यतः अर्थव्यवस्था में विद्यमान कई एक अनुकूल प्रवृत्तियों के कारण हुई थी।

(ख) सरकार, स्टाक एक्सचेंजों के कार्यचालन पर बराबर निगरानी रख रही है।

(ग) विद्यमान और नई कम्पनियां दोनों ही, अपनी विस्तार/नई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पूंजी निर्गमों के माध्यम से धन जुटाती रही हैं। विद्यमान कम्पनियों में निवेश के कारण नए औद्योगिक उपक्रमों में निवेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) स्टाक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों का व्यापार स्टाक एक्सचेंजों की उपविधियों और विनियमों के अन्तर्गत शासित होता है। उपविधियों और विनियमों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मार्जिनों का लागू करना, स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों की अंशोधित व्यापार की स्थिति पर अंकुश रखना आदि जैसे विभिन्न विनियमनकारी उपाय, स्टाक एक्सचेंजों द्वारा अपनी ओर से तथा सरकार के निदेशानुसार किए जाते हैं ताकि प्रतिभूतियों सम्बन्धी लेन-देन का निपटान सुचारू रूप से किया जा सके।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

रिलाएंस टैक्सटाइल बम्बई द्वारा नियंत्रित टैक्सटाइल प्रोसेसिंग संघटक

4933. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल रिलाएंस टैक्सटाइल ग्रुप द्वारा मुख्य टैक्सटाइल प्रोसेसिंग संघटकों का वास्तव में नियंत्रण किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप अन्य यूनिटों में रुग्णता और भेदभाव पैदा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार स्थिति की पुनरीक्षा करने का है?

पूर्ति तथा वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) रिलाएन्स ग्रुप आफ मिल्स द्वारा वास्तव में नियंत्रित ऐसा कोई प्रोसेसिंग संघटक नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चावल, गेहूं और चीनी का निर्यात

4934. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** :

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 तथा 31 मार्च, 1985 तक कुल कितनी मात्रा में चावल, गेहूं तथा चीनी का निर्यात किया गया;

(ख) उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या इन वर्षों के दौरान खाद्य वस्तुओं का आयात किया गया, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त वर्षों के दौरान इन खाद्य वस्तुओं के निर्यात में स्वदेशी बाजार में मूल्य तथा पूर्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) 1980-81 से चावल, गेहूं और चीनी के निर्यातों की कुल मात्रा और मूल्य निम्नलिखित अनुसार थी :—

वर्ष		मात्रा हजार मे० टन मूल्य करोड़ में
वर्ष	मात्रा	मूल्य
1980-81	. 862.6	270.01
1981-82	1027.9	417.56
1982-83	845.0	284·26
1983-84 (अनन्तिम)	1062.5	358.04
1984-85 (अनन्तिम)	265.2	107 ·

* गेहूं और चावल के लिए आंकड़े अप्रैल-दिसम्बर, 1984 के लिए (स्रोतों की जी० सी० आई० एण्ड एस० कलकत्ता तथा राज्य व्यापार निगम)

(ग) 1980-81 से भारतीय खाद्य निगम की मार्फत चावल तथा गेहूं और राज्य व्यापार निगम की मार्फत चीनी के आयात नीचे दिये गये अनुसार हैं :—

वर्ष	गेहूं	चावल	चीनी
	(संविदागत मात्रा)		
1980-81	—	—	1.81
1981-82	22.65	—	2.15
1982-83	39.50	—	—
1983-84	21.30	7.20	—
1984-85	—	—	4.96

(घ) तथा (ङ) उत्पादन सम्भाव्यताओं, घरेलू आवश्यकताओं के मूल्यांकन तथा निर्यात योग्य सृजित अधिशेषों और घरेलू कीमत स्थिति पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्यात नीति बनायी जाती है ।

प्राकृतिक रबर के आयात और वितरण की योजना

4935. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबर के आयात और वितरण की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भिक मूल्यांकन के आधार पर 1985-86 के लिए 29,000 मे० टन का मांग पूर्ति अन्तर का अनुमान लगाया गया था। इसमें से, राज्य व्यापार निगम को मांग पूर्ति अन्तर को पाटने के लिए अगस्त, 1985 तक 20,000 मे० टन के आयात की अनुमति दी गई है।

सूती कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थान

4936. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूती कपड़ा उद्योग से इसके आधुनिकीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग वित्तीय संस्थान स्थापित करने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय सूती मिल संघ ने सुझाव दिया है कि वस्त्र उद्योग की विशेषीकृत आवश्यकताओं और आधुनिकीकरण का कार्य चलाने के लिए मिले-जुले प्रयास करने की आवश्यकता को देखते हुए उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को हल करने के लिए एक अलग अभिकरण स्थापित किया जाए।

(ग) नई वस्त्र नीति के अनुसार वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के बारे में राष्ट्रीय स्तर की स्थाई सलाहकार समिति स्थापित की जाएगी जिसमें प्रबंधकों तथा कर्मिकों के प्रतिनिधि और साथ ही उपयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति सतत् आधार पर आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं और जिस प्रकार के आधुनिकीकरण के उद्योग को अपनाना चाहिए, उसका पता लगाएगी।

शिक्षित बेरोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने में बैंकों के विरुद्ध शिकायतें

4937. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को उत्तर प्रदेश में "शिक्षित रोजगार गारंटी योजना" के अन्तर्गत ऋण देने में बैंकों के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें की गई हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) भविष्य में इन शिकायतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य का आशय शिशित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना से है जो वर्ष 1983-84 में शुरू की गई थी। एक ऐसी योजना के बारे में जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे देश में बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है, हमेशा ही देरी/ऋण मंजूर न किए जाने और अपात्र व्यक्तियों द्वारा ऋण प्राप्त करने जैसी शिकायतें हो सकती हैं। अलबत्ता, जब कभी

शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए जांच की जाती है।

[हिन्दी]

चितई (उत्तर प्रदेश) में टंगस्टन की उपलब्धता

4938. **श्री हरीश रावत** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितई (अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश) में टंगस्टन हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ किस किस्म के टंगस्टन के भण्डार हैं और इनको निकालने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश का भूतत्व व खनन निदेशालय उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में चैताई के निकट टंगस्टन का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रहा है। वर्तमान कार्य के आधार पर 0.1% डब्ल्यू ओ$_3$ मात्रा वाले 2 लाख टन निम्न ग्रेड टंगस्टन अयस्क का प्राथमिक अनुमान लगाया गया है। राज्य भूतत्व व खनन निदेशालय द्वारा आगे खोज कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में टंगस्टन भण्डारों का पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक तथा भूरसायनिक सर्वेक्षण किए गए थे परन्तु परिणाम उत्साहवर्द्धक नहीं रहे।

सोने तथा चांदी की तस्करी

4939. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और इसके सीमावर्ती देशों में सोना-चांदी की बिक्री की कीमतों में बहुत अधिक अन्तर होने के कारण पिछले छः महीनों के दौरान भारत में सोने और चांदी की तस्करी में बहुत अधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन सीमावर्ती देशों और क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनके माध्यम से इन वस्तुओं की तस्करी में वृद्धि हुई है और स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों और वर्ष 1985 के पिछले छह महीनों के दौरान किए गए अभिग्रहणों के तौर-तरीकों से यह पता चलता है कि सोने के बारे में अधिक मुनाफा होने की वजह से, देश में तस्कर-आयात के लिए यह मद बहुत ही आकर्षक वाली वस्तु बनी हुई है। तथापि, चांदी के बारे में मुनाफा नहीं होने की वजह से देश से उसका तस्कर-निर्यात बहुत ही कम हुआ है।

(ख) मध्य पूर्वी देशों, हांगकांग, सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और नेपाल से, भारत में सोने का तस्कर-आयात हवाई, समुद्री और भू-भागों से होता है।

तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। सामा-शुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को कर्मचारियों और उपकरणों की दृष्टि से सुदृढ़ बना दिया गया है। सूचना देने वालों और सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार देने संबंधी योजना को उदार बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार से संबंधित प्राधिकारियों के साथ

घनिष्ठ ताल-मेल स्थापित करके, अल्पावधिक और दीर्घावधिक, समुचित तस्करी निवारण उपाय किए जाते हैं। यथोपेक्षित समुचित उपचारी कार्यवाही करने के लिए तस्करी और अभिग्रहणों के तौर-तरीकों की सतत् समीक्षा की जाती रहती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में इस्पात वितरण डिपों

4940. **श्री हरीश रावत : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कितने इस्पात वितरण डिपों या एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में उनकी, दुर्गम भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिपों और एजेंसियां खोलने के लिए निर्धारित वर्तमान मानदण्ड में छूट देने के बारे में विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे डिपों या एजेंसियां कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) देश के विभिन्न राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में, इस्पात के मुख्य उत्पादकों के बारह वितरण केन्द्र हैं। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	वितरण केंद्रों की संख्या
असम	5
नागालैंड	1
जम्मू और कश्मीर	3
हिमाचल प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	1
कुल	12

(ख) जी, नहीं।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड का त्रिपुरा के राज्य में धर्मनगर में एक विभागीय स्टाकयार्ड खोलने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालय खोलना

4941. **श्री हरीश रावत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम के कितने शाखा कार्यालय हैं;

(ख) क्या ये शाखा कार्यालय खोलने के लिए कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुछ और शाखा कार्यालय खोलने का औचित्य है;

(घ) यदि हां, तो कितने और कहां-कहां; और

(ङ) ये शाखा कार्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालयों की संख्या 131 है।

(ख) नए शाखा कार्यालय खोलने के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्डों में मौजूदा क्षेत्रीय संगठन, वास्तविक नए कारोबार की प्राप्ति, प्रस्तावित क्षेत्र की भावी कारोबार की संभाव्यता, मौजूदा शाखा जिसमें से नयी शाखा निकाली जानी है, के अन्तर्गत आने वाली आबादी और मौजूदा शाखा कार्यालय से नयी शाखा कार्यालय के स्थान की दूरी जैसे बहुत से कारण शामिल होते हैं।

(ग) से (ङ) मंडलों (डिवीजनों) के प्रभारी अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्रों के अधीन नई शाखाएं खोलने की संभाव्यता की जांच करते हैं और नियंत्रण करने वाले क्षेत्रीय प्रबंधक के जरिए अपनी वार्षिक योजनाओं को जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करते हैं। जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय ने 1985-86 के लिए विकास आयोजनाओं में उ०प्र० राज्य के लिए निम्नलिखित 12 नई शाखाओं का अनुमोदन किया है :—

क्रम संख्या	नाम	जिला
1	2	3
1.	तिलहर	शाहजहांपुर
2.	लखनऊ शहर (गोमती पार के क्षेत्र)	लखनऊ
3.	खटीमा	नैनीताल
4.	सहस्वान	बदायूं
5.	कोसीकलां	मथुरा
6.	अलीगढ़-II	अलीगढ़
7.	फतेहाबाद	आगरा
8.	आगरा कैंट	आगरा
9.	रसाड़ा	बलिया
10.	मोहम्मदाबाद	गाजीपुर
11.	शाहगंज	जौनपुर
12.	वाराणसी शहर (मरुवादिया)	वाराणसी

उपरोक्त नये कार्यालयों के चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, 1986 तक अथवा उससे पहले खोले जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

धातु और इस्पात के "स्क्रैप" का अभाव

4942. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु इस्पात संयंत्रों और बड़े इस्पात संयंत्रों में बढ़िया किस्म के इस्पात के निर्माण के लिए धातु "स्क्रैप" और इस्पात "स्क्रैप" का अभाव है;

(ख) क्या धातु "स्क्रैप" की अनुपलब्धता के कारण देश में अनेक लघु इस्पात संयंत्र बंद होने वाले हैं;

(ग) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए स्क्रैप उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) से (घ) वर्ष 1985-86 के दौरान देश में कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रैप की मांग तथा देशीय उपलब्धता में 10 लाख टन प्रत्याशित अन्तर होने का अनुमान है। कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रैप, स्पंज लोहे और तप्त ब्रिकेट लोहे का आयात करके इस अन्तर को पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। इस्पात स्क्रैप की उपलब्धि न होने के कारण किसी लघु इस्पात कारखाने के बन्द होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उड़ीसा में पिंड लौह संयंत्र

4943. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में अब तक पिंड लौह के कितने संयंत्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) पिंड लौह का प्रत्येक संयंत्र कहां स्थित है;

(ग) पिंड लौह के कितने संयंत्रों ने अब तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है;

(घ) पिंड लौह के प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कुं० नटवर सिंह) : (क) से (ङ) उन इकाइयों के स्थान तथा वार्षिक क्षमता के बारे में सूची संलग्न है जिन्हें उड़ीसा राज्य तथा अन्य राज्यों में स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए गए हैं/पंजीकृत किया गया है। मात्र दो इकाइयों—नामतः मैसर्स स्पंज आयरन इंडिया लि० और मैसर्स उड़ीसा स्पंज आयरन लि० नयागढ़—में उत्पादन हो रहा है। शेष इकाइयां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

क्रम सं०	इकाई का नाम	स्थान	क्षमता (टन/वार्षिक)
1.	मैसर्स स्पंज आयरन इंडिया लि०, हैदराबाद	कोत्तगुडेम (आंध्र प्रदेश)	60,000
2.	मैसर्स बिहार स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,	रांची (बिहार)	120,000
3.	मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,	हाजीरा सूरत (गुजरात)	400,000

1	2	3	4
4.	मैसर्स स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (रांची)	रांची (विहार)	3,000
5.	मैसर्स कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,	हास्पेट बेलारी (कर्नाटक)	150,000
6.	मैसर्स मरजो अलायस एंड स्टील लि० हास्पेट	-तदैव-	20,000
7.	महाराष्ट्र की मैसर्स स्टेट इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन।	रायगढ़ (महाराष्ट्र)	400,000
8.	मैसर्स मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड,	रायपुर (मध्य प्रदेश)	150,000
9.	मैसर्स उड़ीसा स्पंज आयरन लि०,	नयागढ़ क्योंझर (उड़ीसा)	300,000
10.	उड़ीसा की मैसर्स इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन।	क्योंझर	90,000
11.	मैसर्स बिरला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि०	पतराता (बिहार)	40,000
12.	मैसर्स होप इंडिया लि०, कलकत्ता	बुरूलिया (पश्चिम बंगाल)	60,000
13.	श्री टी० ए० बुखारी, नई दिल्ली	बी०डब्ल्यू०ए० (कर्नाटक)	20,000
14.	श्री जगदीश प्रसाद, कलकत्ता	शिवसागर (असम)	400,000
15.	मैसर्स वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	जमसोल चाकदा वर्धवान (पश्चिम बंगाल)	150,000
16.	मैसर्स केशोराम, इडस्ट्रीयल, कलकत्ता	क्योंझर (उड़ीसा)	150,000
17.	श्री कृष्णम राजू एस० हैदराबाद	जिला : मेडक (आंध्र प्रदेश)	400,000

यूनियन बैंक आफ इंडिया के कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रों का खोला जाना

4944. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन बैंक आफ इंडिया ने देश में कितने कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं;

(ख) यह प्रशिक्षण केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में यूनियन बैंक आफ इंडिया का एक ऐसा कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यूनियन बैंक आफ इंडिया ने बताया है कि बैंक का बंगलौर में एक स्टाफ कालेज और निम्नलिखित स्थानों पर सात प्रशिक्षण केन्द्र हैं :—

(1) अल्वई (केरल), (2) अहमदाबाद (गुजरात), (3) बंगलौर (कर्नाटक), (4) भुवनेश्वर (उड़ीसा), (5) बोर्डी (महाराष्ट्र), (6) गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) और (7) लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

(ग) और (घ) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में, एक प्रशिक्षण केन्द्र पहले ही 19 जुलाई, 1985 से खोला जा चुका है।

उड़ीसा और अन्य राज्यों में यूनियन बैंक आफ इंडिया की शाखाएं खोलना

4945. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन बैंक आफ इंडिया ने राष्ट्रीयकरण के पश्चात तेजी से अपनी शाखाएं खोलनी प्रारम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक विभिन्न राज्यों में बैंक की कितनी शाखाएं खोली गई हैं; और

(ग) उपयुक्त बैंक का उड़ीसा और अन्य राज्यों में वित्त वर्ष 1985-86 में कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। वर्ष 1969 में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के समय, यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यालयों की संख्या केवल 241 थी और मार्च, 1985 के अंत में यह संख्या बढ़कर 1544 हो गई।

(ख) मार्च, 1985 के अन्त में, यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यालयों की जिला-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) यूनियन बैंक आफ इंडिया को, उड़ीसा में और शाखाएं खोलने के लिए अनुमति देने के प्रश्न पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सातवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के वास्ते शाखा लाइसेंसिंग नीति को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जायेगा। इस नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

मार्च, 1985 के अंत की स्थिति के अनुसार यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यालयों की जिलावार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यालयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	96
असम	23
बिहार	60
गुजरात	156
हरियाणा	24
हिमाचल प्रदेश	9
जम्मू और कश्मीर	5
कर्नाटक	69

1	2
केरल	106
मध्य प्रदेश	128
महाराष्ट्र	227
मेघालय	2
उड़ीसा	25
पंजाब	49
राजस्थान	39
तमिलनाडु	96
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	326
पश्चिम बंगाल	53
दिल्ली	38
चण्डीगढ़	2
गोवा, दमन और दीव	9
पांडिचेरी	1
जोड़	1544

[हिन्दी]

करापवंचन से होने वाली हानि

4946. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार की करापवंचन प्रतिशतता क्या है और इससे राजस्व में कितनी हानि हुई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान करापवंचन रोकने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों के फलस्वरूप करापवंचन किस सीमा तक कम हुआ है; और

(ग) करापवंचन रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले नए प्रस्तावित उपाय क्या हैं ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के अपवंचन की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किए गए हैं। इसलिए अपवंचित विभिन्न करों/शुल्कों के प्रतिशत अनुपात का तथा इस कारण हुए राजस्व की हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान ने भारत में अवैध अर्थव्यवस्था के पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट में काले धन का अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट की एक प्रति पहले ही सदन-पटल पर रख दी गई है। रिपोर्ट के अध्ययनकर्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि निष्कर्ष असंख्य परिकल्पनाओं तथा अनुमानों पर आधारित है जिन पर आपत्तियां उठाई जा सकती हैं।

(ग) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, उनके अपवंचन को रोकने के लिए समय-समय

पर प्रशासनिक, वैधानिक तथा संस्थागत सभी उपाय किये जाते हैं। उत्पादन शुल्कों के संबंध में, उत्पादन शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए कारखानों पर निवारक जांच तथा उत्पादन शुल्क संबंधी नियंत्रणो को तीव्र किया गया है। सीमा शुल्क अपवंचनों को रोकने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। किसी विशेष जिस के आयात पर अथवा किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले आयात पर निगरानी रखने के लिए समय-समय पर चेतावनी सूचनाएं (अलर्ट नोटिस) जारी की जाती हैं। जिन मामलों में मूल्य के बारे में संदेह होता है अथवा सामान गलत घोषणा के बारे में आशंका होती है, ऐसे मामलों को सूक्ष्म जांच-पड़ताल के लिए विशेष आसूचना तथा जांच शाखा को भेजा जाता है। उपयुक्त मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आर्थिक पक्ष का भी सहयोग लिया जाता है।

[**अनुवाद**]

हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के लिये नई मंडिया

4947. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तशिल्प के उत्पादों के निर्यात के लिए नई मण्डियों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने हस्तशिल्प की कितनी वस्तुओं का निर्माण और निर्यात किया गया; और

(ग) भविष्य में इनके लिए नई मण्डियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) हस्तशिल्पों के निर्यातों के लिए नए बाजारों का पता लगाने तथा उनके विकास और विद्यमान बाजारों को बनाए रखने के उद्देश्य से बहुत से संवर्धनात्म उपाय किए गए हैं। उनमें से कुछ ये हैं :—

1) सऊदी अरब, बहरीन तथा दुबई को बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रयोजित किया गया—फरवरी, 1982
2) अमरीका तथा कनाडा को अध्ययन-सह-बिक्री दल प्रयोजित कियागया—अक्तूबर-नवम्बर, 1982
3) दक्षिण कोरिया में एक कालीन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया—जून, 1984
4) पश्चिम जर्मनी, डनमार्क, फिनलैण्ड, स्वीडन, नार्वे तथा ब्रिटेन को अध्ययन-सह-बिक्री दल प्रायोजित किया गया—अक्तूबर-नवम्बर, 1984
5) हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान को बिक्री-यह-अध्ययन दल प्रायोजित किया गया—जुलाई, 1985
6) 1984 के दौरान दोहा में हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्पों की विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई।

(ख) हस्तशिल्प एक उच्च विकेन्द्रीकृत कुटीर क्षेत्र है। अतः विश्वसनीय उत्पादन-आंकड़े

उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, मोटे तौर पर 1983-84 में हस्तशिल्प उत्पादन का अनुमान 3250 करोड़ रु० मूल्य का लगाया गया।

गत तीन वर्षों के दौरान रत्न तथा आभूषणों को छोड़कर हस्तशिल्पों का अनन्तिम निर्यात मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० में (अन०)
1982-83	346.30
1983-84	345.82
1984-85	397.37

(ग) वर्तमान बाजारों को कायम रखने तथा नए बाजारों के विकास हेतु निम्नोक्त उपाय किये जा रहे हैं :—

1) फ्रांस तथा अमरीका में भारतीय महोत्सव में भारतीय हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए।
2) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुवैत में एक हस्तशिल्प-प्रदर्शनी आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।
3) आर्ट मैंटलवेयरों की क्वालिटी तथा फिनिशिंग में सुधार लाने के लिए मुरादाबाद में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।
4) विदेशों में प्रचार हेतु "मास्टर क्राफ्ट्स मैन आफ इण्डिया" नामक ब्रोशर सहित प्रचार-सामग्री निकाली जा रही है।
5) हस्तशिल्पों के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की जा रही है।

लघु उद्योगों के उत्पादों के निर्यात के लिये नये बाजार

4948. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों के उत्पादों का निर्यात करने हेतु नये बाजार का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) लघु उद्योगों की किन किस्मों की वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है, किस एजेंसी के माध्यम से इनका निर्यात किया जा रहा है और उनकी गुणवत्ता बनाये रखने के लिए कौन जिम्मेदार है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार लघु उद्योगों द्वारा निर्मित कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(घ) भविष्य में नये बाजारों में अपना स्थान बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (घ) उन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से जो निर्यातकों को नये बाजार में प्रवेश करने में आ सकती हैं, आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों को सामान्य दर से 10% अधिक दर पर आयात प्रतिपूर्ति प्रदान करके प्रोत्साहन दिया जाता है। यह व्यवस्था उन उत्पादों के लिए है जो

लघु उद्योग एककों द्वारा विनिर्मित किये जाते हैं और उन बाजारों के लिए है जो समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त बाजारों के विकास के लिए लघु उद्योग निर्यात सदनों को बाजार विकास अनुदान भी दिए जाते हैं । लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए 1985-86 के लिए आयात निर्यात नीति में अनेक उपाय शामिल किये गये हैं और सरकार निर्यातों के लिए नए बाजारों का पता लगाने में बराबर लगी हुई है ।

(ख) समुद्री उत्पाद, सिले-सिलाए परिधान, तैयार चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद, खेलकूद का सामान, हथकरघा, हस्तशिल्प आदि मदें निर्यात सदनों, व्यापार सदनों, एन० एस० आई० सी० एस० टी० सी०, राज्य निर्यात निगमों आदि की मार्फत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अधिकांशतया लघु उद्योग एककों द्वारा निर्यात की जाती है । निर्यात किये जाने वाले माल की क्वालिटी का मुख्य रूप से निर्यात निरीक्षण अभिकरणों अथवा सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अन्य अभिकरण द्वारा निरीक्षण किया जाता है ।

(ग) डी० जी० सी० आई० एंड एस० द्वारा संकलित विदेश व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल निर्यात 1981-82 में 7805.9 करोड़ रु०, 1982-83 में 8907.8 करोड़ रु० और 1983-84 में 9872.1 करोड़ रु० के थे । 1984-85 के दौरान भारत से कुल निर्यातों के अद्यतन अनन्तिम आंकड़े 11396.0 करोड़ रु० हैं । उद्योग के लघु क्षेत्र तथा बड़े क्षेत्र के लिए निर्यात आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते । तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्यात काफी हैं ।

[हिन्दी]

एक रुपये और दो रुपये के सिक्कों का आकार

4949. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रुपये और दो रुपये के सिक्कों का आकार और रूप पुराने पचास पैसे और एक रुपये के सिक्के के ही समान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन सिक्कों के आकार में समानता को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) यद्यपि एक रुपये के पुराने सिक्के और दो रुपये के सिक्के का आकार और रूप एक समान हैं, तथापि इन दोनों सिक्कों में उनकी बनावट की कुछ विशेषताओं के कारण भेद किया जा सकता है । तथापि जनता द्वारा महसूस की गई असुविधा और कठिनाइयों के बारे में मिली रिपोर्टों के आधार पर दिसम्बर, 1983 में दो रुपये के ऐसे सिक्कों की ढलाई बन्द करने का निश्चय किया गया जिनका परिमाप और आकार एक रुपये के पुराने सिक्के के समान था ।

एक रुपये के नये सिक्के और 50 पैसे के सिक्के के परिमाप और भार में अन्तर है और इनमें एक-दूसरे से आसानी से भेद किया जा सकता है । एक रुपये के नए सिक्के और 50 पैसे के सिक्कों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मूल्य वर्ग	भार (ग्रामों में)	परिमाप (व्यास मिलीमीटर में)	आकार
एक रुपया (नया)	6	26	गोल
50 पैसे	5	24	गोल

शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देना

4950. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का कोई परिपत्र जारी किया गया है कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ऋण देते समय 50 प्रतिशत ऋण केवल उद्योग लगाने के लिए दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परिपत्र से व्यापारी और व्यवसाय निरुत्साहित हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसमें दी गई शर्तों को उदार बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना 1983-84 से शुरू की गई थी । अगले वर्ष अर्थात् 1984-85 से यह निर्णय लिया गया कि इस योजना के अन्तर्गत मंजूर किए जाने वाले कम से कम 50% सहायता के मामले औद्योगिक एककों के होने चाहिएं । इसका मुख्य प्रयोजन व्यापारियों और व्यवसाइयों को हतोत्साहित करना नहीं था बल्कि उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देना था । इस समय इस संकल्पना को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
[**अनुवाद**]

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात

4951. **श्री चिन्तामोहन** :

श्री गुरुदास कामत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये निर्यात पर कुल आमदनी कुल खर्च, बुनियादी ढांचे पर किया गया खर्च और सरकार द्वारा दी गई धनराशि के कुल आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम के निर्यात में राज्य व्यापार निगम के नाम पर गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा किया गया निर्यात भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार से किया गया निर्यात और राज्य व्यापार निगम द्वारा स्वयं किये गये निर्यात के बीच क्या अनुपात है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) विवरण एक संलग्न है ।

(ख) जी हां ।

(ग) विवरण दो संलग्न है ।

विवरण एक

	करोड़ रु० 1982-83	1983-84	1984-85 (अनन्तिम)
1. रा० व्या० नि० के कुल निर्यात	630.47	796.11	676.49
2. **कुल आय**			
कर पूर्व लाभ	62.66	59.83	62.09
कर पश्चात लाभ	24.51	28.83	28.55
3. **कुल व्यय**			
ऊपरिव्यय	15.61	18.14	22.19
ब्याज अदायगी (निवल)	1.10	(—)6.84	26.37
मूल्य ह्रास/प्रावधन/बट्टे खाते	2.00	3.79	1.70
4. **31 मार्च, के यथास्थिति निर्यात परियोजनाओं संबंधी अवस्थापनाओं में निवेश**	0.22	0.34	0.34
5. **सरकार द्वारा प्रदत्त निधि**	शून्य	शून्य	शून्य

विवरण दो

(करोड़ रु०)
(अनन्तिम)

वर्ष	प्रत्यक्ष निर्यात	अप्रत्यक्ष निर्यात	कुल निर्यात	प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष निर्यातों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1982-83	221.04	409.43	630.47	35
1983-84	384.98	411.13	796.11	48
1984-85	235.48	411.01	676.49	35

हथकरघा बुनकर वित्त निगम बनाने का प्रस्ताव

4952. **श्री चिन्ता मोहन :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रत्येक जिले के लाभ के लिए एक हथकरघा बुनकर वित्त निगम बनाने का प्रस्ताव उनके मंत्रालय के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण तथा अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस मामले में वर्तमान आधारभूत सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कपड़ा नीति के एक अंग के रूप में हथकरघा उत्पाद तथा रोजगार के अवसर बढ़ें, तथा बुनकरों को अधिक मुनाफा दिलाने के लिए हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने का है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी हां। नई वस्त्र नीति उत्पाद और आयात विकास के प्रयासों को तेज करने, बाजार नीति के पुनः अभिमुखीकरण तथा फैशन और डिजाइन तथा उन्नत करने की क्षमता के सृजन करने के अलावा निर्यातों के लिए निविष्ट साधनों की विश्व कीमतों पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।

हथकरघा द्वारा तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा

4953. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के मामले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए कोई नियमित पूर्णकालिक संगठन अथवा निगरानी समिति की स्थापना की है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि प्रत्येक मीटर कपड़े पर खुदरा मूल्य अंकित नहीं होता है और उन पर केवल थोक मूल्य ही अंकित किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) . (क) हालांकि सरकार ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए कोई पूर्णकालिक संगठन अथवा निगरानी समिति स्थापित नहीं की है, फिर भी वस्त्र समिति के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ अन्तरिक विपणन तथा निर्यात प्रयोजनों दोनों के लिए मानक क्वालिटियां सुनिश्चित करना, वस्त्रों के लिए मानक विशिष्टियां स्थापित करना अथवा अपनाना, वस्त्रों आदि के निरीक्षण, जांच तथा प्रयोगशाला परीक्षण की व्यवस्था करने के लिए क्वालिटी नियंत्रण अथवा निरीक्षण की उसी प्रकार की विशिष्टी शामिल हैं। वस्त्र समिति को, और अधिक उपभोक्ता संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया गया है।

(ख) नियमित कपड़े तथा सस्ते कपड़े और स्वतंत्र प्रोसेसरों द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले कपड़े को छोड़कर मिलों द्वारा उत्पादित सूती कपड़े के प्रत्येक मीटर पर कारखाने से निकलते समय की कीमत तथा उत्पादन शुल्क की राशि की छाप लगाई जा रही है। नियन्त्रित कपड़े पर अन्तिम उपभोक्ता कीमत की छाप लगाई जाती है जबकि सस्ते कपड़े पर अधिकतम फुटकर कीमत की छाप लगाई जाती है।

(ग) नई वस्त्र नीति में विपणन तथा वितरण की एक ऐसी प्रणाली तैयार करने पर बल दिया गया है जिसमें उपभोक्ता की सन्तुष्टि तथा संरक्षण की व्यवस्था हो। इस नीति के अनुसार सरकार इस दिशा में समुचित उपाय करेगी।

भारतीय निर्यात

4954. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़े के निर्यात के सम्बन्ध में भारत का कार्यनिष्पादन कैसा है; और

(ख) हमारी क्षमता और वास्तविक बाजार में भारतीय निर्यात और निर्यातकों की प्रतिष्ठा कैसी है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) कपड़े के निर्यात में भारत का कार्य निष्पादन अनुकूल सुधार दिखा रहा है।

(ख) निर्यात बाजारों में, भारतीय कपड़े के निर्यातों और निर्यातकों की प्रतिष्ठा, कुल मिलाकर अच्छी है।

[हिन्दी]

न्यू बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

4955. **श्री लाल राम केन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू बैंक आफ इंडिया में कुछ पद केवल वरिष्ठता के आधार पर भरे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्गों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वरिष्ठता सूचियां तैयार की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन वरिष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति करने के क्या मानदण्ड हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) न्यू बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि निम्नलिखित नियुक्तियां केवल वरिष्ठता के आधार पर की जा रही हैं। इन पदों को पदोन्नति के पद नहीं माना जाता। इन पर, अलबत्ता विशेष भत्ता दिया जाता है।

(i) **अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग**

चपरासी से चपरासी एवं रोकड़ चपरासी, चपरासी एवं बिल क्लर्क, चपरासी एवम् दफ्तरी और मुख्य चपरासी;

(ii) **लिपिक संवर्ग**

(i) लिपिक संवर्ग से विशेष सहायक

(ii) रोकड़िया से मुख्य रोकड़िया/रोकड़ प्रभारी

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों और पावरलूम संगठन द्वारा नई कपड़ा नीति का विरोध

4956. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पावरलूम और हथकरघा बुनकरों के कई संगठनों ने नई कपड़ा नीति का घोर विरोध किया है और मांग की है कि संगठित क्षेत्र और विकेन्द्रीकृत पावरलूम और हथकरघा क्षेत्र के बीच असमान प्रतिस्पर्धा को विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की रक्षा के लिए समाप्त किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो पावरलूम और हथकरघा क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) नई वस्त्र नीति का कुल मिलाकर बिजली करघा तथा हथकरघा बुनकरों के संघठनों द्वारा स्वागत किया गया है। नई वस्त्र नीति में हथकरघों की महत्वपूर्ण भूमिका निहित है और अनेक मार्गदर्शी सिद्धांत भी हैं ताकि हथकरघे अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें और साथ ही हथकरघा बुनकरों के लिए ऊंची आय को सुनिश्चित किया जा सके। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त अन्यों के साथ साथ करघों के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी में सुधार जिसमें प्रौद्योगिकी का निर्बाध्य अन्तरण शामिल है, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के कार्यों द्वारा उचित कीमतों पर कच्चे माल की सप्लाई, मिश्रित तथा ब्लेंडिड फैब्रिकों का उत्पादन, बुनकरों को कुछ प्रत्यक्ष लाभ देने के उद्देश्य से नये आरक्षण, अधिनियम के उपबन्धों का शक्ति से लागू किया जाना, अंशदायी थ्रिप्ट निधि योजना और वर्क-शेड सह आवास योजना जैसी कई कल्याण योजनाएं पहले ही आरम्भ की गई हैं। नीति में कन्ट्रोल के कपड़े को क्रमबद्ध रूप में हथकरघा क्षेत्र को अन्तरित करने की भी व्यवस्था है जबकि नई वस्त्र नीति हथकरघा क्षेत्र को विशेष संरक्षण देती है, यह बिजली करघा क्षेत्र और मिल क्षेत्र के बीच में तटस्थ है। नीति में वस्त्र उद्योग के क्षेत्रों में सामंजस्यपूर्ण वृद्धि की भी व्यवस्था है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भिवंडी के हथकरघा कारीगरों को गड़बड़ी के कारण हुई हानि

4957. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिवंडी में गड़बड़ी के कारण मजदूरों को हुई हानि का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) उनमें से कितने लोगों का पुनर्वासन किया जा चुका है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नष्ट हुए करघों को खरीदने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(घ) कितने लोगों का पुनर्वास किया जाना बाकी है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पूर्ति तथा वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) दंगों के कारण भिवन्डी में बिजली करघे प्रभावित हुए थे। इन दंगों से हथकरघों के प्रभावित होने के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पीयरलेस जनरल फाइनेन्स निगम द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार

4958. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उपभोक्ता संरक्षण संगठन द्वारा पीयरलेस जनरल फाइनेन्स निगम द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार करने की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस बारे में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) संभवतः मान-

नीय सदस्य का आशय पीयरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता से है।

कन्जूमर एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, अहमदाबाद ने मैसर्स पीयरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के खिलाफ एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 36 (ख) के अधीन एक याचिका एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, नयी दिल्ली के सम्मुख दायर की है जिसमें इस कम्पनी द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार का एक आरोप लगाया गया है।

आयोग ने इस मामले को एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 36 (ग) के अधीन प्रारम्भिक जांच का आदेश दे दिया है। बताया जाता है कि कम्पनी ने उक्त आदेश के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

कपड़ा मिलों में वित्तीय संकट

4959. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ कपड़ा मिलें वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की मिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इन मिलों तथा इनके श्रमिकों को बचाने के लिए सहायता के क्या उपाय करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक एककों से आशा की जाती है कि वे अपनी वित्तीय समस्याओं पर वित्तीय संस्थानों से बातचीत करें। सरकार ने भी बन्द एककों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक समूह स्थापित किया है ताकि ऐसे एककों के लिए, जिन्हें सम्भाव्य रूप में जीवन क्षम समझा गया है, सहायता के पकैज का पता लगाया जा सके।

ओपन जनरल लाइसेंस आयात योजना शुरू करना

4960. **श्री एम०वी० रत्नम** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वस्तुओं जिनका आयात करने के लिए लाइसेंस नहीं लेना होगा। ओपन जनरल लाइसेंस आयात योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, उसका प्रयोजन क्या है और उसमें कौन-कौन सी वस्तुएं उल्लिखित हैं; और

(ग) वर्ष 1984-85 में ओपन जनरल लाइसेंस योजना के अन्तर्गत इस प्रकार कुल कितने मूल्य का सामान आयात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) अनिवार्य मदों, जिनके लिए कोई घरेलू उत्पादन नहीं है अथवा मांग की तुलना में घरेलू उत्पादन बहुत कम है, के आयात के लिए आसान तथा शीघ्र व्यवस्था करना।

खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमेय आयात तथा निर्यात नीति, 1985-86 (**खण्ड-1**) में दी गई है जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयातों के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।

संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय हथकरघा भारी कठिनाई

4961. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1985 के "नेशनल हेरल्ड" में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है, कि भारतीय हथकरघा के वस्त्रों के अमरीका में प्रवेश के बारे में पिछले आयात मापदण्डों के अन्तर्गत 31 मई, 1985 से 90 दिन की छूट अवधि देने से अमरीकी सरकार के निर्णय ने भारतीय हथकरघा उद्योग को भारी कठिनाई में डाल दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार के इस नए निर्णय के परिणामस्वरूप जिन हथकरघा वस्त्रों की सिलाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें शत-प्रतिशत हथकरघा वस्त्र नहीं माना जा सकता, अमरीकी अधिकारियों ने हाल में 100 करोड़ रुपए के मूल्य के भारतीय हथकरघा वस्त्र रोक लिए हैं और इसलिए कार्य-निष्पादन संतोषजनक प्रतीत नहीं होता; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) अमरीकी सरकार का नया निर्णय छूट अवधि के दौरान प्रभावी नहीं होगा जो कि 13 सितम्बर, 1985 तक के लिए थी, और अब हमारे हस्तक्षेप पर 30 सितम्बर, 1985 को समाप्त होने वाली 30 दिन की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

हथकरघा उद्योग में परामर्शदात्री समिति

4962. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक परार्शमदात्री समिति का गठन किया है जो केवल हथकरघा उद्योग में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं व आरक्षण के बारे में सुझाव देगी;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी रचना निदेश पदों से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को इसकी रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) समिति की संरचना तथा विचाराधीन विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) चूंकि सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है अतः ऐसी आशा है कि समिति अपनी सिफारिशें इस वर्ष के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी।

विवरण

हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अधीन परामर्शदात्री समिति का गठन तथा विचाराधीन विषय।

1. गठन

1. विकास आयुक्त (हथकरघा)। अध्यक्ष

2. निदेशक, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, सलेम, (तमिलनाडु) । — सदस्य
3. श्री गौतम बघेला, निदेशक (समन्वय) बुनकर सेवा केन्द्र, बम्बई । — सदस्य
4. श्री एस०सी० जैन, उप-निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र, पानीपत । — सदस्य
5. निदेशक, दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान ऐसोसिएशन (एस०आई०पी०आर०ए०), कोयम्बतूर । — सदस्य
6. प्रोफेसर एस०पी० सीतारामन, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद । — सदस्य
7. सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर । — सदस्य
8. सचिव, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास । — सदस्य
9. कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद । — सदस्य
10. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली । — सदस्य
11. विशेष अधिकारी, तमिलनाडु हथकरघा बुनकर सहकारी सोसायटी लि० (कोआप्टैक्स), मद्रास । — सदस्य
12. उद्योग निदेशक, कर्नाटक सरकार बंगलौर । — सदस्य
13. हथकरघा निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर । — सदस्य
14. हथकरघा निदेशक, असम सरकार, दिसपुर । — सदस्य
15. हथकरघा निदेशक, जम्मू तथा कश्मीर सरकार, श्रीनगर । — सदस्य
16. हथकरघा तथा वस्त्र निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता । — सदस्य
17. वस्त्रायुक्त, बम्बई । — सदस्य
18. संयुक्त सचिव, वस्त्र विभाग, नई दिल्ली । — सदस्य
19. श्री एस०पी० ठाकुर, संगठन सचिव, भट्टी बुनकर सहकारी सोसायटी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश । — सदस्य
20. श्री टी०आर० दिवंगर, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, भोपाल । — सदस्य
21. डा० थामस, अध्यक्ष, खादी तथा ग्रमीण उद्योग, बम्बई । — सदस्य
22. श्री रहमतुल्ला अंसारी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय हथकरघा फैब्रिक विपणन सहकारी सोसायटी, बम्बई । — सदस्य
23. श्री रंगानायकल्लु, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश हथकरघा बुनकर सहकारी सोसायटी लि०, हैदराबाद । — सदस्य
24. श्री इदरिस अंसारी, बिहार । — सदस्य
25. कु० हेलेना प्रेहेन्तुप्ता, अहमदाबाद । — सदस्य
26. डा० बी०सी० मोहन्ती, भुवनेश्वर । — सदस्य

27. श्रीमती लोतिका वरदाराजन, 13, ए०बी० पण्डारा रोड, नई दिल्ली ।　　　　　　　　　　　　　　　　सदस्य

28. विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय का एक अधिकारी　　　　　सदस्य सचिव

2. **विचाराधीन विषय :**

परामर्शदात्री समिति हथकरघों के अनन्य उत्पादन हेतु आरक्षण लिए जाने के संबंध में वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें देगी । ऐसी वस्तुओं अथवा वस्तु श्रेणी संबंधी ऐसी सिफारिशें करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नोक्त प्रकार होंगे :

(क) व्यापक उपभोग हेतु हथकरघों द्वारा उत्पादित किए गए हैं । वस्तुओं अथवा वस्तु श्रेणी;

(ख) हथकरघों द्वारा परम्परागत रूप से उत्पादित हो रही वस्तु अथवा वस्तु श्रेणी;

(ग) हथकरघों द्वारा अनन्य तौर पर उपरोक्त खंड (क) तथा खंड (ख) में उल्लिखित वस्तु अथवा वस्तु प्रकार द्वारा सृजित होने वाले रोजगार का स्तर;

(घ) हथकरघा उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा और उद्योग के सतत् रख-रखाव की आवश्यकता और;

(ङ) ऐसा कोई अन्य मामला जिसे परामर्शदात्री समिति उचित समझे ।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा गाय की चर्बी की खरीद

4963. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध गाय की चर्बी अनधिकृत रूप से खरीदने और इसका अपने उत्पादों में गलत प्रयोग करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) अनधिकृत रूप से आयातित गौ चर्बी की खरीद के सम्बन्ध में जांच की गई है और मैसर्स हिन्दुस्तान लिवर लि० को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं ।

पुनर्वास कोष

4964. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के श्रमिकों को सहायता देने के लिए पुनर्वास कोष बनाने की योजना का ब्यौरा तैयार किया है;

(ख) यदि हां तो ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब से कार्य प्रारम्भ करेगी ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) योजना को जल्द से जल्द आरम्भ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत करघों और हथकरघों के लिए निर्धारित लक्ष्य

4965. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत करघाओं हथकरघाओं हेतु तथा कुछ मीटर को मिलों हेतु उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार किया है;

(ख) क्या हथकरघा क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा करने की कोई संभावना है;

(ग) यदि हाँ, तो इसकी प्रगति के बारे में क्या ब्यौरा है और इससे बेरोजगारी दूर करने में कहां तक सहायता मिली है; और

(घ) इस क्षेत्र में इस समय कार्य कर रहे व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है और अंशकालिक एवं नियमित आधार पर रोजगार के कितने अवसर पैदा किए जा रहे हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) सातवीं योजना के टर्मिनल वर्ष अर्थात 1989-90 के लिए वस्त्र संबंधी 7वीं योजना कार्यकारी समूह ने उत्पादन के निम्नलिखित लक्ष्यों की सिफारिश की है :—

1. मिल तथा पावरलूम क्षेत्र	9900 मिलियन मीटर
2. हथकरघा क्षेत्र	4600 मिलियन मीटर

श्रमिक व्यवस्था आयोग के साथ विचार विमर्श पूरा हो जाने के बाद विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

(ख) हथकरघा क्षेत्र में 7वीं योजना के दौरान उत्पादन के बढ़े हुए लक्ष्यों से लगभग 21 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने का अनुमान है।

(ग) छठी योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र में अनुमानतः लगभग 25 लाख लोगों को अधिक रोजगार मिला है।

(घ) राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।]

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कताई मिलें स्थापित करना

4966. **श्री राम प्यारे सुमन : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में स्थानवारी कितनी कताई मिलें हैं और प्रत्येक मिल की क्षमता क्या है;

(ख) उपर्युक्त मिलों में से प्रत्येक में किस किस्म के धागे बनाए जा रहे हैं और उसकी खपत का आधार क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त मिलों में बनाये जा रहे रेशे की मात्रा बहुत कम है;

(घ) यदि हां, प्रत्येक मिल में रेशे की कितनी मात्रा बनाई जा रही है और उसे किस प्रकार उपभोग किया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार इस समय राज्यों में बुनकरों के समक्ष रेशे के गंभीर संकट को दूर करने के उद्देश्य से उपर्युक्त मिलों द्वारा रेशे की अधिकतम मात्रा तैयार किए जाने की किसी योजना पर विचार कर रही है, यदि हां, तो उक्त योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी और

यदि कोई योजना नहीं बनाई गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश में इस समय राज्य सरकारी क्षेत्र एककों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन पांच कताई एकक हैं। एकक का नाम, उसका स्थान तथा प्रत्येक मामले में कताई क्षमता निम्नोक्त प्रकार है :

एकक तथा स्थान का नाम	स्थापित क्षमता
बिजली काटन मिल्स, हाथरस	25664
श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ	15296
स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	64620
स्वदेशी काटन मिल्स, महुनाथ भंजन	24248
राय बरेली टैक्सटाइल मिल्स, रायबरेली	10472

(ख) स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी सूत तथा स्टेपल फाइवर यार्न दोनों का उत्पादन करता है। बाकी सभी एकक सूत तैयार करते हैं। इन कताई मिलों का संपूर्ण उत्पादन बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

(ग) और (घ) इन मिलों में उत्पादन का चालू पैटर्न निम्नोक्त प्रकार है :

	काउन्ट ग्रुप कुल उत्पादन की उत्पादन प्रतिशतता				
	0-10	11-20	21-30	31-40	41-62
बिजली काटन मिल्स	57.5	24.5	0.3	17.7	—
विक्रम काटन मिल्स	68.1	—	31.9	—	—
स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	— (काटन यार्न)	—	60.8	23.5	15.7
	— (स्टेपल यार्न)	22.4	71.4	6.2	—
स्वदेशी मिल्स, महुनाथ भंजन	—	—	25.4	74.6	—
रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स, रायबरेली	50.8	—	—	49.2	—

1984-85 के दौरान इन एककों द्वारा धागे का कुल उत्पादन निम्नोक्त प्रकार था :

	उत्पादन (लाख किग्रा में)
बिजली काटन मिल्स	25.75
विक्रम काटन मिल्स	14.03
स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	12.26 (काटन) 41.36 (स्टेपल)

स्वदेशी काटन मिल्स, महुनाथ भंजन	14.58
रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स	5.29

यह धागा बाजार में खुली बिक्री के लिए उपलब्ध है।

(ङ) जी नहीं। स्टेपल यार्न की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

हाथ वस्त्र उत्पादन एककों हेतु कच्चा माल

4967. **श्री रेणुपद दास** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुनर्वास उद्योग निगम का हाथ वस्त्र उत्पादन एकक कच्चे माल की कमी के कारण अब खराब स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने अब तक कच्चा माल सुनिश्चित करके इसकी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1984-85 के दौरान इस केन्द्र का उत्पादन मूल्य 16.56 लाख रु० था। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के दौरान उत्पादन मूल्य लगभग 55,000/-रु० था।

(ग) इस केन्द्र को कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

मलेशिया कपड़ा प्रवृत्त मूल्यों से कम पर बेचने के बारे में शिकायतें

4968. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल कपड़ा व्यापारी संघ ने हाल ही में उनको राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि०, कलकत्ता के प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायतों का एक ज्ञापन पेश किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाजार में मलेशिया कपड़े के प्रवृत्त मूल्यों से कम मूल्य पर भारी मात्रा में इस कपड़े के बेचे जाने की शिकायत की गई है;

(ख) ज्ञापन में उल्लिखित अन्य शिकायतें क्या हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) प्रबन्धकों अथवा निगम को हानि पहुंचाने के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) दिनांक 30-4-85 को शिकायत का ऐसा एक ज्ञापन ईस्टर्न इंडिया गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग टैक्सटाइल मिल्स एजेन्ट्स एण्ड डीलर्स एसोसिएशन, कलकत्ता से प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोरे कपड़े की बड़ी मात्रा को बाजार में चल रही कीमतों से कम पर बेचने की शिकायत थी।

(ख) और (ग) अन्य मुख्य शिकायतों, उनके तथ्यों और उन पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) और (ग) ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य शिकायतें इस प्रकार हैं :—

(1) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) होशियारी से एजेन्सियों को समाप्त करने की ओर बढ़ रहा है ताकि वह वर्तमान एजेन्टों के ईमानदारी भरे व्यापारी सौदों की चिन्ता न करके प्रबन्ध की पसन्द के एजेन्टों की नियुक्ति कर सके। इसको देखते हुए रामपुरिया काटन मिल्स और बंगाश्री काटन मिल्स द्वारा तैयार किए गये बिना कलेंडर किए हुए शीटिंग के कोरे कपड़े की बिक्री मार्च-अप्रैल 1985 में बाजार में प्रचलित कीमतों से कहीं कम कीमतों पर की गई और इस प्रकार एन० टी० सी० को कुछ लाख रुपयों का घाटा और हुआ।

(2) 1982-83/1983-84 में एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) के अन्तर्गत मिलों द्वारा तैयार किए गये गैर नियंत्रित कपड़े की कुछ मात्रा ऋण पर एन० सी० सी० एफ० की मार्फत उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों को भेजी गई और बकाया राशि 95 लाख रु० की है जो वसूल किए जाने योग्य नहीं है। यह भी शिकायत की गई कि एक भी मीटर कपड़ा समिति के सदस्यों तक नहीं पहुंचा और एन० टी० सी० से कम कीमतों पर लाट को कलकत्ते के बाजार में पाट दिया गया।

(3) ईस्टर्न इंडिया गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग टैक्सटाइल मिल्स डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य एजेण्टों को दिया जाने वाला कमीशन एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० द्वारा रोक दिया गया, ऐसा आरोप है।

(4) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० के विपणन प्रभाग में 400 से अधिक कर्मचारियों की कथित गैर-कानूनी और अप्राधिकृत नियुक्ति की गई।

(5) सहायक निगम द्वारा आरम्भ किए गये लगभग 32 करोड़ रु० के व्यापक आधुनिकीकरण के कार्यकरण के बावजूद एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) के कार्य संचालन में गिरावट आई है।

इन शिकायतों के बारे में तथ्य और इन शिकायतों पर सरकार एन० टी० सी० द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) मार्च-अप्रैल, 1985 के महीनों के दौरान गैर-कलेंडर किए हुए कोरे कपड़े की बिक्री एजेन्टों की मार्फत की गई और साथ ही सीधे विभिन्न व्यापारियों को भी की गई। अधिकांश मामलों में एजेन्टों द्वारा दी गई दरें उन दरों से कहीं कम थीं जिन पर इसे सीधे बेचा गया और इसलिए ये शिकायत निराधार पाई गई।

(2) इस शिकायत की जांच की गई कि 10 जनवरी 1983 और 13 फरवरी 1984 की अवधि के बीच 71.31 लाख रु० के मूल्य का गैर कन्ट्रोल का कपड़ा एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) के अन्तर्गत मिलों द्वारा बिना औपचारिक आर्डरों के मैसर्स आदर्श बाजार होलसेल कन्ज्यूमर स्टोर, पटना को भेजा गया और बिल बिना भुगतान के पड़े हुए हैं।

उपर्युक्त पूछताछों के परिणामस्वरूप एन० सी० सी० एफ० की डिलीवरी सम्बन्धी औपचारिक हिदायतों के बिना राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फैडरेशन के घटक मैसर्स आदर्श बाजार होलसेल एण्ड रिटेल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लि० पटना को गैर-कन्ट्रोल के कपड़े के भेजे जाने में प्रक्रिया सम्बन्धी कई चूकों का पता लगा।

आदर्श बाजार होलसेल तथा रिटेल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लि० पटना ने इस बात

की पुष्टि की है कि उन्हें जनवरी 1983 और फरवरी 1984 के बीच एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० से लगभग 80 लाख रु० का माल प्राप्त हुआ और उनकी ओर से एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) ने उपर्युक्त देनदारी स्वीकार करने के लिए एन० सी० सी० एफ० से अनुरोध किया है। एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) को ये सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है कि एन० सी० सी० एफ० पर बकाया राशि का मामला जल्दी उठाया जाए और आगे देरी किए बिना सभी भुगतान वसूल किए जाएं। गैर-कन्ट्रोल के कपड़े की उक्त सप्लाई के बारे में लम्बित मामलों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फैडरेशन (एन० सी० सी० एफ०) के तीन अधिकारियों और एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) के दो अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है।

उपर्युक्त वाणिज्यिक सौदों से सम्बद्ध सहायक निगम ने तीन प्राधिकारियों को सहायक निगम ने मामलों की अन्तिम जांच होने तक के लिए जुलाई, 1985 में निलम्बित कर दिया।

(3) जिन एजेन्टों ने उस शर्त पर 10.25% की छूट पर 76 लाख रु० का माल बेचा कि भुगतान के आधार पर दो महीने के अन्दर माल उठा लिया जाएगा, उन्होंने माल की बिक्री के पूरे हो जाने के समय भुगतान का जो समय दिया था, उसके अनुसार वे भुगतान करने में असफल रहे। इसके अलावा उन्होंने कपड़े की समस्त मात्रा नहीं उठाई और परस्पर जितनी मात्रा के लिए सहमति हुई थी उसके मुकाबले में नए उत्पादन में से माल की अधिक मात्रा उठाने के लिए आग्रह किया उसको देखते हुए उन्हें कमीशन नहीं दिया गया।

(4) जुलाई 1984 से लेकर नवम्बर 1984 के दौरान एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० के निदेशक मण्डल द्वारा बड़े पैमाने पर भर्ती किए जाने के मामले में एक शिकायत प्राप्त हुई। जिन प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्त किया गया था, उन्हें उस बीच "काम से हटा दिया गया" है जिन दो अफसरों को इस नियुक्ति के अन्तर्ग्रस्त पाया गया, उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। पूछताछ व जांच चल रही है।

(5) अब तक एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० के अन्तर्गत मिलों के आधुनिकीकरण पर 31-3-1985 तक 31.44 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई है। उत्पादन क्षमता उपयोग और उत्पादन मूल्य के रूप में आधुनिकीकरण के लाभ इस प्रकार हैं :

	1975-76	1982-83	फरवरी, 1985
कताई उपयोग (%)	63.1	66.1	62.7
बुनाई उद्योग (%)	48.2	50.9	62.7
कताई उत्पादन क्षमता (40 काउन्ट संपरिवर्तन)	47.7	54.9	59.2
बुनाई उत्पादन क्षमता (एल०पी०आई०)	192.00	220.0	220.0
औसत मासिक उत्पादन मूल्य (राष्ट्रीयकृत मिल) (करोड़ रु० में)	1.72	3.09	3.47

[हिन्दी]

पटसन मिल मालिकों द्वारा जमाखोरी किये जाने के कारण कच्चे पटसन के मूल्यों में वृद्धि

4969. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान कच्चे पटसन का राज्य-वार कितना उत्पादन (लाख गांठों में) हुआ है;

(ख) क्या पटसन मिल मालिकों ने कच्चे पटसन को खरीदकर काफी स्टाक जमा कर लिया है जिसके कारण कच्चे पटसन का मूल्य बहुत बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मुनाफाखोर पटसन मिल मालिकों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान पटसन मौसमों के कच्चे पटसन तथा मेस्टा का अनुमानित राज्यवार उत्पादन निम्नोक्त प्रकार से है :

	लाख गांठें, 100 कि०ग्रा० की प्रत्येक गांठ	
राज्य	1983-84	1984-85
1. पश्चिम बंगाल	41.11	36.20
2. बिहार	9.13	11.45
3. आसाम	9.05	9.27
4. उड़ीसा	5.20	5.46
5. उत्तर प्रदेश	0.81	1.78
6. आन्ध्र प्रदेश	5.75	5.74
7. मेघालय	0.64	0.91
8. त्रिपुरा	0.80	1.0
9. अन्य राज्य	1.65	1.60
योग :	74.14	73.42

(ख) से (ङ) कच्चे पटसन की पटसन मिलों द्वारा जमाखोरी का नियंत्रण पटसन (लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के अधीन था, जो कच्चे पटसन की कीमतें ऊंची होते समय पटसन आयुक्त द्वारा प्रवर्तित किया गया था। मिलों और व्यापारियों के पास, पड़े कोई अतिरिक्त पटसन का पता लगाने के लिए जून-जुलाई 1985 के दौरान जमाखोरी रोकने का एक कार्यक्रम भी चलाया गया था। तब से कच्चे पटसन की कीमतें काफी गिर गई हैं।

[अनुवाद]

बम्बई में कपड़ा मिलें

4970. **श्री हुसैन दलवाई : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई शहर में इस समय कितनी कपड़ा मिलें कार्य कर रही हैं;

(ख) वर्ष 1960 में बम्बई शहर में कितनी कपड़ा मिलें थीं;

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से कितनी बन्द मिलें चालू की गई हैं;

(घ) क्या पुनः आरम्भ की गई मिलों में उन सभी कर्मचारियों को पुनः काम पर ले लिया गया है जो उनके बन्द होने के समय उन मिलों में काम कर रहे थे; और

(ङ) ऐसी प्रत्येक मिल में कर्मचारियों के आंकड़े क्या हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार बम्बई शहर में 54 सूती वस्त्र मिलें कार्यरत हैं ।

(ख) 1 जनवरी, 1960 की स्थिति के अनुसार बम्बई शहर में 62 सूती वस्त्र मिलें कार्यरत थीं ।

(ग) महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम ने सूचित किया है कि केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसी मिल को पुनः प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बम्बई में सूती कपड़ा मिलों के छंटनी किए गये कर्मचारियों को रोजगार

4971. **श्री हुसैन दलवाई : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घोषित नई वस्त्र नीति को देखते हुए बन्द की जाने की सम्भावना वाली बम्बई की सूती कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि एक बार बम्बई के मिल मालिकों ने अपनी मिलों को महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की थी बशर्ते कि उन्हें बम्बई में उनकी मिलों द्वारा घेरे विशाल भूखंडों को बेचने की अनुमति दे दी जाए; और

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई में भूमि का मूल्य जो कि भारत में सर्वाधिक हो गया है, कम करने की दृष्टि से उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया था ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) यदि देश के किसी भाग में कोई वस्त्र मिलें बन्द हो जाती हैं तो उसका कारण उनके अर्थ क्षमता के अन्तर्भूत अभाव होगा न कि ऐसा नई वस्त्र नीति के दृष्टिकोण से होगा । यह स्पष्ट है कि हानि उठाने वाले एकक अनन्तकाल तक नहीं चल सकते । इस प्रकार की अपरिहार्य परिस्थितियों में कामगारों के लाभार्थ नई वस्त्र नीति के अन्तर्गत सरकार का जो उपाय करने का प्रस्ताव है वे नीति में दिये गये हैं जिसे पहले ही सभापटल पर रखा जा चुका है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पार्टियों द्वारा इन मामलों पर इस आशय की अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई कि एक निर्णय लिया जा सकता ।

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद

4972. **श्री गदाधर साहा : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार में बेचने लायक कच्चे पटसन की कितनी मात्रा उपलब्ध है और वर्ष 1982

से 1984 के दौरान भारतीय पटसन निगम ने वर्ष-वार और राज्यवार कितनी मात्रा, कितने प्रतिशत कच्चे पटसन को खरीद की है और प्रति क्विंटल वर्ष-वार और राज्य-वार मूल्य क्या था; और

(ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग ने चालू वर्ष के लिए क्या मूल्य निर्धारित किए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) कृषि कीमत आयोग की सिफारिशों के आधार पर चालू जूट सीजन 1985-86 के लिए असम में डब्ल्यू-5 ग्रेड के कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम सांविधिक कीमत 215/- रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है अन्य किस्मों तथा ग्रेडों के लिए कीमतें सामान्य बाजार अन्तर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई हैं ।

विवरण

जूट सीजन 1982-83 से 1984-85 तक तथा वर्ष-वार तथा राज्य वार देश में कच्चे पटसन का कुल अनुमानित उत्पादन, मात्रा तथा खरीदे गए कच्चे पटसन की प्रतिशतता और भारतीय पटसन निगम द्वारा भुगतान की गई कीमतें निम्नोक्त प्रकार से हैं—

1982-83

राज्य	उत्पादन (.000बी० एल०एस०)	जे०सी०आई० द्वारा अधि-प्राप्ति) (.000बी० एल०एस०)	कालम (3) कालम (2) को% के अनुसार	जे०सी०आई० द्वारा भुगतान की गई अधिप्राप्ति कीमत	
				किस्म	रेंज (रु०/ क्विंटल)
1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	3885.2	622.8	16.0	टीडी-5	194.50/229.50
असम	1006.2	130.9	13.0	डब्लू-5	175.00/185.00
बिहार	872.7	69.3	7.9	डब्लू-5	184.50/195.00
उड़ीसा	484.8	0.7	0.2	डब्लू-5	188.50/188.50
त्रिपुरा	97.7	34.0	34.8	मैसटाबोट	159.50/159.50
ए०पी०	512.9	—	—	बिमलिबोटम	—
यू०पी०	89.6	0.1	0.1	डब्लू-5	190.00/
मेघालय	63.9	1.7	2.7	मैसटाबोट	154.00/154.00
अन्य राज्य	159.0	—	—	—	
अखिल भारतीय योग	7171.2	859.5	12.0		

1	2	3	4	5	6
पश्चिमी बंगाल	4110.9	654.0	15.9	टीडी-5	255.00/325.00
असम	905.4	103.9	11.5	डब्लू-5	245.00/285.00
बिहार	912.5	53.5	5.9	डब्लू-5	245.00/290.00
उड़ीसा	520.0	0.7	0.1	डब्लू-5	225.00/310.00
त्रिपुरा	79.9	24.1	30.2	मंसटाबोट	260.00/295.00
ए०पी०	575.4	—	—	बिलमिलीबोट	—
यू०पी०	81.4	—	—	डब्लू-5	—
मेघालय	64.4	2.9	4.5	मेसटाबोट	225.00/255.00
अन्य राज्य	164.5	—	—		
अखिल भारत योग	7414.4	839.1	11.3		
		1984-85			
पश्चिमी बंगाल	3620.0	683.2	18.9	टीडी-5	612.50/980.00
असम	927.0	155.2	16.9	डब्लू-5	575.00/920.00
बिहार	1145.0	98.8	8.7	डब्लू-5	600.00/910.00
उड़ीसा	546.0	23.8	4.4	डब्लू-5	595.00/965.00
त्रिपुरा	101.0	28.3	28.0	मैंसटाबोट	400.00/800.00
ए०पी०	574.0	15.6	2.8	बिमलिबोट	570.00/800.00
यू०पी०	178.0	4.1	2.3	डब्लू-5	800.00/800.00
मेघालय	91.0	6.4	7.0	मैंसटाबोट	650.00/820.00
अन्य राज्य	160.0	—	—		
अखिल भारत योग	7300.0	1015.4	13.9		
	7342.0				

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

4973. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों को भागीदार बनाने का सरकार का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह कब से लागू होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने दिसम्बर, 1983 में कामगारों की प्रबन्ध में भागीदारी की एक योजना अधिसूचित की थी। इस योजना की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०** 1437/85] इस योजना को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के उपाय किए जा रहे हैं। इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का परिवीक्षण करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की गई है, जिसमें सरकार, नियोक्ताओं तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के 42

उद्यमों ने इस योजना को अपना लिया है, जबकि अन्य 13 उद्यमों ने इसे आंशिक रूप से अपनाया है।

कर्जदार देशों के ऋणों को धनी देशों द्वारा बट्टे-खाते में न डालना

4974. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने एक अगस्त, 1985 के इण्डियन एक्सप्रेस में इस संबंध में एक समाचार देखा है कि यू० एस० सेन्ट्रल बेंक के चीफ ने कहा है कि कर्जदार देशों को धनी देशों में वाणिज्यिक स्रोतों से लिए गये ऋणों से छूट की आशा नहीं करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उन्हें यह भय है कि यह ऋण बम्ब विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यद्यपि कुछ विकासशील देश हाल ही के वर्षों में ऋण की अदायगी के बोझ से उत्पन्न होने वाली कठिनाईयां महसूस कर रहे हैं, लेकिन भारत उन देशों में से नहीं है। विदेशी उधारों के सम्बन्ध में सरकार की नीति, विदेशी ऋण की अदायगी की स्थिति को विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध की सीमाओं में ही बनाए रखने की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रखती है।

सरकार विभिन्न मंचों से यह अनुरोध करती रही है कि ऋण समस्या का मध्यावधि हल कर्जदार देशों, ऋणदाता देशों, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और गैर-सरकारी ऋणदाताओं के बीच साझी जिम्मेदारी की मान्यता पर आधारित होना चाहिए।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उपभोक्ताओं को ऋण

4975. **श्री सुभाष यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं के उर्वरक की मांग को वर्ष 1989-90 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 40 लाख टन बढ़ाने की दृष्टि से वाणिज्यिक बेंकों, सहकारी बेंकों और फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बेंक सहित विभिन्न वित्तीय संस्थान 400 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करायेंगी;

(ख) क्या योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बेंक का हिस्सा 40 प्रतिशत होगा;

(ग) क्या यह ऋण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बेंक द्वारा पहले ही मंजूर किए जा चुके अल्पावधि ऋण के अतिरिक्त होगा;

(घ) यदि हां, तो उक्त ऋण तथा इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बेंक संगठन और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बेंक ने वर्ष 1983-84 में राज्य-वार और संघ शासित प्रदेश-वार कितने व्यक्तियों को और कितना ऋण दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 के लिए अंतरिम रूप से उर्वरकों की खपत का

लक्ष्य 140 लाख टन रखा गया है । कृषि ऋण और सहकारिता संबंधी कार्यकारी दल ने मौसमी कृषि कार्यों के लिए अल्पावधिक ऋणों के वास्ते 8695 करोड़ रुपये की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है जिसमें 1989-90 के वर्ष में बीज और उर्वरक भी शामिल हैं । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के किसी विशिष्ट अंशदान की राशि निर्धारित नहीं की गयी है ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक द्वारा मंजूर की गई ऋण सीमाओं में फसल ऋणों के वास्ते संघटक के भाग के रूप में, प्राथमिक समितियों के कृषक ऋणकर्ता संस्थाओं को संवितरित उर्वरकों की राशि भी शामिल है । राज्य सहकारी विपणन संघों द्वारा उर्वरकों की खरीद, भण्डारण और वितरण के लिए वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों के संघ के माध्यम से आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जाती है । जब कभी ऐसे सहकारी विपणन संघ वाणिज्यिक बैंकों से आवश्यक ऋण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं तब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सम्बद्ध राज्य सहकारी बैंकों को ऐसे कार्यों का वित्त पोषण करने के लिए उनकी पात्रता के अनुसार पुर्नवित्त की सुविधाओं की व्यवस्था करता है ।

(ङ) प्रश्न में जिस प्रकार की सूचना मांगी गयी है उस प्रकार की सूचना वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्राप्त नहीं होती । फिर भी, गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मौसमी कृषि कार्यों के वित्त पोषण के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मंजूर की गयी रकम (करोड़ रुपये)
1982-83	1120
1983-84	1245
1984-85	1233

[अनुवाद]

खनिज और धातु व्यापार निगम को हुई हानि

4976. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०)को वर्ष 1984-85 के दौरान विदेशी योजनाओं में विलम्ब शुल्क के रूप में भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हो, तो कितनी हानि हुई है;

(ग) खनिज और धातु व्यापार निगम को इसके फलस्वरूप गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी हानि हुई है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए खनिज और धातु व्यापार निगम के कार्य निष्पादन को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) एम० एम० टी० सी० को 1984-85 के दौरान विलम्ब शुल्क प्रभारों के रूप में विदेशी मुद्रा न 150.42 लाख रुपये की हानि हुई ।

(ग) विलम्ब शुल्क प्रभारों के कारण गत तीन वर्षों के दौरान एम० एम० टी० सी० को हुई हानि की वर्ष-वार मात्रा निम्नलिखित अनुसार है :

वर्ष	हानि लाख रुपये में
1982-83	36.42
1983-84	91.41
1984-85	150.42

(घ) विभिन्न पत्तनों पर विलम्ब शुल्क की अदायगी मुख्यत: भीड़भाड़ विशेषत: बम्बई पत्तन पर, पोतों का बर्थिंग, पोतों के समूहीकरण, निष्पादन की निम्नतर दर, बिजली जाने, यंत्रीकृत अयस्क हैंडलिंग संयंत्रों की असफलता कुछ पत्तनों पर गोदी कामगारों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा हड़ताल जैसे कारणों की वजह से हुई।

(ङ) विलम्ब शुल्क को न्यूनतम करने के लिए एम० एम० टी० सी० द्वारा निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं :

(i) जहां एकल बर्थ निर्धारित की गई है और कच्चा माल निष्पादन के लिए क्षमता सीमित है, यदि संभव हो तो पोतों को अन्त पत्तनों को दिशान्तरित किया जा सकता है।

(ii) जब तक बर्थ एक जहाज पर उपलब्ध न करा दी जाए मझधार में सामग्री के निष्पादन की व्यवस्था करना;

(iii) पत्तन प्राधिकारी से संबंधित वस्तुओं के लिए निर्धारित बर्थ के अलावा किसी भी उपलब्ध बर्थ का आवंटन करने का आग्रह करना; और

(iv) पत्तन प्राधिकारियों से यंत्रीकृत अयस्क हैंडलिंग प्रणाली के कार्य संचालन में सुधार के लिए कहा गया है।

तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4977. **श्री एन० डेनिस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य के स्वामित्व वाले उन सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है,

(ख) तमिलनाडु राज्य के स्वामित्व वाले इन सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जायका नगर एल्यूमिनियम फैक्टरी के कर्मचारियों को मुआवजा

4978. **श्री शिव प्रसाद साहू :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जायका नगर एल्यूमिनियम फैक्टरी जो 1974 से बन्द पड़ी है तथा जिसका

प्रबन्ध सरकार द्वारा 1978 में अपने हाथ में ले लिया गया था, के कर्मचारियों को भारत एल्यूमिनियम निगम लि० (एल्यूमिनियम उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1984 की धारा 17 के अधीन 1974 से 1984 तक की अवधि के लिए वेतन, बोनस, उपदान और अन्य मुआवजा ब्याज सहित देने की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस कार्य के लिए एक मुआवजा आयुक्त की नियुक्त की गई थी और यदि हां, तो उसके द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार बिहार के लोहार-डागा जिले में मदअपुर डुब्गू बाक्साइट खान के 151 श्रमिकों की उसी आधार पर मुआवजे की अदायगी करने के प्रबन्ध करेगी; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां, एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (एल्यूमिनियम उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1984 की धारा 17 के अन्तर्गत एक प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार जे० के० नगर, निकट आसनसोल (प० बंगाल) स्थित एल्यूमिनियम उपक्रम के सम्बन्ध में कम्पनी पर, कथित अधिनियम की धारा 2 में यथा परिभाषित दावा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति को एक निर्धारित तारीख के अन्दर संदाय आयुक्त के समक्ष दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है। अधिनियम की अनुसूची में एल्यूमिनियम उपक्रम के दायित्वों के निर्वाह का प्राथमिकता क्रम दिया हुआ है। इस अनुसूची के अनुसार कर्मचारियों के अदा न किए गए वेतन और मजदूरी के कारण एल्यूमिनियम उपक्रम के प्रबंध ग्रहण से पूर्व या बाद की किसी अवधि के लिए भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा, जीवन बीमा किश्त या कर्मचारियों को देय अन्य राशि के लिए कम्पनी और कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले अंशदान के बारे में प्रथम वरीयता श्रेणी दी गई।

(ख) जी हां, कथित अधिनियम की धारा 14 के अनुसार संदाय आयुक्त की नियुक्ति हो गई है और उसने 14-1-85 को अपना कार्यभार संभाल लिया था। उसके बाद भारत सरकार ने 1 मार्च, 1985 की तारीख उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट की, जिसके तीन दिन के अन्दर कथित अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत संदाय आयुक्त को दावे प्रस्तुत किए जाने थे। विभिन्न तरह के लगभग 2903 दावे प्राप्त हुए हैं। दावे प्राप्त होने के बाद पहले उनकी जांच की जाती है। दावों की जांच शुरू हो गई है और वह चल रही है। जांच पूरी होने पर, अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत अखबारों में एक सूचना प्रकाशित की जाएगी, जिसके द्वारा दावेदारों को अपने दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। दावों पर छानबीन और सुनवाई की जाएगी और उसके बाद पूर्ण आदेश (फाइनल आर्डर) पारित किए जाएंगे।

(ग) जी नहीं, एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया (एल्यूमिनियम उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1984 द्वारा संदाय आयुक्त को जे० के० नगर निकट आसनसोल (प० बंगाल) स्थित एल्यूमिनियम कम्पनी के बारे में दावे ग्रहण करने का प्राधिकार प्राप्त है। चूंकि बिहार के लोहार डागा जिले की मदनपुर डुब्बू बाक्साइट खान के मजदूर अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, अतः इस अधिनियम के अन्तर्गत उनको मुआवजा देय नहीं होता।

इन्डोनेशिया में पी० ई० सी० सीमेन्ट परियोजना

4979. श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इन्डोनेशिया में एक पी० ई० सी० सीमेंट परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या इन्डोनेशिया में सीमेन्ट परियोजना की स्थापना में पहले ही विलम्ब हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो सीमेंट संयंत्र की स्थापना में किन कारणों से विलम्ब हुआ है;

(ङ) इसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) पी० ई० सी० सीमेंट संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन के कब से आरम्भ होने की उम्मीद है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) मैसर्स वाल चन्द नगर इन्डीज (डब्ल्यू० आई० एल०) के सहयोग से भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लिमिटेड (पी० ई० सी०) इंडोनेशिया में एक सीमेंट परियोजना की स्थापना कर रहा है। संविदागत मूल्य 55.7 करोड़ रु० है।

(ग) तथा (घ) परियोजना को पूरा करने में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से देरी हुई है :—

(1) संयंत्र के नक्शों तथा विस्तृत विशिष्टियों के मुवक्किल द्वारा अंतिम रूप दिए जाने में देरी;

(2) डिजाइन तथा इंजीनियरी संबंधी मात्रा का कम अनुमान लगाना;

(3) मुवक्किल द्वारा इस बात के लिए आग्रह कि प्रत्येक संभव इंजीनियरिंग ब्यौरे की मुवक्किल द्वारा नियुक्त परामर्शदाता द्वारा क्लियर किया जाना चाहिए; और

(4) कुछ विक्रेताओं द्वारा सप्लाई में देरी तथा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण मदों का प्रतिस्थापन जिनकी सप्लाई विक्रेताओं द्वारा की गयी थी।

(ङ) इस परियोजना की मानीटरिंग अन्त: मन्त्रालय बैठकों सहित सभी स्तरों पर नियमित रूप से की जा रही है ताकि महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाया जा सके और आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

(च) आशा है कि सीमेंट संयंत्र अन्तिम रूप से कार्य 1986 तक चालू हो जाएगा और मुवक्किल को सौंप दिया जाएगा।

विदेशी पूंजी निवेश आमंत्रित करने की नीति

4980. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करने के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विशिष्ट प्राथमिकता क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए पूंजी निवेश आमंत्रित किया गया है;

(घ) इस प्रकार का पूंजी निवेश किन-किन शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा और विदेशी पूंजी निवेशकों को क्या प्रोत्साहन दिए जायेंगे; और

(ङ) विदेशी फर्मों द्वारा लाभ-राशियों के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में नीति क्या होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विदेशी सहयोग के क्षेत्र में सरकार ने चयनात्मक आधार की नीति को ही जारी रखा है और इसी बात को जनवरी, 1983 में घोषित प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धी वक्तव्य में भी दुहराया गया है। आम तौर पर उन क्षेत्रों में विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है, जिनमें स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं होती और वह भी तब जब ऐसा सहयोग युक्तियुक्त शर्तों पर प्राप्त हो सके।

(घ) कुछ मामलों में विदेशी भागीदारिता की अनुमति इक्विटी निवेश के साथ दी जाती है। यह सामान्यतः कुल इक्विटी के 40 प्रतिशत के स्तर तक होती है। उन मामलों में जहां केवल प्रौद्योगिकी की प्रत्यक्ष खरीद का अनुमोदन दिया जाता है, विदेशी भागीदार को भागीदारी करार की अवधि के लिए घरेलू उत्पादन की कीमत पर तकनीकी ज्ञान फीस और रायल्टी की एकमुश्त अदायगी की जाती है।

(ङ) सरकारी नीति के अनुसार, विदेशी पूंजी निवेश के लिए एक बार अनुमोदन दे दिए जाने के बाद, विदेशी निवेशकर्ता द्वारा लाभ और लाभांश की राशियों को (निस्संदेह भारतीय करों की अदायगी किए जाने के पश्चात) विदेशों में प्रेषित किए जाने पर कोई पाबंदियां नहीं लगाई जातीं।

विदेशी कम्पनियों का भारतीय कम्पनियों में हित होना और विदेशी मुद्रा का बाहर जाना

4981. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी ऐसी विदेशी कम्पनियां हैं जिनका भारतीय कम्पनियों में हित है और इस प्रकार काफी विदेशी मुद्रा देश से बाहर चली जाती है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत 12 महीनों के दौरान देश में इस प्रकार कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी गई;

(ग) उनका पूर्ण रूप से भारतीयकरण करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत में कारोबार करने वाली "फेरा" कम्पनियों की एक सूची अतारांकित प्रश्न संख्या 704 के उत्तर में प्रस्तुत की गई थी, जिसका जवाब 26 जुलाई, 1985 को दिया गया था। वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 की अवधि में इन "फेरा" कम्पनियों द्वारा प्रेषित धनराशियों का विवरण अतारांकित प्रश्न संख्या-4709 से संबंधित कार्यान्वयन रिपोर्ट में दिया गया था, जिसका उत्तर 24 अगस्त, 1984 को दिया गया था। उत्तरवर्ती अवधि के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार इन कम्पनियों की विदेशी इक्विटी में अनिवार्य रूप से और

पूर्णत: कमी कराने के लिए आग्रह नहीं करना चाहती। ऐसी "फेरा" कम्पनियों में विदेशी शेयर धारिता का स्तर, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार तय किया गया था, जिनकी प्रतियां लोक-सभा पटल पर रख दी गई थीं।

नायलान रेशे की कमी

4982. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री मोहनभाई पटेल : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नायलान रेशे की कमी और उसके कारण नायलान रेशे पर निर्भर कई अन्य उद्योग अपनी मांग के अनुसार नायलान रेशा प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में नायलान रेशे का आयात किया जाता है और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है;

(ग) देश में प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में नायलान रेशे का उत्पादन होता है; और

(घ) नायलान रेशे की मांग को पूरा करने के लिए देश में इसका निर्माण करने के लिए और अधिक यूनिटें स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) सरकार को नाइलोन फैब्रिक की किसी कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) गत कुछ वर्षों में नाइलोन फिलामेंट यार्न फैब्रिक का अनुमानित उत्पादन निम्नोक्त प्रकार है :—

1981	—	349.30 एम०एम०
1982	—	359.70 एम०एम०
1983	—	388.65 एम०एम०
1984	—	456.15 एम०एम०
1985	—	238.65 एम०एम०

(जनवरी से जून)

(घ) नई वस्त्र नीति में रेशा लोचशीलता की व्यवस्था है जिससे यथाआवश्यक रूप में इस फैब्रिक की भी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ सकता है।

फफूंद से रैनेट बनाया जाना

4983. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में पशु रैनेट के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान को फफूंद से गैर-पशु-रैनेट तैयार करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी हाँ।

(ख) पशु रैनेट के आयात पर सार्वजनिक हित में प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(ग) और (घ) फफूंद मूल से गैर-पशु रैनेट तैयार करने को अनुसंधान कार्य केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर में किया गया। इसकी उपलब्धियाँ 'जर्नल आफ फूड साइंस एण्ड टैक्नालोजी' में प्रकाशित की गई, जिसमें पनीर बनाने के लिए फफूंद रैनेट स्थानापन्न के उत्पादन का विवरण दिया गया है।

एयर कंडीशनर और रेफरीजरेटर बनाने वाले एककों में संकट

4984. **प्रो रामकृष्ण मोरे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पाद शुल्क छूट की सीमा के मामले में भेदभाव के कारण एयर कंडीशनर और रेफ्रीजरेटरों का निर्माण करने वाले लघु एकक बन्द होने की स्थिति में पहुंच गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, गम्भीर संकट का सामना कर रहे इन लघु एककों को सहायता देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में लघु क्षेत्र के लिए विभिन्न छूट योजनाओं को विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है, जैसे लागू उत्पादन-शुल्क दर, एकक को उपलब्ध छूट की मात्रा, संगठित क्षेत्र की स्थिति आदि। प्रशीतन और वातानुकूलन उपकरणों तथा उनके पुर्जों का निर्माण करने वाले लघु क्षेत्र के एककों पर लागू "उत्पादन शुल्क राहत योजना" को पक्षपातपूर्ण स्वरूप की योजना नहीं समझा जा सकता। लघु क्षेत्र के एककों पर लागू उत्पादन शुल्क रियायत सम्बन्धी मौजूदा योजना के परिणामतः प्रशीतकों और वातानुकूलकों का निर्माण करने वाले लघु क्षेत्र के एककों के बन्द होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इस समय मौजूदा योजना में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

नारियल जटा निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव

4985. **श्री टी० बशीर** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कयर उद्योग अधिनियम 1953 के अधीन, कयर बोर्डों को अन्य बातों के साथ कयर वस्तुओं के निर्यात संवर्धनात्मक कार्य भी सौंपे गए हैं।

हैदराबाद को शुल्क मुक्त पत्तन घोषित करना

4986. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शुल्क मुक्त हवाई हड्डों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या हैदराबाद हवाई अड्डा भी शुल्क मुक्त हवाई अड्डा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या हैदराबाद हवाई अड्डे को शुल्क मुक्त घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) देश में ऐसे कोई हवाई अड्डे नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिनांक 26 जुलाई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 693 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

पूर्ति तथा वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : दिनांक 26 जुलाई, 1985 को लोक-सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 693 का उत्तर दिया था। प्रश्न के भाग (च) के उत्तर में दिए गए आंकड़े में टंकण सम्बन्धी एक अशुद्धि ध्यान में आई है। अतः उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 693 का सही उत्तर अनुबंध के रूप में दिया गया है।

अनुबन्ध

वस्त्रों के कोटा और लाइसेंसों के आवंटन के कार्य का परिधान निर्यात संवर्धन परिषद को अन्तरित किया जाना

693. **श्री जी०एन० बनातवाला** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्रों के कोटा और लाइसेंसों के आवंटन से सम्बन्धित कार्य मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक के कार्यालय से परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली को अन्तरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) कार्य और शक्तियों के उपरोक्त अंतरण के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार किसी गैर-सरकारी एजेंसी को इस प्रकार का अन्तरण किया जाना अनुचित समझती है और यदि हां, तो क्या शक्तियां पुनः मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात द्वारा ग्रहण की जायेंगी;

(ङ) क्या उक्त परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की वस्त्र निर्यातकर्ताओं पर जुर्माने और दण्ड लगाती है;

(च) यदि हां, तो जब से परिधान निर्यात संवर्धन परिषद को शक्तियां सौंपी गयी हैं, तब से अब तक उसने इस तरह कितनी धनराशि इकट्ठी की है; और

(छ) क्या इकट्ठी की गई धनराशि सरकारी है अथवा परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की ?

पूर्ति तथा वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी नहीं। परि-

धान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना के आरम्भ से ही यह कार्य परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के पास रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) जी नहीं। सरकार द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं की शर्तों के अनुसार परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा ई एम डी/बी जी को जब्त करना कोई दण्ड नहीं है लेकिन निर्यातकों के लिए संविदागत दायित्वों को पूरा न करने पर की गई कार्यवाही का एक स्वरूप मात्र है।

(च) 31-12-1984 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने ई एम डी/बी जी के जब्त करने से 3,12,22,513 रु० एकत्र किए।

(छ) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा यह धनराशि पृथक रखी जाएगी तथा सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्यात संवर्धन पर खर्च की जाएगी।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं एक बहुत ही गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। कृपया हमारा अनुरोध सुनिये क्योंकि यह संसद सदस्यों का अनुरोध है। इस महीने की 21 तारीख को 17 संसद सदस्य स्वर्गीय लोंगोवाल की अन्त्येष्टि में भाग लेने गये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे मिली जानकारी कुछ अलग ही है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इसे गलत समझ बैठे हैं। अखबारों ने इस पर टिप्पणी की थी। उनमें कहा गया है कि अन्त्येष्टि में संसद सदस्यों की अनुपस्थिति स्पष्ट देखी जा सकती थी क्योंकि सरकार तथा सत्ताधारी दल द्वारा हमारे प्रति किए गए पक्षपात के कारण हम वहां उपस्थित नहीं हो सके। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात थी। मुझे जानकारी मिल चुकी है।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिये। हम आधे घंटे देर से पहुंचे थे। सत्ताधारी दल के सदस्यों को अन्त्येष्टि में समय से पहुंचने दिया गया और केवल **(व्यवधान)** तकनीकी कारणों से……।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए क्योंकि मैं स्वयं वहां था।

प्रो० मधु दण्डवते : आप कांग्रेस दल के सदस्य नहीं हैं। हम कांग्रेस दल के बारे में कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं उसी की बात कर रहा हूं जो कुछ मैंने वहां देखा। अखबारों ने इस बारे में मुझसे पूछा है। सच यह है कि मैं प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति की ओर से, श्री अरुण नेहरू और रक्षा मन्त्री …… ।

एक माननीय सदस्य : और श्रीमती बाजपेयी के बारे में क्या रहा ?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती बाजपेयी दैनिक सेवा द्वारा स्वयं वहां पहुंची थीं। वे हमारे साथ नहीं गई थीं। केवल हम तीन ही वहां थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : श्री मूपनार कैसे पहुंचे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मूपनार कहीं और गये होंगे । मुझे मालूम नहीं ।

प्रो० मधु दण्डवते : वे अन्त्येष्टि में गए थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्रीमती बाजपेयी और अन्य व्यक्तियों को वहां देखा था और उनसे मिला था। वापस आते समय भी मैंने सदस्यां को जाते देखा था जिनमें विपक्ष के नेता भी थे। मुझे यह जानकारी मिली थी कि आई०ए०सी० ने इन सभी सदस्यों के लिये विमान सेवा की व्यवस्था की थी। इसीलिए, मैंने महसूस किया कि मुझे इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। मैंने समाचार-पत्रों को यह जानकारी दी थी कि सदस्य आ रहे हैं। मैंने उन्हें यही बताया था क्योंकि विपक्ष में से कोई मेरे पास आये थे और उन्होंने कहा, "हम जा रहे हैं।" श्री अमल दत्ता आये और कहने लगे, "हम वहां जा रहे हैं।" हमें यह सेवा उपलब्ध कराई गई और हम वहां गए। .

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा कहना यही है कि यह पक्षपात क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : पक्षपात की कोई बात नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपके बारे में यह बात नहीं है। सत्ताधारी दल के सदस्यों को वहां समय से पहुंचाने के लिये विमान की व्यवस्था की गई और विपक्ष के सदस्य समय से नहीं पहुंच सके।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा था; अन्य कोई भी उपस्थित नहीं था ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम तो केवल यही कहते हैं कि इस पक्षपात के बारे में माननीय मंत्री एक वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं कि वहां कोई नहीं था ।

प्रो० मधु दण्डवते : जो प्रबन्ध किये गए थे, उनमें पक्षपात किया गया था।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सदन का बहुमूल्य समय महत्वहीन बातों पर बेकार किया जा रहा है । गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं । आपने कल वायदा किया था कि आप गृह मंत्री जी से कहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे पहले ही कह दिया है।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री लोंगोवाल की जघन्य हत्या के बाद, अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर पर उग्रवादियों का आधिपत्य हो गया है और मिठाइयां बांटी गई हैं तथा बाबा जोगिन्दर सिंह ने हत्यारों की प्रशंसा की है। गृह मंत्री ने कल सदन में यह रहस्योद्घाटन किया था कि पाकिस्तान सरकार इन उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रही है और इन्हें पंजाब में छोड़ दिया गया है। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि पाकिस्तान द्वारा उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में भारत सरकार ने उससे औपचारिक रूप से विरोध प्रकट क्यों नहीं किया है। जबकि यह बात सिद्ध हो चुकी है। इसके बावजूद भारत सरकार ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिये क्या कदम उठाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक नई स्थिति है। माननीय गृह मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। इस पर गौर करेंगे और आपको बतायेंगे। **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। चुनावों की घोषणा की जा चुकी है। ये अपराधी और संकट पैदा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से इस मामले पर गौर करने के लिए कहूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : आप गृह मंत्री जी से क्यों नहीं कहते ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे पहले ही कह दिया है। मैं यह पहले ही कर चुका हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे पहले ही कह चुका हूं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

12.04 म०प०

[अनुवाद]

इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद कलकत्ता के वर्ष 1982-83 और 1983-84 वार्षिक प्रतिवेदन और परिषद के कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण का विवरण

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : श्रीमान् मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंजिनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1381/85]

दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 और दहेज प्रतिषेध (वधु तथा वर को दिए गए उपहारों की सूचियों का अनुरक्षण) नियम, 1985 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : श्रीमान्, मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं—

(1) दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 1 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का०आ० 610(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र में 19 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2 अक्तूबर, 1985 की तारीख निर्धारित की गई है, जिस दिन को उक्त अधिनियम लागू होगा।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1382/85]

(2) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, दहेज प्रतिषेध (वधु तथा वर को दिये गए उपहारों की सूचियों का अनुरक्षण) नियम, 1985 जो भारत के राजपत्र में 19 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 664 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1383/85]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, सरकारी क्षेत्रों के बेंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी समेकित प्रतिवेदन

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा० का० नि० 647 (अ), जो भारत के राजपत्र में 13 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 9 फरवरी, 1981 की अधिसूचना संख्या 13-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों को उत्पादन-शुल्क की अदायगी की जाने पर अपने 25 प्रतिशत उत्पादन और 5 प्रतिशत अपशिष्ट की निकासी स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र में करने की अनुमति दी जा सके।

(दो) सा० का० नि० 660 (अ), जो भारत के राजपत्र में 16 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो 16 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या 262/85-सी०शु० तथा 263/85-सी०शु० के अन्तर्गत आने वाले माल पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिये संख्या एल टी 1384/85]

(2) सरकारी क्षेत्रों के बेंकों के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण

सम्बन्धी समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1385/85]

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1386/85]

कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा गैर-सरकारी खानों से लौह अयस्क की खरीद के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2966 के 9 अगस्त, 1985 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1387/85]

(2) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा गैर-सरकारी खानों से लौह अयस्क की खरीद के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त के अतारांकित प्रश्न संख्या 2966 के 9 अगस्त, 1985 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1388/85]

निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें, भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: —

(1) निर्यात गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ड्राइड शार्क फिश और ड्राइड फिश मॉज निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और

निरीक्षण) नियम, 1985, जो भारत के राजपत्र में 6 जुलाई, 1985 को अधिसूचना संख्या का० आ० 3090 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ड्राइड फिश निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1985, जो भारत के राजपत्र में 20 जुलाई, 1985 को अधिसूचना संख्या का० आ० 3332 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1389/85]

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित, पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम सीमित, नई दिल्ली, का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1390/85]

इलैक्ट्रानिकी डिजाइन यथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, श्रीनगर का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा एवं इन पत्रों को रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं श्री शिवराज वी० पाटिल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं—

(1) (एक) इलैक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, श्रीनगर, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, श्रीनगर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1391/85]

12.06 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[**अनुवाद**]

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 में किये गये उपबंधों के अनुसार मुझे लोकसभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 22 अगस्त, 1985 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 19 अगस्त, 1985 को पारित आवश्यक सेवा (संशोधन) विधेयक, 1985 से, बिना किसी संशोधन के, सहमत हुई है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) में किये गये उपबंधों के अनुसार मुझे इसके साथ काफी (संशोधन) विधेयक, 1985 को लौटाने का निदेश हुआ है जिसे लोक सभा द्वारा 19 अगस्त, 1985 की बैठक में पारित किया गया था तथा राज्य सभा को इसकी सिफारिश के लिए भेजा गया था और यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विधेयक के संबंध में इस सभा को लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

विनियोग (संख्यांक-5) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमत विनियोग (संख्यांक-5) विधेयक, 1985 सभापटल पर रखता हूं जिसके बारे में अन्तिम बार 16 अगस्त, 1985 को सभा को सूचित किया गया था।

12.07 म० प०

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 16 अगस्त, 1985 को सभा को प्रस्तुत अपने प्रथम प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए, सभा की बैठकों मे अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

(1) श्री जमीलुर्रहमान—15 जनवरी से 30 जनवरी, 1985 तक, सदस्य की मृत्यु हो गई—अनुपस्थिति माफ की गई।

(2) श्री बी० एन० रेड्डी—15 जनवरी से 30 जनवरी, 1985 तक।

(3) श्री सलीम आई० शेरवानी—13 मार्च से 31 मार्च, 1985 तक।

(4) चौधरी गिरधारी लाल—13 मार्च से 2 अप्रैल, 1985 तक और 8 अप्रैल से 15 मई, 1985 तक सदस्य की मृत्यु हो गई—अनुपस्थिति माफ की गई।

(5) श्री मोतीलाल सिंह—8 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1985 तक।

(6) श्री एच० एन० नन्जे गौडा—10 अप्रैल से 5 मई, 1985 तक।

(7) श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—13 मार्च से 2 अप्रैल, 1985 तक और 8 अप्रैल से 7 मई, 1985 तक।

(8) श्री भरत कुमार ओडेदरा—23 जुलाई, 1985 से 14 अगस्त, 1985 तक।

(9) श्रीमती माधुरी सिंह—26 जुलाई से 23 अगस्त, 1985 तक।

(10) श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—23 जुलाई से 23 अगस्त, 1985 तक।

सभा यह चाहती है कि समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति दे दी जाये ?

माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुपस्थिति की अनुमति दी गयी। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

12.08 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

पहली से पांचवीं बैठकों तक के कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री एम० थाम्बी दुराई (धर्मपुरी) : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान हुई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की पहली से पांचवीं बैठकों तक के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

बैठक का कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : महोदय, मैं सभा की बैठकों मे सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 14 अगस्त, 1985 की बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, प्रसारण विभाग के बारे में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोकसभा) के 73वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बन्धी प्राक्कलन समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.09 म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश तथा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० रामसूर्ति (कृष्णगिरि) *: महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—*

(एक) राष्ट्रीय ताप-बिजली निगम लिमिटेड के बारे में समिति (सातवीं लोकसभा) के 92वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(दो) भारत पेट्रोल निगम लिमिटेड के बारे में समिति (सातवीं लोकसभा) के 91वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बन्धी दूसरा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कोयला धोवनशाला संगठन के सम्बन्ध में समिति (सातवीं लोकसभा) के 87वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी तीसरा प्रतिवेदन।

(चार) खनिज खोज निगम सीमित सम्बन्धी चौथा प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(पांच) उद्योग निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति (सातवीं लोकसभा) के 96वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी पांचवां प्रतिवेदन।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी शिमला : महोदय, मैं इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (खान विभाग) —नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

जनजातियां के कल्याण सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.10 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

बैठकों के कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

कार्य मन्त्रणा समिति

12वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, "मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा 22 अगस्त, 1985 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के 12वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : इस प्रस्ताव पर आप विचार करें इससे पहले मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए अब देर हो चुकी है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने उन्हें अग्रिम सूचना भी दी थी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं......

अध्यक्ष महोदय : आपने सूचना देने में विलम्ब कर दिया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप व्यवस्था के इस प्रश्न पर बहुत शांतिपूर्वक विचार करें। यह कोई विरोध का मामला नहीं है बल्कि सभा के कार्य विनियमन के लिए है।

हमारे सामने कार्य मन्त्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 288 से 292 के अन्तर्गत है। इस प्रस्ताव को अब इस लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि इस रिपोर्ट के पैरा-2 में एक मद-2 है। यह मद उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश से रुका) संशोधन विधेयक 1985 के बारे में है जिसके लिए एक घंटा नियत किया गया है। किन्तु यह विधेयक तो पहले ही पारित हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस विधेयक को यह सभा पहले ही पारित कर चुकी है। अब हमारे सामने कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन है जिसमें एक घंटे का समय नियत किया गया है। मेरा निवेदन यह है कि कथित मद के संदर्भ में इस प्रस्ताव की स्वीकृति भूतलक्षी प्रभाव से होगी, और नियम 288, 289, 290, 290क, 291, 292 और अन्य सभी सम्बद्ध नियमों में भूतलक्षी प्रभाव से प्रस्ताव को पारित करने की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात है कि कल इस सभा को पूर्णतया गुमराह किया गया था कि एक घन्टा नियत किया गया था जबकि इस प्रकार के नियतन के लिए सभा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। अत: सभा को भ्रमित करके विधेयक पारित किया गया था। इस लिए आपको भी यह प्रमाणित नहीं करना चाहिए कि वह विधेयक सम्यक रूप से पारित किया गया है। मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस प्रस्ताव को अमान्य घोषित कर दें क्योंकि इसका भूतलक्षी प्रभाव है और हमारे नियमों में इसके लिए अनुमति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : रोचक बात तो यह है कि कल शाम जब हम कार्य मंत्रणा समिति में इन सभी बातों पर चर्चा कर रहे थे तो हमने इस बात को ध्यान में रखा था कि इस पर आज चर्चा होगी। क्या यह बात ठीक नहीं है? चर्चा के समय यह बात हमारे दिमाग में थी।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसके भूतलक्षी प्रभाव हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात हमारे दिमाग में थी। उस समय जानते हुए ही हमने इसे पास किया था। कार्य मंत्रणा समिति में हम सब को मालूम था कि यह आज पारित होगा। हम जानते थे। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। हमारे पास पूर्वोदाहरण है। यह कोई समस्या नहीं है। हमने जानते-बूझते ऐसा किया था।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमने उसी विषय पर चर्चा की थी। श्री बनातवाला वही बात कह रहे हैं जो हमने कल कही थी।

श्री जी० जी० स्वेल (शिलांग) : महोदय, प्रस्ताव में संशोधन किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हमने इसे जानबूझ कर किया था। यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि हम ऐसी बातों को नजर अंदाज कर देते हैं। किन्तु आपके द्वारा उठाया गया मुद्दा सही है। मैं यही कह सकता हूं। मैं जानता था कि कोई न कोई इस प्रश्न को उठाएगा।

प्रश्न यह है "कि यह सभा दिनांक 22 अगस्त, 1985 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 12वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.13 म० प०

सभा का कार्य

[**अनुवाद**]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह

सूचित करता हूं कि शेष सत्रावधि के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :—

(क) प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक, 1985

(ख) स्वापक औषधि एवं मनप्रभावी पदार्थ विधेयक, 1985

(ग) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 1985

(3) राज्य-सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) आरोविले (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक, 1985

(ख) पांडिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक, 1985

(ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1985

(घ) बाट और माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक, 1985

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, चुनावों के स्थगन के बारे में नियम 194 के अन्तर्गत प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : निवेदनों को सुनने से पहले मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि 2.45 बजे प्रधानमन्त्री एक वक्तव्य देंगे।

12.15 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, आगामी सप्ताह के कार्य के बारे में मेरा निम्नलिखित निवेदन इस प्रकार है।

केन्द्रीय सरकार और आन्दोलनकर्ताओं के बीच हाल ही में हुए आसाम समझौते से जनता के दिमाग में कुछ भ्रम और वास्तविक अशंकाएं पैदा हो गई हैं। लाखों व्यक्ति असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से कुछ संवैधानिक मुद्दे और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में भारत के वायदे भी प्रश्न सूचक बन गए हैं। अतः सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट करने और जनता के मस्तिष्क से तमाम आशंकाएं और भ्रम निकालने के लिए चर्चा का होना अत्यंत आवश्यक है।

हाल में विभिन्न वर्गों के लोग विश्वविद्यालयों के कार्य संचालन की तीव्र आलोचना करने लगे हैं। बहुत से लोगों की यह राय है कि विश्वविद्यालय और उनसे सम्बद्ध विभिन्न वर्गों के लोगों को ऐसी स्वतंत्रता और अधिकार नहीं मिलने चाहिएं जो उनको आजकल मिले हुए हैं। दूसरी ओर विरोधी पक्षों का यह दृढ़ विश्वास है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का अकाल ही सभी बुराइयों की जड़ है। अतः विश्वविद्यालय के प्रभावी और अर्थपूर्ण कार्यकरण के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का विस्तार आवश्यक है। इन परिस्थितियों के कारण लोगों के मन में तीव्र आशंकाएं पैदा की गई हैं। अतः इस विषय पर एक चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं शेष सत्र के कार्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित

निवेदन करना चाहता हूं।

1. व्यापक विधान के अभाव में देश के बीड़ी कर्मकार कठिनाई का सामना कर रहे हैं। समय का तकाजा है कि सरकार बीड़ी कर्मकारों की दशा में सुधार करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाए ताकि कारखाना कर्मकारों को ऐसी सभी सुविधायें प्राप्त हो सकें जो कारखाना कर्मकारों को उपलब्ध हैं।

2. पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिला में चांद पठार स्थित वोल्फार्म खानों का अविलंब राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए।

सरकार को इन दोनों विधेयकों को इस सत्र में अवश्य लाना चाहिए। क्योंकि उनका शीघ्र लाना बहुत आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि शुरू होने वाले अगले हफ्ते की कार्यसूची में मेरे निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाये।

बिहार राज्य चीनी निगम के हाल के निर्णयानुसार कम से कम 6 चीनी मिलों के बंद किए जाने की सम्भावना से कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। केवल हथुवा चीनी मिल, लोरिया, न्यू सीवान चीनी मिल में काम करने वाले लगभग 1000 स्थायी और 3000 अस्थायी कुल 4000 कर्मचारी बेकार हो जायेंगे और मिल के आरक्षित क्षेत्रों में लगभग दस लाख क्विंटल गन्ना के खेतों में ही सूख जाने या जला दिए जाने की सम्भावना है।

यह भी ज्ञात हुआ है कि आर्थिक बचत को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य चीनी निगम ने इस वर्ष अपनी 11 यूनिटों में से मात्र 5 को ही चलाने का निर्णय लिया है। बनमंखी, समस्तीपुर, गुरौल, सकरी एवं वरसीलिगंज की यूनिटें चलेंगी तथा रेयाम, हथुवा चीनी मिल, लोरिया, न्यू सीवान, मोतीपुर, बिहटा, लोहट एवं गुरारू यूनिटें इस वर्ष बन्द रहेंगी। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यदि 11 यूनिटें चलायें तो निगम को 9.2 करोड़ रु० का घाटा होगा। जो यूनिटें वह चलाने जा रही है, उसे चलाकर 6 करोड़ का घाटा होगा, जबकि 6 फैक्टरियों को बन्द करने से मात्र 3.2 करोड़ रु० का ही नुकसान होगा। लेकिन निगम का यह निर्णय लोगों की समझ से परे लग रहा है कि 7 फैक्टरियों को बन्द कर वह 3.2 करोड़ रु० का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर रही है लेकिन 5 अन्य फैक्टरियों को चलाकर 6 करोड़ का नुकसान उठाने का निर्णय ले लिया है। यह भी पता चला है कि चलने वाली 5 यूनिटों में वारसिलीगंज और गुरौल में आरक्षित क्षेत्र में गन्ना है ही नहीं तथा शेष तीन आरक्षित क्षेत्रों में भी नाममात्र का ही गन्ना है।

अत: सदन के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि वह इस सम्बन्ध में बिहार राज्य चीनी निगम को यह आदेश निर्गत करे कि यदि मात्र पांच यूनिटें ही चलायेगी तो उसमें हथुवा चीनी मिल, लोरिया एवं न्यू सीवान चीनी मिल को शामिल कर लिया जाये और किसी अन्य यूनिट को उसके बदले में बन्द कर दिया जाये, जहां आरक्षित क्षेत्रों में गन्ना नहीं है अथवा बहुत कम है। यदि ऐसा करना सम्भव नहीं है तो इस प्रकार होने वाले बेरोजगार कर्मचारियों की आजीविका का कोई ठोस उपाय शीघ्र करायें।

[अनुवाद]

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को आगामी सप्ताह के कार्य में शामिल किया जाए।

(1) मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान, बम्बई में बढ़ती हुई रेल सेवा संबंधी समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर उप नगरीय सेवाएं अपर्याप्त हैं। अत: यात्रियों को समय पर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। विमर और अन्धेरी के बीच एक ऐसी सेवा शुरू की जानी चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि गुणावदोषों के आधार पर ऐसी सेवा को शुरू करना उचित है किन्तु इसके शुरू करने में लगने वाला विलम्ब यात्रियों को काफी परेशान कर रहा है।

मैं चाहता हूं कि इसे चर्चा के लिए शामिल किया जाए।

(2) 20वीं शताब्दी में टेलीफोन सेवा, व्यापार व अन्य सेवाओं के लिए एक आवश्यकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि टेलीफोन सेवाएं जरूरतमन्द लोगों को अवश्य दी जानी चाहिएं। इसमें सन्देह नहीं है कि हमने इस उद्योग में सर्वांगीण उन्नति की है।

यद्यपि बहुत से लोगों को टेलीफोन चाहिए किन्तु निकट भविष्य में उन्हें टेलीफोन मिलने के कोई आसार नजर नहीं आते। बम्बई में मलाड क्षेत्र में तो टेलीफोन कनैक्शनों के आवेदकों की संख्या 23527 तक पहुंच गई है। ऐसे आवेदन 1971 में किए गए थे जिन पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। यह बात विशेष रूप से मलाड के मामले में सही है जो कि बम्बई में सबसे अधिक पिछड़ रहा है।

मैं अनुरोध करता हूं कि यह मुद्दा अगले सप्ताह में व्यापक चर्चा के लिए शामिल किया जाए।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, 26 अगस्त, 1985 से शुरू होने वाले आगामी सप्ताहमें सरकार कार्य में चर्चा के लिए निम्न विषय को शामिल किया जाए।

उड़ीसा में समुद्री खारे पानी में मत्स्य पालन के साधन हैं, जिसके विकास से, राज्य के गरीब मछुआरों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। 7वीं योजना के अन्त तक समुद्र में मत्स्य उत्पादन को, 1,00,000 मिलियन टन तक बढ़ाने की परिकल्पना है जो कि छठी योजना के अन्त में 5,4,000 मिलियन टन था। पाराद्वीप, धमारा, अस्तारंग के अलावा गोपालपुर में मत्स्य पत्तन के निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। समुद्र तट स्थित गंजम, पुरी कटक और बालेश्वर में खारे पानी में मत्स्य ग्रहण की बहुत अधिक संभाव्यता है। गंजम जिले में एक ब्रैकिश वाटर फिश फार्मर डिवलपमेंट एजेंसी होनी चाहिए। गोपालपुर स्थित मत्स्य बन्दरगाह और केन्द्रीय सहायता से निर्माणाधीन व्यवसायिक बन्दरगाहों पर केन्द्रीय सरकार को विशेष व सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। इन्हें शीघ्र निर्मित किया जाना चाहिए। पाराद्वीप में गहन समुद्र में मत्स्य ग्रहण के लिए लंगरगाह सुविधाएं अनुमोदित की जानी चाहिएं और केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ही वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

उड़ीसा मछली बीज विकास निगम विश्व बैंक की सहायता से अन्तर्देशीय मछुवाही परियोजना के अन्तर्गत भांजानगर में एक आधुनिक अण्डज उत्पत्तिशाला स्थापित कर रहा है, इसे

शीघ्रता से स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि स्थानीय लोगों ने अपनी भूमि देने में सहयोग दिया है, इसलिए परियोजना को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। मत्स्यपालकों और मछुआरों के लिए कल्याण कार्यक्रम को परम अग्रता दी जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परियोजना को स्वीकृति दे और पर्याप्त निधि देने में उड़ीसा सरकार को पर्याप्त धनराशि देकर उसकी सहायता करे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मेरा यह निवेदन है कि निम्नलिखित मामले को सभा में अगले सप्ताह के सरकारी कार्य में शामिल किया जाए।

उड़ीसा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां इस राज्य से गुजरने वाली रेलवे लाईनों की संख्या पर्याप्त नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद केवल कुछ किलो-मीटर लम्बी नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं। राज्य के पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग के लोगों के लिये भुवनेश्वर जो कि राज्य की राजधानी है, जाने के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है। इस समय, यात्रियों को बोलनगीर, कालाहांडी, कोरापट्ट और गंजम जिले के भागों से गाड़ियां और मार्ग बदलकर भुवनेश्वर और पुरी जाना पड़ता है। इससे विलम्ब और कठिनाईयां होती हैं। इसलिए, उड़ीसा सरकार द्वारा रेल मंत्रालय को तितलागढ़ अथवा रायपुर से भुवनेश्वर अथवा पुरी तक सीधी गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये महानदी एक्सप्रेस नामक सीधी गाड़ी शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। यदि महानदी एक्सप्रेस शुरू की जाती है, तो यह इस क्षेत्र के लोगों के लिये बहुत सहायक होगी। यह माल यातायान में भी सहायक होगी।

इसलिये, मैं रेल मन्त्रालय से तितलागढ़ अथवा रायगढ़ को भुवनेश्वर से जोड़ने के लिए महानदी एक्सप्रेस यथाशीघ्र शुरू करने का अनुरोध करता हू।

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सप्ताह में निम्न मामला संसद में उठाना चाहता हूं, कृपया इस सम्बन्ध में मामले को उठाने की स्वीकृति प्रदान करें—

इन्दिरा कैनाल एरिया में सन् 1975 के बाद में जिस किसी काश्तकार ने अपनी जमीन में पानी लगा लिया हो, उसकी सिंचाई विभाग के कर्मचारी पानी की बारी काट रहे हैं और 1975 से लेकर 1985 तक काश्तकार अपनी जमीन में बराबर पानी लगाता आ रहा है। इनकी आई फसल बारी काट दी जाती है।

अतः मैं भारत सरकार के सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि राजस्थान सरकार को हुक्म देवें कि 1975 के बाद जिस जमीन में पानी लगा हो उसकी स्थाई रूप से बारी बांध दी जाये और इसके साथ-साथ यह भी हुक्म जारी करें कि गंगानगर जिले की जमीन इन्दिरा कैनाल एरिया में आ गई है। उसकी दुबारा सर्वे कराकर ज्यादा से ज्यादा कमान की जावे ताकि वहां के काश्तकार की मुखमरी व गरीबी दूर हो सके। साथ-साथ राष्ट्र की पैदावार भी बढ़ेगी।

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : रेलवे बोर्ड की रेलवे आर्थिक और तकनीकी सर्वेक्षण समिति ने प्रतिवर्ष 1000 डिब्बे क्षमता वाली कोच फैक्टरी स्थापित करने के लिये उपयुक्त स्थल

का चुनाव करने के लिए कई राज्यों का दौरा किया है। समिति ने आंध्र प्रदेश में वारंगल जिले में खाजीपट का भी दौरा किया है। आंध्र प्रदेश सरकार भूमि, जल अथवा बिजली सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यह पता चला है कि समिति ने कोच फैक्टरी स्थापित करने के लिये अत्यधिक उचित स्थान के रूप में खाजीपट की सिफारिश की है। किन्तु यह पता चला है कि अब भारत सरकार इसे पंजाब में स्थापित कर रही है। वारंगल जिले में काफी बेरोजगार युवा हैं जो निराश होकर हिंसक नकसलवादी गतिविधियों की ओर झुक रहे हैं। इसलिये, सर्वेक्षण समिति द्वारा सिफारिश के अनुसार इस कोच फैक्टरी को 1000 डिब्बे प्रतिवर्ष की पूर्व क्षमता के साथ तृतीय फैक्टरी के रूप में खाजीपट में स्थापित किया जाना चाहिये क्योंकि वहां डिब्बों की आवश्यकता भी है।

राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीकरण सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये और सामान्य शिक्षा में विभिन्न सस्थानों में प्रवेश के लिये लागू किया गया है। किन्तु चिकित्सा और इन्जीनियरिंग जैसे व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश को क्षेत्रीकरण प्रणाली के अन्तर्गत नहीं लाया गया है जिसके परिणामस्वरूप पिछड़े हुये तेलन्गाना क्षेत्र के मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेजों में अधिकांश स्थान गैर-स्थानीय उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं और तेलन्गाना क्षेत्र के लोगों को उनके वैद्य अधिकार से वंचित किया जा रहा है और उनका समृद्ध क्षेत्रों के लोगों द्वारा शोषण किया जा रहा है जो कि राष्ट्रपति के आदेश की भावना के प्रतिकूल है।

तेलन्गाना क्षेत्र के लोगों के उचित और वैद्य अधिकारों को सुरक्षित करने के विचार से यह प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रपत्तीय आदेश में इस प्रकार संशोधन किया जाए कि व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश को क्षेत्रीकरण योजना के अन्तर्गत लाया जाये और 85 प्रतिशत सीटें स्थानीय उम्मीदवारों के लिये आरक्षित की जायें और शेष 15 प्रतिशत खुली प्रतियोगिता के लिये छोड़ी जाएं। उपर्युक्त विषयों की चर्चा के लिए तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाये।

1. सरकार द्वारा सभी प्रकार के ईमानदार प्रयासों के बावजूद खुले बाजार में बिकने वाली चीनी एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। यह देश के विभिन्न भागों में विशेषतः उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में 8 रुपये से 10 रुपये प्रति किलो तक की दर से बेची जा रही है। खुले बाजार में बिकने वाली चीनी की आसानी से उपलब्धता और उसके उचित दामों को सुनिश्चित करने के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

2. देश के अनेक भागों में विशेषतः उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में वर्तमान खरीफ फसल विशेषतः धान की फसल और सब्जियों पर बड़े पैमाने पर महामारी प्रकोप लाखों किसानों के लिए अत्यधिक चिन्ता का विषय बन गया है। इसके लिए तत्काल एहतियाती और निवारक उपाय करने की आवश्यकता है या अन्यथा किसानों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ेगी। इस विषय पर अगले सप्ताह चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप): मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मामलों को शामिल करने का अनुरोध करती हूं—

गंगा नदी फरक्का बांध के ऊपर की ओर और नीचे की ओर मूल्यवान भूमि को काट रही है। गंगा भू-कटाव समिति के सदस्य (बाढ़) सी० डब्ल्यू० सी० सभापति ने जनवरी, 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वर्तमान वर्षों में कटाव की समस्या तेजी से बढ़ रही है और बांध के दाहिने तट पर "यदि इस समय ध्यान नहीं दिया जाता है तो नदी रेलवे लाईन, राष्ट्रीय राज-मार्ग, राज्य राजमार्ग और फरक्का बांध परियोजना की फीडर केनाल को निगल जायेगी। इस प्रकार परियोजना अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं होगी। फरक्का बांध नियंत्रण बोर्ड की 34वीं बैठक में लिये निर्णय के अनुसार महा प्रबन्धक, फरक्का बांध परियोजना ने कटाव के खिलाफ तत्काल बचाव कार्यों के लिये कुल 18 करोड़ रुपये के दो प्राक्कलन नवम्बर, 1984 में प्रस्तुत किये हैं। फरक्का बांध परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति ने जनवरी, 1985 में 69 वीं बैठक में इन कार्यों के शीघ्र कार्यान्वयन का अनुरोध किया था चूंकि इसमें और विलम्ब नहीं किया जा सकता।"

मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, लोक सभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से पहले इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये अनेक मुद्दों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। इससे सभा के कार्य में उनकी अत्यधिक रूचि का पता चलता है और उन्हें यह भी ज्ञात है कि इन मामलों पर कार्यमंत्रणा समिति द्वारा विचार किया जाता है। आज की स्थिति को देखते हुए, मैंने सत्र के शेष भाग के दौरान के सरकार के कार्य घोषित कर दिए हैं। इसलिए माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के लिए उनकी सराहना करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इन मामलों पर कार्य मंत्रणा समिति द्वारा और विचार किया जाएगा। आज की स्थिति के अनुसार मैं यह नहीं कह सकता कि क्या यह मामले अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किए जाएंगे।

12.32 म० प०

प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : "मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रकाश-स्तम्भ अधिनियम, 1927 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि प्रकाश-स्तम्भ अधिनियम, 1927 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 23-8-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2 खंड 2 में प्रकाशित।

12.33 म० प०

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ विधेयक

[अनुवाद]

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वापक औषधियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये, स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण विनियमन के लिये तथा उससे संबंधित विषयों के लिये कड़े उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वापक औषधियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण विनियमन के लिये तथा उससे संबंधित विषयों के लिये कड़े उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.34 म० प०

"भारत में काले धन की अर्थ-व्यवस्था के पहलुओं" पर राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान के प्रतिवेदन पर चर्चा

[अनुवाद]

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, कल हमने 'काले धन की अर्थ-व्यवस्था' संबंधी प्रतिवेदन पर एक बहुत ही प्रेरक बहस की थी, श्री अमल दत्त जो यहां उपस्थित हैं, ने कहा था कि यह प्रतिवेदन उसी के अनुरूप बनाया गया है जैसा कि सर-कार करना चाहती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहस का उद्देश्य यह नहीं था। मेरा तात्पर्य यह था कि कोई निर्णय लेने से पहले सदन उन माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का भी लाभ उठाए जिन्होंने प्रतिवेदन के विभिन्न पहलुओं का सूक्ष्म रूपों से अध्ययन किया है। वस्तुत: बहस से यही सब हासिल हुआ है। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने के लिए मुझे बधाई दी। हमारी मंशा आबिद हुसैन कमेटी जैसी अन्य रिपोर्टों को भी सदन में प्रस्तुत करने की है। तथा आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। सदस्यों ने काले धन के अनुमान के बारे में टिप्पणियां की हैं और मैं समझता हूं कि ये अनुमान वास्तव में विद्यमान काले धन से बहुत कम है।

काले धन की मात्रा के बारे में मतभेद हो सकते हैं परन्तु गुणवत्ता के रूप में हम सभी इस बात से सहमत है कि यह बृहद अनुपात में है और इसका अधिक अनुपात ही हमारी चिन्ता

*दिनांक 23-8-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2 खंड 2 में प्रकाशित।

का विषय है और इस पर कार्यवाही करना अत्यन्त आवश्यक है। इस मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। श्रीमती गीता मुखर्जी ने बड़ी वाकपटुता से शुरू से आखिर तक रिपोर्ट के प्रत्येक पहलू पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें प्लेग के कीटाणु हैं शायद उन्होंने यही कहा था, परन्तु रिपोर्ट में सभी जगह प्लेग के कीटाणु होने के बावजूद भी उन्होंने इसमें कुछ सकारात्मक तत्वों की खोज की। इसलिए रिपोर्ट का कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जिसमें कोई प्लेग का कीटाणु नहीं। अत: सबसे पहले मैं उन सकारात्मक तत्वों वाले क्षेत्र पर अपना ध्यान केन्द्रित करता हूं जिन पर शायद सदन के दोनों पक्षों में सहमति है, अर्थात् वे सकारात्मक पहलू जिन पर कोई मतभेद नहीं है, उदाहरण के लिए कानून को कड़ाई के साथ लागू करना; कर अपवंचकों के विरुद्ध कार्यवाही करना; चुनाव खर्च के लिए निधि का निर्माण करना जिसके लिए बहुत से सदस्यों ने कहा है परन्तु वित्त मंत्री होने के कारण मैं इस पर एकदम मे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता परन्तु यह उसका सारांश था जो बहुत से सदस्यों ने कहा था।

कर सम्बन्धी कानूनों के सरलीकरण और अधिकारियों और राजनीतिज्ञों में ईमानदारी की आवश्यकरता पर भी सहमति थी। मैं समझता हूं कि सदन की दोनों ही पक्ष अर्थात् हम सभी रिपोर्ट के सारांश से सहमत हैं। अतः रिपोर्ट में प्लेग के कीटाणुओं के अलावा सकारात्मक कीटाणु भी विद्यमान हैं।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : रिपोर्ट के आने से पूर्व ही ये सभी तथ्य ज्ञात थे। इनके लिए रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसा नहीं है। कभी-कभी हम कोई औपचारिक वक्तव्य देते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए कोई डाक्टर किसी रोगी का निदान करता है और उसे बताता है "आपको जुकाम है।" रोगी कह सकता है, "मुझे मालूम है। जब से मैं घर से चला हूं तब से मुझे जुकाम था।" अतः कुछ चीजें निदान से पूर्व भी ज्ञात होती हैं।

परन्तु मतभेद रहे हैं और करों में कमी, नियंत्रण में ढील, गन्दी बस्तियों को साफ करने के लिए ऋण पत्रों की योजना तथा काले धन को उजागर करने के लिए अन्य उपायों के विषय में काफी मतभेद रहे हैं। ये वे मुद्दे हैं जिन पर मतभेद रहा है। परन्तु पांच अथवा छः मुद्दों पर सहमति रही है।

इसलिए मैं पहले असहमति के क्षेत्र से प्रारम्भ करता हूं। कल श्री दुबे जी ने फाइलेरिया रोग से ग्रस्त एक सास का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया।

सास ने बहू को ठोकर मारी और बहू कहती है, "जिस पैर से आप ठोकर मार रही हैं वह बहुत ही कोमल है।" उसने करापवंचकों के विरुद्ध सरकार की कार्यवाही की तुलना इस से की। उन्होंने कहा कि हमें उनकी ठुकाई करने के लिए मजबूत जूता तैयार करना चाहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम वह जूता तैयार कर रहे हैं। परन्तु हम तब तक भी प्रतीक्षा करने को तयार नहीं जब तक कि जूता तैयार नहीं हो जाता। जो कुछ भी हमें मिलेगा हम उसी से उनकी ठुकाई करेंगे। हम कानूनन जो कार्यवाही कर सकते होंगे वह कार्यवाही करेंगे। यदि हमें आज नाल से भरी बंदूक प्राप्त हो जाये तो हम आज ही उस बन्दूक का प्रयोग कर देंगे। जब हमारे पास तोप और अधिक बेहतर हथियार हो जाएंगे तो हम उनका प्रयोग करेंगे। हम उनका

निर्माण कर रहे हैं।

श्री अमल दत्त : स्टेनगन का प्रयोग मत करना।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो भी हथियार हमें प्राप्त होगा हम उसी से लड़ेंगे। हम कानून बनाए जाने तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हम कानून में भी संशोधन करेंगे। जिन सिफारिशों पर सदन के दोनों पक्षों की आम सहमति है उनमें से एक, मैं समझता हूं करापवंचकों से सम्बन्धित है और आजकल लागू दुराशय के सिद्धांत के सम्बन्ध में है। न्याय मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे भी मुखातिब होऊंगा। सिफारिश यह है कि यह कार्य दण्डनीय होना चाहिए तथा प्रमाण की अभियोग्यता करापवंचकों के जिम्मे होनी चाहिए। सरकार को इसमें न लाते हुए मैं स्वयं यह समझता हूं कि यह एक रचनात्मक सुझाव है और मैं विधि मंत्री के परामर्श से निश्चित रूप से इसकी पड़ताल करूंगा। यह हमारे वर्तमान कानून को और अधिक तीक्ष्ण बनाएगा।

रिपोर्ट में की गई दूसरी सिफारिश विशेष अदालतों के बारे में है। हमने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया है। बजट की घोषणा के पश्चात् बहुत से राज्यों ने उनका गठन किया है। दिल्ली में विशेष अदालतें स्थापित हुई हैं। परन्तु मैं व्यक्तिगत तौर पर वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि और अधिक प्रभावी विशेष अदालतों की स्थापना की जाए। इस कार्य के लिए हम विधि मंत्रालय के साथ मिल कर कार्यवाही करेंगे कि किस ढंग से इन अदालतों को स्वयं में और अधिक प्रभावी बनाया जाए। परन्तु वर्तमान व्यवस्था में हम विशेष अदालतें स्थापित करने की दिशा में अवश्य ही आगे कदम बढ़ाएंगे।

तत्पश्चात एक सिफारिश यह है कि तलाशी और अधिग्रहण के मामले में चयनात्मक रास्ता अपनाया जाना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अन्तिम रूप से दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हों। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी सिफारिश है; इस सिफारिश में कहा गया है कि कर-विभाग अपना कार्य करता रहे और किसी प्रकार के ऐसे निरर्थक प्रयास न करे जिससे सभी जगह प्रतीड़न किया जाय, परन्तु अन्तिम परिणाम कुछ विशेष न निकले।

हमने बिल्कुल ऐसा ही करना शुरू किया है। पहले सूचना एकत्र करते हैं और तत्पश्चात तलाशी और छापे मारने के लिए जाते हैं। तलाशी और अधिग्रहणों के मामले में देरी के संबंध में एक सिफारिश है कि यह देरी कम की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सुझाव है और हम इसकी जांच कर रहे हैं कि हम इस देरी को कैसे कम कर सकते हैं और इस विषय में क्या आवश्यक परिवर्तन करने आवश्यक होंगे।

कल श्री सुब्बा रेड्डी ने छापों के बारे में कहा और उन पर टिप्पणी की। हमने 'केतु' और 'काली' कार्यक्रम उन्हीं आधारों पर तैयार किए हैं। इन के अलावा इस बीच दो और बड़े आपरेशन/कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए गए। इनके कुछ परिणाम, जो समाचार पत्रों में भी छपे हैं, बड़े ही दिलचस्प हैं। 'केतु' कार्यक्रम में पांच बड़े आदमी थे, जिनका विदेशी मुद्रा के 60 प्रतिशत अवैध सौदों पर नियन्त्रण था। उस सिण्डीकेट के 12 व्यक्ति 'कोफेपोसा' के तहत जेल में बन्द हैं और यह सब कार्य सरकार ने किया है। उन्होंने 184 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार करना स्वीकार किया है तथा उनकी कार्यप्रणाली इस प्रकार थी कि 3-4 दिन के

अलावा अधिक समय का लेखा-जोखा नहीं रखा जाता था; और वह टेलीफोन पर होता था तथा यह सब कार्य करने के लिए एक-दूसरे पर विश्वास करने के उनके अपने ही ढंग थे। 4.5 करोड़ रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। किसी समाचार-पत्र में एक कार्टून छपा था जिसमें 4.5 करोड़ रुपए और एक चूहे को बन्दूक से मारा गया दिखाया गया था। यह मात्र एक चूहे का प्रश्न नहीं है परन्तु अन्य चेहरों पर जो भाव दिखाया गया है वह अधिक महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव भयोत्पादक होगा। इसका प्रभाव कई गुणा है। तत्पश्चात् "काली" कार्यक्रम के अन्तर्गत छापे मारे गए। इसमें 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 35 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, 12 'कोफेपोसा' के अधीन गिरफ्तार किए गए। विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कागजात और 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेन-देन के कागजात पकड़े गए तथा 4.7 करोड़ रुपये की हेरा-फेरी के बीजक पकड़े गए। 4.35 करोड़ रुपए का माल भी पकड़ा गया। दिल्ली में लगभग 15 करोड़ रुपए के माल का लेन-देन हुआ। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि यह बहस का विषय नहीं है। इसके बाद सूरत टिन प्लेटों का मामला है। हम फल और सब्जियों के मूल्यों, काला-बाजारी और मुनाफाखोरी पर बहस कर रहे थे। दिल्ली में एक स्थान पर एक ही दिन चार व्यक्तियों पर छापे मारे गए जिनमें 87 लाख रुपए के बगैर हिसाब के धन और जेवरात आदि का पता चला। बम्बई में चीनी उद्योग के एक बड़े उद्योगपति पर छापा मारा गया और उसका प्रभाव बम्बई में चीनी के दामों पर पड़ा। आप जानते हैं कि उसका नाम सदन में भी आ चुका है और हम उस पर अभियोग चला रहे हैं। मैं व्यक्तिगत नामों की चर्चा नहीं करूंगा परन्तु कुल मिला कर उपलब्धि अच्छी रही है। 1985 तक हमने 122 करोड़ रुपए मूल्य का सोना पकड़ा जो कि पिछले वर्ष पकड़े गये 66 करोड़ रुपये मूल्य के सोने का लगभग दुगना है। क्षमा करें यह पकड़े गए माल का मूल्य है। पिछले वर्ष जब्त किए गए लगभग 6 करोड़ रुपए मूल्य के सोने की तुलना में इस वर्ष 31 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया गया। सही आंकड़ा 5.76 करोड़ रुपए का है। इस प्रकार यह पिछले वर्ष के आंकड़े से पांच गुणा अधिक है। बंदियों की संख्या और भी ज्यादा है। इसके साथ ही वर्तमान वित्त वर्ष में 31 जुलाई तक लगभग 10 करोड़ रुपये मूल्य की बगैर हिसाब की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 6 करोड़ रुपए था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों से निपटने के लिए एक राजनैतिक इच्छा भी है। अपने आर्थिक आसूचना ब्यूरो के माध्यम से हम इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने जा रहे हैं। हम एक एकीकृत/समेकित आसूचना ब्यूरो बनाएंगे तथा सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, आयकर और अन्य करों के सम्बन्ध में समेकित कार्यवाही करेंगे। परन्तु इतने पर भी कुछ पत्रकार हमारे कार्यों की आलोचना कर रहे हैं। वे कम से कम वित्त मंत्री पर बहुत कृपालु हो गए हैं और लगभग प्रतिदिन ही इन छापों के बारे में कोई लेख अथवा संपादकीय छपता है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : सभी नहीं केवल प्रेस का एक वर्ग ऐसा कर रहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हाँ, सभी नहीं। मैं मानता हूं कि प्रेस के एक वर्ग ने मेरा समर्थन किया है। यह कहा गया है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत बजट का बड़े व्यापारियों ने समर्थन किया। कुछ समाचार पत्रों ने कहा है कि "बड़े व्यापारी ही बजट का समर्थन कर रहे हैं।"

यदि यह मान्य तर्क है तो अब कुछ बड़े व्यापारिक समाचार पत्र वित्त मंत्री पर प्रहार कर रहे हैं—फिर भी मैं नहीं मानता कि यह एक मान्य तर्क है—और इस प्रकार कम से कम कुछ संदेह तो दूर होंगे।

कल श्री अनादि चरण दास ने कहा कि हमें इस रास्ते से अब वापिस नहीं लौटना चाहिए। मुझे माननीय सदस्य के विचार से बहुत बल मिला है और मैं स्वयं में दृढ़ता अनुभव करता हूं कि अब हमने सही रास्ता अपनाया है और मैं उनका आभारी हूं तथा दिए गये आश्वासनों के साथ हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे। हम इसे जारी रखेंगे।

अब मैं रिपोर्ट के उस भाग पर आता हूं जहाँ मतभेद हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ अलग-अलग मुद्दों पर अपनी अर्थ-व्यवस्था की समझ के बारे में ही मतभेद नहीं है बल्कि हमारी, राजनैतिक अथवा आर्थिक विचारधारा के आधार पर यह मतभेद उससे भी कहीं अधिक गहरे हैं। और यह मतभेद सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र पर लगाये जाने वाले करों की दर के विषय में हैं। मैं समझता हूं कि करों की दर के सम्बन्ध में जो मुद्दे उठाए गये हैं इन मुद्दों पर विचार करने के लिए यह क्षेत्र अत्यन्त सीमित है, इससे बहम से अधिक महत्ता इस बात की है कि अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण क्या है; उत्पादन के स्रोतों पर कौन कब्जा किए हुए है, और उत्पादन का काम किस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए—यह इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि यहाँ इस समय इन पर चर्चा नहीं की जा सकती।

एक ओर तो ऐसे लोग हैं जो शून्य कराधान अथवा शून्य प्रतिशत करों की वकालत करते हैं, तथा दूसरी ओर ऐसे प्रस्ताव रखने वाले लोग हैं जिनका कहना है कि निर्यात आदि के क्षेत्र में सौ प्रतिशत कर लगाया जाना चाहिये और हम शून्य प्रतिशत और सौ प्रतिशत के बीच की स्थिति में हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : परन्तु 98 और 2 दोनों ही शून्य और सौ के बीच में हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हाँ, हम लगभग 50 के आसपास हैं। इसलिए हम पर हमेशा ही दाएं से भी और बाएं से भी प्रहार किया जाता रहेगा। ये आपत्तियाँ वहाँ रहेंगी ही।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : दक्षिण पन्थियों की ओर से।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : और वाम पन्थियों की ओर से भी। कुछ लोगों का कहना है कि "तुम इतने उदार नहीं हो।" कुछ लोग कहेंगे कि "आप बेहद उदार हैं।" ऐसी बातें तो होंगी ही। हमने मध्य मार्ग अपनाया है और हम उस पर चलते रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि हमें गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता करनी चाहिए जबकि कुछ कहते हैं कि हमें सरकारी क्षेत्र की सहायता करनी चाहिए। बहरहाल, हमने मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था को अपनाया है अथवा मध्य मार्ग को चुना है। हमने कहा है कि हमारा एक सरकारी क्षेत्र होगा और यह भी कि वह सरकारी क्षेत्र समृद्ध होगा। हमारा एक गैर-सरकारी क्षेत्र है और हमने अपना मार्ग निर्धारित किया है।

अब प्रश्न है कि मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था में क्या कुछ मिला जुला हो। इस सम्बन्ध में

मुख्य बात यही उठाई गई है। यह 2 प्रतिशत होना चाहिए या उससे अधिक—प्रश्न यह है कि अधिक किसे मिले या हम गैर-सरकारी क्षेत्र को कितना अधिक दे सकते हैं; हम सरकारी क्षेत्र के लिए कितना कुछ कर सकते हैं; सरकारी खर्चों के लिए हम कितने संसाधन जुटा सकते हैं; गैर-सरकारी क्षेत्र को हम कितनी रियायत दे सकते हैं। अतः यहाँ तो निर्णय का प्रश्न है। सरकार को कई बातों पर गौर करना है और किसी निर्णय पर पहुंचना है। हमें इस बारे में अपनी निर्णय शक्ति का प्रयोग करना है।

श्री बी०आर० भगत (आरा) : एक प्रश्न है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे अपने विचार स्पष्ट करने हैं। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र का स्थान महत्वपूर्ण बना रहेगा। इससे पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। परन्तु कृषि गैर-सरकारी क्षेत्र में चली आ रही है। कृषि का अधिग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में इसका योगदान 45% है। आपमें से कुछ लोग यह कहते हैं कि कृषि राज्य का क्षेत्र में होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : ऐसा तो किसी ने नहीं कहा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह आपका सिद्धांत है। यदि आप अपने सिद्धांत पर चले तो आप यही कहेंगे। मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था में अन्तर्विरोध है। आर्थिक वर्ग संघर्षों को समाप्त नहीं किया गया है। हमें अपनी विभिन्न गरीबी-उन्मूलन योजनाओं आदि के माध्यम से यह काम करना है। निस्संदेह हमारा ध्येय गरीबी के इस संघर्ष को लोकतांत्रिक तरीके से मिटाना और ऐसे बेहतर समतावादी समाज की स्थापना करना है जहाँ अपेक्षाकृत अधिक न्याय हो और कम शोषण हो। यह हमारा मार्ग है। श्री प्रिय रंजन दास मुंशी और कुमारी तारा देवी ने कल कांग्रेस की समाजवाद के प्रति वजनबद्धता का उल्लेख किया था। वस्तुतः हमारा मार्ग यही है कि एक लोक-तांत्रिक ढांचे में हम उत्तरोत्तर प्रगति करें और इस शोषणकारी प्रणाली का उन्मूलन करें। इसमें कुछ अन्तर्विरोधी बातें हैं। आप इन बातों की हमेशा आलोचना कर सकते हैं। इसमें धन-संबंधी अन्तर्विरोध हैं। इस प्रकार हम इस ढांचे के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि जब तक हम समाज को लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित करते हैं तो काले धन की समस्या बनी रहेगी। सिद्धांततः इस बात से इन्कार करना कठिन होगा। परन्तु यदि इसे संचालित करने के बाद निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसीलिए, हम दरें घटाने पर ही निर्भर नहीं कर रहे हैं। हमने साफ-साफ कह दिया है कि दरें घटाने के साथ-साथ हम सख्ती भी बरतेंगे। लालच, जो कि मानव की प्रवृति भी है, को ध्यान में रखते हुए हमने मिले-जुले उपाय किए हैं। हमें यह भ्रम नहीं है कि कर घटाने मात्र से हमें स्वेच्छापूर्वक कर-राजस्व प्राप्त हो जाएगा। मैं कर-दाताओं को बिल्कुल दण्ड नहीं दे रहा हूं। हमारी निगाह उन पर नहीं है। कर की चोरी करने वाले हमारा लक्ष्य है। यह काम जारी रहेगा। हम कानून को और सख्त बना रहे हैं।

कर-ढांचा तैयार करते समय हम कर की चोरी और काले धन की उत्पत्ति को ही ध्यान में नहीं रखते बल्कि विकास संबंधी पहलू को भी ध्यान में रखते हैं और इस बात पर भी कि

ऐसा ढांचा तैयार हो जो कि विकास में सहायक हो और विकास के साथ-साथ राजस्व में भी वृद्धि हो।

प्रतिवेदन में एक सिफारिश यह की गई है कि कटौतियां करने की व्यवस्था समाप्त की जाए। हमने कई कटौतियों को समाप्त कर दिया है। कर चोरी करने वालों ने कर अदा करने से बचने का जो कानून-सम्मत मार्ग निकाला है उसे बन्द कर दिया गया है। भविष्य में हम इस दिशा में और प्रयास करेंगे।

दरों की चर्चा करते समय हमें केवल अनुमान का सहारा नहीं लेना चाहिए। उदाहरणार्थ व्यक्तिगत कराधान को ही लें। वर्ष 1983-84 में लगभग 19.5 प्रतिशत राजस्व वेतनभोगी वर्ग से प्राप्त हुआ। आप कर बढ़ाते हैं और यह वर्ग उसकी चपेट में आ जाता है। उसी वर्ष अर्थात् 1983-84 में निगमित कर में सरकारी क्षेत्र का योगदान 58 प्रतिशत था। अतः दरों में वृद्धि करने का अर्थ है कि अपने सरकारी क्षेत्र से ही आप, आधे से अधिक लगभग 58 प्रतिशत ले लेते हैं। तो आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? यह तो एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में डालने वाली बात हुई, और हम कर की दरों संबंधी इस मुद्दे पर सैद्धांतिक वाद-विवाद में पड़े हुए हैं। आइए देखें कि क्या कुछ हो रहा है। अतः मैं तो माननीय सदस्यों के सामने इस पहलू को रखना चाहता था।

तस्करी के सम्बन्ध में एक सुझाव दिया गया है कि जिन वस्तुओं की तस्करी की जाती है उनकी कीमतों को घटाने के प्रयास किए जाने चाहिएं क्योंकि तस्करी की संभावना वस्तुओं की देश तथा विदेशों में कीमतों पर निर्भर करती है। अगर कीमत में अन्तर अधिक है तो संभावना भी अधिक होगी और कीमत भी अधिक होगी तो इसकी संभावना कम होने पर कीमत भी कम होगी। मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त सुझाव है परन्तु हमारी विदेशी मुद्रा की सीमाएं हैं। हम कहां तक ऐसा कर सकते हैं? अगर सोने को खुले तौर पर देश में लाने की अनुमति प्रदान कर दी जाए और उसके लिए विदेशी मुद्रा मौजूद हो तो तस्करी बिल्कुल नहीं होगी। परन्तु हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है, हालांकि हम यह जानते हैं कि तस्करी की प्रत्येक वस्तु के बदले में कुछ न कुछ राशि देश से बाहर जा रही है। कोई भी अपनी जान के जोखिम पर इसे उपहार-स्वरूप नहीं दे रहा है। अतः हमें कीमतों को घटाने का प्रयास करने और तस्करी को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक उपाय करने तथा निवारक प्रशासनिक कार्यवाही करने की मिली जुली नीति—आर्थिक नीति अपनानी पड़ती है और हम यही प्रयास कर रहे हैं। हमने अपनी नई कपड़ा नीति में भी मानव निर्मित वस्त्रों की कीमत घटाने का प्रयास किया है परन्तु इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। मैं उद्योगों को यह चेतावनी देता हूं कि अगर वे इसका लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाते हैं तो हम उन्हें कोई रियायत देने वाले नहीं हैं। यह रियायत ऐसी नहीं है कि जिसे वे अपनी जेब में रख लें और इसे उपभोक्ता तक न पहुंचने दें।

हम अगले वर्ष तक अप्रत्यक्ष करों में सुधार करेंगे और इस बीच भी हम कुछ और कार्य करेंगे। हम पहले भी कुछ कर चुके हैं। हमने उर्वरक पर सीमा-शुल्क 65 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया है। हमने विद्युत पर सीमा-शुल्क 65 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत, दालों पर यह शुल्क शून्य प्रतिशत कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी की कई मदों पर हमने इसे घटाकर शून्य

अथवा बहुत ही कम प्रतिशत कर दिया है। विचार यह है कि अब हमारी अर्थ-व्यवस्था अत्यधिक लागत वाली बन गई है। अगर हम शुरू से ही शुल्क लगा दें और चूंकि विद्युत तथा उर्वरक में सरकारी क्षेत्र का पूंजी निवेश अधिक है, अतः उत्पाद की कुल लागत वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है और उस उत्पाद की कीमत बहुत अधिक हो जाती है और इसका असर समूची अर्थ-व्यवस्था को वहन करना पड़ता है। इसलिए, एक बार राजस्व लगाकर लागत को बहुत अधिक बढ़ाने से तो यह बेहतर है कि लागत कम रखी जाए ताकि अंततः लोगों को सस्ता उत्पाद प्राप्त हो सके और विकास द्वारा अथवा मांग बढ़ने से, प्लवनशीलता के द्वारा हमें राजस्व वापस मिलता है। परन्तु इसमें समय कुछ अधिक लगेगा। इसलिए, हमारा विचार यह है कि सीमा-शुल्क सुधार किये जायें और इस मामले में यह देखें कि हम इसमें कितना योगदान कर सकते हैं और अनावश्यक कराधान से हमारा विकास न रुके। इसके पीछे विचार यह है कि कच्चे माल पर अपेक्षाकृत कम दर से कर लगाया जाए और फिर मध्यवर्ती वस्तुओं और उसके बाद उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया जाए। हमें तैयार उत्पादों पर भारी कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिन क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन क्षमता है, वहां हमें उन्हें संरक्षण देना होगा परन्तु स्वदेशी उद्योगों से यह भी पूछना होगा कि उन्हें कितना संरक्षण चाहिए। ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं इसमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनियां हैं तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनियां हैं जो कि कई वर्षों से स्थापित हैं परन्तु ये कम्पनियां अभी भी बूढ़े बच्चे बनी हुई हैं और सदा ही संरक्षण की मांग करती रहती हैं। हमें उनको यह बताना है कि हम उन्हें शत-प्रतिशत, दो सौ प्रतिशत या अधिक संरक्षण तो देंगे पर इसकी भी कोई न कोई सीमा होनी चाहिए। उनका देश की जनता तथा उपभोक्ताओं के प्रति कोई दायित्व है। वे सरकार के संरक्षण के बल पर लोगों से निरन्तर लाभ उठाते नहीं रह सकते। जनता के प्रति उनका दायित्व है कि वे अधिक कार्यकुशल हों और सस्ते दाम की चीजें बनायें। परन्तु इसमें तात्कालिक राजस्व हानि और दीर्घावधिक विकास के मध्य अन्तर्विरोध है। अतः हमें इसका सामना करना पड़ेगा। हम राजस्व हानि को एक ही वर्ष में पूरा नहीं कर सकते यद्यपि हमें राजस्व बाद में प्राप्त होगा। इसलिए इसे कुछ वर्षों में धीरे-धीरे चरणों में करना होगा ताकि अर्थ-व्यवस्था में सुधार द्वारा आगामी वर्षों में इसे पुनः अर्जित करने की अवधि तक अधिक राजस्व हानि न हो।

1.00 म० प०

अब जहां तक सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय का संबंध है, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह व्यय एक कारण है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यही एकमात्र कारण है। वस्तुतः सरकार द्वारा किये जाने वाला व्यय ही अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक होता है। यह व्यय पर्याप्त न होने से सरकारी क्षेत्र रुग्ण हो जाएगा। उद्योग के विकास और गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय का अन्तः संबंध है। अतः हम सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय का समर्थन करते हैं परन्तु भ्रष्टाचार फैलाने वाली खामियों को निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए हमें इस दृष्टि से इस व्यय को घटाना नहीं चाहिए बल्कि इसकी खामियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार की फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। हम विभाग-वार गंभीर प्रयास कर रहे हैं। जहां ऐसे कुछ निदेशालय अथवा संगठन हैं, जहां फालतू कर्मचारी और अधिकारी भरे पड़े हैं और उनका कोई योगदान नहीं है तो इसका फल उन्हें भुगतना होगा। हम शीघ्र ही फिजूलखर्च में कटौती करने के प्रस्ताव रखेंगे।

स्टाम्प-कर के संबंध में एक सुझाव रखा गया था। मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकारों से संबंधित है और केन्द्रीय सरकार इस संबंध में कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर सकती है।

गंदी बस्तियां साफ करने और भू-संपत्तियों के लिए बंध पत्र जारी करने के बारे में सुझाव दिया गया था। इनके लिए एक योजना का सुझाव दिया गया है। श्री महाजन, श्री जेना, श्री डोगरा और श्री राजहंस द्वारा रिपोर्ट में इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया गया है जबकि अन्य अनेक सदस्यों ने इसका उतना ही जोरदार विरोध भी किया है। इसका विरोध करने के बारे में हमने यह देखा है कि विभिन्न प्रकटीकरण योजनाओं का इतना अधिक प्रभाव नहीं रहा। धारक बंध पत्र काले धन को छिपाने का एक साधन बन गए हैं यद्यपि उस समय उनके माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये इकट्ठे हो पाए थे। ईमानदार कर-दाताओं में यह भावना घर कर रही है कि करों का भुगतान तो वह करते हैं और फायदा वह उठा रहे हैं जो भुगतान नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार दोनों ही तरफ से जोरदार तर्क दिये जा रहे हैं। अन्य माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन शायद यह सोच कर किया है कि यह पैसा भी देश में लग रही पूंजी में शामिल किया जा सकता है और भविष्य में यह राजस्व का साधन हो सकता है और तब हम इस पर कर लगा सकते हैं। जब यह देश में लग रही पूंजी में शामिल हो जाएगा तो इससे अर्थव्यवस्था में काफी उपयोगी योगदान होगा तथा राजस्व का साधन होने के साथ-साथ इससे प्रगति भी होगी। इस प्रकार दोनों ही तरफ से जोरदार तर्क दिए गए हैं। इस समय मैं यही कह सकता हूं कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व मैं दोनों प्रकार के तर्कों को ध्यान में रखूंगा।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

(इति)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर विचार-विमर्श करेंगे।

1.03 म० प०

न्यायाधीश (संरक्षण) विधेयक

[**अनुवाद**]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि न्यायाधीशों और न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850, जैसा कि यह इस समय विद्यमान है, यह प्रावधान है कि न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट जस्टिस, आफ दि पीस,

समाहर्ता अथवा न्यायिक रूप से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति पर, अपने न्यायिक दायित्वों का वहन करते समय किए गए किसी कार्य अथवा कार्य कराने के लिए, दिये गये आदेश के लिये, चाहे वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो अथवा नहीं, किसी भी सिविल न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता बशर्ते उस द्वारा किया गया कार्य अथवा आदेश जिसके बारे में शिकायत की गई है, सदाशयता से और यह समझ कर किया गया हो कि वह इसके अधिकार क्षेत्र में है, और किसी भी न्यायालय का कोई भी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति जो किसी भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस आफ दि पीस के समाहर्ता अथवा न्यायिक रूप से कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति के वैध वारंट अथवा आदेशों को पालन कराने के लिए बाध्य है, पर उस वारंट अथवा आदेश का पालन कराने के बारे में किसी भी सिविल न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि अगर यह जारी करने वाले व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में है तो वह उसका पालन करने को बाध्य है।

इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति जो न्यायाधीश है अथवा न्यायाधीश रह चुका है, द्वारा अपने पदीय अथवा न्यायिक कर्त्तव्य अथवा कार्य के निर्वहन में किए गए कार्य के दौरान किसी कार्य शब्द अथवा बाल के लिए किसी दांडिक या सिविल कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्रदान करना है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि इससे राष्ट्रपति अथवा केन्द्र या राज्य सरकार अथवा उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी उपयुक्त प्राधिकारी को किसी न्यायाधीश के खिलाफ इस प्रकार की सिविल, दांडिक अथवा विभागीय कार्यवाही जैसा कि उपयुक्त समझी जाए, करने पर रोक नहीं होगी।

न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करने संबंधी वर्तमान उपबंधों और प्रस्तावित उपबंधों में प्रमुख अन्तर इस प्रकार है :

(एक) प्रस्तावित उपबंध से न केवल सिविल कार्य अथवा कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा बल्कि दांडिक कार्य अथवा कार्यवाही के लिए भी संरक्षण प्रदान किया गया है;

(दो) उस व्यक्ति के न्यायाधीश न रहने पर भी संरक्षण जारी रहेगा; और

(तीन) संरक्षण प्रदान करने के लिए सदाशयता की शर्त पूरा होना आवश्यक नहीं होगा।

मुझे विश्वास है कि यह संपूर्ण सभा इस विधेयक का समर्थन करेगी। महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में किए गए उपबंध विधि आयोग की 104वीं रिपोर्ट जिसमें यह सिफारिशें की गई थीं और काफी समय से विचाराधीन थीं, पर आधारित हैं। उन्हें हम इस विधेयक के माध्यम से क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं।

(समाप्त)

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : आप इसका उल्लेख उद्देश्य और कारणों के कथन में कर सकते थे।

श्री एच० आर० भारद्वाज : उद्देश्य और कारणों के कथन में यह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि न्यायाधीशों और न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए और इससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।".

इसके लिए 1 घंटा आवंटित किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री एच० ए० डोरा (श्री काकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सरकारी रूप से पदनामित न्यायाधीशों के साथ सम्बन्ध है, मैं समर्थन करता हूं लेकिन जहां तक इस विधान विशेष के उपबन्धों का उन व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध है जिन्हें अब न्यायाधीश बना दिया गया है, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

महोदय, मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि यह विधेयक न्यायाधीशों को अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करने के बारे में है। और फिर इसमें यह कहा गया है, 'न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए।'

इस प्रकार, महोदय, यह ऐसा विधेयक है, जो केवल न्यायाधीशों के लिए (जो सरकारी रूप से पदनामित हैं) ही नहीं है अपितु उनके लिए भी है जो सरकारी रूप से इस प्रकार पदनामित नहीं हैं।

उद्देश्यों और कारणों का कथन काफी आकर्षित प्रतीत होता है। लेकिन, इसका निहतार्थ उससे कहीं अधिक गहरा है। मुझे यह भाग पढ़ने की अनुमति दी जाए। मैं उद्धृत करता हूं:—

"संविधान द्वारा जैसी परिकल्पना की गई है उसके अनुसार न्यायपालिका संसदीय लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। यह आवश्यक है कि ऐसी सभी उन्मुक्तियों के लिए उपबंध किया जाए जो न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में निर्भीकता से और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। यदि न्यायालय में किए जाने वाले कार्यों के लिए न्यायाधीशों को चाहे सिविल या दांडिक विधिक कार्यवाहियों के अधीन कर दिया जाएगा तो उनके लिए कार्य करना कठिन हो जाएगा।"

उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि यह उनसे भी संबंधित है जो सरकारी रूप से न्यायाधीश पदनामित नहीं हैं।

महोदय, इसमें प्रमुख खंड जो जोड़ा गया है, वह है खंड 3 महोदय,। मुझे यह बताने की अनुमति दी जाए कि इस खंड में शामिल किए गए वाक्यों में व्याकरण की कुछ भिन्नताएं हैं। इस खंड में यह बताया गया है :—

"तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो न्यायाधीश है या था, उसके द्वारा उस समय जब वह अपने पदीय या न्यायिक कर्तव्य और कृत्य के निर्वहन में कार्य कर रहा हो, या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, या उसके अनुक्रम में किए गए, की गई या कहे गए किसी कार्य, बात या शब्द के लिए किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा।"

यहां जो अर्थ दिखाई पड़ रहा है, उससे कहीं अधिक गहरा अर्थ है। मैं इसमें निहितार्थ को व्यक्त और स्पष्ट करना चाहूंगा। यहां पर 'कर्त्तव्य' शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया है और इसके दो विशेषण हैं 'पदीय या न्यायिक'। इस प्रकार इस संज्ञा का एक विशेषण 'पदीय' है और दूसरा 'न्यायिक'। इस प्रकार यह अधिनियम न केवल उन न्यायिक कार्यों के लिए है जो

सरकारी रूप से पद नामित न्यायाधीश करते हैं अपितु उनके पदीय कार्यों के लिए भी है। इसमें न केवल न्यायिक कार्यों का उल्लेख है अपितु पदीय कार्यों का भी उल्लेख है।

इस विधेयक विशेष के खंड 2 में जो न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार है :—

"इस अधिनियम में "न्यायाधीश" से न केवल प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित है किन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी है—

(क) जो किसी विधिक कार्यवाही में विधि द्वारा सशक्त किया गया है···।"

उसमें इसे न्यायिक कार्यवाही के रूप में नहीं कहा गया। यहां तक कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट, उप तहसीलदार, जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, एक तहसीलदार जिसे दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विशेषत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के संबंध में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में प्राधिकृत किया गया है, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को इन विधायी कार्यों को करने की शक्ति प्राप्त है जिन्हें हम पूरी तरह से न्यायिक कार्य नहीं कह सकते, उन्हें भी इस विशेष अधिनियम के द्वारा संरक्षण दिया गया है। इसलिए, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पहलू विशेष में सबसे पहली बात यह देखी जाए कि इससे व्यक्तिगत सम्मान को स्पष्ट खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अगर इस अधिनियम के उपबंधों से उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को संरक्षण प्रदान करेंगे, तो······ (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एच. ए. डोरा : मुझे कुछ समय और बोलने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप को और समय नहीं दे सकता।

श्री एच० ए० डोरा : मुझे थोड़ा और समय दिया जाए। मुझे अपना तर्क समाप्त करने दीजिए और इस विधेयक में निहित कमजोरी को स्पष्ट करने दीजिए।

यहां यह कहा गया है कि कोई भी न्यायालय न्यायालयों में विचाराधीन मामलों किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा, ऐसे मामले अब वापिस ले लिए जाने चाहिएं। मैं इस बारे में चिन्तित नहीं हूं। लेकिन, जहां तक इस खंड विशेष का संबंध है, भविष्य में इसके बारे में क्या कार्यवाही की जाएगी ? यह अभिव्यक्ति कि अपने पदीय कृत्य के निर्वहन में······कहे गए किसी शब्द या बात के लिए··· यहां संबंधवाची सर्वनाम है।

अपने पदीय कृत्य के निर्वहन में···मान लें वह 'बास्टर्ड' शब्द इस्तेमाल करते हैं। मान लो कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी को कहते हैं कि 'आप बास्टर्ड हैं'। कोई व्यक्ति, जो उसके सामने है और वह उसे कहते हैं कि 'वह बास्टर्ड है, तो उसे तो आपने कानून के अन्तर्गत संरक्षण दे दिया। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक विशेष द्वारा व्यक्तिगत सम्मान स्पष्ट रूप से खतरे में पड़ गया है और इसके अलावा मुझे थोड़ी बात और कह कर, समाप्त करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट और मिलेगा, उसमें पूरा करने की कोशिश कीजिए।

श्री एच० ए० डोरा : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, इस विशेष अधिनियम के कारण कार्यकारी अधिकारी, यहां तक कि नायब तहसीलदार भी, अब न्यायाधीश के पद पर पहुंच गए

हैं। मैं इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि कानूनी कार्यवाही तथा पदीय कर्त्तव्य को न्यायिक कर्त्तव्य के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शांताराम नायक, मैं आपको केवल पांच मिनट दूंगा। जिस सदस्य ने चर्चा आरम्भ की उसे मैंने दस मिनट दिये। अन्य सभी लोगों के लिये केवल पांच मिनट का समय है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : यह एक सुखद बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने न्यायाधीशों को संरक्षण प्रदान करने के लिये इस विधेयक को लाने का विचार किया है। मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा और सुझाव देना चाहूंगा जिन्हें माननीय मंत्री नोट कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से वह नोट करेंगे। आप चिन्ता न करें।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, सबसे पहले प्रश्न यह है कि मैंने इस प्रकार का कोई कानून नहीं देखा है जिसमें न्यायाधीशों को इस प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया हो। आपने यहां किसी प्रकार का अन्तर करने का प्रयास किया किंतु मैं वह अन्तर स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया। दूसरे शब्दों में प्रत्येक विधान में यह उपबंध है। अन्यथा इसका अर्थ यह है कि आज इस विधेयक को पारित करके ही हम न्यायाधीशों को संरक्षण प्रदान करते हैं और पहले न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये विभिन्न नियमों के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता था। मेरे विचार से ऐसी बात नहीं है।

दूसरे, महोदय, विधेयक की प्रस्तावना में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है :

"न्यायाधीशों और न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिये अतिरिक्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए।" मेरे विचार में विधायी प्रारूप तैयार करने में यह शब्दावली उपयुक्त नहीं है। इस वाक्य की रचना त्रुटिपूर्ण है। वास्तव में इसकी शब्दावली इस प्रकार होनी चाहिये थी :

"न्यायाधीशों और विधायी कृत्य करने वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए"; "तथा न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों" शब्दों के स्थान पर "और न्यायिक कृत्य करने वाले व्यक्तियों" होना चाहिये। मैं समझता हूं कि ये शब्द उस पंक्ति में उचित नहीं हैं। कृपया आप इस सुझाव पर विचार करें।

तीसरे, ये सभी विधान अलग-अलग टुकड़ों में हैं। मैं यह नहीं समझ सका कि एक ऐसा समेकित विधान क्यों नहीं लाया जाता जिसमें न्यायाधीशों से संबंधित विभिन्न पहलू सम्मिलित हों। कल हमने न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में एक विधान पर चर्चा की थी। क्या न्यायाधीशों की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए केवल एक ही विधान होना चाहिए ? यह ऐसी बात है जो समझ में नहीं आती। न्यायाधीशों से सम्बन्धित मामले एक ही समेकित विधान में होने चाहिएं। न्यायाधीशों की सुरक्षा, संख्या और अन्य सभी विषय एक ही विधान के अन्तर्गत लाए जा सकते थे। हमने एक कानून सिर्फ इसीलिये बनाया कि न्यायाधीशों की संख्या को 17 से बढ़ाकर 25 कर दिया जाय। इन बातों से सदन का बहुत सा समय नष्ट होता है।

मैं अलग-अलग टुकड़ों में विधानों के कुछ और उदाहरण देता हूं। मैंने ऐसे कई विधान देखे हैं जिनमें एक ही विषय के विभिन्न पहलू निहित हैं। उदाहरणतः ग्राम पंचायत योग्यता नियम, दूसरा कानून है ग्राम पंचायत चेयरमैन अयोग्यता नियम, ग्राम पंचायत चेयरमैन विश्वास

नियम, ग्राम पंचायत चेयरमैन अ-विश्वास नियम। यह अलग-अलग टुकड़ों में बंटे हुये विधान के उदाहरण हैं। हमें एक विषय पर एक ही विधान लाना चाहिए था। वास्तव में, उन सभी विधानों के लिए जो इस सदन के समक्ष लाये जाते हैं, हमारे पास एक दोहरी प्रणाली—एक अधिनियम और दूसरा नियम—होनी चाहिए।

महोदय, केवल शाब्दिक संरक्षण प्रदान करने से ही न्यायाधीशों की सुरक्षा नहीं हो पायेगी। उन्हें वास्तविक संरक्षण भी देना होगा। दण्ड-संहिता में इस बात की व्यवस्था है कि यदि किसी न्यायाधीश को कोई चोट या हानि पहुंचाई जाए तो उस व्यक्ति को दंड-संहिता के अन्तर्गत दंडित किया जाएगा। जहां तक न्यायिक अधिकारियों का कोई चोट पहुंचाने और हानि पहुंचाने जैसे अपराधों का सम्बन्ध है इस विषय में कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिये। इन अपराधों के लिए भारतीय दण्ड-संहिता में निर्धारति किये गये दण्ड से अधिक दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए और इन्हें अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। उदाहरणत: ऐसे मामलों में कारावास तथा जुर्माना होता है। जहां तक न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध किए गये अपराधों का सम्बन्ध है, मैं सिफारिश करता हूं कि इन अपराधों के लिये अनिवार्य कारावास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अन्त में कनिष्ठ न्यायाधीश से लेकर प्रत्येक न्याय अधिकारी को अपने घर जाने और न्यायालय आने के लिए कार उपलब्ध करायी जानी चाहिए। उनके निवास-स्थानों पर नौकरों का प्रबन्ध भी किया जाना चाहिये ताकि उन्हें अपने निजी कार्यों के लिये भाग-दौड़ न करनी पड़े जिससे उनके जीवन की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस प्रकार की सुविधायें उन्हें दी जानी चाहियें जिनकी उन्हें आवश्यकता है। केवल उसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, सिर्फ शब्दों से ही कार्य नहीं चलेगा।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की आशा थी कि मंत्री महोदय इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए इस विधेयक को लाने का उद्देश्य भी स्पष्ट करेंगे। जिस उद्देश्य का यहाँ उल्लेख किया गया है इससे कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती। न्यायाधीशों की सुरक्षा पहले से ही है। फिर इस विधेयक को प्रस्तुत करने का क्या उद्देश्य है। शीर्षक में कहा गया है, ''न्यायाधीशों तथा न्याय सम्बन्धी कार्य करने वाले अन्य लोगों की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए।'' इस प्रकार की अतिरिक्त सुरक्षा क्यों आवश्यक समझी गई ?

मन्त्री महोदय ने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा है कि ऐसा विधि आयोग के 104वें रिपोर्ट के अनुपालन में किया गया है। किंतु इस संबंध में उद्देश्यों और कारणों के विवरण में किसी प्रकार का भी उल्लेख नहीं है। यदि इसका उल्लेख किया गया होता तो उससे इस बात का पता चलता कि किस उद्देश्य ने विधि आयोग को इस प्रकार का विधेयक पारित करने के लिए प्रेरित किया है। स्पष्टत: विद्वान मंत्री को स्वयं ही अपने आप इन कारणों की जानकारी नहीं है।

इस स्थिति में जिस बात का मैं विरोध कर रहा हूं वह है न्यायाधीशों की परिभाषा में विस्तार करना। विशेषाधिकार का अब इस विधेयक के अन्तर्गत दावा करने वाले केवल वे ही लोग नहीं होंगे जिन्हें पारम्परिक तौर पर हम न्यायाधीश मानते हैं, अर्थात वे लोग जो दीवानी और फौजदारी न्यायालयों में बैठे हैं, किन्तु अब कोई भी व्यक्ति जो कानूनी कार्यवाई करता है चाहे वह सही मायनों में न्यायाधीश न भी हो फिर भी उसे यह सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी जो बहुत ही बुरी बात है। इस प्रकार की उन्मुक्ति नहीं दी जानी चाहिये और विशेषकर उस समय जबकि

वह न केवल न्यायिक हैसियत से कार्य कर रहा हो अपितु अपनी पदीय हैसियत से भी कार्य करता रहा हो और साथ ही न केवल उसके द्वारा दिये जाने वाले निर्णय पर अपितु कार्यवाहियों के दौरान जो कुछ वह कार्य करता है या जो शब्द बोलता है उस पर उसे उन्मुक्ति नहीं दी जानी चाहिये। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है और वह व्यक्ति उसी दौरान कोई गलत व्यवहार कर देता है और कर्मचारी गण उसे पकड़ कर बाहर निकाल देते हैं। इस बात के लिये इस विधेयक के कारण जिसे हम पारित करने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया जा सकेगा। आप निर्णय की तो उन्मुक्त कर सकते हैं किंतु उसके कार्य तथा की गई कार्यवाही के दौरान किए गए कार्यों को कैसे उन्मुक्त कर सकते हैं।

महोदय, मैंने एक बार ऐसा मुकदमा लिया था जिसमें एक मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को लात मारी थी जो उसका रास्ता रोक रहा था। उसके लिये उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई करने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी था बशर्ते कि उसने सरकारी ड्यूटी के दौरान ऐसा किया है। मैंने यह प्रश्न उठाया था कि जब वह सीढ़ियों से उत्तर रहा था तो वह कोई सरकारी कार्य नहीं कर रहा था। किंतु न्यायालय, सम्बद्ध जिला न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब, जब मजिस्ट्रेट कार में जाने के लिए अपने कक्ष से नीचे आ रहे हों तो भी वह अपनी सरकारी हैसियत में कार्य करते हुये माने जायेंगे अत: वह किसी को भी लात मार सकते हैं और उसने एक व्यक्ति के साथ ऐसा किया भी है और उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया गया। इस प्रकार की उन्मुक्ति आप इन लोगों को दे रहे हैं। सरकारी कार्य के दौरान वह कुछ भी और सभी कुछ कर सकते हैं। अत: यहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ भी और सब कुछ करने की अनुमति दी जा रही है और फिर भी उसे उन्मुक्ति प्राप्त है। अत: महोदय, इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा और इससे न्यायपालिका संविधान का एक शक्तिशाली स्तम्भ नहीं बन पाएगी। धन्यवाद।

प्रो० के० बी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक का प्रयोजन उन कार्यकारी अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करना है जिन्हें कभी-कभी न्यायिक अधिकारियों के रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन करना होता है। महोदय, आपको पता है कि जिला कलैक्टर आर० डी० ओ० तथा तहसीलदारों को कभी-कभी अपनी ड्यूटी न्यायिक अधिकारियों के रूप में करनी होती है। ये अधिकारी जब न्यायिक अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं तो उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का एक मात्र उद्देश्य इन कार्यकारी अधिकारियों के न्यायिक कार्य को अपेक्षित संरक्षण प्रदान करना है।

महोदय, अक्सर हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात करते रहते हैं। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमने अनेक अग्नि-परीक्षाओं का सामना किया है तथा इन अग्नि-परीक्षाओं का सामना हम एक स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण ही कर पाए हैं। कभी-कभी हमने स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछा है कि क्या वचनबद्ध न्यायपालिका बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महोदय, यदि हम अपने देश की राजनीतिक तस्वीर पर गौर करें तो हम पायेंगे कि न्यायाधीशों ने आगे चलकर राजनीतिक जीवन अपना लिया है और राजनीतिज्ञ न्यायाधीश

बन गए हैं। अतः, जब आप इस बारे में गौर करेंगे, तो यह बिलकुल स्वाभाविक लगेगा कि हम वचनबद्ध न्यायपालिका के बारे में सोचते हैं। इस देश में हर कोई इस बात से सहमत होगा कि यहां वचनबद्ध न्यायपालिका नहीं हो सकती। न्यायपालिका को स्वतंत्र होना पड़ेगा। इसीलिए जब न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाती हैं तो मुख्य न्यायाधीश और सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री के बीच परामर्श होता है और मुख्यमंत्री तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बीच सहमति हो जाने पर ही निर्णय लिया जाता है। लेकिन कुछ राज्यों में ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं जब अलग-अलग सूचियां भेजी गई थीं। अतः इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमें न्यायपालिका को देखना है। इस सम्बन्ध में, मैं मोहन कुमार मंगलम के वक्तव्य को उद्धृत करना चाहता हूं जिन्होंने कहा था :

> "यह पूरी तरह तत्कालीन सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वह ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करे जो उसकी नजर में देश में उच्चतम न्यायिक पद प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयुक्त श्रेष्ठ जीवन दर्शन वाले व्यक्ति के रूप में अत्यधिक उपयुक्त हों।"

प्रत्येक सरकार को राजनीतिक उदारता प्राप्त है। जब सरकार न्यायपालिका के बारे में कोई निर्णय लेती है, तो उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उसका रवैया संदेह से परे होना चाहिए। जैसी कि कहावत है कि "सीजर्स वाइफ शुड बी एबव सस्पीशन"। हमें इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हर कीमत पर बनी रहे, क्योंकि न्यायपालिका के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह हमारे लोकतंत्र के मार्ग में बाधक होगा। (इति)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में न्यायाधीशों तथा न्यायिक पदों पर कार्य करने वाले कुछ अन्य व्यक्तियों को और अधिक निरापदता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में, क्या मैं न्यायमूर्ति, वी० आर० कृष्ण अय्यर सहित उच्चतम न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा की गई आलोचना को सभा की जानकारी में ला सकता हूं ? हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे देश में न्याय प्रणाली का स्तर गिरता जा रहा है। अन्वेषी लेखक, श्री अरुण शौरी ने अपनी पुस्तक 'सेकण्ड रेन आफ मिसेज गांधी', में भी न्यायपालिका के पतन के बारे में पूरा अध्याय दिया है। मैं इसे सरकार के ध्यान में ला रहा हूं कि एक ओर जहां सरकार न्यायाधीशों को अधिक निरापदता और अधिक विशेषाधिकार देने पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर उसे चाहिए कि वह न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की ओर भी समुचित ध्यान दे। मैं न्यायाधीशों को संरक्षण दिए जाने, उन्हें निरापदता दिए जाने के खिलाफ नहीं हूं किन्तु उसके साथ ही न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की अवधारणा का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, और उन्हें स्वयं इस योग्य होना चाहिए कि वे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और गरिमा को बनाए रख सकें।

हाल ही में, मैंने कुछ मामले देखे हैं जिनसे पता चलता है कि न्यायपालिका कैसा कार्य कर रही है। सभा के विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए यहां पर मैं न्यायपालिका की ज्यादा आलोचना करना नहीं चाहता किन्तु इसके साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों में वकालत के मामले में वकीलों और न्यायाधीशों के

बीच कोई आचरण संहिता नहीं है, कोई निश्चित प्रणाली नहीं है। व्यावहारिक तौर पर हम देखते हैं कि कुछ न्यायाधीशों के स्वयं अपने ही सम्बन्धी, भाई तथा अन्य व्यक्ति होते हैं जो उसी न्यायालय में वकालत कर रहे होते हैं और जब इस प्रकार की कोई बात होती है तो यह स्वाभाविक है कि जो लोग न्यायालय में जाएंगे उनके मन में आशंकाएं होंगी। इस प्रकार की स्थिति से मुवक्किलों के मन में निश्चित रूप से आशंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी संभावना रहती है कि कुछ मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। श्री अरुण शोरी ने अपनी पुस्तक 'सेकन्ड रेन आफ मिसेज गांधी', में सम्बन्धित अध्याय में स्पष्ट उदाहरण दिए हैं।

हमने देखा है कि पिछले दो तीन महीनों में केरल उच्च न्यायालय ने उन कुछ साप्ताहिक पत्रिकाओं को दण्डित किया है जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कुछ लिखा था। उनके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना के उपबन्धों के अन्तर्गत मुकदमा चलाके उन्हें दंड दिया गया। यहां तक कि न्यायालय में वकालत करने वाले वकील को भी कल दण्ड दिया गया; मैंने यह बात समाचारपत्र में पढ़ी। उसने एक साप्ताहिक पत्रिका में कोई आलोचनात्मक लेख लिखा था। न्यायालय अपने प्राधिकार का प्रयोग करने, न्यायालय की अवमानना के लिए मुकदमा चलाने और न्यायाधीशों की आलोचना करने वालों को दण्ड देने में अत्यधिक सतर्क है।

इस बात को देखते हुए सरकार को सोचना पड़ेगा कि न्यायाधीशों को कितनी निरापदता प्रदान की जाए और न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को किस प्रकार बनाए रखा जाए।

मेरा सुझाव है कि हमें वकीलों और न्यायाधीशों के लिये एक आचार संहिता बनानी चाहिए।

अब, न्यायाधीशों की नियुक्ति का मानदण्ड क्या है ? एक वकील को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाता है; वकील की बार में कुछ प्रतिष्ठा और अनुभव होना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक वकील, जिसकी अपनी वकालत के जरिए अच्छी आय होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद मात्र धन के लिए स्वीकार नहीं करता। वह इसे इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वह अपनी वकालत के माध्यम से पहले ही पर्याप्त धन कमा चुका होता है और वह इसे सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए स्वीकार करता है क्योंकि यह एक बहुत ही उच्च स्थिति समझी जाती है। इससे उसे अपने बच्चों आदि के विवाह में सहायता मिलेगी। इसीलिए वह यह पद स्वीकार करता है। अन्यथा, धनोपार्जन के दृष्टिकोण से, वह इसके लिए तैयार नहीं हो सकता। वह इसे राजनीतिक और अन्य विचारधाराओं के कारण स्वीकार करता है। हो सकता है उसका न्यायाधीश होना बार और बेंच को स्वीकार्य न हो। इसलिए, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि भारत में न्यायिक सेवाओं के लिये चयन उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जिस प्रकार कि हम भारतीय प्रशासन सेवाओं और अन्य सेवाओं के लिये करते हैं। अतः न्यायालयों के लिए न्यायिक सेवाओं में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, उनकी योग्यता, उनके गुणों तथा न्यायपालिका के प्रति उनके योगदान को ध्यान में रखकर करना अधिक उपयुक्त होगा बनिस्पत कि उनकी नियुक्ति किसी विशिष्ट प्राधिकरण की संतुष्टि के आधार पर की जाए और ये पद किन्हीं विशिष्ट वर्गों को दिए जायें।

अतः, कुल मिलाकर इस विधेयक के बारे में मुझे जो कुछ कहना है वह यह है कि हमारी सम्पूर्ण न्याय प्रणाली पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नजर रखने की आवश्यकता है और इसको ध्यान में रखकर ही निरापदता देनी चाहिए। इस विधेयक में कहा गया है कि यह विधेयक स्वतंत्रता और निरापदता देने के लिए है और साथ ही प्रजातांत्रिक सिद्धांतों आदि के आधार पर एक पद्धति का निर्माण करने के लिए लाया गया है। खण्ड 2 में कहा गया है कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को न्यायपालिका के विरुद्ध कार्यवाई करने का अधिकार है। इस खण्ड के होते हुए आप किस प्रकार की निरापदता देना चाहते हैं ? कुछ नहीं। फिर आप क्या कर रहे हैं ? आप तहसीलदारों, कार्यकारी अधिकारियों तथा कलक्टरों को, लाना चाहते हैं जो निरापदता प्राप्त के इशारे पर कार्य करते हैं। अतः मेरा यही तर्क है कि यह सही नहीं है। इस विधेयक का विरोध किया ही जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। मैंने एक बात सुनी थी और अखबार में पढ़ी थी कि एक जज ने चैम्बर में एक गलत काम किया।

[अनुवाद]

अपने कर्त्तव्य का पालन करते समय उसने बलात्कार किया। उसने अपने वकील को यह कहकर बुलवा भेजा कि वह किसी बारे में कुछ निश्चय करना चाहते हैं और इसके बाद उसने यह अपराध किया। अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। जब वह प्रातःकाल घूमने जाता है उसके लिये एक पुलिस अधिकारी की व्यवस्था नहीं की जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस कानून की क्या आवश्यकता है। जब एक व्यक्ति अपना कर्त्तव्य पालन करते हुए दुर्व्यवहार करता है तो भारतीय दण्ड-संहिता के अन्तर्गत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उसे संरक्षण प्रदान करने का कारण मुझे समझ में नहीं आता।

गांवों में मुंसिफ की अदालतों में, कई बार ग्रामीणों को यह समझ में नहीं आ पाता कि वे अपना वक्तव्य किस तरह दें और वे कुछ ऐसी भाषा में बोलते हैं जो जज की समझ में नहीं आती और तब जज कहता है :

[हिन्दी]

गधा ! गधा बोल रहा है।

[अनुवाद]

वह लोगों को गालियां देता है। और, ऐसे भी जज हैं जो शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं। हम क्या करें ? यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण क्रोधित हो जाए, तो क्या किया जाये ? वकील नियमों का हवाला देता रहता है और जज से उसे सुनने का अनुरोध करता रहता है और जज कहता है : "नहीं, नहीं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं निर्णय ले चुका हूं।" वकील चाहता है कि उसकी दलील सुनी जाए। लेकिन जज नहीं सुनता। मैं यह नहीं समझ सका हूं कि जजों को यह संरक्षण क्यों दिया गया है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लिखित प्रशंसनीय लक्ष्यों के संबंध में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। जजों को उनके अपने कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक निरापदता और संरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। यह प्रश्न पूरी तरह इस कारण से उठता है क्योंकि 'जज' शब्द की परिभाषा जैसा कि पहले बताया जा चुका है, विस्तृत कर दी गई है। यह ऐसे सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने के लिए विस्तृत की गई है जिन्हें न्यायिक आधार पर कार्य करना पड़ सकता है और कुछ निश्चित निर्णय देना पड़ सकता है। मेरा अभिप्राय यह है कि जब किसी विशिष्ट सरकारी कर्मचारी द्वारा न्यायिक आधार पर कार्य करना अपेक्षित होता है, तो उसे कोई निश्चित निर्णय देना होता है। इसलिए उसे जज कहा जाता है।

इस प्रकार, उसे दिए गये नाम और जज कहने के अनुरूप, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह न्यायिक दायित्व का निर्वाह कर रहा है उसे सरकार की किसी विभागीय कार्यवाही के दायरे में लाना गलत होगा। वह न्यायिक दायित्व का निर्वाह कर रहा है और जब तक वह ऐसा कर रहा है, उसने इस काल के दौरान जो कुछ भी कहा या किया, उसे विभागीय जांच के दायरे में लाना संविधान की भावना के विरुद्ध है। अतः अन्य जजों की ही भांति वह सिविल और दाण्डिक कार्यवाही कर सकता है अथवा सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध सिविल या दाण्डिक कार्यवाही कर सकता है। ऐसी स्थिति में, एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसे समय पर विभागीय जांच की व्यवस्था रखना जबकि वह निर्णायक फैसले के उद्देश्य से न्यायिक दायित्व का निर्वाह कर रहा है, संविधान के अन्तर्गत आने वाली हमारी न्यायिक प्रणाली के मूल सिद्धांत को ही कमजोर बना देता है।

इसीलिए मैं इस सदन के सामने यह संशोधन लाया हूं ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय जांच की इस शक्ति को समाप्त किया जा सके।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि फिलहाल ऐसे पर्याप्त कानून विद्यमान हैं जो जजों को समुचित संरक्षण और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे कि इस संबंध में हमारे यहां दाण्डिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 है। हमारे यहां इस विषय से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 77 भी है। हमारे यहां न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम भी है। इस प्रकार, यहां उल्लिखित सभी उपबन्धों के अनुपालन में ऐसे कम से कम तीन अधिनियम हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि न्यायिक दायित्व का निर्वाह करने वाले व्यक्ति का सदाशय से कार्य करना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने कर्त्तव्य का सदाशय से पालन करना परम आवश्यक है। अन्यथा निरापदता अनियमितता का रूप ले लेती है। लेकिन यहां जो विधेयक है उसमें सदाशय की इस आवश्यकता को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है और माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को लाते समय अपने भाषण में सदन के समक्ष बिलकुल सच कहा है कि नेक नीयती की इस आवश्यकता को छोड़ दिया गया है। इसलिए, मेरी ओर से एक और संशोधन यह है कि उनके द्वारा किए गए कार्य सदाशयपूर्ण होने चाहिएं।

श्रीमान, उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिए कि इससे अभियोग के मामले बढ़ जायेंगे और हमारे जजों और न्यायिक दायित्व का निर्वाह करने वाले अन्य

व्यक्तियों के सदाशय के समक्ष चुनौती के रूप में उपस्थित हो जायेंगे। यहां यह अयुक्तियुक्त है क्योंकि आज कानून जजों पर अभियोग चलाने के लिए हैं, और जैसा मैंने कहा है, दण्ड-संहिता की धारा 197 के अन्तर्गत सरकार से आवश्यक स्वीकृति की जरूरत होती है। इसलिये ऐसी आशंकाएं नहीं होनी चाहिएं। सदाशयपूर्वक कार्य करने की यह शर्त परम आवश्यक है क्योंकि निरापदता और आवश्यक प्रतिबन्धों के बीच न्यायोचित सन्तुलन होना चाहिए।

अन्त में यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि स्वयं न्यायपालिका के हित में यह जरूरी है कि न्यायपालिका के रूप में कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति द्वारा बदनीयती से किए गये किसी भी कार्य से बचने के लिए सदाशय और संरक्षण की इस आवश्यकता को बनाए रखा जाए क्योंकि यदि इसे बनाये रखा जाता है तो इससे हमारी न्यायिक प्रणाली में और अधिक विश्वास उत्पन्न होगा। अतः मेरा अनुरोध है कि जजों में, और साथ ही उस प्रणाली में, जिसके अन्तर्गत वे न्याय की व्यवस्था करते हैं, विश्वास रखना आवश्यक है।

यह जरूरी है कि इन विचारों को मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से विधेयक में विधिवत् शामिल किया जाए। अन्यथा, विधेयक का विरोध करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं। एक स्टेट में कुछ जजों ने अपने लड़कों को रखा, क्योंकि वे कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। इस बारे में एक अखबार ने लिखा तो जजेज ने लायर्स से मिलकर उस अखबार के एडिटर, पब्लिशर और राइटर को तबाह-तबाह कर दिया। जब तक उस जज का वहां से ट्रांसफर नहीं हुआ, तब तक उन लोगों को राहत नहीं मिली। हुआ क्या ? हर बार उनको जो डेट दी जाती थी और जब वे लोग आते, तो किसी बहाने से उनको पोस्टपोन कर दिया जाता। मैं तो कहूंगा कि जजेज को इम्यूनिटी जरूर दीजिए, ताकि वे फीयर-लैसली काम कर सकें, लेकिन यदि जजेज के बारे में कोई अखबार लिखे, उनके कारनामों को प्रकाश में लाए तो उनको भी इम्यूनिटी मिलनी चाहिये। जिससे अखबार वाले फियर-लैसली उनके बारे में लिख सकें। आपने इसमें फीयरलैसली लिखा है कि जजेज काम कर सकें, तो फोर्थ-एस्टेट जो प्रैस है, जो जजेज के कारनामों को प्रकाश में लाएगी, उनको भी इस तरह की इम्यूनिटी मिलनी चाहिए।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं, आप जजेज को प्रोटैक्शन देते हैं, सही है, लेकिन प्रेक्टिकल बात यह है कि जजेज को फिजिकल प्रोटैक्शन भी दीजिए। बिहार में क्या होता है, बिहार में जज क्रिमिनल को एक मिनट में बेल दे देता है। मैंने पूछा कि आप ऐसे क्यों करते हैं ? उसने कहा—हम लोगों को क्या प्रोटैक्शन है, वह दूसरे दिन गोली से मार देगा। आज तो मैं नौकरी में हूं, लेकिन कल जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो क्रिमिनल्स एक मिनट में हमको समाप्त कर देंगे। इसलिए मेरी दृष्टि में कोर्ट की इम्यूनिटी के अलावा उनको फिजिकल प्रोटैक्शन भी जरूर मिलना चाहिए।

आज जजेज की बहुत दुर्दशा है। छोटी-छोटी जगहों पर जजेज पैदल चलते हैं और दूसरे लोग कारों में चलते हैं। जजेज को उनके स्टेटस के मुताबिक सैलरी मिलनी चाहिए, ताकि समाज

में उनको प्रतिष्ठा मिल सके। मेरे कहने का मतलब है कि जजेज को इम्यूनिटी तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ यदि जजेज के बारे में यदि कोई लिखना चाहे तो उनको भी इम्यूनिटी मिलनी चाहिए।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : सर्वप्रथम कुछ बहुमूल्य सुझाव देने के लिए मुझे माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिए। अन्ततः मैं यह स्वीकार करता हूं, जैसा कि मैंने अपनी आरम्भिक टिप्पणी में कहा था, कि सदाशय के मामले में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। मैं जानता हूं कि ऐसे भी मौके होते हैं जब एक जज और सरकारी वकील के बीच तनाव होता है। मैंने 20-25 साल से भी अधिक समय तक वकालत की है। मेरे सामने ऐसा एक अवसर भी आया था जब जज का मुझसे काफी मतभेद था। उन्होंने मुझसे यहां तक कह दिया कि मेरा तर्क अनाप-शनाप है। लेकिन आप इस बात को महसूस करेंगे कि जब हम एक उत्कृष्ट व्यवसाय को अपनाते हैं; एक ऐसा व्यवसाय जहां औदार्यता बनी रहनी चाहिए—हम साथ-साथ यह भी······ कि कई बार एक न्यायिक अधिकारी कुछ विशेष परि-स्थितियों में, पूर्ण संयम बरतते हुए, संपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद भी ऐसा कुछ कह सकता है जो उसे नहीं कहना चाहिए। इस बात की मुझे खुशी है कि जज को संरक्षण देने के बारे में प्रत्येक सदस्य के मन में चिन्ता है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब एक जज पीठासीन है और सरकारी वकील उसके समक्ष कुछ तर्क प्रस्तुत कर रहा है, अथवा मुकदमा लड़ने वाला उसके समक्ष कुछ दलील दे रहा है, तो आमतौर से यह कहना बहुत ही कठिन होता है कि दोनों के बीच पूर्ण मतैक्य है। गर्मागर्मी के क्षण आते हैं; ऐसे भी क्षण आते हैं जब आमतौर पर की गई बातचीत की उपेक्षा कर दी जाती है। जब हम वकील लोग एक दूसरे के विरुद्ध बहस कर रहे होते हैं, उस समय आप देखें तो पाएंगे कि जैसे हम एक-दूसरे के पक्के शत्रु हैं। लेकिन जैसे ही हम कोर्ट के कमरे से बाहर आते हैं और एक साथ बैठकर कॉफी पीते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि उस गर्मागर्मी को हम कोर्ट के कमरे में ही छोड़ आते हैं क्योंकि ऐसा न होने से पूरी व्यवस्था का बने रहना की कठिन हो जाएगा। यदि हम यह पाते हैं कि किसी जज ने कोई टिप्पणी की और उसकी धारणा मेरे विरुद्ध बन रही है तो वकील का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह उसका भ्रम दूर करे और उस टिप्पणी को ठीक रूप से प्रस्तुत करे। यदि आप पाते हैं कि वह कानून के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे मौके पर हमारी सहायता की आव-श्यकता पड़ती है।

इस देश में कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता समाज के लिये बहुत उपयोगी है। कुछ मामलों में जहां समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना था वहां मैंने समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का पक्ष लिया। हमें हमेशा ही सफलता मिली। आपको स्मरण होगा कि अभी तक कोई भी जज समाचार पत्रों के किसी भी प्रतिनिधि को किसी गलत आरोप के लिए दण्ड नहीं दे सका है; यह प्रणाली की विजय है; यह इस प्रणाली में भाग लेने वाले हम लोगों की विजय है। लेकिन क्या आप इस पहलू से इन्कार करते हैं? एक प्रमुख सम्पादक पर उच्चतम न्यायालय में अवमान का मुकदमा चलाया गया क्योंकि उसने ऐसी कुछ बातें

लिखी थीं जैसे न्यायाधीशों के सम्बन्धी न्यायालय में विधि व्यवस्था कर रहे हैं और इस पर न्यायाधीशों ने स्वयं यह कहा था कि हम इसे सम्बद्ध व्यक्ति की निष्ठा के आधार पर ही नजरअन्दाज कर देंगे, यह कोई विचार योग्य मामला नहीं है। इसमें दुर्भावना की कोई बात नहीं है। इसलिए अवमान की कोई बात नहीं है। बहुत से महत्वपूर्ण मुकदमों में ऐसी बातें भी हुईं, जिनमें अधिवक्ताओं ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया और न्यायाधीश को बताया कि उसने अमुक व्यक्ति के घर रात का खाना खाया था इसलिए उसे इस वाद पर विचारण नहीं करनी चाहिए। अवमानना के सामान्य कानूनों के अन्तर्गत यह सीधे ही अवमानना का मामला बनता और कोई भी अधिवक्ता को बचा नहीं सकता था। किंतु न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम सभी एक ही प्रणाली के अंश हैं, हम इस पर विचार नहीं करेंगे। अतः आप यहां इस विचार से सहमत होंगे कि यदि जिरह के दौरान विद्वेष रहित कुछ बात कह दी जाए और यदि न्यायाधीश और अधिवक्ता तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्ति उन बातों पर चर्चा कर लें तो ऐसे मामलों की न्यायालय के बाहर चर्चा नहीं की जानी चाहिए ।

इस सदन में कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनका दूसरी ओर से खण्डन किया गया। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हमें एक दूसरे के विरुद्ध मामले दर्ज कराने चाहिए। यहां निरापदता दी जाती है। विधि आयोग ने 104 वीं रिपोर्ट में इस पर विचार किया था। मुझे खेद है कि विधान के उद्देश्यों और कारणों के कथन में या कहीं और इस पहलू को विस्तार से नहीं दिया गया है। इस पहलू पर प्रकाश डाला जा सकता था। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अभी विधि आयोग की सिफारिश पढ़ देता हूं। बिल्कुल ठीक वही प्रावधान शामिल किया गया है। विधि आयोग ने पैरा 10.3 में इसके बारे में कुछ कहा है। न्यायाधीशों के बचाव के लिए अधिनियम में प्रावधानों की नियमानुसार पुनरीक्षा की जाए। और तब उन्होंने इसका उल्लेख किया था। इसी प्रकार वे चाहते थे कि न्यायाधीश की परिभाषा विस्तार से की जाए और विधि आयोग ने अपनी 104वीं रिपोर्ट के पैरा 5.2 में यह कहा :

> "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 119 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता में न्यायमूर्ति की परिभाषा उपयुक्त रूप से दी जाए।"

'न्यायाधीश' शब्द को निम्नलिखित अर्थ दिया गया है और बाद में पूरी परिभाषा की पुनरावृत्ति है और इसके बाद उन्होंने कहा, हमने सिफारिश की थी कि यह ही परिभाषा न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम में शामिल की जाए। इसलिए कुछ तो अवश्य है। क्या परिभाषा दी गयी है? आपके लाभ के लिए मैं इसे संक्षेप में ही पढ़ूंगा। यह इस प्रकार है :

"इस अधिनियम में न्यायाधीश से तात्पर्य केवल इसी व्यक्ति से नहीं जो सरकारी तौर पर न्यायाधीश के रूप में पदस्थ है···।

सामान्यतः लोग यह सोचते हैं कि न्यायाधीश जो उप-न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है वह न्यायाधीश नहीं है।

मैं विधेयक का खण्ड 2 पढ़ रहा हूं :

2. इस अधिनियम में "न्यायाधीश" से न केवल प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित है किन्तु ऐसा व्यक्ति भी है :

(क) जो किसी विधिक कार्यवाही में, अन्तिम निर्णय या ऐसा निर्णय, जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अन्तिम हो जाए या ऐसा निर्णय, जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किये जाने पर अन्तिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है; अथवा

इस परिभाषा में क्या दोष है ? जब आप समाज के लोगों के अधिकारों के बारे में निर्णय करें तो आप उस व्यक्ति को अधिकार दें जिसने इस पर निर्णय सुनाना होता है, और वह व्यक्ति जो निर्णय सुनाता है न्यायाधीश होने के योग्य है। सामान्य विधिशास्त्र यही है कि जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट स्थान पर नियुक्त किया जाता है तो वह उस पर विचार करता है। और यदि हम सामान्य नियमावली को देखें तो भी हमें उसे कुछ सुरक्षा प्रदान करनी होती है।

उक्त खण्ड (2) के भाग (ख) में यह उल्लिखित है :

2 (ख) जो उस व्यक्ति निकाय में से एक है, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए जैसा खण्ड (क) में निर्दिष्ट है, विधि द्वारा सशक्त किया गया है।"

मैं नहीं समझता कि यह उससे भी अधिक नियमों का उल्लंघन है जितना कि एक व्यक्ति को अपदस्थ करना जिसे कि आप न्यायाधीश के रूप में मानते हैं। एक मध्यस्थ अथवा मजिस्ट्रेट न्यायाधीश न होते हुए भी न्यायाधीश के रूप में काम करता है। किन्तु हम उसे सीमित संरक्षण देते हैं। उन कार्यवाहियों के लिए उसके पास सिविल न्यायालय होता है और मामलों का निर्णय करने के लिए जिन्हें आप न्यायाधीश बनाते हैं उसे भी समान संरक्षण मिलना चाहिए। यदि आप उसे समान संरक्षण प्रदान नहीं करते तो यह न्यायपूर्ण नहीं होगा।

सरकारी और कानूनी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी कुछ भिन्नता थी। बैरिस्टर दत्ता इसे जानते हैं।

श्री अमल दत्त : प्रश्न यह है कि न्यायालय में न्यायिक कर्तव्य होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये कर्तव्य सरकारी कर्तव्य जैसे ही होते हैं ?

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं। आप केवल न्यायिक कर्तव्य को ही संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप एक प्रशासनिक न्यायाधीश हैं और आप उन सभी न्यायधीशों पर रिपोर्ट लिखते हैं। यदि वहां कोई भ्रष्ट न्यायाधीश है तो आप उसे भ्रष्ट न्यायाधीश ही लिखेंगे। इसके बाद वह आपके विरुद्ध मुकदमा दायर करेगा और कहेगा कि चूंकि "आपने मुझे भ्रष्ट ठहराया है, इसलिए आपको भी न्यायालय में जाना पड़ेगा" फिर आप प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में अपना कर्तव्य किस तरह पूरा करेंगे ? प्रत्येक न्यायाधीश को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कर्त्तव्य करने पड़ते हैं। प्रशासनिक कर्त्तव्य करते समय भी आपको संरक्षण मिलनी चाहिए। यही प्रश्न है जो सभी मामलों में अन्तर्निहित है और जब वह प्रशासनिक कार्यवाही करता है तो उस समय वह न्यायिक कार्यवाही नहीं करता। किन्तु उसे संरक्षण मिलना चाहिए।

श्री अमल दत्त : सरकारी सचिव को संरक्षण किस प्रकार प्रदान किया जाता है ? प्रशासन में भी अधिकारी अपने अधीनस्थों के बारे में रिपोर्ट लिखते हैं। किंतु वे अधीनस्थ

कर्मचारी न्यायालय में जाकर उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते ।

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम न्यायिकता में यह संरक्षण देते हैं। जब वे कार्य करते हैं तो उन्हें अपना कर्त्तव्य निर्भयता से करना चाहिए मैं केवल 'न्यायिक' और सरकारी शब्दों को ही परिभाषित कर रहा हूं। आपने कहा है कि प्रशासनिक न्यायाधीश का एक पदीय कर्त्तव्य होता है। यह कर्त्तव्य न्यायिक न्यायायाधीश के कर्त्तव्य से कहीं अधिक कठिन होता है क्योंकि वह निर्णय करता है और अन्य बन्धु न्यायाधीशों पर रिपोर्ट लिखता है। न्यायधीशों को बहुत ही महत्वपूर्ण तथा अन्य मामलों पर निर्णय लेना होता है। वह बाहर वालों के बारे में लिखता है। न्यायालय की अवमानना के मामले में, यह निर्णय किया गया है कि अवमानना न्यायिक और प्रशासनिक दोनों ही कृत्यों के सम्बन्ध में हो सकती है। उड़ीसा के मामले से यह निर्णय हुआ है कि यदि आप उच्च न्यायालय की प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो यह न्यायालय की अवमानना होगी। इसमें कोई भी असंगति नहीं है। किन्तु यह बहुत छोटी सी बात है।

जीवन के तनावों को देखते हुए, चूंकि न्यायाधीशों, जजों को जिन्हें हम बहुत सम्मानपूर्वक दर्जा देते हैं इसलिये उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। समाज ने इन तनावों को झेला है। मैंने निवेदन किया है कि प्रेस और अन्य स्थानों पर एक आशंका व्यक्त की गई है। अभी तक किसी भी पत्रकार को किसी न्यायाधीश ने न्यायालय की शान के खिलाफ लिखने पर भी दोषी नहीं ठहराया है। प्रसिद्ध मामले सभी को मालूम हैं। मैं माननीय सदस्यों से केवल इसकी सराहना करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यायाधीशों और न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोलानाथ सेन ने खण्ड 3 पर संशोधन दिए हैं। श्री बनातवाला, क्या आप संशोधन पुरःस्थापित कर रहे हैं ?

खण्ड-3 न्यायाधीशों को अतिरिक्त संरक्षण

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2—

पंक्ति 10 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए**—

"(1क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी न्यायाधीश के द्वारा अपने शासकीय या न्यायिक कर्त्तव्य या कृत्यों के निर्वहन के दौरान किये गये, किये जा रहे या किये जाने हेतु तात्पर्यित कार्य, या उसके अनुक्रम में किए गए, की गई या कहे गए किसी कार्य, बात या शब्द के लिए उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करेगा ।

(1ख) उपधारा (1क) के उपबंधों का भंग किये जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए ।"

पृष्ठ 2,— (1)

पंक्ति 16 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाए**—

"परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय या किसी सरकारी उपक्रम का कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी न्यायाधीश या न्यायिक रूप से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने शासकीय या न्यायिक कर्त्तव्य या कृत्यों के निर्वहन के दौरान किये गये, किये जा रहे या किये जाने हेतु तात्पर्यित कार्य, या उसके अनुक्रम में किए गए, की गई या कहे गए किसी कार्य, बात या शब्द के लिए उसकी आलोचना करता है, तो उस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन विहित की जाए ।" (2)

श्री जी० एम० बनातवाला (**पोन्नानी**) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 8,—

"कार्य **से पूर्व**" "सद्भावपूर्वक" **अन्तःस्थापित किया जाए ।** (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 9,—

"के लिए" **के पश्चात्**

"**केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, की पूर्व मंजूरी**

के बिना" अन्तःस्थापित किया जाये । (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 14-15—

"चाहे सिविल, दाण्डिक या विभागीय कार्यवाही के रूप में हो या अन्यथा" **के स्थान पर** "सिविल या दाण्डिक," **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (5)

2.00 म० प०

श्री भोलानाथ सेन (**कलकत्ता दक्षिण**) : सभा के विचाराधीन यह विधेयक दीवानी अथवा फौजदारी की कार्यवाहियों से संबंधित है । मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा जिला न्यायाधीश के खिलाफ उन के अपने कार्य-निष्पादन में दिये गये किसी निर्णय के लिए उनके विरुद्ध कोई दीवानी या फौजदारी की कारंवाई की गई हो । लेकिन इसका उद्देश्य क्या है ? उद्देश्यों और कारणों के कथन से मुझे पता

चला है कि इसका उद्देश्य न्यायपालिका को मुख्य स्तंभ के रूप में बनाए रखना और इसे कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखना है। वर्तमान स्थिति यह है कि संविधान तथा अन्य विभिन्न कानूनों के अंतर्गत न्यायपालिका को संरक्षण प्रदान किया गया है। आयकर अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी आदि जैसे कार्यकारी अधिकारियों को, जो कर निर्धारण के मामले में अथवा आदेश पारित करने के मामले में न्यायिक कार्य कर रहे हैं, संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। वे व्यक्ति जो न्यायिक कार्य करते हैं, यद्यपि उन्हें न्यायाधीशों की भांति शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, इस विधेयक द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ऐसा करने से इस देश के किसी नागरिक से रिश्वत आदि लेने अथवा किसी के साथ पक्षपात करने आदि के मामलों में उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। न्यायपालिका को किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। न्यायपालिका से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि उसे उसके न्यायिक कार्यों के लिए परेशान किया जा रहा है। केवल अधिकारी ही संरक्षण की मांग कर रहे हैं क्योंकि वह प्रतिदिन अनेक महत्वपूर्ण दावों को निपटाते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह घोषणा की गई है कि प्रत्येक कर निर्धारण प्राधिकरण अर्ध-न्यायिक कार्य करता है। और हमेशा अपील की जाती है। यदि स्थिति ऐसी है तो उन्हें संरक्षण क्यों प्रदान किया जाना चाहिए? यदि वह चाहें तो क्या पैसा बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त कार्य नहीं है? यदि कोई बेईमान अधिकारी है तो वह ऐसा करता है। आप उसे एक अन्य संरक्षण प्रदान कर रहे हैं कि उस पर दीवानी अथवा फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह बहुत अजीब बात है कि यदि कोई अपराध किया जाता है तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया जाता है, वह कुछ कह भी नहीं सकता। यह अनुमान है कि अधिकारी अपराध करेगा क्योंकि दीवानी, फौजदारी, विभागीय अथवा अन्यथा न्यायालयों द्वारा उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन कोई नागरिक यह नहीं कह सकता कि उसे ब्लैकमेल किया गया है कि उसका कर निर्धारण गलत किया गया है या कि अधिकारी उससे रिश्वत आदि लेना चाहता था। जो व्यक्ति समस्याएं पैदा कर रहे हैं अथवा जिनके खिलाफ शिकायतें हैं उनके खिलाफ अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है और लोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को अब सुरक्षा दी जा रही है। खंड 2 और 3 में सांविधिक न्याय निर्गम की व्यवस्था होगी। यदि वे रिश्वत लेते हैं तो मैं संभवतः कुछ नहीं कर सकता। केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही उनके खिलाफ दीवानी अथवा फौजादारी अथवा विभागीय कार्रवाइयां कर सकते हैं। उन्हें सुरक्षा क्यों दी जानी चाहिए जब विधि के अन्तर्गत मुझे उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है? विधि के अन्तर्गत नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित क्यों किया जाना चाहिए। छोटे अधिकारियों के हाथों में अत्यधिक शक्ति केन्द्रित होने के कारण वह बेईमानी के कार्य कर रहे हैं। शक्ति या केन्द्रीयकरण वहां नहीं होना चाहिए। इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए। साधारण आदमी की तरह कानून के सभी उपबन्ध इन पर भी लागू होने चाहियें, इसलिए मेरा विचार है कि न्यायपालिका के बारे में कोई समस्या नहीं है।

मैंने समाचार पत्रों में और दूरदर्शन पर देखा है कि अधिकारी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों अथवा न्याय प्रणाली के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं। ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि जैसे यह बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कलकत्ता में इन अधिकारियों के खिलाफ सौ से अधिक न्यायालय की अवमानना के मामले थे जो यह कह

रहे थे कि न्यायपालिका राजस्व की वसूली में समस्या पैदा कर रही है। उसे समाचार पत्रों में एकाकी मुजाहिद बताया गया है। एक अधिकारी और एकाकी मुजाहिर। उपाध्यक्ष महोदय, उनका कहना है कि न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। कार्यपालिका का एक अधिकारी है और वह कहता है कि वह एकाकी मुजाहिर है, अन्य समस्त न्यायपालिका गलत है। न्यायपालिका अपनी कार्यवाही से राजस्व वसूली करने में राज्यों को रोक रही है। यह क्या है ? न्यायपालिका के लिए कोई संरक्षण नहीं है। न्यायपालिका की कोई परवाह नहीं की जा रही है। यही कारण है कि मैंने कहा है कि यदि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी न्यायाधीश द्वारा दिए किसी निर्णय, कही गई बात या शब्द के लिए न्यायाधीश के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करेगा। समाचार पत्रों में दी जा रही प्रतिकूल आलोचना के प्रचार की तुलना में दीवाने के मामले कुछ नहीं हैं। दीवानी न्यायालय में पृथक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है लेकिन अधिकारी द्वारा, जो मंत्रालय के अधीन अधिकारी है, समाचार पत्रों के जरिए प्रचार किया जा रहा है। वह उच्च न्यायालय के खिलाफ वक्तव्य देता है। विधि का शासन कहां कायम रखा जा रहा है ? हम इस देश में कानून के शासन और संविधान द्वारा शासित किए जा रहे हैं। मैं न्यायपालिका के बारे में समझ सकता हूं, लेकिन इन अधिकारियों को सभी लाभ क्यों दिए जाने चाहिएं ? उद्देश्यों और कारणों के विवरण में मैंने पाया है कि उसमें शब्द 'न्यायालय' दिखाई पड़ता है लेकिन विधेयक में 'न्यायालय' शब्द दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत, इसमें जो उल्लेख है, वह कार्यकारी अधिकारी के संबंध में है जिसे निर्णय लेना है। वह न्यायाधीश भी बन सकता है लेकिन वह न्यायालय नहीं संभाल सकता। वर्णन यह शक पैदा करता है कि यह इन लोगों का कार्य है, यह एक अधिकारी सुरक्षा अधिनियम है जहां न्यायाधीश के पद की हैसियत से उसका दीवानी और फौजदारी की कार्रवाईयों को करने का प्रश्न ही कहां उठता है ? क्या ऐसा कभी हुआ है ? यदि हुआ है तो वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध था जब उन्होंने पंजीयक के विरुद्ध आदेश पारित किया था। जो उच्चतम न्यायालय के सम्मुख लाया गया और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपनी ड्यूटी यह कह कर विभाजित की कि न्यायाधीश न्यायिक कार्य कर रहा है और पंजीयक की नियुक्ति के मामले में यह सरकारी कार्य कर रहा है। लेकिन यह पुनः अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत आता था। इसमें फौजदारी का प्रश्न कहां उठता है ? क्या कभी किसी ने शिकायत की है ? कृपया मंत्री महोदय बताएं कि क्या कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें न्यायिक अधिकारी के निर्णय पर दीवानी अथवा फौजदारी का मुकदमा चलाया गया हो। इस विधेयक पर वास्तव में गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है। यह कार्यकारी अधिकारी के कार्यों पर पर्दा डालेगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन सं. 3, 4 और 5 दिये हैं। मैं इस बारे में पहले भी पर्याप्त रूप से कह चुका हूं, मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभा से अपने संशोधन स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : मेरे माननीय मित्र श्री भोलानाथ सेन ने कहा है कि आयकर अधिकारियों तथा अन्य लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। न्यायाधीश की परिभाषा वही है जो भारतीय दंड संहिता में दी गई है। और यह न्यायिक संरक्षण की दृष्टि से

समय की परीक्षा कसोटी पर खरी उतरी है। भारतीय दंड संहिता में न्यायाधीश की जो परिभाषा दी गई है, विधि आयोग ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीशों के संरक्षण के लिए इसे उधृत किया है। धारा 19 में इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

"न्यायाधीश" शब्द से न केवल प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित है किन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी है—

(क) जो किसी विधिक कार्यवाही में, अन्तिम निर्णय या ऐसा निर्णय, जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अन्तिम हो जाए या ऐसा निर्णय, जो किसी अन्य अधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अन्तिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है; अथवा

(ख) जो उस व्यक्ति निकाय में से एक है, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए, जैसा खंड (क) में निर्दिष्ट है, विधि द्वारा सशक्त किया गया है।"

श्री अमल दत्त : आपने जो 'सिविल' अथवा 'क्रिमिनल' शब्द पढ़े हैं, अधिनियम में नहीं हैं।

श्री ए० के० सेन : क्योंकि हम उन्हें सिविल सुरक्षा दे रहे हैं।

श्री अमल दत्त : आप उनको भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं जो सिविल अथवा दाण्डिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नहीं हैं, आपने उन शब्दों को छोड़ दिया है।

श्री ए० के० सेन : मैंने 'वैधिक कार्यवाही' सिविल अथवा दाण्डिक के बारे में कहा है।

श्री अमल दत्त : नहीं, यह वहां नहीं है। कृपया आप देखें।

श्री ए० के० सेन : यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें सीमा-शुल्क अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है। मैंने यह देखा है, आप अर्द्धविराम देखिए। यह बहुत स्पष्ट है। इसमें कहा गया है,

"जो किसी विधिक कार्यवाही में, अन्तिम निर्णय या ऐसा निर्णय, जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अन्तिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है··· आदि···"

अब, विधि आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और संभवत: श्री भोलानाथ सेन जानते हैं कि अनेक मामले हैं जो सिविल न्यायालयों में मानहानि के लिए न्यायाधीशों के खिलाफ दर्ज किए हुए अभी भी अनिर्णित पड़े हुए हैं। और किसी न्यायाधीश को ऐसी स्थिति में कार्य करना असंभव है यदि उसे दाण्डिक न्यायालय में सुरक्षा प्रदान की जाती है और सिविल न्यायालय में नहीं। इस त्रुटि को विधि आयोग ने बताया है। इस लिए हम इस कमी को दूर करने की माँग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री भोलानाथ सेन ने अपने संशोधन सं० 1 और 2 को वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति ले ली है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 1 और 2 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री जी० एम० बनातवाला : माननीय मंत्री ने मेरे संशोधनों का विरोध नहीं किया है। मैं सभा से उन्हें स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 3, 4 और 5 को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3, 4 और 5 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद संख्या 24 पर आते हैं।

———

2.13 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह छोटा और साधारण विधेयक इस वर्ष के बजट भाषण में की गई इस घोषणा

के अनुसरण क्रम में है कि सरकार 16 मार्च, 1985 को अथवा इसके बाद हुई मृत्यु पर सम्पत्ति के हस्तातंरण के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क हटाना चाहती है।

विधेयक के खण्ड 2 का आशय संपदा शुल्क अधिनियम में एक नई धारा 5ग जोड़ना है जिसमें यह प्रावधान है, कि 16 मार्च, अथवा उसके बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर कृषि योग्य भूमि के अलावा उसकी किसी सम्पत्ति के स्थानांतरण के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क वसूल करने के लिए उस पर सम्पदा शुल्क अधिनियम लागू नहीं होगा।

जहां तक कृषि योग्य भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाए जाने का संबंध है, माननीय सदस्य निस्संदेह यह जानते हैं कि सम्पदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा कृषि योग्य भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाया जाना समाप्त कर दिया गया है। उक्त संशोधन अधिनियम के द्वारा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में स्थित कृषि योग्य भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क लगाने वाला सम्पदा शुल्क अधिनियम लागू होना समाप्त हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन इन छः राज्यों के विधान-मण्डलों को कृषि योग्य भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अभी संकल्प पारित करने बाकी हैं। संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन यदि इन राज्यों में से कम से कम दो राज्यों के विधान मण्डल भी अपने अपने राज्यों में स्थित कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क वसूली को समाप्त करने, संबंधी प्रस्ताव पारित कर दें; तो 16 मार्च, 1985 से कृषि भूमि पर संपदा शुल्क वसूली को समाप्त करने की व्यवस्था करने के लिए एक दूसरा विधेयक उचित समय पर लाये जाने का प्रस्ताव है।

जैसाकि बजट भाषण के पैरा 88 में बताया गया है कि सम्पदा शुल्क अधिनियम के कार्यान्वयन से मृतक के उत्तराधिकारियों को प्रक्रिया संबंधी परेशानी होती रही है। जहां संपदा शुल्क से होने वाली आय कम रही है वहीं इसे लागू करने की लागत अपेक्षाकृत अधिक रही है। हमारे विचार से संपदा शुल्क उन दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है जिनके लिए इसे लागू किया गया था। इन्हीं कारणों से हम अब यह विधेयक लाए हैं।

महोदय, मुझे विश्वास है कि इस छोटे और साधारण विधेयक को सदन का एक मत से समर्थन मिलेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ,

"कि संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

***श्री पी० अप्पालानरसिंहम (अनकापल्ली)** : सभापति महोदय, समाजवाद में प्रवेश करने के दृष्टिकोण से सम्पदा शुल्क वर्षों पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा लागू किया गया था। उनकी ओर से यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय था। उनकी वास्तव में समाजवादी मूल्यों में दिलचस्पी थी। सम्पदा शुल्क को समाप्त करने के इस विधेयक को प्रस्तुत करके वर्तमान कांग्रेस पार्टी ने देश में समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना करने के अपने लक्ष्य का परित्याग कर दिया

*तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है। इस विधेयक को प्रस्तुत करके वर्तमान कांग्रेस पार्टी उन अमीर लोगों की सहायता करना चाहती है जिन्होंने करोड़ों रुपये कमाये हैं और जो विलासता का जीवन जी रहे हैं। जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तब सरकार सम्पति मालिकों की मृत्यु होने पर उनकी सम्पत्ति में से उसका कोई भी हिस्सा नहीं ले सकेगी। सम्पत्ति पर शुल्क लगाने का उद्देश्य सम्पत्ति मालिकों की मृत्यु होने पर उनकी सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा प्राप्त करना था ताकि इस प्रकार एकत्रित धन को सरकार गरीब लोगों के कल्याण हेतु खर्च कर सके। अब इस विधेयक के प्रस्तुतीकरण से यह महान उद्देश्य समाप्त हो गया है और इस लिए मैं इस विधेयक का भरपूर विरोध करता हूं। मैं इस संबंध में कुछेक बातें कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने बार-बार घोषणा की है कि वे समाजवाद के पक्ष में है और इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक ओर तो वे समाजवाद का उपदेश देते हैं और दूसरी ओर उसके विपरीत कार्य करते हैं। अद्यपूर्व कांग्रेस चाहती थी कि गरीबों की सहायता करने के उद्देश्य से अमीर आदमी के मरने पर उसकी सम्पत्ति का कुछ भाग उसके उत्तराधिकारी के साथ ही साथ राज्य को भी मिलना चाहिए। इसी कारण से सम्पदा शुल्क प्रारम्भ किया गया था। परन्तु यह सरकार अब इसे समाप्त कर रही है। सम्पदा शुल्क को समाप्त करने के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री महोदय ने पिछले बजट सत्र में अपने बजट भाषण के दौरान ऐसा करने के कारण बताए थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन का खर्चा सम्पदा शुल्क की वसूली से अधिक हो गया है। अधिक खर्च और कम आय—यह कारण बताया था उन्होंने। परन्तु, महोदय, मैं इस दृष्टकोण से सहमत नहीं हूं। अब, बहुत से ऐसे सरकारी विभाग हैं जो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। परन्तु इन सरकारी विभागों को बंद नहीं किया गया है। दूसरी ओर ये विभाग अन्य सम्बद्ध विभागों/कार्यालयों के साथ जोड़े जा रहे हैं। उदाहरण के लिए पहले रेलगाड़ी के प्रत्येक डब्बे में एक कण्डक्टर हुआ करता था। अब केवल एक ही कण्डक्टर 4 बोगियों/डब्बों की देखभाल करता है। यह तरीका है, वहाँ धन बचाने का। इसी प्रकार संपदा शुल्क कक्ष को केवल इसीलिये बन्द करने के बजाए क्योंकि इसके प्रशासन का खर्चा बढ़ गया है इसे आय-कर विभाग के साथ मिला देना बेहतर है। यह व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। इस विधेयक को पारित करके हम केवल समाजवाद के विरुद्ध कार्य करेंगे। इसलिए यह बेहतर है कि संपदा शुल्क को बरकरार रखा जाए। इसे समाप्त करना देश के लिए अच्छा नहीं है। क्या यही सब हम गरीबों के लिए कर रहे हैं? क्या इस शुल्क की समाप्ति से गरीबों को किसी भी तरह का कोई लाभ मिलेगा? क्या इस विधेयक में गरीबों के लिए कोई लाभदायक बात है? रिक्शाचालक और मजदूर आदि जैसे साधारण व्यक्ति संपदा शुल्क अदा नहीं करते हैं। बल्कि इसलिए केवल धनी व्यक्ति ही इस शुल्क को अदा करते हैं। इस शुल्क को समाप्त करने की क्या आवश्कता पड़ गई थी। सम्पदा शुल्क को समाप्त करना मूर्खतापूर्ण कार्य है। जिस उद्देश्य के लिए एक बार कांग्रेस पार्टी ने संपदा शुल्क लगाया था उस उद्देश्य को ही पूर्णतया भुला दिया गया है। 'प्रशासन का खर्च बढ गया है; कहने के अलावा कोई और तर्क नही दिया गया है। वास्तव में यह कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार संपदा शुल्क को समाप्त करने के बजाय इसे जारी रखे।

महोदय, यहां बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अजय मुशरान (**जबलपुर**) : महोदय, मैं तहेदिल से सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1985 का समर्थन करता हूं। मैं केवल उसका समर्थन ही नहीं करता बल्कि मैं अपना वचन निभाने के लिए माननीय वित्त मंत्री को तहेदिल से मुबारकबाद देता हूं। और हमारे प्रिय प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की इच्छा के अनुसार बजट भाषण में किए गए वायदों को, उनकी प्राथमिकता के अनुसार, एक-एक करके वास्तविकता में बदला जा रहा है तथा सम्पदा शुल्क के माध्यम से सरकार को प्राप्त होने वाली थोड़ी सी आय की तुलना में लोगों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री द्वारा सम्पदा शुल्क की समाप्ति के लिए इस विधेयक को लाया गया है।

जिस तारीख से इस शुल्क की समाप्ति प्रभावी होगी, वह है 16 मार्च 1985 उसके विषय में, मैं एक सुझाव देना चाहता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं और जैसा कि वित्तमंत्री जी ने भी बताया कि इस शुल्क की अथवा जनता से राजस्व की वसूली करने के लिए नियुक्ति किये गए प्रशासनिक ढांचे पर सरकार का खर्च वास्तव में वसूल किए जा रहे राजस्व से अधिक हो रहा था। इसको समाप्त करने का यह भी एक कारण है। मेरा सुझाव यह है कि यदि शुल्क समाप्ति की तारीख को 16 मार्च 1985 से छः महीने पूर्व से प्रभावी बनाया जाए तो इससे उन लोगों को वास्तविक लाभ मिलेगा जिन्हें इस शुल्क समाप्ति का लाभ मिलने जा रहा है; क्योंकि यदि हम इसे 16 मार्च, 1985 से समाप्त करें तो कतिपय विशेष परिस्थितियों में बहुत से मध्यम वर्गीय व्यक्ति इससे प्रभावित होंगे और कम आय, कम सम्पत्ति, छोटे घर और कम भविष्यनिधि वाले बहुत से ऐसे व्यक्ति भी प्रभावित होंगे। जो हमारी प्रिय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात् हुए दंगों में और भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ऐसी धारणा बन गई है कि इस गैस त्रासदी के दौरान केवल गरीब लोग ही मरे हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। मरने वालों में बहुत बड़ी संख्या उन मध्यम वर्गीय लोगों की भी थी जो सम्पदा शुल्क से छूट की सीमा के बिल्कुल नजदीक थे, और इस प्रकार उनके निकटतम सम्बन्धियों को नुकसान होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उदार होने के नाते, जैसे कि आप हैं ही, आप यह अनुभव करेंगे कि जो व्यक्ति 16 मार्च, 1985 अथवा उसके बाद मरे हैं उनके सम्बन्धियों को दिये जाने वाला लाभ उन व्यक्तियों के सम्बन्धियों को भी मिलना चाहिए जो इस शुल्क को समाप्त किए जाने से पूर्व मरे हैं और जिनके द्वारा कर विवरण 16 मार्च 1985 तक प्रस्तुत किए जाने थे। और वह तारीख 16-9-1984 बैठती है। मैं केवल यही सुझाव देना चाहता था और इसके वैध कारण भी हैं। आखिर कार छः महीने में भी कोई विशेष आय होने वाली नहीं। दूसरी ओर इस प्रकार हम बहुत से मध्यम वर्गीय मृतकों के निकटतम सम्बिन्धियों की भी सहायता कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आप कर अदा करने वाले लोगों को परेशानी से अवश्य बचाना चाहेंगे। मुझे विश्वास है कि इस तारीख को पीछे हटाकर इसे 16 सितम्बर, 1984 कर दिया जायेगा ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें, मेरा तात्पर्य उन लोगों से है जिन्हें सम्पदा शुल्क सम्बन्धी अपना विवरण 16 मार्च, 1985 तक प्रस्तुत करना था। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय तारीख में इस आशय का संशोधन करने का अनुग्रह अवश्य करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (**मुर्शिदाबाद**) : चेयरमैन साहब, कल से आज तक इस सदन में

काले धन पर चर्चा हुई और आज एक बजे फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास जितने भी हथियार हैं, मैं उनसे काले धन को पकड़ूंगा और अब 2 बजे यह स्टेट ड्यूटी (अमेंडमेंट) बिल, अमेंडमेंट बिल नहीं बल्कि एबालिशमेंट बिल लाये हैं ।

इसके पहले क्या होता था ? डेढ़ लाख से ज्यादा किसी के पास धन रहता था तो उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिस कोर्ट में जाते थे और सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के पहले एस्टेट ड्यूटी क्लीयरेंस का सर्टिफिकेट लेते थे, अब यह नहीं रहेगा ।

कुछ दिन पहले आपने दिल्ली की सब्जी मण्डी में सब्जी वाले को पकड़ा । अब वह नहीं पकड़े जायेंगे । वह अपना काला धन अपनी तिजोरी में नहीं रखेंगे, देश के जितने बैंक हैं और उसकी जितनी ब्रांचें हैं, उसमें उनको जमा रखेंगे । आप उनका कुछ नहीं कर पायेंगे । आपने काले धन वालों को खुला लाइसेंस दे दिया है । (व्यवधान)

आज जो भी एस्टेट ड्यूटी टैक्स मिलता था, वह भी बंद हो गया । जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो हथियार हैं, उसी से काले धन को पकड़ेंगे । आपके पास बन्दूक नहीं है तीर कमान है, उसमें से कमान को रख लिया और तीर को फेंक दिया । आप इतना कर सकते थे कि डेढ़ लाख के ऊपर सीलिंग में जो एस्टेट ड्यूटी थी, उसको आप ज्यादा कर सकते थे यानि कि 3 लाख या 5 लाख तक कर सकते थे ।

एस्टेट ड्यूटी जो रिअलाइज होती थी तो उसका छोटा सा हिस्सा सब स्टेट्स को मिलता था, लेकिन यह एबालिश हो जाने के बाद स्टेट को वह पैसा मिलना बंद हो जायेगा । इसी प्रकार एस्टेट ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐक्ट एक छोटा सा ऐक्ट है । अब इससे भी सब स्टेट्स को पैसा बंद हो जायेगा । (व्यवधान)

यह एक छोटा सा ऐक्ट है, लेकिन बहुत खतरनाक ऐक्ट है । मैं तो इतना ही कहूंगा कि एस्टेट ड्यूटी का जो आपका सीलिंग है, इसको आप ज्यादा बढ़ा दो, लेकिन इसको पूरा एबालिश कर देंगे तो काला धन कमाने वालों को मौका मिल जायेगा । वह खुलेआम पैसा दूसरे बैंकों में रखेंगे और आप उनका कुछ नहीं कर पायेंगे । इतना कहते हुए मैं आपके इस बिल का विरोध करता हूं ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, यह जो एस्टेट ड्यूटी अमेंडमेंट बिल लाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं कि मैं विपक्ष में हूं । मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं कि यह सरकार बार-बार इस बात को कहती है कि हम समाजवाद की तरफ जा रहे हैं । क्या यह बिल समाजवादी रास्ते की तरफ जायेगा इसको आप देख लें ।

(व्यवधान)

आपका समाजवाद को समझने का अलग तरीका है और हमारा इसको समझने का अलग तरीका है । अब बड़े-बड़े लोग अपना पैसा बिना किसी डर के बैंकों में खुलेआम रखेंगे और पूरा फायदा उठायेंगे । फिर आप उन लोगों को पकड़ नहीं पायेंगे । लेकिन काला धन रखने वाला किस तरह से काले धन को इस्तेमाल करता है यह आप जानते होंगे और खूब जानते हैं कि काला धन देश को किस तरह खा गया है । आपके सरकारी धन को भी खा गया है । तो मैं

यह जरूर कहूंगा कि यह बिल ला करके आप बड़े-बड़े बिजनेसमैन को छूट दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर समाजवादी रास्ता अपनाया जाता तो एक समाजवादी बिल आप लाते जिसमे आम गरीब लोगों को राहत मिलती। आज बहुत से गरीब लोग कहते हैं कि यह क्या हुआ, महंगाई इस तरह बढ़ रही है जिससे सभी परेशानी में हैं और छोटे आम लोग, गरीब लोग तो बहुत ही परेशानी में हैं। अगर उनकी परेशानी में कमी ला देते तो ज्यादा से ज्यादा आपका काम भी होता और समाजवादी रास्ता भी वह कहा जाता कि यह समाजवादी रास्ता है। यही कहकर मैं इम बिल का विरोध करता हूं कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए।

[**अनुवाद**]

श्री जार्ज जोसफ मुंडाक्ल (मुवत्तुपुजा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

केरल जैसे राज्य में, भूमि सुधारों के बाद, ये भूमि एक एकड़-दो एकड़ जैसे टुकड़ों में विभाजित हो गई है। माथ ही साथ इसकी कीमतें भी बहुत अधिक हैं। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पुत्रों और पुत्रियों को सरकार के संपदा शुल्क अदा करने के लिए उसकी भूमि को बेचना पड़ता है। फिर भी यह बहुत अच्छी योजना है और मैं इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं.

यदि आप इसमें कृषि भूमि के लिए छूट दे रहे हैं तो इससे ग्रामीण निर्धन जनता को लाभ मिल सकेगा। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मेरा ख्याल है कि सदन की भावनाएं व्यर्थ हो चुकी हैं। एक प्रश्न यह उठाया गया था कि यह विधेयक अमीरों की सहायता करने के लिए है। आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग ने इस विषय में विस्तार से अध्ययन किया है और मैं उसमें से एक पैरा यहां उद्धृत करना चाहता हूं—

"संपदा शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व 10 और 15 करोड़ रुपये के आसपास तक ही सीमित रह गया है और आयकर से होने वाली राजस्व वसूली में वृद्धि की सामान्य दर के अनुरूप इसकी वृद्धि नहीं है। वास्तव में, सामान्य राजस्व में संपदा शुल्क का कुल मिलाकर अंशदान जो 1972-73 में पहले ही बहुत कम अर्थात 0.22 प्रतिशत था, 1980-81 में और भी घटकर केवल 0.11 प्रतिशत रह गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 1979-80 की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उम वर्ष के दौरान पूरे किये गये 1200 मामले और विषय सम्पदा शुल्क मूल्यांकनों के मामलों में केवल 6 मामले ही ऐसे हैं जिनके सम्पदा का मूल्य 20 लाख रुपए मे अधिक है और कुल 47 ऐसे मामले हैं जिनमें मूल्य 0.10 लाख रुपए से ऊपर है और संपदा शुल्क अधिकांशत: समाज के मध्यम वर्ग और कम धनवान लोगों द्वारा ही दिया जाता है। न केवल राजस्व की मात्रा ही कम है बल्कि इसमें वृद्धि की दर भी बहुत कम है। सम्पदा शुल्क के दायरे में आने वाले बड़ी सम्पदाओं की संख्या नगण्य ही है। ये तथ्य इस विचार का ही समर्थन करते हैं कि कार्यरत सम्पदा शुल्क कानून अपने वैधानिक प्रयोजनों

को पूरी तरह से पूरा नही कर पा रहा है। फिर, कानून की जटिलता, इसमें लगने वाली प्रक्रिया और परेशानी की गुंजाइश, इसके लाभों के अनुपात से कहीं ज्यादा दिखाई देती है। वे समाज के छोटे वर्ग पर तो सख्ती बरतती हैं परन्तु धनी वर्ग जिनके पास कानूनी सलाह की भी कमी नहीं होती, इस जाल से बच निकलते हैं।"

2.34 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग का यह मूल्यांकन है। वसूली के सम्बन्ध में, कर वसूलने पर किए गए खर्च का प्रतिशत इस प्रकार है :—आयकर के मामले में 0.5 प्रतिशत, धन कर के मामले में 3 से 4 प्रतिशत और संपदा शुल्क के मामले में 6 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत, 6.26 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत और कभी-कभी लगभग 7 प्रतिशत जो सबसे ज्यादा है। इसलिए इसमें वसूली की लागत भी सबसे ज्यादा है। अतः इन सब बातों को देखते हुए, हमने इसको समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि हम अमीरों की सहायता कर रहे हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप जानते ही हैं कि हम कर चोरी के विरुद्ध सख्त कदम उठा रहे हैं।

महोदय, मैं एक बात को फिर दोहराना चाहता हूं जिसे मैं अपने पहले वक्तव्य में कह भी चुका हूं कि 1984 में कृषि भूमि से संपदा शुल्क हटाने के लिए एक विधेयक लाया गया था। कई राज्यों ने इस विधान को पारित भी कर दिया है और कुछ ही राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर नागालैंड, पंजाब और त्रिपुरा जैसे राज्यों ने इसे अभी तक भी पारित नहीं किया है। जब इनमें से दो राज्य इसे पास कर देंगे तो हम विधेयक ला सकते हैं। कहीं भी कृषि भूमि पर संपदा शुल्क नहीं है।

जहाँ तक भी मुशरान द्वारा उठाये गये मुद्दों का सम्बन्ध है कि इसे छः माह पहले से लागू किया जाये, मेरा ख्याल है कि मैं इससे सहमत नहीं हो सकता क्योंकि अभी भी कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहाँ कोई व्यक्ति एक ही दिन पहले मरा हो (व्यवधान) मैंने इस बारे में सोचा है लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हो सकता।

फिर महोदय, एक बात और कही गई है कि लोग अब अपना पैसा बैंकों में रखना शुरू कर देंगे और इसलिए, वे कर कानूनों से सुरक्षित बच जायेंगे। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से कोई व्यक्ति अपने धन को बैंक में रखकर सुरक्षित बच सकता है। यह बिना हिसाब किताब वाला धन है चाहे वह बैंक में हो या घर में। एक बार यदि यह धन बिना हिसाब किताब वाला हो जाये तो इसे बैंक में रखकर कोई भी सुरक्षित बचा नहीं रह सकता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि आप इसे स्विस बैंकों में रखें तो ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : शायद हमें आप से सलाह लेनी पड़ेगी कि इसे कैसे जमा कराया जाए। जहाँ तक राज्यों के हिस्से का सम्बन्ध है वह भी बहुत ही कम है। संपदा शुल्क को समाप्त करने से वित्त आयोग की सिफारिशों का कोई उल्लंघन नहीं होता। कुछ राज्यों ने वित्त आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप व्यय से अधिक आय वाले बजट बनाए हैं।

महोदय, मैं सदस्यों के समर्थन का आभारी हूं। इन शब्दों के साथ मैं यह सिफारिश

करता हूं कि सदन इस विधेयक को पारित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संपदा शुल्क, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सदन अब इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.40 म०प०

पंजाब में चुनाव के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि पंजाब में चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम की चुनाव आयोग द्वारा घोषणा की जा चुकी है।

हमारे देश में चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया की महत्ता स्पष्ट ही है, इस पर और जोर देने की जरूरत नहीं है।

हमारे लोगों द्वारा इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया गया है कि प्रगति एवं सम्पन्नता प्राप्त करने के लिए मताधिकार ही उनका हथियार है।

परन्तु पंजाब में घटित हाल की घटनाओं के संदर्भ में, चुनाव प्रक्रिया ने भी एक नए राष्ट्रीय महत्व का स्थान ग्रहण कर लिया है।

लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति वचनबद्ध सभी राजनीतिक दलों के सामने अब मूल मुद्दा यह है, कि क्या उग्रवादी और आतंकवादी शक्तियों द्वारा हम जनता की स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग को बाधित, कुंठित और विध्वंसित होने देंगे?

इस प्रश्न के सही उत्तर पर ही भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली का भाग्य निर्भर है। या तो सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बना कर और एकजुट होकर आतंकवाद की इस भीषण चुनौती का सामना करें या फिर आतंकवाद और उग्रवाद की धमकी के सामने घुटने टेक दें। पंजाब में बाकी सभी कुछ गौण है। वहां पर किस दल को कितने स्थान प्राप्त होते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। वहां कौन जीतता है और कौन हारता है, इसका भी कोई महत्व नहीं है।

जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि लोकतंत्र का दिया बुझने न पाए। महत्व इस बात का है कि भारत जीते।

भारत के लोगों ने यह दिखा दिया है कि वे हर चीज से ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता का आदर करते हैं; राजनीतिक दल भी जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकतंत्र का मूल्य कम नहीं समझते हैं।

आम जनता पर अपनी इच्छा थोपने के लिये कुछ थोड़े से लोगों द्वारा अपनाए गए क्रूर और नृशंस रास्ते का सही उत्तर लोकतांत्रिक चुनाव ही है।

हम विघटनकारी शक्तियों को सिर नहीं उठाने देंगे।

हम कोई भी जोखिम उठाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

जनता की इच्छा एवं विश्वास के संरक्षक की हैसियत से, इस बात के लिये पूरी तरह से वचनबद्ध हूं।

हमारे लोकतांत्रिक समाज में सामने आने लाले हर खतरे का मुकाबला करने की आन्तरिक शक्ति है।

हम यह दिखा देंगे कि हम स्वार्थों के ऊपर उठने में भी सक्षम हैं।

हम सब को, जो इस राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित किए गए आदर्शों का आदर करते हैं, मिलकर इस चुनौती का सामना करना है।

2.43 म०प०

रेलवे संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, 1957 के अधिनियम से पहले, रेलवे सुरक्षा बल रेलवे का एक निगरानी विभाग था। 1957 के बाद, यह एक संगठित बल बन गया। इस समय, रेलवे सुरक्षा बल के पास अपना कार्य समुचित रूप से निष्पादित करने के लिए बहुत कम शक्तियां हैं। इस संशोधन के पास होने के बाद, रेलवे सुरक्षा बल अपना कर्तव्य समुचित रूप से और प्रभावी रूप से

निभाने में मदद हो सकेगा। रेलवे सुरक्षा बल एक सशस्त्र बल हो जायेगा और कुछ मामलों में उनके विरुद्ध दायर किए जाने वाले मुकदमे रुक जायेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं सदन के विचार के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव है :

"कि रेलवे संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रो० के० बी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, मैं रेलवे सुरक्षा बल विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

रेलवे, यात्रियों की जरूरतें पूरी करने वाले और माल-यातायात की ढुलाई करने वाले सबसे बड़े संगठनों में से एक है। जब श्री बंसी लाल रेल मंत्री बने थे तो हमने यह सोचा था कि वे इस बड़े संगठन को बेहतर रूप से चला सकेंगे क्योंकि वह एक कुशल प्रशासक माने जाते हैं, परन्तु मुझे यह देख कर बहुत दुख हुआ है कि जब कि आप इस विधेयक—रेलवे सुरक्षा बल विधेयक, को लेकर आ रहे हैं, रेलवे सुरक्षा बल जनता की रक्षा नहीं कर पा रहा है।

मैं केरल का हूं जो कि देश का सुदूर दक्षिणी भाग है। मेरे राज्य से लम्बी दूरी की तीन सवारी गाड़ियां चलती हैं; एक के०के० एक्सप्रेस, और दिल्ली जाने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस है और तीसरी गाड़ी है जयन्ती जनता एक्सप्रेस, बम्बई। इन लम्बी दूरी की गाड़ियों में अक्सर यात्रियों के साथ लूटपाट और मारपीट की जाती है। समाज-विरोधी तत्व इन गाड़ियों में घुस कर लोगों का बहुमूल्य समान ले जाते हैं।

मेरा यह नम्र सुझाव है कि थोड़ी दूरी तक जाने वाले यात्रियों को लम्बी दूरी की गाड़ियों में आने नहीं दिया जाए।

मैं एक अन्य सुझाव भी देना चाहता हूं। जब हम रेलवे सुरक्षा बल को इसकी शिकायत करते हैं तो वह यह कहते हैं कि हम इस बारे में असहाय हैं। वे कहते हैं कि हमारी शिकायतों को राज्य पुलिस को दिया जाए जो उस पर कार्यवाही करेगी। लेकिन, यह किसी को नहीं मालूम कि राज्य पुलिस क्या कार्यवाही करती है।

मैं यात्री गाड़ियों में, बहुत खराब खान पान सेवा की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप को मालूम ही है कि हमारे यहां गाड़ियां आम तौर पर लेट हो जाती हैं और इस प्रकार कभी-कभी तो हमें बिल्कुल भी खाना नहीं मिल पाता। कृपया इस का भी ध्यान रखें।

बहुत से संसद सदस्यों को यात्री गाड़ियों के बारे में बहुत ही खराब अनुभव हुए हैं। जब हम उस स्टेशन के अधीक्षक को उस की शिकायत करते हैं तो वह उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अधीक्षक को यह निर्देश दिए जाने चाहिएं कि जब भी उन्हें कोई शिकायत प्राप्त हो, वह उस पर उपयुक्त कार्यवाही करें।

2.49 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुये]

आप एक बहुत ही अच्छे मंत्री हैं। जब भी हम आप को कोई अभ्यावेदन देते हैं तो आप

तुरन्त ही उसका हां अथवा नहीं में जवाब देते हैं लेकिन जो जवाब आप देते हैं उस के साथ आप अपने जवाब को स्पष्ट करने के करणों का खासा ब्यौरा भी देते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है। परन्तु जब ऐसी ही शिकायतें आप के विभाग में किसी अधिकारी से की जाती है, तो वह उचित जवाब देने पर ध्यान नहीं देते । आप अपने विभाग में अधिकारियों को यह अनुदेश जारी करें कि जब भी कोई शिकायत की जाए, उसका उन्हें सही तरह से जवाब देना चाहिए और उन्हें उन शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही भी करनी चाहिए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हमारे मंत्री महोदय जिस विधेयक को लाए हैं, मैं उस का विरोध करता हूं। **(व्यवधान)** ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कृपया उन्हें यह बता दीजिए कि यूनाइटेड कांग्रेस सरकार द्वारा कभी भी इस विधेयक को अनुमति नहीं दी गई । वह सशस्त्र सेनाओं का विस्तार नहीं चाहते थे।

श्री नारायण चौबे : तो, अब उन्होंने अपना रवैया बदल लिया है । अच्छी बात है। क्योंकि उनके लिए स्थिति बदल गई है अतः उन्होंने अपना रवैया भी बदल लिया है ।

स्वतंत्रता से पूर्व रेलवे सुरक्षा बल निगरानी एवं सुरक्षा सम्बन्धी संगठन था । आजकल, रेलवे सुरक्षा बल को लोग सुरक्षा बल न कह कर रेलवे लूटपाट बल अथवा रेलवे चोरी बल कहते हैं। **(व्यवधान)** असल में तो, उस तरफ के माननीय सदस्य भी यह मानते हैं और बाहर जब बातचीत करते हैं तो यही बात कहते हैं । हां, इस सभा में कुछ और कहा जाता है ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : हम दोहरी बातें नहीं करते ।

प्रो० मधु दंडवते : इनके तो तिहरे स्टैंडर्ड हैं। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए, एक इस सभा के लिए और एक सेंट्रल हाल के लिए ।

श्री नारायण चौबे : मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक ऐसे तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसे वह भी अच्छी तरह जानते हैं, कि रेलवे सुरक्षा बल में उच्च स्तर पर काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है । तैनातियों और स्थानांतरणों के मामले में मुख्यालय और मंडलीय कार्यालयों में काफी धांधली होती है ।

वैगन तोड़ने वाले उन्हीं में से होते हैं। **(व्यवधान)** माननीय सदस्य मुझे यह बता रहे हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए । मुझे उकसा रहे हैं। उन्हीं में से होते हैं वैगन तोड़ने वाले । वैगन तोड़ने वालों, तस्करों और चोरी गई सम्पत्ति प्राप्त करने वालों से रेलवे सुरक्षा बल के लोगों का संपर्क होता है । आप आसानी से उनके नामों का पता लगा सकते हैं ।

अगर आपको किसी अच्छे मार्शलिंग यार्ड में तैनाती चाहिए तो आपको मुख्यालय में लोगों को प्रसन्न करना होगा । मान लो आप मुगल सराय यार्ड अथवा खड़गपुर मार्शलिंग यार्ड अथवा वाल्टेयर यार्ड में जाना चाहते हैं तो आपको मुख्यालय में मासिक किस्त अथवा पैसा देकर लोगों को प्रसन्न करना होगा ।

मेरे ख्याल में आप यह जानते हैं । मैंने अपने अनुभव के आधार पर एक बात का सुझाव दिया है । मुझे मालूम है कि रेलवे वर्कशापों अथवा फैक्ट्रियों में जहां चारों ओर सुरक्षा के लिए कुत्ते रखे जाते हैं, बहुत कम चोरी होती है । कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि संपत्ति को

सुरक्षा प्रदान करने के मामले में अपने कार्मिकों की अपेक्षा प्रशिक्षित कुत्तों पर अधिक विश्वास किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह कृपया इसे किसी छोटी फैक्टरी, वैगन शाप अथवा लोको शाप में लागू करने के बारे में विचार करें। मेरे ख्याल में इससे आपको लाभ ही होगा अगर आप इन फैक्ट्रियों की दीवारों के चारों ओर निगरानी के लिए दो या तीन कुत्ते रख लें। इससे काफी कम चोरी होगी क्योंकि खड़गपुर में मैंने ऐसा देखा है। यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। जिन फैक्ट्रियों में हम कुत्ते रखते हैं, वहां उन फैक्ट्रियों की अपेक्षा जहां सुरक्षीगण रखे जाते हैं, कम चोरियां होती हैं। आपको मालूम ही है कि हावड़ा, खड़गपुर, आसनसोल और मुगल सराय, जहां पर चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, 24 घंटे सशस्त्र सिपाही अथवा सशस्त्र गार्ड सशस्त्र निगरानी करते हैं। लेकिन फिर भी होता यह है कि अगर आज आप एक दीवार मरम्मत कर ठीक कर देते हैं तो अगले दिन यह फिर टूटी हुई होती है। आज एक दरार को भरा जाता है और अगले दिन फिर इसमें छेद हो जाता है। यह सब किस प्रकार से होता है ? रेलवे सुरक्षा बल के लोगों की सांठ-गांठ के बिना ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी बातें अन्यथा कभी हो ही नहीं सकतीं।

मैंने मंत्री महोदय को हावड़ा के बारे में, निजी रूप से कुछ बताया था। उन्होंने इसे नोट किया लेकिन फिर भी मैंने यह देखा है कि कुछ भी नहीं हुआ। आज आप एक दीवार की मरम्मत कीजिए, कल आप को यह फिर टूटी हुई मिलेगी।

एक और बात मैं आपको बताना चाहता था। अब आप उनको और शक्तियां देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकें और किसी भी जगह में प्रवेश कर सकें। मेरे ख्याल में यह ठीक नहीं होगा क्योंकि उनका रिकार्ड कोई अच्छा नहीं रहा है। पहले ही उन्हें बहुत शक्तियां प्राप्त हैं। पुलिस की मदद से वह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। अर्थात बिहार में बिहार पुलिस की ममद से, बंगाल में बंगाल पुलिस की मदद से और उत्तर प्रदेश में उ० प्र० पुलिस की मदद से। अब आप यह कहते हैं कि वह पुलिस का कार्य भी कर सकते हैं जो कि राज्य का प्राधिकार है। अब आप इस विशेषाधिकार को इस बल को भी देना चाहते हैं। जब आपने सरकारिया आयोग नियुक्त कर दिया है, तो मेरे ख्याल में इन लोगों को और शक्तियां प्रदान करना ठीक नहीं है।

केवल यही पृष्ठभूमि नहीं है। आपको, इन लोगों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने, जिनके कि रिकार्ड अच्छे नहीं रहे हैं, से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए।

महोदय, इसके अलावा, एक अन्य बड़ी खराब बात यह है कि अपनी 'एसोसिएशन' बनाने के जो कुछ अधिकार उन्हें प्राप्त हैं आप उन्हें छीन रहे हैं। अभी तक उनकी कोई यूनियन नहीं है, वह किसी यूनियन में शामिल नहीं होते। वे इस यूनियन अथवा 'इंटक' अथवा किसी भी अन्य यूनियन के सदस्य नहीं हैं लेकिन उनकी अपनी ऐसोसिएशन हैं। आज आप इसे वापिस ले रहे हैं, शायद आप बहुत निचले स्तर से लोकतंत्र लाने की कोशिश कर रहे हैं न। उनको भी अपनी शिकायतें हैं। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग भी खुश नहीं हैं। उन्हें भी अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। अगर यह अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी से करते हैं तो इन्हें बड़े अधिकारियों की नाराजगी का शिकार होना पड़ता है। यह सब नहीं देखा जाता। जो कुछ वह सही रूप से

करते हैं, उसे अधिकारी लोग नहीं देखते। अधिकारी लोग वही देखते हैं जो वह कराना चाहते हैं। अगर रेलवे सुरक्षा बल का कोई व्यक्ति अधिकारी के घर रोज जाकर, मेम साहिब को सलाम करता है और बिना कोई ड्यूटी किए उनके बेटे को स्कूल ले जाता है, तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी। लेकिन, अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य ठीक तरह से करना चाहता है और अधिकारी की मनमानी के आगे झुकता नहीं है तो उसे सजा ही मिलती है। अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसोसिएशन, जिसे बहुत सीमित शक्तियां प्राप्त हैं, कुछ नहीं कर सकती। वह केवल अपील कर सकती है, हड़ताल नहीं कर सकती, आपको केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकती है। अगर आप यह भी छीन लेते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, असम में हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप लोकतंत्र के बारे में जो बातें कर रहे हैं यह विधेयक उन सबसे शायद ही मेल खाता हो? जाहिर है, इन सभी कारणों से मैं चाहता हूं कि यह विधेयक वापिस ले लिया जाए और इस समय न लाया जाए। मैं इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप भी इन बातों पर विचार करेंगे। इन लोगों को और शक्तियां देकर आप अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। यह बिल्कुल संभव नहीं है। अगर आप उन्हें प्रेरित न करके केवल हथियार और गिरफ्तार करने की शक्ति दे रहे हैं तो इससे केवल भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात की जड़ें ही गहरी होंगी। पहले ही आम आदमी बहुत दुख उठा रहा है। कम से कम हम अभी रेलवे सुरक्षा बल से तो सुरक्षित हैं, पहले ही बहुत पुलिस है हम पर वार करने को, सीमा सुरक्षा बल भी तो है इसी के लिए और अगर आप रेलवे सुरक्षा बल को भी ले आएंगे तो एक तीसरा बल भी हमारे लिए हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप इस विधेयक को वापिस ले लें क्योंकि इस उद्देश्य के लिए तो यह निरर्थक है। मुझे आशा है कि आप मेरे प्रस्तावों पर विचार करेंगे और इस विधेयक को वापिस ले लेंगे।

श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) : माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय रेल मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किए गए रेल संरक्षण बल संशोधन विधेयक के संबंध में मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं। इस विधेयक के द्वारा रेल संरक्षण बल, जो कि पिछले 28 वर्षों से बना हुआ है, को केन्द्र के सशस्त्र बल के रूप में बदला जाएगा। यह बहुत आवश्यक है कि सरकार द्वारा रेलवे में लगाए गए 9500 करोड़ रु. के निवेश की सशस्त्र बल द्वारा रक्षा की जाए। वर्ष 1979-80 से 1983-84 के इन पांच वर्षों के दौरान रेलवे में 735 लाख रु. की सामग्री व फिटिंग की चोरी हुई है तथा केवल 342 रु. की सामग्री व फिटिंग की ही बरामदी हो पाई है। इसी अवधि के दौरान 2939 लाख रु. माल की चोरी हुई है जिसमें से 272 लाख रुपये का माल ही बरामद हो पाया है। यदि इसी प्रकार रेलवे की सामग्री फिटिंग तथा माल की चोरी होती रही तो यह स्वाभाविक ही है कि बाध्य होकर यात्री किराए व मालभाड़े का अनुपात बढ़ाना पड़ेगा। इससे आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन आंकड़ों का जिक्र करके मैंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार के सीधे नियंत्रण में सशस्त्र बल होना चाहिए ताकि रेलवे सम्पत्ति तथा रेलवे के माध्यम से भेजा गया माल सुरक्षित रहे।

सभापति महोदय : श्री आर० जीवरत्नम अब आप अपना भाषण यहीं तक रहने दीजिए।

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चूंकि अब तीन बज चुके हैं तथा अब हमें गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव आदि लेने हैं इसलिए आप अपना वक्तव्य अगली बार जारी रख सकते हैं।

3.00 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हुसैन दलवाई (रत्नगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 22 अगस्त, 1985 को सभा में प्रस्तुत किये गए पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 22 अगस्त, 1985 को सभा में प्रस्तुत किए गए पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.01 म० प०

विधेयक

(एक) जानकारी की स्वतंत्रता विधेयक *

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक जानकारी तक पहुंचने और उसे प्राप्त करने की नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु कतिपय अभिकरणों की व्यवस्था करने और तत्सम्बद्ध विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि लोक जानकारी तक पहुंचने और उसे प्राप्त करने की नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु कतिपय अभिकरणों की व्यवस्था करने और तत्सम्बद्ध विषयों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री तम्पन थामस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 23-8-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 19 में संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.03 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(तीन) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक*

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना करने के लिये उपबंध करने उसके गठन, कृत्यों तथा शक्तियों को परिनिश्चित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना करने के लिए उपबंध करने, उसके गठन कृत्यों तथा शक्तियों को परिनिश्चित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करनेकी अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 311 का संशोधन)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 23-8-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.03 म० प०

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 15 क का अन्तः स्थापन)

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री तम्पन थामस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

(छः) कृषि कार्मकार (पेंशन देना, न्यूनतम मजदूरी नियतन, अनिवार्य बीमा और अन्य सुख-सुविधायें विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के लिए पेंशन-भविष्य निधि, न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य सुख-सुविधाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कृषि कर्मकारों के लिए पेंशन, भविष्य निधि, न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य सुख-सुविधाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

(सात) विदेश-निवासी भारतीय राष्ट्रिक (संसद तथा राज्य विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बी० वी० देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेश निवासी भारतीय राष्ट्रिकों को

* दिनांक 23-8-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

भारतीय संसद और राज्य विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विदेश निवासी भारतीय राष्ट्रिकों को भारतीय संसद तथा राज्य विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.04 म०प०

(आठ) विवाह व्यय की अधिकतम सीमा विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बी० वी० देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाह व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारण करने वाले. विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विवाह व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(नौ) अनिवार्य जनसंख्या नियंत्रण (छोटा परिवार अभिवृद्धि तथा अभिप्रेरण) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बी० वी० देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए छोटे परिवार की अभिवृद्धि और अभिप्रेरण तथा अन्य उपायों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि जनसंख्या नियंत्रण के लिये छोटे परिवार की अभिवृद्धि और अभिप्रेरण तथा अन्य उपायों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 23-8-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

3.05 म०प०

(दस) तकनीकी मरम्मत-सफाई एककों का विनियमन तथा नियंत्रण विधेयक

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि देश में तकनीकी मरम्मत-सफाई एककों के विनियमन तथा नियंत्रण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि देश में तकनीकी मरम्मत-सफाई एककों के विनियमन तथा नियंत्रण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

(ग्यारह) परिवार परिसीमा प्रोत्साहन विधेयक *

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मै प्रस्ताव करती हूं कि परिवार नियोजन के उपायों के प्रयोग द्वारा अपने परिवारों को परिसीमित करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि परिवार नियोजन के उपायों के प्रयोग द्वारा अपने परिवारों को परिसीमित करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं विधेक पुरःस्थापित करती हूं।

3.06 म० प०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक [जारी]

धारा १२५ और १२७ का संशोधन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा 10 मई, 1985 को पेश किए गए निम्न प्रस्ताव पर और आगे विचार करेंगे। प्रस्ताव है :—

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट बोल रहे थे, वे अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

* दिनांक 23-8-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : वह सोच रहे थे कि उन्हें दोपहर 3.30 पर बुलाया जाएगा। उन्हें बाद में बोलने का मौका दिया जा सकता है। क्या कोई ऐसा नियम नहीं है कि जब तक वे नहीं आते तब तक हम बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा संभव नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : कहीं पर तो कोई छूट दी जानी चाहिए। कम से कम जब तक वह नहीं आते तब तक तो हमें बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ओवेसी अपना भाषण शुरू करें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) मेरे विचार से वह पहले ही बोल चुके हैं।

श्री ओवेसी (हैदराबाद) : मैंने अभी भाषण नहीं दिया है।

[हिन्दी]

डिप्टी स्पीकर साहब, आलिया जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिससे मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत हुई, जिसकी वजह से सारे हिन्दुस्तान के मुसलमानों में तशवीश की एक लहर दौड़ गई, मेरा कहना यह है कि मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वह अपने मजहब में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता।

यहां जितनी भी अब तक तकरीरें हुई, मैं समझता हूं कि किसी भी मुसलमान मेम्बर ने गलत बात नहीं कही, क्योंकि इस्लाम "मोहम्मदुर्रसुलुल्लाह सल्लाहु एलैह वसल्लम" ने दुनिया के सामने पेश किया और यह अल्लाह का भेजा हुआ मजहब है। इसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकता। इसमें अगर किसी मदाखलत की बात होती है तो हम इसको कतई-कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि यहां मैम्बर्स ने बहुत सी मिसालें दीं कि पाकिस्तान व मलेशिया में तबदीलियां हुई और दीगर मुकामात में तबदीलियाँ हुई। डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ सेठ साहब आ चुके हैं, अगर वह······मैं कंटीन्यु करूं या······

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री ओवेसी : मैं यह कह रहा था कि जिन मुमालिक के अन्दर यह बात कही जाती है, कि वहां तबदीलियाँ हुई तो यह कतई गलत किस्म की बात है कि कहीं किसी इस्लामी मुल्क के अन्दर तबदीली हुई। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए मान भी लीजिये कि कहीं कुछ हुआ है तो यह मजहब जियाउल हक का या और किसी का नहीं है। किसी को इसमें तबदीली का कोई हक हासिल नहीं है। अगर किसी मुल्क में भी ऐसी बात है तो वह हमारे लिए काबिले कूबल नहीं है क्योंकि अगर वह करते हैं तो गलती कर रहे हैं।

इसी तरीके से यहां बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं कि बहुत से लोगों ने इस पर्सनल ला के खिलाफ, बाज मुसलमान ने भी बात कही है। मैं आपके सामने यह बात रखूं कि जो मजहब में मदाखलत की बात करते हैं, वह मुसलमान नहीं हैं। यहां यह भी कहा गया कि अजगर अली इंजीनियर ने और दीगर लोगों ने बात कही। यह साफ बात है कि अगर वह कोई ऐसी बात

करते हैं तो वह मुसलमान नहीं हैं। अब जब कि वह मुसलमान नहीं हैं तो फिर उनको इस मामले में कहने का कोई हक हासिल नहीं है।

दूसरी तरफ इस ऐवान के अन्दर यह बात भी कही गई कि औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है और औरतों के ताल्लुक से हमदर्दी की बात कही गई है। लेकिन अजीब इत्तफाक की बात है कि जिस वक्त पर्सनल ला का मामला हिन्दुस्तान में चल रहा है, उसी समय हम देखते हैं कि गुजरात में भी हंगामा हुआ और वहां भी औरतों के साथ बेइज्जती हुई, लेकिन उस मसले के ऊपर किसी ने नहीं कहा। आखिर वहां भी तो औरतों पर जुल्म हो रहा है। क्या कई अखबारात में यह नहीं आया कि उनकी शर्मगाहों के अन्दर नेजे और तेजाब डाला गया ? उस वक्त ये हमदर्दी करने वाले कहां थे ? उस वक्त औरतों के लिये बात करने वाले नजर नहीं आये।

आज सिर्फ मुस्लिम पर्सनल ला के ताल्लुक से मसले को लेकर एक साथ सिविल कोड को नाफिज करने की साजिश करते हुए, उनसे हमदर्दी की बात की जा रही है।

औरत तो पिस रही है, लेकिन उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। इस्लाम एक दीने फितरत है और वह फितरत के खिलाफ नहीं गया। वह चाहता यह है कि कोई औरत बगैर शादी-शुदा न रहे, बल्कि अगर उसका तलाक होता है तो वह निकाह करे। क्योंकि सोसाइटी के अन्दर बगैर शादी के रहने से सोसाइटी में खराबियां पैदा होती हैं, इसलिये इस्लाम नहीं चाहता कि खराबियां पैदा हों, बल्कि वह चाहता है कि औरत निकाह करे और हदीमे शरीफ भी है कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से इन्कार किया, वह मुझ से नहीं है। इतनी ज्यादा चीज निकाह केलि एक ही गई है। यही आज आप देखते हैं कि इस चीज को लेकर यह बातें की जाती हैं, लेकिन आखिर और फिक्र करने की जरूरत है। जो कुछ भी यहां पर यह बात की जाती है, उसमें मैं यही कहूंगा कि बेहतर यह होगा कि आप इस कानून में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसमें आप तरमीम कर दें और मुसलमान हस्बे मंशा जैसा चाहते हैं वैसा ही कीजिए। आज सेक्युलरिज्म की बुनियादी को मजबूत किया जाये।

पूरे मजहब के ताल्लुक से आपको कहने का अख्तियार नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि आप अपने मजहब के तहफ्फुज के ताल्लुक से तो अपना क्वानीन गाजाकुशी के लिए बनाते हैं। अगर आप वाकई सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं तो यह न करें। इस फैसले की वजह से आज हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया के अन्दर और पूरे आलम इस्लाम के अन्दर बेचैनी है क्योंकि इस्लाम की तारीख में यह पहला वाक्या है कि ऐसा फैसला हुआ और उसकी शरीयत में तबदीली की बात की जा रही है। 1400 बरस के बाद यह पहला वाक्या है कि यह रोनुमा हुआ। इसके लिए तमाम लोगों के अन्दर बेचैनी पाई जाती है। इस बेचैनी को दूर करने का एक ही तरीका है कि फौरी तौर पर आज बनातवाला साहब ने इसको पेश किया है, उसको कबूल किया जाये और इस मसले को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म करके रख दिया जाये। अगर यह फैसला इसी तरीके से चलता रहेगा तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई अच्छे हालात पैदा होंगे बल्कि बड़े मुरतब असरात होंगे और मुसलमानों के अन्दर बेचैनी पैदा होती जायेगी।

आप देख रहे हैं कि इस मसले के ताल्लुक से पूरे हिन्दुस्तान में जो बेचैनी का इजहार किया गया शायद किसी मसले के ऊपर आज तक हिन्दुस्तान में इस कद्र बेचैनी का इजहार नहीं किया गया। इन तमाम चीजों को देखते हुए हुकूमत के लिये बेहतर होगा कि वह अपने पर

गौरोफिक्र करे और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी चाहिए कि वह ऐसा फैसला देने से पहले इसलाह करें क्योंकि यह एक मजहब का मामला है और मजहब के अन्दर फैसला देते वक्त मुसलमान जज को चाहिए कि वह फैसला दे। क्योंकि इजतिहाद करने का हक सिर्फ मुसलमान को हासिल है किसी और को इसका हक हासिल नहीं है और यही चीज हमारे सामने है कि जहां तक हो मुस्लिम जजेज को ही यह हक हासिल होता है। उसके लिए चन्द शरायत रखे गए हैं। किसी मजहब के मुताल्लिक भी न पार्लियामेंट को यह हक हासिल है और न सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है। दुनिया की किसी ताकत को यह हक हासिल नहीं है कि वह इस तरीके का कानून बना कर उसकी दिलआजारी का सबब बने और मैं यही चाहूंगा कि ऐवान इसके ऊपर गौर स्थगित करे हिन्दुस्तान में जो मुसलमानों के अन्दर एक बेचैनी फैली हुई है उस बेचैनी को दूर किया जाये। उसकी बेचैनी को दूर करने का बेहतरीन तरीका यह हो सकता है कि हमेशा हमेशा के लिए इन तमाम दरवाजों को बन्द कर दिया जाये ताकि इस किस्म के मसायल कभी उठने न पावें और न इस किस्म की बेचैनी हो।

मैं चाहूंगा कि जिन मेम्बरान ने भी इस तरह की बातें कही हैं वह अपनी तकरीर में कोई ऐसी बात न कहें जिससे किसी की दिलआजारी की बात होती है। बहुत सी ऐसी चीजें कही गईं और औरतों ने ऐसी बात कही, आप बताइए कि दो चार बातों को लेकर आप कोई कानून नहीं बना सकते। मेजारिटी क्या चाहती है यह आप देखते हैं। हिन्दुस्तान में अकसरियत ने यह फैसला दिया और उलमा के वफ्द में भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। ये तमाम चीजें हैं जहां फैसला करने में कतई तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने गलती की है और ऐसे हवाले दिए हैं कि मैं उसका यहां इजहार करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि इस मसले को कबूल किया जाये और इस बेचैनी को हमेशा के लिए खत्म किया जाये क्योंकि हिन्दुस्तान के अन्दर लोग अपनी एक वाजहएजाज रखते हैं और यह कोई ठीक बात नहीं है कि इतनी बड़ी अकलियत को बेचैनी में मुबितला कर दिया जाये। उनके मजहब के अन्दर मदाख्लत का सिलसिला जो शुरू हुआ है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाये। इतनी बात कह कर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक विशेष मामले के रूप में मैं श्री सुलेमान सेट को अनुमति देता हूं क्योंकि जब मैंने उनका नाम पुकारा था, वे उपस्थित नहीं थे, किंतु फिर भी उनके एक सहयोगी श्री बनातवाला ने कहा कि उन्हें कोई आवश्यक कार्य था और वह देर से आना चाहते हैं। अतः एक विशेष मामले के रूप में मैं श्री सुलेमान सेट को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति देता हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, जब 9 अगस्त को सदन स्थगित हुआ मैं उस समय बोल रहा था और मेरे प्रिय सहयोगी जनाब गुलाम मुहम्मद बनातवाला द्वारा प्रस्तुत दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर चर्चा हो रही थी। मैं उस दिन केवल एक दो मिनट के लिए बोल सका था, अब मैं अपना भाषण पुनः आरम्भ कर रहा हूं। मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने की अनुमति दी है यद्यपि मैं थोड़ा विलम्ब से आया।

आरम्भ में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरी बात थोड़े अधिक समय के लिए सुनें । मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा, एक नाजुक मामला है जिसका इस देश के 12 करोड़ लोगों की धार्मिक सुरक्षा और उनकी धार्मिक पहचान से गहरा सरोकार है । पिछली बार जब मैंने 9 अगस्त को बोलना बन्द किया था, मैंने जोर देकर सदन से कहा था कि उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय यानी, ए०आई०आर० 1985 एस०सी० 945 से मुस्लिम पर्सनल लॉ का सम्पूर्ण और घोर उल्लंघन हुआ है । उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप किया है । इतना ही नहीं उच्चतम न्यायालय ने किसी जांच के बिना दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक के विभिन्न धाराओं के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों की अवहेलना की है इस प्रकार संसद के आशय की भी अवहेलना की है । इससे आधिक दुख की बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने कुरान के दो अलग-थलग अंशों की गलत व्याख्या की है । उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर अन्य अंशों की उपेक्षा करके सन्दर्भ से हट कर इन अंशों को उद्धृत किया है । और पैगम्बर की परम्पराओं को भी भुला दिया है । पवित्र ग्रंथ कुरान की आयतों की पिछले 1400 वर्ष से चली आ रही मान्य व्याख्या की उपेक्षा करके उन आयतों की ऐसी गलत व्याख्या नहीं की जा सकती जिससे देश में गलत धारणा बने । सभी धर्मग्रंथ महत्वपूर्ण हैं । सभी धर्मग्रंथ पवित्र हैं, चाहे वह कुरान हो या बाइबिल, या ग्रंथ साहब अथवा वेद हों । सभी पवित्र हैं और किसी को भी इन पवित्र ग्रंथों में दिए गए आदेशों की इस प्रकार मनमाने ढंग से व्याख्या करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । अतः मैं यह महसूस करता हूं कि संसद को दण्ड प्रक्रिया संहिता का कुछ इस प्रकार से संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ को संरक्षण प्राप्त हो और इस प्रकार उच्चतम न्यायालय का निर्णय निष्प्रभाव हो जाये; नहीं तो हमारे देश का धर्म निरपेक्ष स्वरूप समाप्त हो जाएगा । संविधान के 'मूल अधिकार' नामक अध्याय में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता एक मखौल बन जाएगी । इस प्रकार हम भविष्य के लिए एक बहुत ही बुरी परम्परा निर्धारित करेंगे । अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि यह संसद का कर्तव्य है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन कर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभाव किया जाए ।

और कुछ कहने से पूर्व एक मूल तत्व को स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए । जहां तक शरीयत का संबंध है और मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत का ही एक अंग है—यह मानव-निर्मित कानून नहीं है । यह एक पवित्र अवतरण है । यह कुरान के आदेशों और पैगम्बर की परम्पराओं पर आधारित है । जहां तक शरीयत का संबंध है और पर्सनल ला का संबंध है यह एक पवित्र कानून है । यह एक ठोस कानून है । यह इस्लाम धर्म का एक असंक्राम्य और अभिन्न अंग है । और इसके साथ ही हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि यह एक पवित्र कानून है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और न ही इस में हस्तक्षेप किया जा सकता है । अल्लाह के हुकम को बदला नहीं जा सकता । अतः हम सुनिश्चित रूप से अनुभव करते हैं कि जहां तक शरीयत का संबंध है, पर्सनल लॉ का संबंध है यह सर्वकालिक हैं और सभी आस्तिकों (मुसलमानों) के लिए हैं ।

यहां यह बात मैं स्वयं नहीं कह रहा हूं। यह पवित्र कुरान में कहा गया है। मैं इसके मूल पाठ की ओर नहीं जाऊंगा इसके अनुवादित पदों का उद्धरण दूंगा। यह अध्याय दो (सूरेबकर) की आयत संख्या 229 है। जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ने ये हदें ठहरा दी हैं। उसकी बांधी हुई कुछ हदें हैं। अल्लाह ने कुछ कानून तय किए हैं। अल्लाह कहता है, "ये मेरी बांधी हुई हदें हैं तो इनसे आगे मत बढ़ो।" इसका मतलब है कि इन सीमाओं का अतिक्रमण मत करो, इनमें दखलन्दाजी मत करो, अपनी पसंद तथा नापसंदी के अनुसार कुछ खण्डों को छोड़कर कुछ अन्य खण्डों का पालन मत करो। आप को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। और आगे इस में कहा गया है: "और जो अल्लाह की बांधी हुई हदों से आगे बढ़ जायें तो यही लोग अन्यायी हैं।

यहां मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसके पश्चात कुरान शरीफ में और आगे कहा गया है और यह बताया गया है कि अल्लाह की बांधी हुई इन हदों से आगे बढ़ने से क्या होता है। मैं आस्तिक हूं। मुझे अपने धर्म-ग्रन्थ में विश्वास है और मुझे मालूम है कि भारत की 90 प्रतिशत जनता आस्तिक है। वह हिन्दू धर्म अथवा ईसाई धर्म अथवा जैन धर्म अथवा बौद्ध धर्म या किसी अन्य धर्म में विश्वास रखते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को धर्म-ग्रन्थों का आदर करना चाहिए। मैं अन्य धर्मों के ग्रन्थों का आदर करता हूं—और मैं चाहता हूं कि अन्य लोग भी इस्लाम के इस धर्म-ग्रन्थ का आदर करें।

आगे अल्लाह कहते हैं—मैं मूल अरबी पाठ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस में बहुत अधिक समय लगेगा, मैं केवल अनुवाद पढ़ूंगा। यह अध्याय चार की आयत 14 से है। इस में अल्लाह कहते हैं—मैं अब्दुल्लाह यूसुफ द्वारा किए गए अनुवाद से उद्धरण दे रहा हूं। इसमें लिखा है: "जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म न माने और अल्लाह की हदों से हट कर चले तो (अल्लाह) उसको (नरक की) आग में दाखिल करेगा।" हो सकता है कुछ लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हों अथवा अल्लाह में विश्वास नहीं करते हों अथवा नरक में विश्वास नहीं करते हों, उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। किन्तु सभी आस्तिकों से मुझे यह कहना है जो कि अल्लाह ने कहा है। मैं उद्धृत करता हूं: "जो अल्लाह की हदों से हटकर चले (तो अल्लाह) उसको (नरक की) आग में दाखिल करेगा, (वह) उसमें हमेशा रहेगा और उसको जिल्लत की मार दी जायेगी।" यह बात कुरान शरीफ में उन लोगों के लिए कही गई है जो कि अल्लाह की हदों से हटकर चलते हैं, उन लोगों के लिए है जो पर्सनल लॉ को बदलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि वे पर्सनल लॉ में, दखलंदाजी सहन कर सकते हैं। यह एक मुस्लिम, एक सच्चे मुसलमान के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उसे कुरान के आदेशों के अनुसार अपना जीवन ढालना है। और जो ऐसा नहीं करता वह किसी भी प्रकार मुसलमान नहीं कहला सकता। यह मैं नहीं कह रहा हूं। मैं यह बात अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के उलेमाओं (पण्डितों) के प्रमाण से कह रहा हूं। अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अब उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी है। मैंने आप से कहा कि शरीयत कितना महत्वपूर्ण है और इस संबंध में उच्चतम न्यायाल के निर्णय में कहा गया है। मैं उद्धृत करता हूं।

"इस धारा के अन्तर्गत उस (महिला) को प्राप्त (उपलब्ध) सांविधिक अधिकार, उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के उपबन्धों से अप्रभावित रहता है।"

इसका अर्थ है कि यदि पर्सनल लॉ और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के बीच टकराव की स्थिति हो तो धारा 125 ही प्रमुख होगी। उच्चतम न्यायालय का यही कहना है। कृपया उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पृष्ठ 12 देखिए। इस में स्पष्टतः कहा गया है कि यदि इन दोनों में कोई टकराव हो तो पर्सनल लॉ के मुकाबले धारा 125 मान्य होगी। इस का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय अपने इस निर्णय द्वारा सारे देश में पर्सनल लॉ को रद्द करना चाहता है। मुसलमान उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से अप्रसन्न हैं। इसके विरुद्ध भरपूर और व्यापक आक्रोश है। अब जब मैं यह कह रहा हूं कि हमारे वे मित्र जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हैं वे यह कह सकते हैं कि प्रगति वादी विचारधारा वाले हमारे पक्ष में हैं। हां; मुट्ठीभर प्रगतिवादी लोग हैं। इस बात को समझना है कि वे सभी लोग जिन्होंने बनातवाला के विधेयक का समर्थन किया है और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विरोध किया है वे दकियानूस और रूढ़िवादी नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है। इस संसद में कितने मुसलमान सदस्यों ने भाषण दिए हैं। वे सभी कांग्रेस दल के हैं। मि० अजीज सेट बोले हैं; मि० फकीर मोहम्मद ने भाषण दिया है; मि० जैनुल बशर ने भी चर्चा की है। सभी देश के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। वे शिक्षित और सुसंस्कृत सज्जन हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने गलती कि है; उच्चतम न्यायालय का निर्णय गलत है।और वह बनातवाला के विधेयक का समर्थन करते हैं और फिर यह कहा जाता है कि आपको सभी महिलाओं का समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल नहीं। क्या सपना है। नो तारीख को यहां बेगम आबिदा अहमद बोल रही थी। वह एक प्रगतिशील शिक्षित, सुसंस्कृत महिला और संसद सदस्य व भूतपूर्व राष्ट्रपति की पत्नी हैं। उन्होंने कहा "वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हैं।" हमने रमजान के आखिरी शुक्रवार को शरीयत रक्षा दिवस मनाया था प्रधान मंत्री, तथा गृह मंत्री जी और विधि मंत्री जी को लाखों तार प्राप्त हुए थे। इन सभी ठोस तथ्यों को अत्यन्त ध्यान से समझना है।

महोदय, अब जैसा कि मैंने आरम्भ में ही कहा था उच्चतम न्यायालय ने इस संसद के आशय की पूर्णतः उपेक्षा कर दी है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरे सहयोगी श्री बनातवाला सम्पूर्ण मामले को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। जब 1973 दण्ड में प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत लागू की गई थी तो यह पाया गया था कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध हैं, अतः हमने अभ्यावेदन किए थे। देश में आन्दोलन हुए। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रतिनिधि मण्डल तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिला। प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने हमारी स्थिति को समझा। उन्होंने निदेश दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के निदेश पर स्पष्टतः धारा 27(3) (29) जोड़ी गई। और यह कांग्रेस सरकार का निर्णय था और इस संशोधनकारी धारा पर स्वीकृति की मोहर इस सम्मानीय सभा द्वारा लगाई गई थी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसी सदन ने अनुच्छेद 27(3)(ख) पारित किया था जिसका आशय मुस्लिम पर्सनल लॉ को संरक्षण प्रदान करना था। मुझे खुशी है कि हमारे गृह-मंत्री श्री एस०बी० चह्वाण यहां उपस्थित हैं। दिनांक 17 अगस्त, 1985 के इण्डियन एक्सप्रेस में यह समाचार प्रकाशित हुआ है। यह श्री चह्वाण ने सभा में असम समझौते

की घोषणा करते हुए कहा था। मैं इण्डियन एक्सप्रेस, दिनांक 17 अगस्त, 1985 से उद्धरण दे रहा हूं :

"श्री चह्वाण ने दावा किया है कि वर्तमान सरकार इंदिरा गांधी की सरकार की नीतियों पर ही चल रही है। उन्होंने कहा सभी मामलों में वर्तमान सरकार का सम्पूर्ण दृष्टिकोण वही है।"

इंदिरा गांधी की क्या नीति थी ? उस समय उनकी सरकार की क्या नीति थी ? जब गृह मंत्री कहते हैं कि वे उन्हीं नीतियों पर चल रहे हैं, उनमे जरा भी भिन्न नहीं हैं, तो मैं यह कहूंगा कि वे ऐसी स्थिति में ऐसा संशोधन लाने के लिए बाध्य हैं जैसा कि 1972 में किया गया था और वे मुस्लिम पर्सनल ला को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तभी आप यह कह सकेंगे कि वर्तमान सरकार श्रीमती गांधी की नीतियों पर चल रही है। यहां मैं कहना चाहूंगा और एक संदर्भ देना चाहूंगा कि मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

दिनांक 11 दिसम्बर, 1973 का दिन था, इसी सभा में, श्री मिर्धा तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक रखा था और धारा 127 की उपधारा (3) के खंड (ख) जोड़ने के लिये संशोधन पेश करते हुए कहा था :

"जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ जातियों की प्रथा अथवा उनके पर्सनल ला के अधीन तलाकशुदा स्त्री को कुछ राशि दी जानी होती है। इस राशि का भुगतान किए जाने पर न्यायाधीश द्वारा गुजारे के लिए दिए गए आदेश को रद्द किया जा सकता है।"

पुनः राज्य सभा में, जब विधेयक का खंड 127 (3) (6) पुरःस्थापित किया गया और उनके संशोधन पर चर्चा की गई तब श्री मिर्धा ने कहा :

"दंड प्रक्रिया संहिता के जरिए मुसलमानों के पर्सनल ला में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है।"

यह बहुत स्पष्ट है। संसद का इरादा स्पष्ट है और आज सर्वोच्च न्यायालय संसद के इरादे के खिलाफ कह रहा है।

महोदय, कुरान की पंक्तियों की की गई व्याख्या को देखते हुए मैं अवश्य कहूंगा कि वह उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। संदर्भ रहित उद्धरण चुने गए हैं और गलत व्याख्या की गई है। सूरत बकर के अध्याय दो से ली गयी आयत सं० 241 तलाक इद्दत और गुजारे से संबंधित आयत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब्दुल्ला यूसुफ अली ने अल्हागरा की 241वीं आयत में माता शब्द को मेहर शब्द का अर्थ दिया है। लेकिन विनम्रतापूर्वक मैं बताना चाहूंगा कि उन्हीं अब्दुल्ला यूसुफ अली ने माता शब्द का 11 स्थानों पर अर्थ दिया है एक या दो स्थानों पर नहीं। सूरा 2 में उन्होंने इसे कर की उचित राशि कहा; सूरा 2, आयात 240 में उन्होंने इसे मेहर कहा, सुरा 3, आयत 34 में उन्होंने इसे अधिकार कहा, सूरा 3, आयत 196 में उन्होंने इसे 'मनोरंजन' कहा, सूरा 9, आयत 38 में उन्होंने इसे 'सुविधा' कहा है; सूरा 10, आयत 76 में उन्होंने इसे 'कुछ मनोरंजन' कहा; सूरा 16, आयत 117 में उन्होंने इसे 'लाभ' कहा; सूरा 79, आयत 37 में उन्होंने इसे 'उपयोग और सुविधा के लिए' बताया है।

इस प्रकार आयत के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। अत्यधिक अधिप्रमाणिक अरबी कोश लिसानुल अरब में माता का अनुवाद में इसका अर्थ एक बार भुगतान से है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि मेहर का भुगतान हमेशा किया जाता रहेगा। श्री पिकथावल और मनथोमा मनदूम सहित अनेक अन्य अनुवादों में भी यही अर्थ लिया गया है।

अब मैं कुछ और बताना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहने के लिए सूरा 2 की 241वीं आयत चुनी है कि तलाकशुदा पत्नी को मेहर उसके पुनः विवाह होने तक दिया जाना चाहिए। वास्तव में, यह सूरा 65 है जो सूरा तलाक कहलाता है जिसका अर्थ है तलाक। यह तलाक इद्दत और मेहर के संबंध में सभी मार्गनिर्देश और निर्देश देता है। सूरत तलाक का संदर्भ दिए बिना और तलाक और मेहर से संबंधित सूरा का अध्ययन किए बिना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कुरान के सूरत सूरे बकर अध्याय दो से संदर्भ विहीन आयत चुनी है। सम्पूर्ण मुस्लिम विश्व में तलाकशुदा पत्नी को उसके पुनः विवाह होने अथवा मृत्यु होने तक मेहर दिए जाने का एक भी मामला नहीं हुआ है। यह स्वयं पैगम्बर साहब ने व्याख्या की है। पैगम्बर साहिब के अनुयायियों ने जो व्याख्या की है वह भिन्न है। तत्पश्चात् वहां विद्वान मुस्लिम, विधि वेता, उलेमास, मुस्लिम विद्वान और चार विचारधाराओं हन्फी, मलकी, शाफी और हमबली के इमामों में से किसी ने भी यह नहीं कहा है कि मेहर पुनः विवाह अथवा मृत्यु तक दिया जाता है। इस विषय में सभी का एकमत है कि मेहर केवल इद्दत की अवधि तक के लिए दिया जाता है। और उसके बाद नहीं। यह पिछले 1400 वर्षों की बिना किसी परिवर्तन की स्थिति है।

मुस्लिम देशों में परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मुस्लिम देशों में क्या परिवर्तन हुए हैं ? कोई नहीं। वह पाकिस्तान के बारे में कहते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में कुरान के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए शरियत न्यायालयों की स्थापना की है। इस प्रकार कोई परिवर्तन कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। यहां मेरे पास अलखबार है। यह एक अरबी दैनिक है मिस्र की राजधानी काहिरा से प्रकाशित होता है। मिस्र एक प्रगतिशील मुस्लिम देश है। उनका क्या निर्णय है ? इस देश की संसद ने मिलकर निर्णय लिए हैं जो 1 जुलाई, 1985 के समाचार पत्र में दिए गए हैं। यदि यहां कोई अरबी भाषा जानता है— शायद जियाउर्रहमान अंसारी जानते हैं— मैं यह उन्हें दे सकता हूं। वह समाचार पत्र पढ़ सकते हैं ताकि वह देख सकें कि जो अनुवाद मैं कर रहा हूं वह ठीक है या नहीं। मैं मिस्र के अलखबार दिनांक 1 जुलाई, 1985 से दिए समाचार का अंग्रेजी अनुवाद से उद्धरण दे रहा हूं।

> "मिस्र देश की संसद ने अभी हाल में एक व्यापक परिवार कानून पारित किया है जिसमें विवाह, तलाक, इद्दत" (प्रतिक्षा अवधि) बच्चों की अभिरक्षा आदि शामिल है।
>
> इस नए पारित कानून में एक प्रावधान यह है कि इद्दत की अवधि के दौरान अपनी तलाकशुदा पत्नी के मेहर के लिए पति उत्तरदायी होगा।"

1 जुलाई, 1985 को यह निर्णय एक ऐसे देश द्वारा लिया गया है जिसे आप अत्यन्त उन्नत कहते हैं। मैं यहां एक ऐसे मुस्लिम देश और फिर एक निर्णय का उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि मेहर केवल इद्दत की अवधि तक के लिए है, उसके बाद नहीं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इसका अर्थ है कितने समय तक के लिए ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : तीन माह।

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : कौन सा देश है ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मिस्र। यह 3 जुलाई 1985 का अलखबार है।

प्रो० एन० जी० रंगा : तीन माह के बाद होगा ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैं आपको बताऊंगा कि तीन माह के बाद क्या होता है। मुस्लिम न्यायिकों ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं जिनका कहना है कि—

"तलाकशुदा पत्नी का तलाक के बाद 3 माह तक भरण-पोषण किया जाना चाहिए। यदि वह गर्भवती है तो सन्तान के जन्म तक। इसके बाद यदि वह बच्चे का पोषण कर रही है तो उसे पोषण की अवधि तक मेहर मिलता है, चाहे वह अवधि कितनी ही क्यों न हो।"

"लड़के के लिए मेहर 7 वर्ष तक और लड़की के लिए वयस्क होने तक दिया जाता है। उस समय तक बच्चा मां की अभिरक्षा में रहेगा।"

यह बिल्कुल स्पष्ट है। पुनः इसके पश्चात् तलाकशुदा पत्नी अपने माता-पिता के परिवार में लौट जाती है और इस्लाम में एक व्यापक अनुरक्षण कानून है जो ऐसे मामलों के बारे में है।

कुरान और पैगम्बर की परम्पराओं मे किसी का कोई विवाद नहीं हो सकता है। कुरान में कानून निर्धारित है। विधिवेत्ताओं और विद्वानों ने हिदायत आदि जैसी प्रमाणिक पुस्तकों में बिवरण दिए हैं। यह सब विवाद से परे हैं। कुरान में उल्लेख है : मैं अब्दुल्ला यूसुफ अली के अंग्रेजी अनुवाद का अनुवाद उद्धृत करता हूं :—

सूरा LXV (तलाक) की प्रस्तावना

यह समुदाय के सामाजिक जीवन से सम्बद्ध दस लघु मदीना सूराओं में नवां सूरा है। इसमें तलक से सम्बद्ध और उसके दुरुपयोग से बचने के लिए पूर्वोपायों की आवश्यकता के पहलू प्रतिपादित हैं। समुदाय के सामाजिक जीवन में स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इसमें तथा आगे आने वाले सूराओं में इसके कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। पैगम्बर ने कहा है कि "कानून द्वारा अनुमत सभी बातों में खुदा की नजर में तलाक सबसे अधिक घृणास्पद है।" (अबू दाऊद, सुनान, xiii, 3)। जबकि शादी की पवित्रता पारिवारिक जीवन का अत्यावश्यक आधार है, व्यक्तिगत असंगति और मानवीय स्वभाव की कमजोरियां कुछ समाधान और सुरक्षा उपायों की अपेक्षा करती करती है यदि उस पवित्रता को मानवीय जीवन की कीमत पर अन्ध पूजा का रूप नहीं दिया जा सकता। इसलिए ही तलाक का प्रश्न सूरा में गुस्ताख अपवित्रता और उसकी सजा के साथ जुड़ा है।"

पैगम्बर मक्का और मदीना में रहते थे। वे अल्लाह के आदेश पर मक्का से मदीना चले आए थे। मक्का और मदीना दोनों स्थानों पर उन्हें रहस्योद्घाटन हुआ।

यह अध्याय कुरान सूरा तलाक में है जिसका रहस्योद्घाटन पैगम्बर मुहम्मद को मदीना में हुआ था। कहा जाता है कि यह तलाक से सम्बद्ध दस लघु मदीना सूराओं में से नौवां है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय में इस सूरा का उल्लेख करना चाहिए था न कि सूरे बकर

का। सूरा तलाक में तलाक और मेहर से संबंधित मामलों पर विचार किया गया है और साथ ही इसकी बुराइयों से बचने के लिए पूर्वापाय की आवश्यकता के बारे में चेतावनी भी दी गई है। ये बुराइयां हैं इसमें दी गई सुविधाओं और अनुज्ञाओं का दुरुपयोग होता है। परन्तु कुछ बुराइयों और कुछ दुरुपयोगों को छोड़कर जो कि अपवाद स्वरूप हैं, आप यह नहीं कह सकते कि कानून ठीक नहीं है। यदि कोई अर्द्धविक्षिप्त व्यक्ति चाकू से स्वयं को मार ले तो आप उस पागल के कृत्य के लिए चाकू को दोष नहीं दे सकते।

मैंने तलाक पर इस अध्याय की प्रस्तावना पढ़ी है। अब मैं इस सूरा से 4 और 6 आयत पढ़ता हूं। सूरा 65 जिसे तलाक कहते हैं, तलाक का अर्थ अंग्रेजी के 'डायवोर्स' से है। इसमें अनेक छोटी-छोटी बातें तक विस्तार से दी गई हैं। आपको अन्य किसी पुस्तक को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि कोई, कोई अन्य अमान्य किताब का उद्धरण देता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। जब कुरान की बात होती है तो उसमें स्पष्ट आदेश हैं। किसी अन्य किताब का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यह एक मूल बात है जिसे दिमाग में रखना होगा। केवल ऐसी अवस्था में जबकि आप कुरान से मार्गनिर्देशन नहीं पाते उन्हें 'हदीश' उसके बाद 'इज्मा' का और अन्त में कियास का आश्रय लेना पड़ता है। कुरान के सूरा 65 आयत 4 में कहा गया है। "इस प्रकार की औरतों के लिए पूर्ण विवरण दिया हुआ है — "जिन्होंने हैज की अवधि पार कर ली है, निःसन्देह निर्धारित अवधि तीन माह है।" उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इद्दत अवधि तीन माह है, इस बारे में कहीं कोई सन्देह नहीं है। आपको यदि तीन माह की अवधि के बारे में कोई सन्देह है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों के लिए यह अवधि सन्तान के जन्म तक के लिए है।

मैं सूरा 65 'तलाक' से आयत-6 उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है "औरतों को इद्दत अवधि में अपनी सामर्थ्य के बमूजिब वहीं रखो जहां तुम रहो। उन पर सख्ती करने के लिए दुख न दो। और यदि वे गर्भवती हों (अपने गर्भ में एक और जीव लिए हुए हों।) तो पेट का बच्चा जनने तक उनका खर्च उठाते रहो। यह बिल्कुल स्पष्ट है। कुरान में उल्लेख है कि यदि वे गर्भ में जीव लिए हुए हैं, अर्थात् वे गर्भवती हैं तो इद्दत की अवधि सन्तान के जन्म होने तक है तो उनको मेहर उस अवधि तक दिया जाना चाहिए उसके बाद नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट आदेशों पर विचार नहीं किया।

मैं एक बहुत ही उचित बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी न्यायिक परम्पराओं और मान्य परम्पराओं को ताक पर रख दिया है। एक मामला कृष्णासिंह बनाम मथुरा अहीर का है। यह सर्वोच्च न्यायालय का 1980 का मामला संख्या ए०आई०आर० 1980 एस० सी० 707 है। 1980 के सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले में कहा गया है कि "मौलिक अधिकार पार्टियों के वैयक्तिक कानूनों के आड़े नहीं आते।" "कोई भी न्यायाधीश वर्तमान समय के अपने मत को लागू नहीं कर सकता बल्कि उसे मान्य और अधिकृत स्रोतों से प्राप्त कानून को ही लागू करना चाहिए।" इस सम्बन्ध में मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान कानूनविद मोहम्मद ईसा द्वारा लिखित एक लेख का एक पैरा पढ़कर सुनाता हूं। "सर्वोच्च न्यायालय ने कृष्णा सिंह बनाम मथुरा अहीर (ए०आई०आर० 1980 एस०सी० 707) के मामले में एक परम्परागत हिन्दू कानून को सही ठहराया कि एक शुद्र सन्यासी नहीं बन सकता,

तथा यह कि इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता क्योंकि संविधान के भाग तीन द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार पार्टियों के वैयक्तिक कानून के आड़े नहीं आते।" परन्तु मो० अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम (ए० आई० आर० 1985 एस० सी० 945) के मामले में सर्वोच्च न्यायाल ने इस सिद्धांत को पूर्णतया अमान्य कर दिया तथा मुस्लिम समुदाय को उनके स्वयं के व्यक्तिक कानून से शासित होने के अधिकार से वंचित करके रंग बदल लिया।" इसलिए यह स्पष्ट है कि वर्तमान निर्णय ने सभी परम्पराओं को तोड़ दिया है।"

महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उसका अधिकार क्षेत्र क्या था? इस मामले को उद्धृत करते समय पूरी खण्ड पीठ का मत था: "चूंकि इस मामले में दूरगामी परिणामों सम्बन्धी कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, हम अनुभव करते हैं कि बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन फिदा अली चांथिया तथा और (1979 (2) सैक्सन 316) और फजलन बी बनाम के० खादर वली (1980 (4) सैक्सन 125) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे मत में ये निर्णय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 127 (3) (ख) की असंदिग्ध और स्पष्ट भाषा के विपरीत है, जो इस विषय में मुस्लिम वैयक्तिक कानून का खण्डन करने की बजाय उसका बचाव मंडन करती है और उन मामलों में भी लागू होती है जहां किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया हो तथा निर्धारित मेहर की रकम अदा कर दी गई हो और 'इद्दत' का समय पूरा हो गया हो। ये निर्णय हमें पति द्वारा दिये जाने वाले तलाक की मूल धारणा के विपरीत और मुस्लिम कानून के अधीन उसके परिणामों के विपरीत भी दिखाई देते हैं। तलाक की धारणा का खुलासा मुस्लिम व्यक्तिक विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 में किया गया है और उपर्युक्त निर्णयों में इसी अधिनियम का ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिये हम आदेश देते हैं कि इस मामले को तीन से अधिक जजों की खंड पीठ द्वारा सुने जाने के लिये माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाए।"

ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ को पूर्णतया भुला दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री इब्राहीम सुलेमान (सेट) : बस एक मुद्दा और, महोदय और मैं इसे पूरा करता हूं। बगैर किसी तुक और कारण के सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसे मैं उद्धृत करता हूं। यह उद्धरण पृष्ठ सं० 28 से है। इसमें कहा गया है :—

> "यह खेद का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 केवल संविधान की पुस्तक तक ही सीमित है। इसमें यह व्यवस्था है कि राज्य सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक-समान नागरिक आचार संहिता लागू करने का प्रयत्न करेगा। परन्तु देश में एक समान नागरिक आचार संहिता बनाने के लिए किसी सरकारी कार्यवाही का प्रमाण नहीं मिलता।"

सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के पृष्ठ 29 पर यह कहा गया है कि :

> "निश्चय ही न्यायालय को एक सुधारक की भूमिका अपनानी होगी। क्योंकि

संवेदनशील मानस के लिए स्पष्ट रूप से अन्याय को होते हुए देखना उसकी सहन शक्ति से बाहर है।"

मैं, इस संबंध में एक स्मरणीय तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब एक समान नागरिक आचार संहिता पर बहस हो रही थी और कई मुस्लिम सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया गया था तब तत्कालीन न्याय मंत्री डा० अम्बेडकर ने बहस का उत्तर दिया था। मैं बहस के उस अंश को उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा था।

> "कोई भी सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं करेगी जिससे मुस्लिम समुदाय बगावत में उठ खड़ा हो। मैं समझता हूं कि यदि कोई सरकार ऐसा करती है तो वह एक पागल सरकार होगी।"

मैं अपने देश की सरकार द्वारा दाखिल किए गये एक शपथ-पत्र, जोकि बिलकुल स्पष्ट शब्दों में है से पुनः उद्धृत करूंगा। यह मामला श्रीमती शहेनाज शेख बनाम भारत सरकार और अन्य के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई 1983 की याचिका सं० 13451 से सम्बन्धित है। भारत सरकार ने इस संबंध में एक मौलिक पक्ष लिया है। हमारे न्याय मंत्री जी श्री सेन को इसकी जानकारी होगी तथा वे श्री वी० आर० अत्तरे को भी जानते होंगे जिन्होंने भारत सरकार की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था। शपथ-पत्र में कहा गया है :—

> "किसी भी दशा में निर्देशक सिद्धांत आदेशात्मक नहीं हैं और उन्हें लागू नहीं किया जा सकता।"

यह बहुत ही स्पष्ट है। इसे सरकार की घोषित नीति के रूप में लिया जाना होगा। उनकी नीति सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किये गये शपथ-पत्र में स्पष्ट रूप से दी गई है। जिसमें कहा गया है —मैं इसे फिर से उद्धृत करता हूं :

> "सरकार की यह निश्चित नीति है कि अल्पमत समुदायों पर लागू वैयक्तिक कानून के मामले में सरकार तब तक कोई कानून नहीं बनाएगी जब तक कि स्वयं अल्पमत समुदाय से इस आशय की कोई पहल नहीं की जाती।"

और अब जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है वह समाज सुधारक की भूमिका निभाना चाहता है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 13 और निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 37 के तहत उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही ऐसा करना उनके क्षेत्राधिकार में है। यह बहुत ही स्पष्ट है और इस सम्बन्ध में मुझे केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (ए० आई० आर० 193 एस० सी० 1461) के प्रसिद्ध वाद से उद्धृत करने की अनुमति दी जाए। इसमें स्पष्ट रूप से यह ठहराया गया था कि।

> "निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते तथा कोई भी न्यायालय सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित समान नागरिक आचार संहिता बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।"

परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इससे कुछ विपरीत ही कहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी मौलाना अबुल कलाम आजाद का आदर करते हैं। मैं आपका और माननीय मंत्री जी का

ध्यान, जो उनके द्वारा कही बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने यह सब कहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति से भी पूर्व कांग्रेस दल इसके प्रति वचन-बद्ध थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में कहा था : मैं पुस्तक से उद्धरण पढ़ रहा हूं।

[हिन्दी]

"मैं मुसलमान हूं, फख्र के साथ महसूस करता हूं कि मुसलमान हूं, इस्लाम के 1300 बरस के शानदार रिवायतें मेरे विरसें में आई हैं, मैं तैयार नहीं कि उसके छोटे से छोटा हिस्सा भी जाया होने दूं।"

"इस्लाम की तालीम इस्लाम की तारीख, इस्लाम के उलूम व फनून और इस्लाम की तहजीब मेरी दौलत का सरमाया और मेरा फर्ज है कि उसकी हिफाजत करूं।"

میں مسلمان ہوں۔ فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ اسلام کے ۱۳۰۰ برس کے شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں۔ میں تیار نہیں کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔

اسلام کی تعلیم اسلام کی تاریخ اسلام کے علوم و فنون اور اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں۔

[अनुवाद]

"मैं मुलिम पर्सनल लॉ शरीयत के छोटे से छोटे अंग को भी किसी भी कीमत पर त्यागने के लिए तैयार नहीं हूं।"

यह 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। और उन्होंने आगे कहा था……

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : हमें प्रसन्न होना चाहिए कि सेट साहब मौलाना के अनुयायी बन गए हैं। परन्तु उनको वह सब भी उद्धृत करना चाहिए जिसे मौलाना ने अन्य विभिन्न चीजों के बारे में कहा था।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : यह बहुत-बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो कहा, कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुनें।

[हिन्दी]

"जो लोग रफतारा जमाने से बाखबर हैं वह जानते हैं कि दुनिया के तमाम मजाहिब के पैरू अपने-अपने मजाहिब के इस्ला व तरमीम के माइल हैं। इस्लाह का यह सिलसिला गुजिशता 300 साल से कायम है। इसाइयों ने यह इस्लाह की जरूरत इसलिए महसूस की कि ईसवी मजहब के एहकाम एकत जाये जमाना व तग्युर माहौल का साथ न दे सकें।"

[अनुवाद]

"वे बदलते समय के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते" और अन्त में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था :

[हिन्दी]

"लेकिन मैं अल्लाह् वजहिल बसिरत करता हूं कि मुसलमानों को मजहबी काम में इस तरह् की तरमीय व इस्लाह् के यकस्सर की जरूरत नहीं क्योंकि उनकी सूरत की क्वानीन जामे व मुकम्मल है उनमें न तरमीम की गुंजाइश है न इस्लाह् की।"

جو لوگ رفتارِ زمانہ سے باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ دُنیا کے تمام مذاہب کے پیرو اپنے اپنے مذاہب کے اصلاح و ترمیم کے مائل ہیں۔ اصلاح کا یہ سلسلہ گذشتہ ۳۰۰ سال سے قائم ہے۔ عیسائیوں نے اصلاح کی ضرورت اس لئے محسوس کی کہ عیسوی مذہب کے احکام اقتضائے زمانہ و تغیر ماحول کا ساتھ نہ دے سکیں۔

'They cannot keep pace with the changing times.' And finaly Maulana Abul Kalam Azad said :

لیکن میں اللہ وجہل بسیرت کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو مذہبی کام میں اس طرح کی ترمیم و اصلاح کے یکسر ضرورت نہیں کیونکہ ان کی صورت کی قوانین جامع و مکمل ہیں ان میں نہ ترمیم کی گنجائش ہے نہ اصلاح کی۔

[अनुवाद]

यह् स्पष्ट है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत में किसी भी किस्म के तनिक भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। वह हमेशा ही ऐसा ही रहेगा जैसा कि वह है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन और श्री बनातवाला के विधेयक का विरोध करते हुए अनेक सदस्यों ने कहा है कि "इस्लाम" में औरतों का कोई स्थान नहीं है। कैसी दुखद स्थिति है। वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस्लाम ही केवल एक ऐसी विचारधारा है जिसमें महिलाओं को रुतबा सम्मान, और यहां तक कि सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार दिए गए हैं। इस इस्लाम के समान और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो महिलाओं को ऐसी महत्ता रुतबा और ऐसी स्थिति देती हो। मेरे पास यहां इस्लाम कानून के बारे में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का एक उद्धरण है। उन्होंने "आधुनिक भारत में इस्लाम कानून" (पृष्ठ 23) पर कहा है :—

"तलाक सम्बन्धी मुस्लिम कानून का धर्मनिरपेक्ष और व्यावहारिक रवैया उन्नत देशों की समकालीन विचारधारा से मेल खाता है।"

उन्होंने आगे कहा है :—

"भारत में वैवाहिक कानूनों की व्यवस्था में केवल इस्लाम कानून ही एक ऐसा कानून है जो किसी दोष के कारण वैवाहिक सम्बन्धों के टूटने के अत्याधुनिक किन्तु विश्वसनीय रूप से वास्तविक आधारों को स्वीकार करता है।"

यह सब विचार कृष्णा अय्यर ने व्यक्त किये हैं। मैं, अन्त में संक्षेप में सैयद अमीर अहमद की प्रसिद्ध पुस्तक "इस्लाम की आत्मा" से उद्धरण देता हूं :— वे कहते हैं :—

"परन्तु वह शिक्षक मानवता के धन्यवाद का पात्र है जिसने उस युग में जबकि कोई भी देश, कोई भी धर्म, कोई भी जाति कुवांरी अथवा शादीशुदा मां अथवा पत्नी को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं देता था, जबकि पुत्री का जन्म एक अभिशाप माना जाता था, स्त्रियों को वे यौन संबंधी अधिकार दिलाए जिन्हें बीसवीं सदी में भी सभ्य देशों द्वारा उन्हें केवल अनिच्छा और दबाव में आकर ही दिया जा रहा है।"

अब उनका कहना है कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता की आवश्यकता है। परन्तु एक समान नागरिक आचार संहिता होने से राष्ट्रीय एकता खण्ड-खण्ड हो जाएगी। भारत का समाज बहुविध है इसमें बहुत से धर्म हैं। यह अनेक धर्मों, अनेक संस्कृतियों और अनेक भाषाओं का देश है। इसलिए इनको मिलाना अथवा एक रूप करना सम्भव नहीं। यह कभी नहीं हो सकता। एक दिन हमने मुस्लिम वैयक्तिक कानून बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को एक ज्ञापन दिया था। मैं उस ज्ञापन से ही कुछ शब्द उद्धृत कर रहा हूं। इसमें कहा गया है :—

> "राष्ट्रीय एकता समरूपता लादने में नहीं बल्कि विविधता को स्वीकार करने में है, यह अविश्वास और संदेह में नहीं बल्कि आपसी विश्वास में निहित है। राष्ट्रीय एकता तभी मजबूत हो सकेगी जबकि सभी धार्मिक सम्प्रदाय धार्मिक रूप से सुरक्षित और संतुष्ट हों और आश्वस्वत हों कि उनका धर्म अपने सभी आवश्यक अंगों सहित सुरक्षित है और बिना किसी हस्तक्षेप के है तथा वे इसका पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा एक-रूपता और समिश्रण के दबाव के सामने उनकी धार्मिक पहचान की रक्षा की जाएगी।"

इससे सही स्थिति का पता चलता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से नहीं। ये तथ्य हैं। मैंने कुरान का उद्धरण दिया, मैंने अपने संविधान का उद्धरण दिया और जैसा इन्दिरा गांधी सरकार की नीतियों में उल्लेख किया गया है और "मुस्लिम पर्सनल लॉ" की रक्षा हेतु संसद के आशय के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि मौलाना आजाद ने शरीयत और "मुस्लिम पर्सनल ला" के बारे में क्या कहा था। उन सब तथ्यों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय का निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध है और यह पवित्र कुरान का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है और उसकी गलत व्याख्या है और इसे चुनौती देने का एकमात्र तरीका यह है कि श्री बनातवाला के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ताकि मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा की जा सके तथा अल्प संख्यक मुस्लिम वर्ग धर्म निरपेक्षता का आनन्द उठा सकें और इस देश की जनता संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत दी गई अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें। यदि यह नहीं किया गया तो सरकार की सभी घोषणाएं उपहास समझी जाएंगी और संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का कोई भी मूल्य नहीं रह जायेगा। मैं आशा करता हूं कि इन परिस्थितियों को देखते हुए संसद अपने कर्तव्य को समझेगी और कार्यवाही करेगी।

4.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के लिए आवंटित समय पूरा हो चुका है। सवा चार बज रहे हैं। पहले ही हमने एक बार 1 घन्टा और दूसरी बार 3 घंटे बढ़ा दिये हैं। हमारे पास कुल 6 घन्टे थे। अब हम और कितने घन्टे बढ़ा सकते हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : 2 घन्टे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

4.00 म० प०

[हिन्दी]

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मोहतरिम नायब स्पीकर साहब, आपने इस बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आप का शुक्रगुजार हूं। अपनी बात कहने से पहले यह कहना चाहूंगा कि यह कानून का मैदान, शरीयत का मैदान, फिकाह का मैदान ऐसा है कि जहां आसानी से कोई राय नहीं दी जा सकती है और मामूली तौर पर राय नहीं दी जा सकती है। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं हरगिज यह नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वह कतइय्यत मबनी है, पर बिलकुल फाइनलिटी है उसके बारे में। एक बात और कहूंगा कि क्योंकि सेट साहब ने बार-बार यह कहा है कि वह कुरान शरीफ से हवाले दे रहे थे और यह कह रहे थे कि और किताबों से भी हवाले दिए जा सकते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कुरान शरीफ और हदीस के अलावा और दूसरा हवाला नहीं दूंगा और अगर कोई दूसरा हवाला दूं तो मौअज्जिज मेम्बरान से मेरी दरख्वास्त है कि उस दूसरे हवाले को कतई कंसिडरेशन में न लें। लेकिन कुरान और हदीस से मैं जरूर हवाले देना चाहूंगा। मैं यह समझता हूं कि बनातवाला साहब की इस बिल को लाने की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला है जिसको बनातवाला साहब और दूसरे हमारे कई मोअज्जिज मेम्बरान बार-बार बोले हैं जिसको वह यह समझते हैं कि यह मुस्लिम पर्सनल कानून पर हमला है या उसमें मदाखलत भी है।

जहाँ तक यूनिफार्म सिविल कोड का ताल्लुक है उसके बारे में हुकूमत एक बार नहीं बार-बार वाजेह कर चुकी है और मैं नहीं समझता हूं कि किसी मजीद वजाहत की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राइम मिनिस्टर का बयान आया। सुप्रीम कोर्ट में एक औरत सी० आर० पी० सी० के एक प्राविजन के तहत रेमेडी मांगने के लिए गई। उस प्राविजन के तहत अदालत अगर उसका हक बनता है तो उसको इंसाफ दे, अगर नहीं बनता है तो न दे और अगर वह उस से कवर ही नहीं होती तो उसके बारे में अपनी राय दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे आगे बढ़कर यूनिफार्म सिविल कोड के बारे में भी अपनी राय दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह अख्यार नहीं है कि यूनिफार्म सिविल कोड बना सके तो सुप्रीम कोर्ट ने मशविरा दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब वजीरे आजम ने बयान दे दिया, हुकूमत की तरफ से इसकी वजाहत कर दी गई तो फिर मैं यह समझता हूं कि उसका मतलब यह निकलता है कि एक तरह से उस मशविरे को हमने रद्द कर दिया। अब उस यूनिफार्म सिविल कोड पर आगे बहस की गुंजाइश नहीं रही। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई दफा मजहबी मामलात में कुछ बातें इस अन्दाज में कह दी जाती हैं कि जजबात मुश्तैल हो जाते हैं। आम आदमी जो कानून की उतनी समझ नहीं रखता अगर हम रोजाना उसके जजबात को अपील करेंगे और उसको बतायेंगे कि शरीयत के कानून पर शरीयत की तशरीह और शरीयत की तफसीर में दखलअन्दाजी हो रही है तुम्हारे नजदीक और जैसा कि सेट साहब फरमा रहे थे कि यह कानून रिवील्ड है तो फिर उसके जजबात भड़कने लगते हैं। अभी दो हफ्ते पहले का ही मामला है डागा साहब यहां पर बोल रहे थे, उन्होंने कुछ बातें कहीं— मैं यह तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने मताला नहीं किया है वह बुजुर्ग मैम्बर हैं लेकिन मताला किया भी हो तो भी इस्लाम की सही तस्वीर वे अपने मताले में नहीं दे सके। जो बातें उन्होंने कहीं उस पर सेट साहब, बनातवाला साहब और ओवेसी साहब तीनों एक साथ खड़े

हो गए और उन्होंने जोर से कहा कि ऐवान का इस्तेमाल जजबात को मुशतईल करने के लिए किया जा रहा है। आप यकीन मानिए, जो कुछ वह बोले वह मुझे भी अच्छा नहीं लगा लेकिन मेरे जजबात वह नहीं थे, मेरे जजबात यह थे कि आज सदियों से हम इस मुल्क में एक साथ रह रहे हैं, मुख्तलिफ मजहब को मानने वाले हैं और हम जिस मजहब को मानने वाले हैं, हमारे मजहब की जो असल तस्वीर है, हमारे मजहब की जो असल तालीम है, हमारे मजहब का जो असली पैगाम है उसके बारे में आज तक हम अपने बिरादराने वतन को रूशनास नहीं करा पाए हैं। हमारे अन्दर कोई कमी रही है, हम अपने फर्ज से कहीं पीछे रह गए हैं जो आज तक हम यह नहीं बता सके हैं कि इस्लाम की असल तस्वीर क्या है।

लेकिन इस वक्त जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, सोचने की बात सिर्फ यह है कि यूनिफार्म सिविल कोड, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक बहस का मौजू नहीं है, उस पर हुकूमत का स्टैण्ड बिल्कुल साफ है। यहां पर सोचने की बात सिर्फ इतनी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शरीयत का कानून मुतासिर होता है? उससे भी आगे बढ़कर मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक इन्फरादी केस में, एक इंडिवीजुअल केस में हो सकता है और अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी एक बयान दो महीने पहले का है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी इन्सान हैं, उनको भी गलत अण्डरस्टेंडिंग हो सकती है, किसी ला का गलत इन्टरप्रिटेशन हो सकता है इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी अलग छोड़ते हैं। बुनियादी सवाल यह है कि क्या सी० आर० पी० सी० की दफा 125 और 127 से इस्लामी तालीम, इस्लामी कानून और इस्लामी कानून का मकसद मुतासिर होता है? अगर होता है तो मैं समझता हूं यह तश्वीश हक बजानिब होगी। लेकिन मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि किसी भी बात को जजबात से देखने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं बार-बार हमें हुक्म है कि हमें कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। (**व्यवधान**) मैं अरबी में आयत का हवाला तो नहीं दे सकूंगा लेकिन शायद तर्जुमा बता सकूं कि बार-बार हुक्म दिया गया है, यह नहीं कहा है कि किसी के जरिए से हमें मजहब को समझना है, बार बार हुक्म दिया गया है कि इस किताब को पढ़ो, इस किताब को समझो और अपनी जिन्दगी में इसको उतारो। (**व्यवधान**)

पहली बात तो यह है कि सी० आर० पी० सी० का प्राविजन क्या है? सी० आर० पी० सी० का प्राविजन है कि इस मुताल्लिका औरत, ऐसी औरत जिसको तलाक दे दी गई है लेकिन उसके पास गुजारा करने के जराए नहीं हैं, उसके पास सलाहियत नहीं है— ऐसी औरत को उसके साबिक शौहर से गुजारे का एलाउंस दिलाया जाए। किस शौहर से? जिस शौहर के अन्दर यह इस्तताकत है, जिसमें यह क्षमता है, जिसके पास जराए हैं, मीन्स हैं। यह सी० आर० पी० सी० का प्राविजन बगैर किसी इम्तयाज के हर उस मर्द और औरत पर लागू नहीं है जिनकी आपस में अलहदगी हो गई हो बल्कि यह सी० आर० पी० सी० का प्राविजन सिर्फ उन औरतों के लिए है

4.09 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

जिनके पास अपनी गुजर बसर करने के लिए जराए नहीं हैं, सलाहियत भी नहीं हैं— उनके लिए है। मैं समझता हूं अब देखने की बात यह है क्या इस प्राविजन से सिर्फ उन औरतों को, जिनको ज्यादा से ज्यादा नादार कहा जा सकता है, जिनके पास यह जराए नहीं है कि अपने जिस्म और रूह

को एकजा रख सकें— उसको नादार ही कहा जाएगा— अब ऐसी नादार औरत को जिसके पास कोई जराए नहीं हैं— मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि सी० आर० पी० सी० की यह प्राविजन हर औरत या हर मर्द पर लागू नहीं है— यह सिर्फ उन पर लागू है जिनके पास गुजर बसर करने के जराए नहीं हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : यह तो आपकी तशरीह हुई··· (**व्यवधान**)··· मेरा कोई झगड़ा नहीं है, आप मेरी बात सुनिए।··· (**व्यवधान**)···

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप इत्मीनान से रहिए, मैं बता देता हूं। सी०आर०पी०सी० के प्रोवीजन का मकसद क्या था? अगर कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, कितनी ही बार हम सब उसको डिसकस कर चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या कानूने शरीयत मुतल्लिका औरत, जिसको कि तलाक दिया गया है, के ताल्लुक से साबिक शौहर पर कोई जिम्मेदारी आयद करता है—मैं यह समझता हूं कि यह बुनियादी सवाल है, जिसको कि जूरिस्टिक ऐंगल से देखने की जरूरत है। यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिस औरत के पास गुजर-बसर जराए न हों, उसके अन्दर सलाहियत भी न हो, अगर उसको किसी दीगर मुल्की सैक्यूलर कानून के तहत गुजर-बसर देने के लिए शौहर को मजबूर किया जाय तो क्या इससे इस्लामी कानून मुतास्सिर होगा। मैं समझता हूं कि इन दोनों चीजों को देखने की जरूरत है।

श्री ओवेसी (हैदराबाद) : आप क्या समझते हैं?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं चाहे जो समझता हूं, लेकिन इस मामले में मैं अपनी समझ कुरान-शरीफ की आयतों पर छोड़ दूंगा। उसके बाद फैसला कर लेंगे कि क्या होगा।

मैंने अपनी पार्टी के दो सदस्यों की तकरीर सुनी। उन्होंने भी कहा कि सूरा-ए-बकर से तलाक के मामले का ताल्लुक नहीं है। अभी-अभी मुझे माननीय सदस्य सेठ साहब की बात को सुनकर ताज्जुब हुआ, लेकिन मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूं, सेठ साहब को इल्म ज्यादा है और मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन पर मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का तर्जुमा, जो राप्ता-ए-अलाक इस्लामी मे एप्रूव्ड है, और युसुफ अली मौलाना आजाद का भी है, लेकिन मैं मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी से शुरू करता हूं—डाइवोर्स के मामले में, तलाक के मामले में, अगर हिदायत की रोशनी हासिल करनी होगी तो कुरान की किन आयतों से रोशनी हासिल की जाए, इस पर मैं आता हूं। मैं किसी अकेले आयत पर नहीं जाता हूं, लेकिन इन्डैक्स में देख लेना चाहिए कि कहां से रोशनी वह हासिल की जाए। पहली सूरत को गैर मुताल्लिक बताया है सेठ साहब ने, सबसे पहले उसी सूरत का जिक्र है। सूरा-1 में आप आयतों की गिनती करते जाइए—228, 229, 230, 231, 231, 236, 237, 241 और 227 भी है—तकरीबन तलाक के मुताल्लिक सूरा-ए-बकर में नौ आयतें हैं, जिन पर सेठ साहब की राय है कि इनका तलाक से ज्यादा ताल्लुक नहीं है।

श्री जी०एम० बनातवाला : तलाक या मता की बात नहीं है, हमारा बिल मेंटिनेंस के बारे में है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इसके बाद एक सूरा-65 है, जिसमें एक से लेकर सात की आयतें हैं। इसके बाद आयत-4 सूरा-ए-निस, जिस पर बहुत ज्यादा जोर है, वह डाइवोर्स से

ताल्लुक है । सूरा-ए-अहजाब का जिक्र है । सूरा-33 में 28 नम्बर की आयत है, जिसको इन्डैक्स में शामिल किया गया है । मैंने मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी को भी देखा, उसमें भी तकरीबन दूसरे जैसी ही स्थिति है ।

अब मैं आता हूं—तलाक, मेहर और उसके साथ जुड़ा हुआ मेंटिनेंस का मामला । इनको अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता है । इसको इस तरह से देखा जाए मुतल्लिका औरत, जिसको कि तलाक दिया गया है, के ताल्लुक से शौहर पर क्या फराएज आयद होते हैं । इस तरह से इसे देखा जाएगा । हो सकता है यह बात शुरू में गैर-मुताल्लिक लगे, लेकिन मैं जो दलील देने जा रहा हूं उससे इसका ताल्लुक है, इसलिए इस बात को मैं कहने जा रहा हूं । यहां पर मेहर की बात का जिक्र बार-बार किया गया है । सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक लाइन है, जिससे यह तास्सुर बना, जैसे औरत की हैसियत को गिराकर दिखाया गया है, इस्लाम में । मैंने अथारिटीज काफी जमा की थी, मैं चाहता था, इस्लाम में असल में औरत को दर्जा दिया है, जो बराबरी का दर्जा दिया है, जिससे जुल्म और ज्यादती को खत्म किया है, उन सब अथोरिटीज कोट करूं चूंकि सेठ साहब ने पाबंदी लगा दी है, इसलिए मैं उस तफसील में अब नहीं जा रहा हूं और अपने आपको महदूद रख रहा हूं कुरान और हदीस तक, वरना मेरे पास स्प्रिट आफ इस्लाम अमीर अली, वूमन ८७ड इस्लाम एम० जहीरुद्दीन सिद्दीकी, इन सबके विचार हैं ।

किस तरह से क्या-क्या रस्में थीं, किस तरह से बेटी होने पर उसको जमीन में दफना दिया जाता था, किस तरह औरतों को कोई हुकूक नहीं थे, किस तरह से इस्लाम ने उसके खिलाफ जेहाद किया और औरतों को एक इज्जत मुकाम मिला, समाज के अन्दर । रसूल ने इस हद तक कहा हदीस शरीफ का मफहूम है कि में जिस शख्स के यहां बेटी होगी और उसको वह सही ढंग से पालेगा, सही ढंग से परवरिश करेगा, तीन बेटियों के लिए कहा है, उनको तालीम देगा, तरबियत देगा, उनको फन जिसको क्राफ्ट कहते हैं, वह सिखाएगा, दोजख और उस शख्स के बीच में मैं होऊंगा, यानी दोजख की आग एक तरह से उसके हराम होगी । मैं यह सब क्यों कह रहा हूं, अगर हमने बुनियादी तौर से यह बात मान ली कि इस्लाम औरतों के हुकूक को तसलीम नहीं करता है तो फिर हमें दूसरी बात भी माननी पड़ेगी कि फिर शरीयत की इन सब चीजों को खत्म कर दिया जाए जो औरतों को हुकूक देने के ताल्लुक से हैं । क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का यही कमिटमेंट है, हमारी गवर्नमेंट यही कहती है, न यूनिफार्म सिविल कोड के लिए कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत के लिए नहीं कहा, इसलिए कहता हूं कि बुनियादी बात देख लेनी चाहिए, बुनियाद क्या है, इस्लाम किस नजरिए से औरत को देखता है, औरत का दर्जा उसने कैसे उठाया है । जहां लड़कियों के होने पर शर्म महसूस करते थे, अगर लड़की घर में पैदा हो जाए तो शर्म की जगह फख्र का अहसास उन्होंने कराया, घर के अन्दर लड़की पैदा होगी तो यह मगफिरत का बाइस बनेगी । जहां औरत को, लड़की को यह एहतराम का दर्जा दिया गया हो, अब आगे देखना पड़ेगा कि यह एहतराम का दर्जा सिर्फ परवरिश तक है या शादी होने के बाद अजदवाजी जिंदगी में, उस ताल्लुकात में भी इज्जत और एहतराम का दर्जा बना रहेगा, यह आगे देखना पड़ेगा । तो मैं इस सिलसिले में कह रहा था, शादी के साथ एक लगा हुआ है मेहर और इस्लामी कानून के मुताबिक मेहर जरूरी है । जो प्रपोज्ड बिल है, उसके अंदर है कि अगर कस्टमरी या पर्सनल लॉ के तहत कोई रकम अदा की जा चुकी है तो फिर उस औरत

को मेंटीनेंस मांगने का हक नहीं रहेगा, लेकिन उसको उसके तहत क्या रकम दी गई है, इसको अदालत में क्वेश्चन नहीं किया जा सकेगा। सेठ साहब ने यह माना कि ठीक है "वन टाइम ट्रांजिक्शन" जिस लफ्ज को अब्दुल यूसुफ अली ने मेंटीनेंस कहा है, मैंने मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी को कोट किया है, वे इससे भी आगे गए हैं, सेठ साहब ने कहा है "वन टाइम ट्रांजिक्शन" मैं आपसे कहता हूं कि वन टाइम ट्रांजिक्शन अगर ऐसा है कि वह औरत अपनी रूह और अपने जिस्म को एक यकजा रख सके और उसके सिर पर छत है, दो वक्त की रोटी उसको मिल सके, तो वह औरत अदालत में जाने के हक से खुद-ब-खुद महरूम हो जायेगी, क्योंकि सी०आर०पी०सी० के तहत अदालत में वही औरत जा सकती मेंटीनेंस के लिए, जिस औरत के पास अपने आपको सपोर्ट करने की जराए न हो, ऐसी औरत जिस औरत को मेहर की बड़ी रकम मिल चुकी है, अगर शौहर कहेगा कि 5 लाख रुपया महर का दिया है और 5 लाख रुपए से इतनी आमदनी सालाना होती है तो यह नादार कहां से हो गई। तो सी०आर०पी०सी० का प्रावीजन अपने आप में उसकी जमानत देता है कि ऐसी औरत को हक नहीं होगा। यह सी० आर० पी० सी० का प्रावीजन सिर्फ उन औरतों के लिए है, जिनके पास कोई जराए नहीं है और मैं कहता हूं कि कोई जराए न होने में यह भी शामिल किया जा सकता है कि उसके मां-बाप न हों, उसके शायद कोई भाई भी न हो और अगर हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार न हो, मेरा बार-बार कहने का मकसद यह है कि हमें यह डिस्टिंग्शन, यह इम्तियाज बनाकर चलना पड़ेगा कि असल में प्रावीजन क्या है। मैं मेहर पर आ रहा हूं। मेहर का ताल्लुक तलाक से कोई नहीं है। यह गलत बात है कि प्रैक्टिस में ऐसा हो गया कि दो किस्में उसकी बन गई कि एक प्रांप्ट डावर, दूसरा डेफर्ड डावर।

इस्लामी रूह के मुताबिक तसव्वुर तो यह है कि

[अनुवाद]

मेहर वह राशि या सम्पत्ति है जो पत्नी शादी के ताल्लुक से पति से प्राप्त करती है, तलाक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

[हिन्दी]

सिर्फ शादी से इसका कोई ताल्लुक है। शरीयत एक्ट के तहत आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। यह मेहर कन्फर्म कब होता है। मेहर तय तो हो गया लेकिन कन्फर्म कब होता है।

[अनुवाद]

एक वध एकांतवास द्वारा वैवाहिक संबंध पूरा होने के बाद मेहर कन्फर्म होता है।

[हिन्दी]

जिसको खिलवते सहीहा कहा गया है।

[अनुवाद]

अधिक विस्तार में न जाते हुए कि वैवाहिक सम्बन्ध पूरा हुआ है अथवा नहीं, यदि वैध एकांतवास है तो स्त्री पति अथवा पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी मेहर की हकदार बन जाती है।

[हिन्दी]

ये तीन शरायते हैं जिसमें मेहर वाजिब तौर से कन्फर्म हो जाता है कि इस मेहर का पेमेन्ट होना ही है। इनसाइक्लोपीडिया आफ इस्लाम में कहा गया है।

[अनुवाद]

यह पूरी तरह से बीवी का होता है ।

[हिन्दी]

यह उसकी अपनी पर्सनल प्रापर्टी है। इसके पीछे तसव्वुर यह है कि वह अपना घर छोड़-कर दूसरे घर में आती है। उसके पास इतने जराए होने चाहिएं।

[अनुवाद]

जिसका उपयोग वह पूर्ण रूप से अपने शौहर और ससुराल वालों से स्वतंत्र रूप में कर सकती है।

[हिन्दी]

उसके अख्तियार में पैसा होना चाहिए जिससे वह अपनी जरूरतें पूरी कर सके। यह इस्लामी तसव्वुर है। इसी सिलसिले में कहा गया है :

[अनुवाद]

"पैगम्बरों ने मेहर का इस्तेमाल इस्लाम में पत्नी की दशा सुधारने के विचार से किया था और यह पत्नी के लिए व्यवस्था बन गई।"

न्यायमूर्ति मोहम्मद ने मेहर की परिभाषा इस प्रकार की है—

"मुसलमानी कानून के मुताबिक मेहर वह रकम या अन्य सम्पत्ति है जो शौहर निकाह के ताल्लुक से अपनी बीवी को देने का वादा करता है। चाहे निकाह के समय स्पष्ट रूप से कोई मेहर पक्का न किया गया हो फिर भी बीवी का मेहर पर हक होता है।"

[हिन्दी]

अगर निकाहनामा में मेहर की रकम का जिक्र भी नहीं किया गया है तो भी वह औरत उसके सोशल और फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से मेहर की रकम के लिए हकदार होगी। अब्दुल कादिर का 1866 का एक केस है, उसमें फैसला किया गया है।

[अनुवाद]

"यह आजकल अर्थ में प्रतिफल की राशि है। बल्कि कानून द्वारा शौहर पर, अपनी बीवी के प्रति आदर के प्रतीक के रूप में सौंपा गया एक प्रकार का दायित्व है" हिदायत के लेखक ने "सोर्सिज आफ लॉ में पर्याप्त रूप से यह बात स्पष्ट कर दी है कि कानून द्वारा आदेशित मेहर की रकम की अदायगी केवल औरत के प्रति एक प्रकार की सम्मान सूचक के रूप में है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निकाह की वैधता के लिए इसका जिक्र अनिवार्यतः जरूरी नहीं है।"

[हिन्दी]

श्री जी० एम० बनातवाला : हिदाया को तो आप अथारिटेटिव मानते हैं या नहीं। लेकिन आपने तो कुरान और हदीस कहा था······ (**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने साथ में यह कह दिया है कि कुरान और हदीस के अलावा कुछ और कोट करूं तो कंसीडर मत कीजियेगा। मैं तो इन सबको अथारिटेटिव मानता हूं। लेकिन

सेट साहब ने पाबन्दी लगाई है इसलिए मैंने कहा कि कुरान और हदीस को कोट करूंगा।······
(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : हिदाया बड़ा एनशियट है, उसको तो आप मानते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सबकी बुनियाद कुरान है।······ (**व्यवधान**)

मोहतरिम, बस सारी एप्रोच का बस इतना ही फर्क है। बनातवाला साहब कह रहे हैं कि पढ़िये, अगर किसी जमाने में पढ़ा हो लेकिन मैंने तो शुरुआत ही यह कह कर की थी कि मुझे अपनी कम-इल्मी का, अपनी कम मायगी का पूरा अहसास है। मुझे पूरा अहसास है, आप ठेकेदार बने रहिए, मैं ठेकेदार नहीं बनना चाहता क्योंकि मुझे अपनी कम-इल्मी का और कम-मायगी का पूरा अहसास है। मैंने शुरूआत ही यह कह कर की थी कि यह बहुत सैन्सिटिव सब्जैक्ट है, मैं इस पर बोलूंगा जरूर लेकिन मैं कतईयत का दावा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप अपनी ठेकेदारी की रस्म को बरकरार रखिए······

श्री जी० एम० बनातवाला : ठीक है, इनके सुपुर्द भी तो नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, अब्दुल्ला यूसुफ अली के तरजुमे के मुताबिक, जो उन्होंने आयत 4 सूरत 4 के बारे में दिया है, यह कहा है :

[**अनुवाद**]

> "और औरतों को उनके निकाह पर तोहफे के रूप में मेहर दिया जाता है, किन्तु यदि वे अपनी खुशी से उसका इस्तेमाल करना चाहें, तो खुशी से कर सकती हैं।"

[**हिन्दी**]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : इसमें डिफरेंस ऑफ ओपीनियन कहां है······

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह सब बताकर मैं यह बात एम्फैसाइज करना चाहता हूं कि मेहर आउट ऑफ रैस्पैक्ट है, मेहर ब्राइडल गिफ्ट है और मेहर का तलाक से कोई ताल्लुक नहीं है। मेहर का ताल्लुक सिर्फ शादी से है, तलाक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यदि उसको तलाक के साथ मिलायेंगे तो फिर हम इस कानून के साथ इन्साफ नहीं करेंगे, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है।

मौलाना आजाद का तरजुमा यह है कि :

[**अनुवाद**]

> "औरतों को उनका मेहर बिना किसी हिचकिचाहट के दिया जाये क्योंकि इस पर उनका हक है, किन्तु यदि वे अपनी मर्जी से उसका एक भाग आपको दें तो आप उसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं।"

[**हिन्दी**]

मैं इस बात को बार-बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इसे समझ सकें।

अब श्रीमन् मैं मेहर से आगे बढ़कर, जैसा मैंने अब तक कुरान शरीफ के तरजुमे से पढ़कर आपको स्पष्ट करने की कोशिश की कि इस्लामी कानून में मेहर का मतलब और तसव्वुर क्या है, उसके बाद उसमें जो तलाक का प्रोवीजन है, उसके बारे में जरा बताना चाहूंगा। जैसा मैंने पहले

बताया कि जिन-जिन सूरतों में, जिन-जिन आयतों में तलाक के बारे में कहा गया है, उसमें से अब्दुल्ला यूसुफ अली का तरजुमा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्तेमाल किया वह 241 का है, लेकिन मैं आपको 228 का तरजुमा पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"और जिन औरतों को तलाक दी गई हो, वे अपने आपको तीन हैज पूरे होने तक (निकाह से) रोके रखें। और अगर वे अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखती हैं तो जो कुछ भी (बच्चे की किस्म से) अल्लाह ने उनके पेट में छुपाकर रखा है, उसका छिपाना उनको जायज नहीं। और उनके पति मुलह करना चाहें तो वे इस बीच में उनको वापस लेने के ज्यादा हकदार हैं।"

[हिन्दी]

मैं यहां आपको मौलाना माजिद दरियाबादी जो कुछ कहते हैं, उसको भी पढ़कर बताना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"तलाकशुदा औरत तीन हैज पूरे होने तक (निकाह के लिए) इन्तजार करेगी। और न ही उन्हें इस बात की इजाजत होगी कि वे अपने पेट में विद्यमान अल्लाह की देन को छुपाएं यदि वे अल्लाह और आखिरत में विश्वास करती हैं और यदि उनके शौहर उस मुद्दत में सम्बन्ध ठीक करना चाहें तो उन्हें वापिस ले जा सकने के अधिकारी होंगे।"

आगे भी कहा गया है :

"और यदि वे तलाक पर ही आमादा हैं तो उन्हें अपने फैसले को भूलना नहीं चाहिए और यह दमन की बात यदि अल्लाह सब कुछ सुनता-जानता है उसकी नजर से छुपी नहीं रह सकती।"

[हिन्दी]

श्रीमन् मैंने ये आयतें इसलिए पढ़ीं क्योंकि इनका ताल्लुक तलाक से है।

मैं सूरए तलाक की जो पहली आयत है, इसके साथ ही उसको भी पढ़ना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

[अनुवाद]

"जब तुम लोग बीवियों को तलाक देना चाहते हो तो उनको उनकी इद्दत के शुरू में तलाक दो और (तलाक के बाद से ही) इद्दत (के दिनों) का शुमार रखो। और अल्लाह से, जो तुम्हारा परवरदिगार है, डरते रहो। उन्हें उनके घरों से न निकालो और वे खुद भी (घरों से) न निकलें।"

ये तलाक देने के बाद की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जब तुम्हें तलाक देनी हो तो तलाक देने के तोहर का जो पीरियड है, उससे शुरूआत होती है, ये पीरियड आफ प्योरिटी है, उसमें मर्द और औरत एक दूसरे से दूर न हों, बल्कि उन्हें नजदीक आने का सबील हो, ऐसे वक्त में कहा गया है कि अगर इस नतीजे पर पहुंच गए हो कि साथ रह ही नहीं सकते, अगर इस नतीजे

पर पहुंच गए हो कि अल्लाह ने जो हदें कायम की हैं, उनको बनाकर नहीं रख सकते हो, अगर इस नतीजे पर पहुंच गए हो कि तुम्हें अलग होना ही है, तो इस तरह से तलाक हो, वह क्या तरीका है, वह तरीका यह है कि तीन महीने बाद, तीसरे महीने में जब तलाक दिया जाएगा तब वह इफेक्टिव होगी। आज जो तरीका आम तौर से तलाक देने का है और जो तरीका उन साहेब ने इस्तेमाल किया जिनकी बीवी सुप्रीम कोर्ट में फैसला लेने के लिए गई, इस तरीके का कुरान में कोई तसव्वुर नहीं है।

श्रीमन्, पाकिस्तान में पहला लॉ कमीशन बना, उसके सामने यह सवाल आया कि तलाक देने का यह तरीका सही है या नहीं, जायज है ? तो इसके बारे में कहा गया है कि जब शौहर अपनी बीवी को एक ही नशिस्त में तीन बार तलाक दे दे तो रसुलुल्लाहु सलल्लाहु अलहे वसल्लम, अबू बक्र सिद्दीक और उमर इबने खिताब के अनुसार वह एक ही तलाक शुमार होती थी, तीन तलाक शुमार नहीं होती थी। तलाक तीन बार देने के बाद इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर कोई शख्स एक ही नशिस्त में तीन बार तलाक दे देता था तो हुजूर के जमाने में अबू बक्र सिद्दीक के जमाने में और हजरत उमर के अबाइले खिलाफत यानी जो केलीफेट का अर्लियर पीरियड है उसमें वह तीन काउंट नहीं होती थीं, बल्कि एक होती थी और उस वक्त यह तरीका जायज था और बाद में इस पर इज्मा हो गया। बावजूद इसके उमर इबने खत्ताब ने तला को तलाके बाइन करार दिया। गोया मर्द के लफजों के मुताबिक तीन तलाकें हैं, यानी उस कंटेक्स्ट में। जैसा अभी पूरे शरीयत के लिए अहतराम का जज्बा है। यह मुल्क तो ऐसा जहां अपने मजहब के लिए ही अहतराम का जज्बा नहीं रखते, बल्कि दूसरे मजहब वाले भी अहतराम का जज्बा रखते हैं। लेकिन किसी चीज को गलत तफसीर करना, मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। शरीयत क्या है, उसको भी देखना पड़ेगा। हिदायतुल्ला साहब, मुल्ला के मोहम्मदन ला में कह रहे हैं, जिसको अदालतों में सबसे ज्यादा औथोरिटेरियन टेक्स्ट माना जाता है, इसके तार्रुफ में कह रहे हैं।

[अनुवाद]

> "मुस्लिम क्लासिकल अलफाज के अनुसार खुदा के अलफाज ही कानून है। और अल्लाह का आदेश ही कानून है। यह कानून शरीयत कहलाता है। फिक जो कि न्याय शास्त्र से सम्बन्धित है, सही सिद्धान्तों की पुष्टि करता है। बेशक अल्लाह के अलफाज में कुरान शामिल है लेकिन पैगम्बर साहब का देवी शक्ति से अवतरित सुभा भी समान स्तर का है। ये दोनों अपरिवर्तनीय हैं और माननीय बुद्धि का इस्तेमाल किये जाने की एक मात्र गुंजाइश इनको समझने में है।"

[हिन्दी]

लेकिन इससे अलग हो कर कुरान और सुन्नत से अलग भी कितने कावानीन ऐसे हैं जिनकी सीधी बुनियाद कुरान और सन्नत नहीं है। जैसे तलाक देने का यह तरीका है, जब तीन बार तलाक दे दी जाए, तो वह तलाक इफेक्टिव हो गई, इसका तसव्वुर कुरान नहीं करता। प्रोफिट के जमाने में यह तरीका प्रेक्टिस में नहीं था। अबु बर्क सिद्दीक के जमाने में यह तरीका नहीं था। अब मैं कहता हूं कि ये सितम जरीफी होती है किस्मत की कि उमर इबने खत्ताब ने इसको इजाजत दी इसलिए क्योंकि, लोगों को यह मालूम था कि तीन बार तलाक देने पर भी

एक ही शुमार होगी। लिहाजा 3 बार तलाक दी। उसके बाद वह औरत डर गई, अब उसके हकूक अपने नाम मुंतकिल करा लिए। फिर हुक्म के मुताबिक यह उन्हें मालूम था कि एक ही शुमार होगी, लिहाजा 3 महीने के अन्दर उससे रुजूह कर लिया, उससे दोबारा ताल्लुक कायम कर लिये और कुरान में जो तरीका है कि उन्हें घर से भी नहीं निकालो, वह वही है कि जिस स्टाइल से खुद रहते हों, उसी स्टाइल में रहो, उनके साथ वही सलूक करो, क्योंकि अल्लाह शायद कोई ऐसी सूरत पैदा कर दे कि तुम फिर से मिल जाओ। इसलिए जब तीसरा महीना एप्रोच कर रहा होगा, वह खिदमत में आयेगा और अगर तीसरी बार शौहर कह देगा, तब वह तलाक इफैक्टिव होगा, लेकिन हुआ क्या ?

हजरत उमर इबने खत्ताब ने इसको औरत के हकूक की हिफाजत करने के लिये, क्योंकि उन्होंने दुर्रे भी लगवाये तलाक देने वालों के लिये, डर पैदा करने के लिये कि इसको धमकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, अगर अब की बार तुम 3 बार कहोगे तो तलाक हो जायेगी। लेकिन बाद को, मर्द की जात है, जो औरत के हकूक के लिये चीज लाई गई थी, उसको उसने अपने हक के लिये इस्तेमाल किया। लेकिन कहीं से हम यह नहीं सुनते। मैं यह नहीं कहता कि यह गैर-इस्लामी तरीका है, लेकिन यकीनन ऐसा तरीका है जिसका प्रावीजन कुरान में नहीं। लेकिन किसी वक्त मैंने यह नहीं सुना किसी कानून के मुहाफिज से कि इस तरीके का जिक्र कुरान में नहीं है, इसका इस्तेमाल बन्द हो जाना चाहिये।

मैं इस प्रोसीडिंग के बारे में बता रहा था, "बावजूद इसके कि उमर इबने खत्ताब ने ऐसे तलाक को तलाकेबयान करार दिया, गोया मर्द के अलफाज के मुताबिक 3 तलाकें कर दीं। वजह यह थी कि जब हजरत उमर इबने खत्ताब ने देखा कि लोगों ने इस किस्म के तलाक को खेल बना लिया और ऐसी तलाकें बकसरत दी जाने लगीं तो आपने उन्हें सजा देने और बुरी आदत से रोकने की गर्ज से यह तबदीली कर दी।"

हजरत उमर इबने खत्ताब ने अपने जमाने के हालात के लिहाज से जिस राय को बेहतर समझा था, उसके लिये उन्होंने जो कुरान का तरीका था, उसमें तबदीली की, जो रसूल का तरीका था, उसमें तबदीली की और जो हजरत अब बक्र सिद्दीक का तरीका था, उसमें तबदीली की। उस वक्त उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति में बुराई फैल रही है, उसको रोकने के लिये उन्होंने यह किया।

उसे बाज फुक्हा ने अपने जमाने के हालात से बेहतर नहीं समझा और उन्होंने तगैयुरे इस्लाम के उसूल के मुताबिक सुन्नते नबवी की तरफ रुजूह करना मुनासिब ख्याल समझा।

यह पाकिस्तान के ला-कमीशन की प्रोसीडिंग है—

"मासवीन में से एक बड़े फाजिल ने उमर इबने खत्ताब के इस अमल पर तबसरा किया कि उमर का यह फैल हंगामी हुक्म की हैसियत रखता है।"

यह एक इमेर्जेन्सी प्रावीजन है, जिसको आज हम जिन्दगी में अपनाये हुए हैं। लेकिन कोई एतराज नहीं है इससे, चूंकि मर्द को वह आजादी मिलती है इसलिए कानून मुतासिर नहीं होता। औरत को अगर थोड़ा उसकी रूह और जिस्म को यकजा रखने के लिये उस औरत के लिये जिसके एहतराम पर इस्लाम ने जोर दिया है, जिसके हकूक दिलवाने के लिए कहा है, अगर

उनमें से कोई नादार हों और अगर उसका जिस्म और रूह एक जगह रह सकें, उसके लिए अगर प्रावीजन किया जाये तो इस्लामी कानून मुतास्सिर होता है । लेकिन इसको कभी नहीं कहा गया कि इस तलाक बाइन से मुतास्सिर होता है जिसका कोई तसव्वुर कुरान में नहीं किया गया है ।

यह कमीशन कह रहा है—

[अनुवाद]

"यह आवश्यक है कि इस तलाक को बाद में भी दो और लगातार तोहरों में दोहराया जाए ।"

[हिन्दी]

तीन महीने साथ रखकर, पीरियड आफ प्रायोरिटी में साथ रखकर, ऐसे वक्त में साथ रखकर जब दोनों के लिये, एक दूसरे के लिये कशिश भी पैदा हो, ऐसे वक्त में साथ रखकर भी अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि हम साथ नहीं रह सकते, तब उसके बाद तलाक । लेकिन एक नशिस्त में 3 बार तलाक कह देना, मैं गैर-इस्लामी नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुरान से इसका कोई ताल्लुक नहीं, कुरान में इसका कोई तसव्वुर नहीं है ।

सबसे दिलचस्प कोटेशन है, मैं उसको कोट कर रहा हूं :—

[अनुवाद]

"और यह प्रमाणिक रूप बताया गया है कि इसे आपातिक उपाय के तौर पर भी जायज करार देने का खलीफा उमर को निहायत अफसोस था ।"

इगाहासातुल्लफान पृष्ठ 151

[हिन्दी]

अपने आखिरी वक्त में उन्हें निहायत अफसोस था कि उन्होंने इस किस्म के तलाक को जायज करार क्यों दिया ? अब्दुल रहीम ने इसको इनावेशन कहा है । मेरे कहने का मतलब यह है कि सेठ साहब कह रहे थे कि शरीयत में रिवील्ड है, लेकिन शरीयत का यह हिस्सा रिवील्ड नहीं है । जो अमल में है, जिस पर हम अमल कर रहे हैं, इसका सर्वे करा लें कि तलाक देने वाले लोग कितने हैं जिन्होंने तलाक दिया है और जो ऐसे हैं क्या वह कुरान के प्रावीजन को फॉलो करते हैं । आप इसका सर्वे करा लें कि कितने लोगों को मालूम है कि कुरान में तलाक का तरीका यह बताया गया है ।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि इस कानून का कोई मुहाफिज था तो फिक्र होनी चाहिए थी कि यह हंगामी हुकूमत की हैसियत से जो हुक्म जारी किया गया था, इसके गलत इस्तेमाल से मुसलमानों का कानून मुतासिर हो रहा है और इससे उनकी गलत तस्वीर बनती है । मुहाफिजिन की तरफ से प्रोटैस्ट उस वक्त होता है जब किसी जिम्मेदारी को अदा करने के लिये कहा जाता है । हकूक चाहे जितने हों, हर कोई हर हक लेने के लिये तैयार है । एक मिनट में घर के बाहर कर सकते हैं, एक मिनट में दूसरा फैसला कर सकते हैं, लेकिन जहां जिम्मेदारी अदा करने के लिये कहा जायेगा तो कहा जाये कि वह जिम्मेदारी कौन सी ?

जैसा कि मैंने पहले कहा इस्लामी कानून के तहत औरत का मुकाम, औरत का दर्जा, औरत के हकूक मैं समझता हूं कि उसकी सैंक्टीटी में किसी से मुकाबला नहीं हो सकता। दुनिया के किसी कानून के साथ लेकिन उस मखसूस हालात का ध्यान रखना होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि औरत जिल्लत और पस्ती की जिन्दगी बिता रही है। वही मकसद था। अब उसके तई जिम्मेदारी को अदा करना हो तो हमारा एटीच्यूड क्या होगा ?

सूरत 229 अब्दुला यूसुफ का तरजुमा है।

[अनुवाद]

दो बार (दो लगातार महीनों में) तलाक कहने पर भी एक दूसरे के पास वापसी की इजाजत है। उसके बाद शौहर के सामने दो रास्ते हैं—या तो इज्जत से बीवी को रोक लो अथवा उसे (तीसरे महीने में तीसरी तलाक देकर) कायदे के मुताबिक रुख्सत कर दो और तुम्हारे लिए यह उचित नहीं होगा कि अपनी बीवियों को तलाक देते समय आप उनसे कोई भी चीज छीनों जो तुमने उन्हें दी हो।"

दो महीने के बाद क्या तरीका बताया है। दो तरीके हैं। या तो इज्जत के साथ अपने पास रखो, या रहमदिली के साथ उन्हें जुदा कर दो, यह नहीं कि धक्का मार कर घर से निकाल दो। या तो इज्जत के साथ अपने साथ रखो या उन्हें रहमदिली के साथ रुखसत कर दो।

मैं सूरत 230 को बाद में कोट करूंगा, अब 231 आ रहा हूं। इनको मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं।

जो तरजुमा मैंने कोट किया वह तो मौलाना आजाद का है और जो 231 का अब मैं कोट कर रहा हूं वह भी मौलाना आजाद का है।

[अनुवाद]

"जब तुमने अपनी बीवी को तलाक दी हो और इद्दत की मियाद पूरी होने को आई हो, तो तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं या तो इज्जत के साथ उनको रोक लो या कायदे के मुताबिक रुखसत कर दो।

[हिन्दी]

यह मौलाना आजाद का तरजुमा है। यहीं से निकलेगा कि यह जो प्रोप्राइटी है और यह जो कायन्डनेस है जिस पर जोर दिया गया है इसका क्या मतलब निकलता है। यही तो सारा मसला है। कुरान शरीफ यह बार-बार कहता है। यह नहीं कहा कि जब इस नतीजे पर पहुंच गए तो अपने से जुदा कर दो। यह तो बहुत आसानी से कहा जा सकता था कि उसको जुदा कर दो। मगर यह नहीं कहा। यह कहा कि उसको रहम के साथ रुखसत कर दो। मौलाना मजीद दरियाबादी उसके बारे में कहते हैं, 229 का तरजुमा है—

[अनुवाद]

"दो बार तलाक दे दिये जाने के बाद या तो उनको इज्जत के साथ रोक लो या उन्हें इज्जत से जाने दो और जो कुछ तुमने उन्हें दिया हो उसे वापस लेने की इजाजत नहीं है।"

[हिन्दी]

231 का तरजुमा यह है :

[अनुवाद]

जब आपने उन्हें तलाक दे दिया हो तो या तो उन्हें इज्जत के साथ रखो या इज्जत के साथ रुखसत कर दो।

[हिन्दी]

अब यह गौर करने की बात है कि एक ही सूरत में एक ही मसले पर एक आयत के बाद 229 में भी वही मजमून है और 231 में भी वही मजमून है—आखिर रिपीट करने की जरूरत क्या थी ? कहा जा सकता था कि अगर इस नतीजे पर पहुंच गए कि नहीं साथ रह सकते तो रुखसत कर दो। लेकिन 229 में यह जोर है कि या तो इज्जत के साथ रखो या रहम के साथ रुखसत कर दो। 231 में भी इस पर जोर है। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं कि या तो इज्जत के साथ रखो या रहमदिली के साथ रुखसत कर दो। इसके लिए मौलाना माजिद दरियाबादी कहते हैं :

[अनुवाद]

"यह दूसरा अवसर है कि जब पतियों को अपनी पत्नियों के प्रति सद्व्यवहार का आदेश दिया जाता है।"

[हिन्दी]

यह कौन वाइफ जिसको कि तलाक दे दिया हो, जिसको रुखसत कर रहे हैं, यह उस बीबी का जिक्र है। उस पर उन्होंने जोर दिया है।

[अनुवाद]

"यह दूसरा अवसर है कि जब पतियों को अपनी पत्नियों के प्रति, चाहे वे उन्हें अपने साथ रखें अथवा उन्हें तलाक दें सद्व्यवहार और उदारतापूर्ण व्यवहार का आदेश दिया जाता है। पत्नी के प्रति दयावान न्याय संगत और शिष्ट होना किसी अन्य शर्त के आधार पर नहीं है, बल्कि यह बिना शर्त है।

[हिन्दी]

अगर औरत की खता भी है, अगर इस नतीजे पर आप पहुंचे हैं कि तलाक इसलिए हो रहा है कि औरत की खता है तो भी उसके साथ रहमदिली को मशरूक नहीं किया है, रहमदिली को लाजिम करार दिया है और यह किसलिए ? इसलिए कि इस्लाम में डाईवोर्स का तसव्वुर औरत को सजा देने का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में डाइवोर्स का तसव्वुर है कि अगर तुम उन बाउन्ड्स को, उन लिमिट्स को मेंटेन नहीं कर सकते जो अल्लाह की तरफ से हैं, तुम्हारे अन्दर इंकामपिटेबिलिटी है।

[अनुवाद]

तो स्वयं और उसके लिए शान्ति ला सके।

[हिन्दी]

पनिशमेंट का तसव्वुर कुरान शरीफ में नहीं है। इसलिए बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है...... (व्यवधान)...

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : यह आप उनकी तकरीर की तारीफ कर रहे हैं या कुरान के प्राविजन की कर रहे हैं ?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह जिम्मेदारी तो आपकी है। मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अब मैं आ रहा हूं उस आयत पर जिस आयत का तरजुमा अब्दुल्ला यूसुफ अली का या किसी और का किया हुआ है, जिस तरजुमे को सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया। अब्दुल्ला यूसुफ अली का तरजुमा है, सेट साहब फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत इंटरप्रिटेशन किया, मेरी जाती राय यह है और खालिस जाती राय है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें जाने की जरूरत नहीं थी। सी० आर० पी० सी० के तहत एक औरत इंसाफ मांगने के लिए गई थी। उसके पहले कई फैसले हो चुके थे। शायद यह इतना बड़ा तनाजा न खड़ा हुआ होता अगर सुप्रीम कोर्ट ने जूडिशियल डिस्क्रीशन थोड़ा सा दिखाया होता। कोई जरूरत ही नहीं थी। बहुत फैसले इसके पहले हो चुके थे। जस्टिस खालिद ने फैसला दिया है, जस्टिस मुरतजा अली जिन्होंने यह रैफर किया है, उन्होंने फैसला दिया है।

यह बात बार-बार कही जा रही है कि मुसलमान जज को हक होना चाहिए कि वह इन मामलों में फैसला कर सके। सुप्रीम कोर्ट के मुसलमान जजों के भी फैसले हो चुके हैं लेकिन उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन चूंकि यह कहा जा रहा है कि इस आयत का गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूंगा यह अब्दुल्ला यूसुफ अली का तर्जुमा है :

[अनुवाद]

अब्दुल यूसुफ अली ने कहा :

"तलाक शुदा औरतों की गुजर-बसर के लिए उचित रकम दी जानी चाहिये। यह धर्मपरायण व्यक्तियों का कर्तव्य है।"

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : आप किस अंश से पढ़ रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह धर्मपरायण व्यक्तियों का कर्तव्य है।

[हिन्दी]

लफ्ज है 'मता'। जैसा कि सेठ साहब ने कहा इस 'मता' के कई माने कई जगह पर दिए गए हैं जो माने सेठ साहब ने बताए हैं, मैं नहीं समझता किसी को उस पर एतराज होगा। इस हाउस को भी एतराज नहीं होगा अगर वन टाइम ट्रांजैक्शन में एक साथ ही उस औरत के नाम इतनी रकम जमा कर दी जाए कि वह जिन्दगी भर अपना गुजारा करती रहे। किसको एतराज हो सकता है ? रीजनेबल स्केल का क्या मतलब है। मैं समझता हूं कोई एतराज नहीं होना चाहिए बुनियादी मकसद क्या है कि वैगरेंसी नहीं होनी चाहिए। स्टेट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसको देखना चाहिए कि ऐसी औरतें जो नादार हैं जो अपनी गुजर-बसर नहीं कर सकती हैं, आखिर उनका इन्तजाम कहां से किया जाए। इस्लामी हुकूमत भी हो उसमें कत्ल करने वाला आदमी जेल में जाता है तो सिर्फ इसलिए कि उसने कत्ल किया है, उसे जेल में भूखा नहीं रखा जाता है, जब उस कातिल के लिए भी खाने का इन्तजाम होता है तो यहां पर तो एक औरत है

जिसने हो सकता है खता की हो, मैं मना नहीं करता और मैं दूसरे तर्जुमे को नहीं मानता, आपके तर्जुमे को ही मानता हूं :

[अनुवाद]

"यह राशि एक बार ही दे दी जानी चाहिए परन्तु यह खुशनुमा तरीके से होनी चाहिए और यह उसके खर्च अथवा उसके दुबारा निकाह करने तक के लिये काफी होनी चाहिए।"

[हिन्दी]

मुझे कोई एतराज नहीं है। बुनियादी मकसद यह नहीं है कि हर महीने पहली तारीख को पोस्टमैन आना चाहिए मनी-आर्डर लेकर, बल्कि बनियादी मकसद यह है कि जिस औरत के पास जराए नहीं हैं वह सड़क पर मारी-मारी न घूमे। (व्यवधान) यह मेरी राय नहीं है। इस बारे में मैं फिर पाकिस्तान का जो ला कमीशन है, उसको कोट करना चाहूंगा। कमीशन की जो राय है वह मैं बता रहा हूं, उसको हुकूमत मंजूर करे न करे वह दूसरी बात है। (व्यवधान) मुझे तो पाकिस्तान से सीधी इत्तला रहती नहीं है। मेरे पास जो कागजात हैं उससे इत्तला जान सकता हूं, सीधी कोई मेरी इत्तला नहीं है। मेरा मतलब ऐसे डाकूमेंट से था जिसमें डा० खलीफा शुजाउद्दीन थे, डा० खलीफा अब्दुल हकीम थे, मौलाना एहतशामुल हक थे, मि० इनायतुर्रहमान, बेगम शहनवाज, बेगम अनवार अहमद, बेगम शमशुलनिहार महमूद—ये लोग थे। इस कमीशन के सामने सवाल आया :

[अनुवाद]

पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को जीवन पर्यन्त अथवा उसका दुबारा निकाह होने तक उसको भरण-पोषण के लिए रकम देगा, इसको निर्धारित करने के लिए यदि वैवाहिक और परिवार कानून अदालत से सम्पर्क किया जाए तो क्या वह इस पर विचार कर सकती है? यह एक ऐसा विशिष्ट प्रश्न था जो आयोग के समक्ष रखा गया था। आयोग की इस पर क्या राय है? आयोग की राय है कि विवाह सम्बन्धी मामलों की अदालत इस पर विचार कर सकती है।

[हिन्दी]

यह ऐसा कमीशन था जिसमें जुरिस्ट भी हैं उलमा—ये दीन भी हैं। मैंने यह नहीं कहा कि उसको माना गया या नहीं माना गया, यह अलग मसला है लेकिन कमीशन ने जो राय दी है, कमीशन की जो ओपीनियम है वह यह है। (व्यवधान)

अब मैं 241 पर आता हूं। यह तो मैंने इसलिए कहा कि कमीशन की यह राय है कि अदालतों को अख्तियार होना चाहिए कि औरतों को सड़कों पर मारे-मारे फिरने के लिए नहीं घूमने देना चाहिए।

[अनुवाद]

"और यह कि अधेड़ उम्र की औरतों को, जिन्हें बिना किसी काफिये के अथवा कारण तलाक दिया जा रहा है, और उनके बच्चों को बिना किसी आश्रय अथवा जीवन-यापन के साधनों के अभाव में बेघर नहीं छोड़ देना चाहिए।"

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या यह पाकिस्तान पर लागू होता है?

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आयत का तरजुमा यह है, अब्दुल्ला यूनुस अली के मुताबिक।

[अनुवाद]

"तलाकशुदा औरतों को गुजर-बसर के लिए समुचित राशि दी जानी चाहिये। यह धर्मपरायणों का कर्तव्य है।"

[हिन्दी]

मता के मायने बताऊं, जैसे मैंने कहा वन-टाइम-ट्रान्जैक्शन्स में मुझे कोई एतराज नहीं है। एक और बात भी कही गई है। कहा गया है कि इस केस में लब्ज मुत्तकीन इस्तेमाल हुआ है। यह फर्ज है मुत्तकीन पर, मुसलमीन पर नहीं है··· (व्यवधान) ···मुत्तकीन का मतलब है—मोर-रिलीजियस, गॉड-फीयरी। मौलाना आजाद उसका तर्जुमा करते हैं, जो शख्स यह अहतियात कर सकता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो शख्स यह अहतियात कर सके कि फायदा किसमें है और नुकसान किसमें है, लेकिन इस पर कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुहाफिजों ने कहा कि यह मुत्तकीन पर है, मुसलमीन पर नहीं है। कुरान शरीफ की शुरूआत होती है : "अलीफ लाम मीन जालिकल किताब, लारई बफीह हुदललील मुत्तकीनल लजीना—कुरान अगर मुत्तकीन के लिए है, तो वह किस कुरान को मानने वाले हैं। कुरान कहता है कि वह मुत्तकीन को राह दिखाने वाला है, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट में उससे बचने के लिए कहा गया, इसका कौन फैसला करेगा। बनातवाला साहब के लिए तो आसान है, जैसा उन्होंने कहा कि कभी पढ़ा हो तो पढ़ दो, तो वह तो वाकई मुत्तकीन में आ सकते हैं··· (व्यवधान) ···इसका कौन फैसला करेगा, लेकिन यह उनके लिए है। इसी में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का तर्जुमा है—

[अनुवाद]

और तलाकशुदा औरतों के लिए सम्मानजनक उपहार—

[हिन्दी]

··· (व्यवधान) ···उन्होंने मैंटिनेंस इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने पहले ही कहा है कि जाती तौर पर वन-टाइम-ट्रांजैक्शन मंजूर है। बात इतनी है, अगर औरत अपनी जिन्दगी ठीक तरह से चला सके, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है। सवाल यह नहीं है कि उसे महाना दिलाया जाए या उसको यकमुश्त दे दिया जाए। बुनियादी सवाल यह है कि ऐसी औरत सड़क पर मारी-मारी न घूमे, उसके लिए यह इन्तजाम हो कि वह अपनी जिन्दगी बिता सके। अपनी रूह और अपने जिस्म को यकजा रख सके और एक साथ रख सके, बात सिर्फ इतनी है। मौलाना द्वारा उनका तर्जुमा है—

[अनुवाद]

और तलाकशुदा औरतों के लिए सम्मानजनक उपहार। धर्मभीरू लोगों के लिए लाजिमी है।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय सेठ साहब की तवज्जा चाहता हूं और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में एक साहब की तरफ से यह भी कहा गया है, औरत के लिए प्रोवीजन करने के लिए शौहर को नहीं कहा गया है—यह तो उसके बाप, भाई··· (व्यवधान) ···उनको कहा गया है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा है :

[अनुवाद]

और तलाकशुदा औरतों के लिए सम्मानजनक उपहार। यह मुत्तकिन के लिए लाजिमी है आगे तफसिर है (617 उनके पतियों द्वारा बनाया गया) और तलाकशुदा औरतों के लिए मिताचार के साथ अथवा उचित और न्याय-संगत उद्देश्य और उपकार के साथ, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था होनी चाहिए।

और तलाकशुदा औरतों के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यह उनके लिए नैतिक दायित्व है जो खुदा से डरते हैं।

[हिन्दी]

इससे ज्यादा कुरान और क्या कहेगी कि एक औरत के लिए प्रोवीजन करना है। इसी तरह से मौलाना आजाद कहते हैं—

[अनुवाद]

यद्यपि विवाह और तलाक से सम्बद्ध व्यवस्थाओं का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, कुरान में इस पर दुबारा जोर देकर कहा गया है कि तलाकशुदा औरतों का प्रत्येक हालात में उचित ख्याल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

इसके लिए कहा गया है मुताल्लिक औरत के तईं कंसीडरेशन दिखाना होगा, चाहे जो भी हालात हों। इस बात को कुरान शरीफ जोर देना चाहता है, इसलिए यह बात दोबारा कही गई है। मौलाना आजाद कहते हैं :

[अनुवाद]

यह बात इस तथ्य पर आधारित है कि वह तुलना के लिहाज से आदमी से कमजोर है और उसके हितों की उचित प्रकार से रक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

उसके इन्टरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके, इसलिए इस बात को बार-बार रिपीट किया गया है, इम्फैसीज किया गया है। यह मौलाना आजाद का इन्टरप्रिटेशन है।

अब मैं थोड़ा सा पीछे लौटना चाहता हूं। यह बात कही गई कि वन-टाइम ट्रान्जैक्शन है। मैं बहुत खुश हूं कि वन-टाइम ट्रान्जैक्शन कह दिया, वसा सेठ साहब लोग वन-टाइम ट्रान्जैक्शन को भी मान नहीं रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इद्दत के लिए है। एक वो लोगों से नहीं मेरी दसियों लोगों से बात हुई है। कल ही मेरी पार्टी के एक सदस्य से बात हुई, वे कहते हैं कि इद्दत के पीरियड के लिए यह प्रोवीजन है। मैं बहुत खुश हूं, मैं मानता हूं कि सेठ साहब ने कह दिया कि वन-टाइम प्रोवीजन है। मैं उनकी बात से एग्री करता हूं, वन-टाइम प्रोवीजन को मैं भी कहूंगा कि ठीक है, अगर ऐसा प्रोवीजन हो सके। मैं दूसरी बात पर लौटना चाहता हूं। यह बात कही जा रही थी कि यह सिर्फ इद्दत के लिए है। इद्दत के बीच में सिर्फ औरत को मेनटेन करना शोहर की जिम्मेदारी है। वह इसलिए ताकि उनके अन्दर रुजू हो सके, वे मिल सकें। हुक्म है, इनको घर से निकालो नहीं, हुक्म है इनको अपने साथ रखो, हुक्म है जिस स्टाइल से खुद रहते हो, उस स्टाइल से उनको रखो··· (व्यवधान)··· हां, मैं भी इद्दत कह रहा हूं। मैं

कह रहा हूं कि इद्दत को अलग डील किया गया है। 241 में जो प्रोवीजन है, या जो मैंटिनेंस है या जो गिफ्ट है, प्रेजेंट है, इस बारे में कई लोगों का कहना है कि यह सिर्फ इद्दत के पीरियड के लिए है। इद्दत क्या है ?

5.00 म० प०

तीन महीने और ऐसी औरत के केस में जो प्रेगनेंट हो, टिल डिलीवरी, तब इद्दत पूरी होगी। अब ऐसी शादियों पर जिन शादियों में इद्दत लागू नहीं होती, मैं यह खासतौर से तवज्जह दिलाना चाहता हूं, बनातवाला साहब की, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से।

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरी पूरी तवज्जह है, जो-जो गलतफहमियां हैं, वे भी बताता चलूं आपको ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वह आपको मौका मिलेगा। श्रीमन् कुरान शरीफ में ऐसी शादियों के बारे में क्या कहा गया है, जिन शादियों में तलाक देने पर इद्दत का पीरियड लागू नहीं होता, इससे हम फर्क कर सकेंगे कि इद्दत के लिए है या गैर इद्दत के लिए है यह प्राविजन। फिर ऐसी शादियों में जहां इद्दत का प्रावीजन लागू नहीं होता, फिर गिफ्ट का कांसेप्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूं उन शदियों पर, सूराए बकर की 236 आयत, सूरत दो—

[अनुवाद]

"तलाक दे दो तो उसमें तुम पर कोई पाप नहीं अगर तुमने (उस समय तक उन) औरतों के साथ हम बिस्तरी न की हो और उनका मेहर न ठहराया हो। हां ऐसी औरतों के साथ कुछ सलूक करो; सामर्थ्य वाले अपनी हैसियत के अनुसार और बेसामर्थ्य वाले अपनी हैसियत के अनुसार उनको खर्च दें जैसा कि दस्तूर है। यह नेकी करने वालों पर लाजिम है।"

[हिन्दी]

यह क्या केस है, यह केस वह है जहां औरत का मेहर भी तय न हुआ हो, जहां मैरिज कंज्यूमेट न हुई हो, लेकिन तलाक हो गया तो उस केस में इद्दत नहीं है, उस औरत को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसकी शादी तो उसी शाम को हो जाएगी या अगले दिन हो जायेगी, इद्दत का पीरियड नहीं है। इद्दत का पीरियड इसलिए है कि ताकि तीन महीने इंतजार करना पड़ेगा, तब तक मेंटेन करना है, अगर उसको इंतजार नहीं करना, इसके बावजूद हुक्म दिया— "बैनिफिट दैम" उनको फायदा पहुंचाओ। जो मालदार हैं, वह अपनी हैसियत के हिसाब से फायदा पहुंचाओ, जो गरीब हैं, जितना उनके पास हो, उसके हिसाब से फायदा पहुंचाओ। अब दूसरा केस, जिसमें इद्दत ड्यू नहीं है, लेकिन मेहर तय हो गया है। उसमें सूरत दो, आयत 237—

[अनुवाद]

"और अगर हम बिस्तर होने से पहले और मैहर ठहराने के बाद औरतों को तलाक दो तो जो कुछ तुमने ठहराया था उसका आधा देना चाहिए, सिवाय उस सूरत में कि स्त्रियां आधा मेहर भी खुद छोड़ दें या (मर्द) जिसके हाथ में निकाह के संबंध की बातें हैं वह (अपना हक) छोड़ दें, यानी पूरा मेहर देने पर राजी हो और अपना हक छोड़ दे।) और अपना हक छोड़ दो तो यह परहेजगारी से ज्यादा करीब है। और अपने बीच

इस परस्पर भलाई करने के विचार को मत भूलो। जो करते हो निश्चय अल्लाह् उसको खूब देख रहा है।"

[हिन्दी]

इसका क्या तरजुमा किया—

[अनुवाद]

"मेहर के बदले उन्हें एक तोहफा दें।"

[हिन्दी]

यह हुआ वहां जहां मेहर तय नहीं हुआ था, लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया—

[अनुवाद]

"उसने तलाक के बाद उसे एक तोहफा दिया।"

[हिन्दी]

मतअहा कोई इद्दत का पीरियड इन्वाल्व नहीं है। लेकिन उसको गिफ्ट दिलवाया। ··
(व्यवधान)

[अनुवाद]

कानून कहता है कि ऐसे मामले में आदमी द्वारा औरत को निर्धारित मेहर का आधा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

यह उस औरत के केस में है जिसका मेहर तय हो गया लेकिन मैरिज कंज्युमेट नहीं हुई और तलाक हो गया। यह तो ला ने आबलीगेटरी किया कि जितना मेहर तुमने तय किया है उसका आधा तुम्हें देना पड़ेगा। आगे क्या कहा गया है, वह मैं बता देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"लेकिन औरतों को यह आजादी है कि वह चाहे तो उन्हें देय रकम का आधा छोड़ दें या आदमी को आजादी दे कि वे उस आधे को दे सकता है जिसे कम करने का हक उसे है और इस प्रकार वह पूरा मेहर दे।"

[हिन्दी]

पायटी (Piety) लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। मर्द को ताकीद की गई है जितनी रकम तय हुई है उसका आधा दे दो। औरत माफ करना चाहे तो अलग बात है। लेकिन, तुम्हारे हक में बेहतर यही होगा कि उसे पूरा ही दे दो। यह प्रोविजन है।

[अनुवाद]

"··· उसे जिसके हाथ में निकाह के संबंध की बातें हैं। हनफी सिद्धान्त के अनुसार, पति ही निकाह को खत्म कर सकता है।"

"इसलिए उसके लिए यह जरूरी है कि वह औरत के प्रति अधिक उदार बने और उसे मेहर की पूरी रकम दे, चाहे शादी कंज्यूमेट न हुई हो।"

[हिन्दी]

जहां मैरिज कंज्युमेट न होने पर शौहर को यह हुक्म दिया जा रहा हो और ताकीद की जा रही हो और उसे इस तरफ रागीब किया जा रहा हो कि तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि सीला-रहमी के साथ पेश आओ और पूरा मेहर दे दो, किस औरत के लिए, जिसके साथ मैरिज कंज्युमेट नहीं हुई है। अब उस औरत का क्या होगा जो तीस साल से साथ रह रही है, उसके साथ क्या नाराजगी है। इतने लिबरल प्रोविजन इस मजहब में हैं। उसे दूसरी तरफ से मोड़कर कहना ठीक नहीं है। औरतें, कमजोर और शोषित थीं और पस्ती की जिन्दगी गुजारती थीं। यही जिहाद था इस्लाम का सबको बराबर हकूक दिलवाने का। अब उसे तालीम और रूह के एन खिलाफ किया जा रहा है। अब मैं बुखारी शरीफ से हवाला देना चाहूंगा।··· (व्यवधान) दो-तीन लोगों के साथ मैं भी मदीना यूनिवर्सिटी गया था। वहां के वाइस चांसलर ने ये प्रतियां हमें दी थीं। यह ऐसा एडीशन नहीं है जिस पर यह इल्जाम लगा दिया जाए कि कहां से उठा लाए।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

> "एक तलाकशुदा औरत को जिसके लिए अल्लाह के अलफाज के मुताबिक मेहर तय हो गया है, पति द्वारा तोहफा दिए जाने के बारे में··· यदि तुम उस औरत को तलाक देते हो जिसके साथ तुमने हम बिस्तरी न की हो तो तुम पर कोई इल्जाम नहीं।"

[हिन्दी]

मतलब यह है कि स्टेटमैंट आफ अल्लाह वह है जो कुरान में आया हो और स्टेटमैंट ऑफ अल्लाह क्या है, उसके बारे में सूरत-ए-बकरह की सूरत 236 और 237 में बताया गया है—देयर इज नो क्लेम··· जिसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ कर बताया। उससे आगे चलकर सूरत 241 और 242 में भी कुछ बातें कही गई हैं।

मैं यहां उन बातों को फिर से इसलिए दोहराना चाहता हूं क्योंकि यह कहा जाता है कि आउट ऑफ दी कान्टैक्स्ट सूराये-बकरह से आयतों को उठाकर उनको जजमैंट के हक में इस्तेमाल कर लिया है। यहां पर बुखारी-शरीफ उसी चैप्टर को डील करते हुए उन्हीं दो आयतों का हवाला देती है, और वे आयतें हैं 241 और 242 लेकिन बार-बार यह बात कह दी जाती है कि इन आयतों का इस जजमैंट से कोई ताल्लुक ही नहीं था, ये गैर मुताल्लिख आयतें थीं। अगर ये गैर मुताल्लिख आयतें होतीं तो बुखारी शरीफ तो उन आयतों को गैर-मुताल्लिख नहीं मानती। असल में 241 और 242 का जो तरजुमा बुखारी शरीफ में दिया गया है वह यह है, वैसे मुझे नहीं मालूम कि किसने उसका तरजुमा किया है लेकिन इसमें सब कुछ मदीना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा पता नहीं कौन दूसरे लोग हैं, इस्लामी कमेटी है, उसका इस पर जो प्रिफेस लगा हुआ है, उसमें यह है :

[अनुवाद]

> "और तलाकशुदा औरत को भरण-पोषण के लिए समुचित रकम दी जानी चाहिए। यह नेक इन्सान का कर्त्तव्य है। इस प्रकार अल्लाह अपने हुकमों को खोल-खोल कर बयान फर्माता है, शायद तुम समझ जाओ।"

[हिन्दी]

इसके आगे एक हदीस का जिक्र है, महफूम यह है :

[अनुवाद]

"पैगम्बर सलाम ने यह नहीं कहा..."

5.12 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्रीमन्, कहीं-कहीं ऐसा होता है कि सीधे ही हुक्म दे दिया जाता है कि यह काम करना है और कई जगह कहा जाता है कि इस कुर्सी पर नहीं बैठना है। इस हदीस में कहा गया है कि

[अनुवाद]

पैगम्बर सलाम ने यह नहीं कहा कि तोहफा उस औरत को दिया जाना चाहिए जिसे उसके पति ने उनके लियान में मुबतिला होने के बाद, तलाक दिया हो।

[हिन्दी]

अब लियान क्या है। लियान यह है कि अगर औरत और मर्द दोनों ही एक दूसरे पर अनफेदफुल होने का इल्जाम लगायें तो फिर उनको एक स्थान पर लाया जाता है। पहले तीन कसमें खिलाई जाती हैं सच बोलने की और उसके बाद इल्जाम के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद चौथी कसम खिलवाई जाती है जिसमें कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है कि अगर मेरा इल्जाम झूठा हो तो जैसे कहते हैं कि मेरे ऊपर मुसीबत आये, उसी तरह के शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है, उसी तरह से कसम दिलवायी जाती है। अब ऐसे केस में जहां इस तरह से कसम दिलवाई जाती हो और उसके बाद भी दोनों ने रिपैन्ट नहीं किया, दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं हों तो फिर उसका एक ही तरीका रह जाता है कि जब इतना सीरियस इल्जाम अनफेदफुल होने का, कसमें खाने के बाद भी लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वे दोनों अब साथ-साथ नहीं रह सकते और उसका रिजल्ट सैपरेशन ही रह जाता है। ऐसे केसेज में गिफ्ट देने का प्रोवीजन नहीं है लेकिन ऐसे केसेज में अगर गिफ्ट को मेहर मान लिया जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं :

हदीस शरीफ का महफूम है :

[अनुवाद]

पैगम्बर सलाम ने यह नहीं कहा कि तोहफा अब औरत को दिया जाए जिसे उसके पति ने उनके लियान में (मुबतिला) होने के बाद, तलाक दिया हो।

[हिन्दी]

इसलिए कि दोनों ने मानने से इंकार कर दिया और वे एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, कोई भी मान नहीं रहा है :

[अनुवाद]

हजरे-उमर ने कहा "पैगम्बर ने उन लोगों से कहा जो कि लियान के मामले में मुब्तिलायें तुम्हारा हिसाब अल्लाह के पास है, तुम में से कोई एक झूठा है। पति होने के नाते तुम्हें उस पर (बीवी) हक है।"

[हिन्दी]

अब कहा कि ठीक है अलहदगी तो करा दिया, दे वर सैपरेटिड, लेकिन हसबैंड वहां से बोला कि जब अलहदगी हो गई।

[अनुवाद]

पति ने कहा, "मेरा धन, ओ अल्लाह के पुजारी, मेरा धन, उसे तो मेहर के रूप में दे दिया गया।"

[हिन्दी]

तो उसने कहा कि यह औरत जब मेरे साथ वफादार नहीं है, वफादारी नहीं की और इससे मेरी इस तरह अलहदगी हुई है तो मैंने जो इसे मेहर दी वह तो मुझे वापस दिलवाओ, इस पर प्रोफिट का क्या जवाब है, वह सुनिये :

[अनुवाद]

पैगम्बर सलाम ने कहा, "तुम्हें कोई रकम वापिस लेने का हक नहीं है। यदि तुमने सच बोला है, तो मेहर की जो रकम तुमने दी है, वह उसके साथ कानूनी रूप से हुई शादी की निश्पति के लिए थी। यदि वह वफादार नहीं थी तब भी।

[हिन्दी]

जैसा ऊपर कहा।

[अनुवाद]

वह अपना मेहर वापिस करने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसे मामलों में यह जरूरी नहीं है। पैगम्बर सलाम ने यह उल्लेख नहीं किया कि तोहफा उस औरत को दिया जाए जिसे उसके पति ने लियान के मामले में मुबतिला होने के बाद तलाक दिया हो।

[हिन्दी]

और यहां पर नीचे फिर कहा है—

[अनुवाद[

"यदि आपने सत्य कहा है तो मेहर वह है जो आप उसके साथ कानूनी दृष्टि से अपने निकाह को पूरा होने पर देते हैं। यदि आप झूठ हैं तो आप इसे वापस लेने के और भी कम हकदार हैं।"

[हिन्दी]

श्रीमन्, मैं दौरे हाजिर के जो आलिम हैं उनकी कमेंट्रीज हैं, उसके अलावा जो कमेंट्री इस्लामिक स्कॉलर है, ये मेरे पास तफसीर इबने कसीट का तर्जुमा है, जिसको इबने कसीर, जिसको हैसियत इस्लामे स्कूल शाफई स्कूल आफ थॉट में, मुसल्लम है तफसीर अरबी में है और अंग्रेजी में तर्जुमा किया है, डा० मुशीरुल हक, प्रोफेसर एण्ड हैड आफ डिपार्टमेंट आफ अरेबिक एण्ड इरानियन स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामी, जामिया मिलिया नगर, नई दिल्ली में हैड हैं अरबी डिपार्टमेंट के, उन्होंने तर्जुमा किया है। इसमें लिखा है—

[अनुवाद]

"कुरान शरीफ पर विवेकपूर्ण टिप्पणी—'सूरा-दो, आयत (241)' के एक पैरा का अनुवाद"

[हिन्दी]

अब इसके आगे तफसीर है—

[अनुवाद]

और जिन औरतों को तलाक दी जाय और उनके साथ (मेहर के अलावा भी) दस्तूर के मुताबिक (जोड़े वगैरह से कुछ) सलूक परहेजगारों का कर्त्तव्य है। इन शब्दों में अल्लाह ने सभी तलाक-शुदा औरतों के लिए कुछ व्यवस्था करने का हुकम दिया है। जबकि पहले की व्यवस्था को औरतों की एक विशेष श्रेणी के लिए ही बाध्यकारी घोषित किया गया था।

[हिन्दी]

तो यह तर्जुमा इबने कसीर का है, ये तो माडर्न कमेंटेटर्स के साथ हैं, ये तो बहुत क्लासिक कमेंटेटर्स हैं। इसके अलावा सन् 1937-38 में, मैं साल सही नहीं बता सकूंगा, लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, लेकिन जो मुसलमान मैरिज एक्ट पास हुआ, तो मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने जो रिप्रजेंटेशन किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वह यह था कि इस कानून के जरिए ऐसा प्रोविजन कर दिया जाए कि जहां हनफी कानून में दिक्कत महसूस हो वहां शाफई कानून का इस्तेमाल कर सके। हम्बली कानून इस्तेमाल कर सके और ये तसव्वुर ऐसे जो जानामाना तसव्वुर है। इसके बाद भी अगर शुबहा है, इसके बाद भी अगर हम यह महसूस करें कि हक नहीं पहुंच पाता है तो यह हमारी समझ की कमी है। यह बात मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैं सेठ साहब की बात से बिलकुल इत्तफाक करने के लिए तैयार हूं कि अगर एक बार में ही आप मुनासिब इन्तजाम करवा दें तो कोई हर्ज नहीं होगा। इसके बाद मैं एक और जगह से आपको सुनाना चाहूंगा। श्रीमान तरीख इस्लाम में एक ऐसा भी दिन था जिस दिन हुजूर सलल्लाहे अहले वसल्लुमको कुछ थोड़ी सी नाराजगी अपनी बीवियों पर आई थी, आयत है सूरातुल अहजाब में 33 सूरत है 28 आयत है।

[अनुवाद]

ऐ पैगम्बर अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम इस दुनिया की जिन्दगी या यहां की रौनक चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर अच्छी तरह से विदा कर दूं।

[हिन्दी]

कहा है अगर आम औरतों की जिन्दगी गुजारना चाहती हो, दुनिया में एशो-आराम की जिन्दगी गुजारना चाहती हो, तो आम औरतों की तरह मैं तुम्हें रुखसत करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे लिए इतना इन्तजाम करके कि तुम एशो-आराम की जिन्दगी गुजार सको। इसी में फिर तफसीर है। ये मौलाना मजिद अली का ट्रांसलेशन है—

[अनुवाद]

ऐ पैगम्बर अपनी बीवियों से कह दो कि यदि तुम इस दुनिया की चमक-दमक की जिन्दगी गुजारना चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें शानदार तरीके से आजाद कर दूं और तुम्हारे एशो-आराम की हर व्यवस्था करूंगा।

[हिन्दी]

कहा है कि प्रोफिट की बीवी होने के नाते, उनके ऊपर खास जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर तुम

उन जिम्मेदारियों से बचकर (Inhumme rs duties) ह्यूमेरस ड्यूटीज से बच कर आम औरतों की तरह से जिन्दगी गुजारना चाहती हो, तो मैं तुम्हें रुखसत करने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हें खूबसूरत अंदाज में रुखसत कर दूंगा और तुम्हारे लिए इतना प्रोविजन कर दूंगा कि तुम आराम की जिन्दगी गुजार सको। इसमें ये अलहदगी की बात कह रहे हैं। जब मैं तुमसे अलहदा हो जाऊं। उस वक्त एक खास मौका था जब उनको नाराजगी आई।

इसकी कमेन्ट्री उन्होंने दी है—

[अनुवाद]

ये अल्फाज उस वक्त कहे गये हैं जबकि पैगम्बर की बीवियों ने और अधिक शानदार कपड़ों की मांग की और अपने-अपने खर्चे के लिए अतिरिक्त पैसा मांगा।

[हिन्दी]

तो उस वक्त वह यह महसूस करते थे कि नबी की बीवी होने के नाते उन्हें आम औरतों की तरह समचुअस कपड़े, उसी तरह के ऐशो-आराम, नहीं मांगने चाहिएं उनकी जिम्मेदारियां उससे कहीं बड़ी हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आम औरतों की जिन्दगी बितानी हो तो तुम्हें मुझसे अलग होना है, मैं तुम्हें रुखसत कर दूं हैंडसम मैनर में, खूबसूरत अंदाज में और तुम्हारा प्रावीजन कर दूं कि तुम ऐश से रह सको।

[अनुवाद]

"अपने ऊंचे रुतबे के बावजूद सभी बीवियों को— के रूप में काम करना होता था। उनके पास अपनी या अपने खाविन्द के ऐशो-आराम के लिए आरामतलबी की जिन्दगी नहीं थी। उन्हें कह दिया गया था कि यदि वे सिर्फ आराम और दुनिया की चमक-दमक की जिन्दगी चाहती हैं तो उनके लिए उस घर में कोई जगह नहीं है। यदि यह हालत है तो इन्हें तलाक दिया जा सकता है और उनके लिए काफी व्यवस्था कर दी जायेगी।"

[हिन्दी]

यह सूरते-उल-एहजाद है।

सूरते तलाक से पहले उन्हें इज्जत के साथ अपने साथ रखना, उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। यह भी बता चुका हूं कि बार-बार यह हुक्म दिया है कि जो जिसकी हैसियत है, उसके मुताबिक खर्च करे।

सवाल यह है कि शरीयत को हम कितना मानें। मैं नहीं समझता कि शरीयत इसकी इजाजत देती है। उसका वह एहकाम तो मानते चले जायें जो हमें अधिकार देता है और उसका वह एहकाम जो हमें फरायज और जिम्मेदारियां अदा करने के लिए करता है, उनसे हम आंख चुराते रहें, यह कैसे हो सकता है? इसका कुरान शरीफ में बाजह तौर पर आया है— आयात सूरत 2, आयात 84

[अनुवाद]

"और (वह समय याद करो) जब हमने तुमसे (पक्की) प्रतिज्ञा ली कि आपस में एक दूसरे का खून न बहाना और न अपने शहरों से अपने लोगों को देश निकाला देना, फिर तुमने प्रतिज्ञा की और तुम (इस बात के) गवाह भी हो।"

[हिन्दी]

कोई माहिदा हुआ, उसको तोड़ा। उसके तोड़ने के बाद क्या किया ? उसमें यह बताया गया है कि

[अनुवाद]

"फिर तुम वही हो कि अपनों को कत्ल भी करते हो और अपनों ही में से कुछ को देश निकाला भी कराते हो (और) उन पर गुनाह और जुल्म के साथ (चढ़ाई करके उन अपनों के विरोधियों का) साथ भी देते हो। और उन्हीं में से कोई···"

[हिन्दी]

यह तो कुरान शरीफ का तर्जुमा है, तफसील नहीं है जो कि बहुत इम्पार्टेन्ट है।

[अनुवाद]

"अगर कैद होकर तुम तक पहुंचते हैं तो तुम फिदय (बदले में धन) देकर उनको छुड़ा लेते हो। हालांकि उनको देश निकाला कराना ही तुमको हराम (निषिद्ध) था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और दूसरे को नहीं मानते ?"

[हिन्दी]

इसका मकसद क्या था ? जितना तुम्हें सूट करता है, उतना तो शरीयत का मान लेते हो, जहां तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आती है वहां उससे आंख बचाकर चले जाते हो। यह रसूल के जरिये अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं, जिन्होंने कोई अहद करने के बाद उसे तोड़ा था।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : एक मिसाल दे दें, कौन सी ऐसी बात है जिससे हम शरीयत पर नहीं चले।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अभी मैंने बताया था कि तलाक का वह तरीका शरीयत के मुताबिक नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

मौलाना आजाद इसका तर्जुमा करते हुए कहते हैं कि जब ऐसा होता है कि तुम्हारेहमजिला वतन का आदमी जब दुश्मनों के हाथ पड़ जाता है और कैदी होकर तुम्हारे सामने आता है तो तुम फिदियाँ देकर छुड़ा लेते हो और कहते हो कि शरीयत की रूह से ऐसा करना जरूरी है। हालांकि अगर शरीयत के हुक्म का तुम्हें इतना ही पाप है तो शरीयत की रूह से यही बात हराम थी कि उनके घरों और बस्तियों से जला-वतन कर दो। फिर यह गुमराही कैसी। इन्तहा है कि कैदियों के छोड़ने और उनके सिदिये के लिए माल जमा करने में तो शरीयत याद आती है, लेकिन उस जुल्म-मासियत के वक्त याद नहीं आती जिसकी वजह से वह दुश्मनों के हाथ पड़े और कैदी हुए।

क्या यह इसलिये है कि किताबे इलाही को कुछ हिस्से को मानता हूं और कुछ से मुनकिर हो।

हजूर की हिदायत की मुताबिक आज के दौर में जो तौर-तरीके हैं वे बेहतर होने चाहिएं और जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना चाहिए तभी इलहाक हो सकता है, तभी इंसाफ हो सकता है। इंसान के मिजाज में यह बात है या इंसान के मिजाज से डील करने वाली यह किताब कुरान

है । मैं आपको बताता हूं कि कुरान शरीफ वाजे तौर पर सूद लेना और देना मना करता हूं । मैं बनातवाला साहब से सवाल करना चाहता हूं कि बनातवाला साहब एक बिल लायें जिसकी रूह से इस मुल्क के बैंकों पर पाबंदी कर दें कि मुसलमान जो पैसा जमा करते हैं उस पर न सूद दोगे और जो पैसा कर्ज के तौर पर दिया जाता है न उस पर सूद लोगे ।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : आप मुल्क की बैंकिग सिस्टम से इंटरस्ट को निकाल दीजिए । हमारा मुतालबा है । हम इसके लिए तैयार हैं इसको निकाल या खत्म कर दिया जाये। आप इसको मान लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरे कहने का मतलब यह था क्या यह मुमकिन है कि आप न तो बैंकों में रुपया जमा करें और न बैंकों के साथ कोई ट्रांजैक्शन करें । इससे जो आपका मुतालबा है वह पूरा हो जायेगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : हमारा मुतालबा है कि सूद वाली बात को बैंकिंग सिस्टम से निकाल दें । (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा कहना यह था कि बनातवाला साहब चाहे जितना मुतालबा करें, लेकिन जिनकी नुमाइंदगी की बात कहते हैं वह इनकी इस बात को नहीं मानेंगे । इस बात को हम भी जानते हैं और हम भी इनकी नुमाइंदगी करते हैं जिनकी यह करते हैं ।

मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता । सेठ साहब और बनातवाला साहब शरीयत के कानून को ज्यादा बेहतर जानते हैं । मैं इतना जानता हूं कि हिन्दुस्तान में कितनी कम्युनिटीज है ।

मुसलमानों की है जो लॉ आफ सक्सैशन, इनहैरिटेंस वगैरह के मामले में मुख्तलिफ कानूनों पर अमल करती हैं । इनके यहां मुख्तलिफ कानून रायज हैं लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि इससे उनके ईमान में फर्क पड़ रहा है । (व्यवधान)

मैं शरीयत को बहुत एहतराम की निगाह से देखता हूं । मैं समझता हूं कि सी० आर० पी० सी० को तबदील किया जा सकता है । इसको तबदील करके उन मुसलमान औरतों को इस हक से महरूम किया जा सकता है, जिन औरतों के पास गुजर-बसर का कोई जरिया नहीं है, जो अदालतों में नहीं जा सकती हैं, लेकिन कुरान को कोई तबदील नहीं कर सकता । कुरान औरतों को यह हक देता है कि औरतें इज्जत की जिन्दगी बसर करें । इस कुरान को बनातवाला साहब बदल नहीं सकते ।

इस मुल्क में हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है । मजहब को सियासी फायदों के लिए इस्तेमाल करके हमने उसके बहुत बुरे नतीजे भुगते हैं ।

(व्यवधान)

इसी सियासत के नतीजे में, मौलाना आजाद के लफ्जों में चेहरों पर इजतराब और दिलों में वीरानी पैदा हो गई थी । इसी सियासत के नतीजे में जहां मजहब का इस्तेमाल किया गया था सियासी यफादात के लिए तमाम जजबाती नारे लगाने के बावजूद, नारे लगाने वाले हिन्दुस्तान

के मुसलमानों को लावारिस समझकर वकदील के हवाले करके कहीं और चले गए। आज फिर माहौल ने करवट ली है। हालात बेहतरी की तरफ हैं और एक बार फिर वे नारे लगाने वाले अपनी सियासी बाजीगरी और सियासी बाजार को गरम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। मेरी यह अपील है कि अब फिर इस मुल्क के माहौल को खराब न किया जाए। इस मुल्क में हम फिरकावारना हमआहंगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम उस कड़वे माजी को नुकसान पहुंचाने वाले उस मांजी को, दिलों को तोड़ने वाले माजी को, नफरत फैलाने वाले माजी को, दोहरायें नहीं। अब हमने एक लम्बा रास्ता तय कर लिया है, उसको हम भूल जायें। मेरी यह दरख्वास्त है……

प्रो० संफुद्दीन सोज : इससे क्या इख्तलाफ है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इख्तलाफ यह है कि जिस किस्म के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस किस्म की तकरीरें की जा रही हैं, जिस किस्म के बयानात अखबारों को दिए जा रहे हैं, उसकी पूरी कोशिश यह है कि किसी तरह मजहबी जजबात को भड़काया जाए। मेरी तो यह दरख्वास्त है कि हम यह एन्शयोर करें, और देखें, अगर किसी मामले पर इख्तलाफ है, तो इफहाम व तफहीम की गुंजाइश है, बातचीत की गुंजाइश है। कहीं आप हमारी राय मान लें, कहीं हम आपकी राय मान लें, लेकिन जजबाती नारे लगाकर मजहबी जजबात को बरअंगेख्ता करके माहौल को मुश्तेल करके बिगाड़ें नहीं, इससे न मुल्क का फायदा होने वाला है और न किसी कम्यूनिटी का फायदा होने वाला है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं एक बात पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि आरिफ मोहम्मद खां ने वाकई…

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री जैनुल बशर) : अब हम अगला मुद्दा लेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री जैनुल बशर) : सभा अब आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेगी। श्री बी० बी० देसाई। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। इसलिए, सभा सोमवार, 26 अगस्त, 1985 को प्रातः 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

5.32 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार 26 अगस्त, 1985/4 भाद्र, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

ए० जे० प्रिंटर्स, 5, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2